भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
हर भारतीय का बैंक
THE BANKER TO EVERY INDIAN

Soaring high...
towards new horizons

ऊंची उड़ान...
नए क्षितिज की ओर

₹ 909492 Crs
Rupee Loans
↑ 20%

₹ 17916 Crs
Net Profit (Consolidated)
↑ 16.8 %

₹ 14105 Crs
Net Profit (Standalone)
↑ 20.5 %

Branches (in India)
14816

NIM (Domestic)
3.66%

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2012 - 2013

School Buses and Ambulances for Community Service

Water Purifiers to Schools

Donation for Regional Boxing Foundation (of Mary Kom), Manipur

Fans to Schools

Shri P. Chidambaram, Hon'ble Union Finance Minister addressing a meeting of the Central Board on 9th February 2013 at Mumbai

Address by Dr. Subba Rao, Governor, RBI at the Golden Jubilee Celebrations of State Bank Staff College, Hyderabad

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक
(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 58वीं वार्षिक महासभा **"वाई.बी.चव्हाण ऑडिटोरियम"**, वाई.बी.चव्हाण केंद्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013 को अपराह्न 03.00 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु होगी :-

"स्टेट बैंक का 31 मार्च 2013 तक का तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा इस लेखा अवधि की स्टेट बैंक की कार्य-प्रणाली और कार्यकलाप पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट और तुलन-पत्र व लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना।"

प्र.चौधरी

(प्रतीप चौधरी)
अध्यक्ष

कारपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई-400 021

दिनांक : 30 अप्रैल 2013

महत्वपूर्ण सूचना
घोषित लाभांश : ₹41.50 प्रति शेयर
लाभांश भुगतान तिथि : 17.06.2013
बहीबंदी की अवधि : 30.05.2013 **से** 03.06.2013
रेकॉर्ड तिथि : 29.05.2013

एसबीआई समूह संरचना, दिनांक 31.03.2013 को

एसबीआई परिवार वृक्ष

एसबीआई

देश में स्थित बैंकिंग अनुषंगियाँ

स्वामित्व अंश %	
75.07	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
100	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
92.33	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
100	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
75.01	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

स्वामित्व अंश %	
100	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.
	एसबीआई कैप वेंचर्स लि.
	एसबीआईकैप (यूके) लि.
	एसबीआई कैप ट्रस्टीज कंपनी लि.
	एसबीआई कैप (सिंगापुर लि.)
63.78	एसबीआई डीएफएचआई लि.
100	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
100	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
86.18	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
60	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
63	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.
60	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
74	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
65	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.
74	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

संयुक्त उद्यम

स्वामित्व अंश %

49	सी-एज टेकनोलॉजीज लि.
40	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
45	मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
	मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
45	एसबीआई मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
45	एसबीआई मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
50	ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
50	ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

स्वामित्व अंश

100	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
100	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)
60	कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को
93.40	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मॉरीशस) लि.
76	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
55.28	नेपाल एसबीआई बैंक लि.

विषय-सूची

रेटिंग्स	05
पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन	06
निष्पादन संकेतक, उल्लेखनीय तथ्य एवं ₹ अर्जित/खर्च	07
केंद्रीय निदेशक बोर्ड	09
बोर्ड की समितियाँ, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, स्थानीय बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य और बैंक के लेखा परीक्षक	10
अध्यक्ष की कलम से	15
निदेशकों की रिपोर्ट	
आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश	20
वित्तीय निष्पादन	22
I. मुख्य परिचालन	
I.1 ग्राहक सेवा	24
I.2 व्यवसाय समूह	
विश्व बाजार परिचालन	25
कारपोरेट बैंकिंग समूह	27
मध्य कारपोरेट समूह	29
राष्ट्रीय बैंकिंग समूह	31
अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह	41
I.3 कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय	43
I.4 अनर्जक आस्ति प्रबंधन	45
II. सहायक एवं नियंत्रण परिचालन	
II.1 सूचना प्रौद्योगिकी	48
II.2 जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण	49
II.3 सतर्कता	53
II.4 मानव संसाधन	53
II.5 कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई	55
II.6 राजभाषा	56
II.7 कारपोरेट सामाजिक दायित्व	57
III. सहयोगी एवं अनुषंगियाँ	59
उत्तरदायित्व वक्तव्य, आभार	64
कारपोरेट अभिशासन	65
अनुलग्नक I से V	78
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	87
तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	
- भारतीय स्टेट बैंक	93
- स्टेट बैंक समूह (समेकित)	135
नई पूँजी पर्याप्तता संरचना (बेसल - II) (स्तंभ - III) (बाजार अनुशासन) प्रकटीकरण	171
प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्ची	

रेटिंग्स

लिखत	रेटिंग 31.03.2013	रेटिंग एजेंसी
बैंक रेटिंग	बीएए3/पी3/स्टेबल/डी+	मूडीज
	बीबीबी-/ए3/ निगेटिव	एसएण्डपी
	बीबीबी-/एफ3/ निगेटिव	फिच
लिखत रेटिंग नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	'एएए/स्टेबल'	क्रिसिल
	'केयर एएए'	केयर
उच्चतर टियर II गौण ऋण	'एएए/स्टेबल'	क्रिसिल
	'केयर एएए'	केयर
न्यूनतर टियर II गौण ऋण	'एएए/स्टेबल'	क्रिसिल
	'केयर एएए'	केयर
	एएए (स्टेबल)	आइसीआरए

केयर : क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड

आइसीआरए : आईसीआरए लि.

क्रिसिल : क्रिसिल लि.

एसएण्डपी : स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
देयताएँ										
पूंजी (₹ करोड़)	526	526	526	526	631	635	635	635	671	684
आरक्षितियाँ (₹ करोड़)	19,705	23,546	27,118	30,772	48,401	57,313	65,314	64,351	83,280	98,200
जमाराशियाँ (₹ करोड़)	3,18,619	3,67,048	3,80,046	4,35,521	5,37,404	7,42,073	8,04,116	9,33,933	10,43,647	12,02,739
उधारियाँ (₹ करोड़)	13,431	19,184	30,642	39,704	51,728	53,713	1,03,012	1,19,569	1,27,006	1,69,183
अन्य (₹ करोड़)	55,534	49,579	55,538	60,042	83,362	1,10,698	80,337	1,05,248	80,915	95,455
कुल (₹ करोड़)	**4,07,815**	**4,59,883**	**493,870**	**5,66,565**	**7,21,526**	**9,64,432**	**10,53,414**	**12,23,736**	**13,35,519**	**15,66,261**
आस्तियाँ										
विनिधान (₹ करोड़)	1,85,676	1,97,098	1,62,534	1,49,149	1,89,501	2,75,954	2,85,790	2,95,601	3,12,198	3,50,927
अग्रिम (₹ करोड़)	1,57,934	2,02,374	2,61,642	3,37,337	4,16,768	5,42,503	6,31,914	7,56,719	8,67,579	10,45,616
अन्य आस्तियाँ (₹ करोड़)	64,205	60,411	69,694	80,079	1,15,257	1,45,975	1,35,710	1,71,416	1,55,742	1,69,718
कुल (₹ करोड़)	**4,07,815**	**4,59,883**	**4,93,870**	**5,66,565**	**7,21,526**	**9,64,432**	**10,53,414**	**12,23,736**	**13,35,519**	**15,66,261**
निवल ब्याज आय (₹ करोड़)	11,186	13,945	15,589	15,058	17,021	20,873	23,671	32,526	43,291	44,331
एनपीए के लिए प्रावधान (₹ करोड़)	3,703	1,204	148	1,429	2,001	2,475	5,148	8,792	11,546	11,368
परिचालन परिणाम (₹ करोड़)	9,553	10,990	11,299	10,000	13,108	17,915	18,321	25,336	31,574	31,082
कर - पूर्व निवल लाभ (₹ करोड़)	4,971	6522	6,906	7,625	10,439	14,181	13,926	14,954	18,483	19,951
निवल लाभ (₹ करोड़)	3,681	4,305	4,407	4,541	6729	9121	9,166	8,265	11,707	14,105
औसत आस्तियों से आय (%)	0.94	0.99	0.89	0.84	1.01	1.04	0.88	0.71	0.88	0.91
ईक्विटी से आय (%)	18.19	18.10	15.47	14.24	17.82	15.07	14.04	12.84	14.36	15.94
आय की तुलना में व्यय (%) (कुल निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	49.18	47.83	58.70	54.18	49.03	46.62	52.59	47.60	45.23	48.51
प्रति कर्मचारी लाभ (₹'000)	177	207	217	237	373	474	446	385	531	645
प्रति शेयर आय (₹)	69.94	81.79	83.73	86.10	126.62	143.77	144.37	130.16	184.31	210.06
प्रति शेयर लाभांश (₹)	11.00	12.50	14.00	14.00	21.50	29.00	30.00	30.00	35.00	41.50
एसबीआई शेयर (एनएसई में मूल्य) (₹)	605.85	654.80	968.50	994.45	1,600.25	1,067.10	2,078.20	2,765.30	2,096.35	2,072.75
लाभांश भुगतान अनुपात % (₹)	15.72	15.28	16.72	16.22	20.18	20.19	20.78	23.05	20.06	20.12
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)										
बेसल- I	13.53	12.45	11.88	12.34	13.54	12.97	12	10.69	12.05	11.22
टियर I	8.34	8.04	9.36	8.01	9.14	8.53	8.46	6.93	8.50	8.23
टियर II	5.19	4.41	2.52	4.33	4.40	4.44	3.54	3.76	3.55	2.99
बेसल- II (₹ करोड़)						85,393	90,975	98,530	1,16,325	1,29,362
बेसल- II (%)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14.25	13.39	11.98	13.86	12.92
टियर I (₹ करोड़)						56,257	64,177	63,901	82,125	94,947
टियर I (%)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9.38	9.45	7.77	9.79	9.49
टियर II (₹ करोड़)						29,136	26,798	34,629	34,200	34,415
टियर II (%)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	4.87	3.94	4.21	4.07	3.43
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	3.48	2.65	1.88	1.56	1.78	1.79	1.72	1.63	1.82	2.10
देश में स्थित शाखाओं की संख्या	9,039	9,102	9,177	9,231	10,186	11,448	12,496	13,542	14,097	14,816
विदेश में स्थित शाखाओं/कार्यालयों की संख्या	54	54	70	83	84	92	142	156	173	186

निष्पादन संकेतक

पूंजी पर्याप्तता अनुपात %

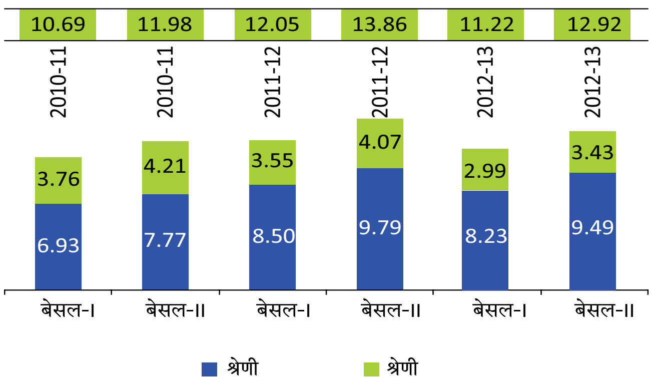

जमाराशियाँ एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)

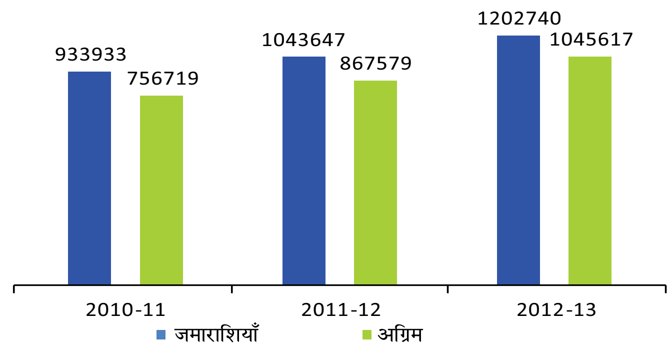

आस्तियों से आय %

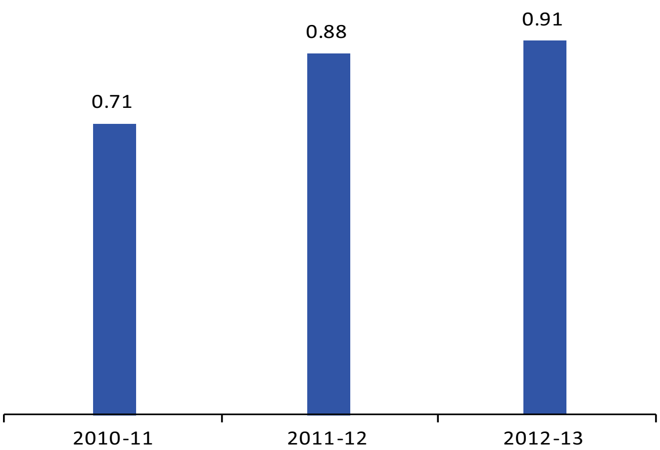

निवल अनर्जक आस्ति अनुपात %

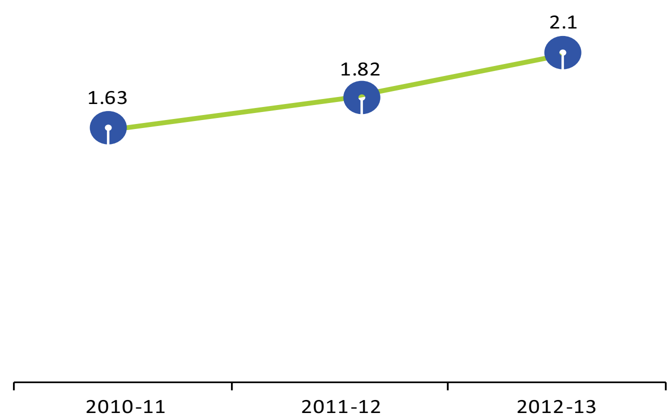

निवल ब्याज मार्जिन %

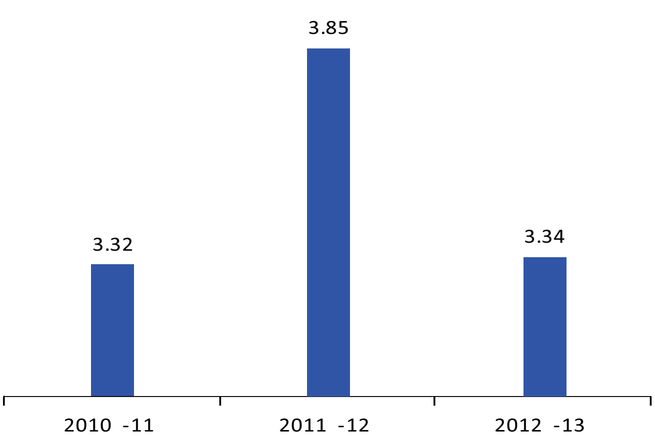

आय की तुलना में लागत अनुपात %

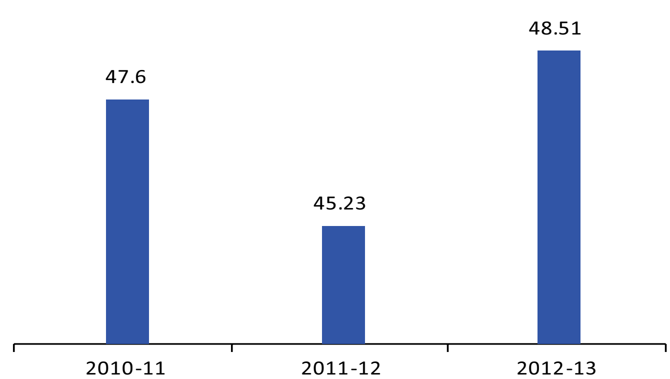

उल्लेखनीय तथ्य

कुल आय (₹ करोड़)

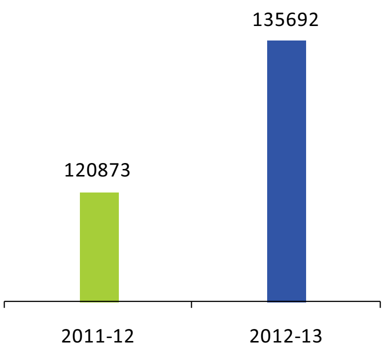

निवल लाभ (₹ करोड़)

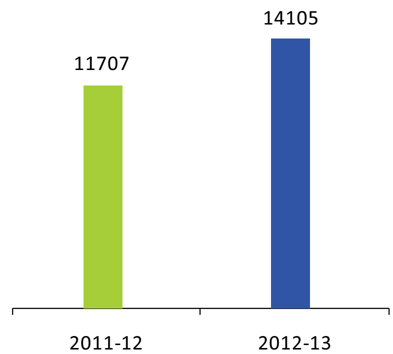

प्रति शेयर ₹ आय

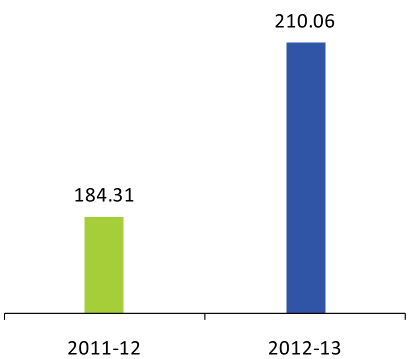

प्रति शेयर बही मूल्य (₹)

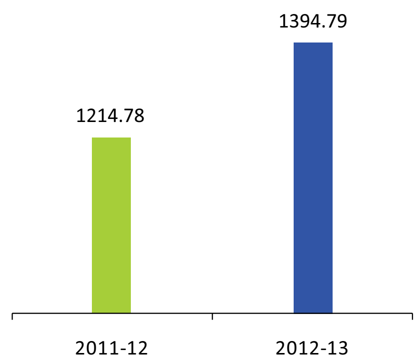

₹ अर्जित / ₹ खर्च

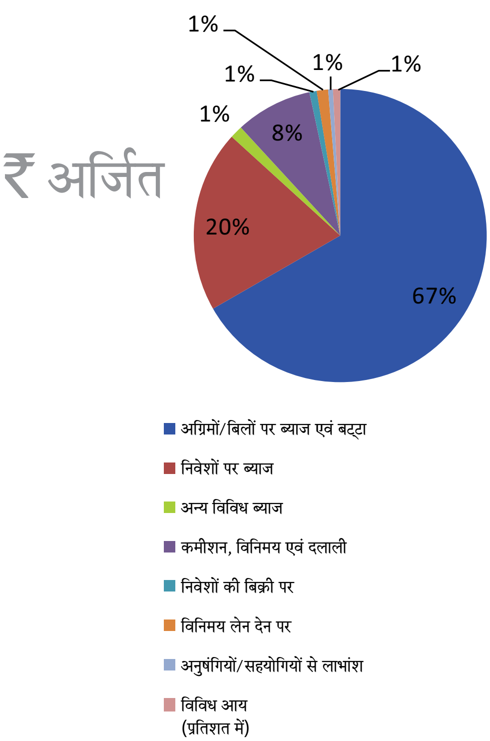

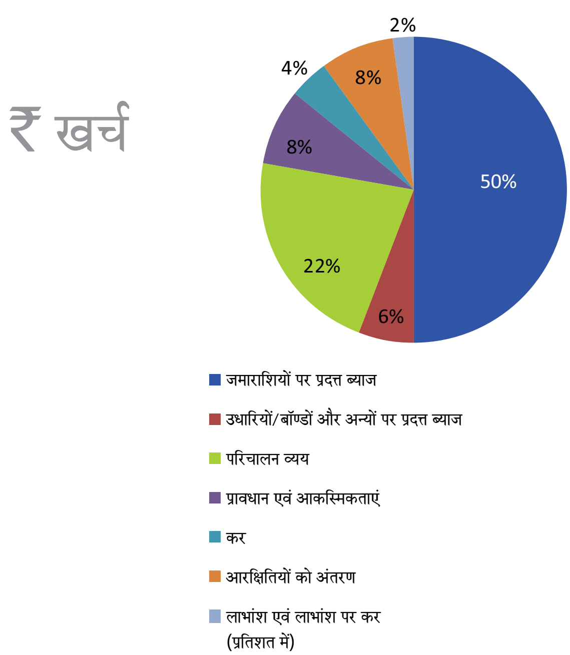

केंद्रीय निदेशक बोर्ड

श्री प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक

श्री दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक

श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक

श्री एस. विश्वनाथन
प्रबंध निदेशक

श्री एस. वैंकटाचलम
निदेशक

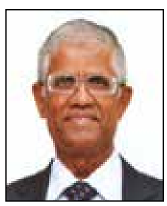
श्री डी. सुंदरम
निदेशक

श्री पार्थसारथी अय्यंगार
निदेशक

श्री थॉमस मैथ्यू
निदेशक

श्री ज्योति भूषण महापात्रा
निदेशक

श्री एस. के. मुखर्जी
निदेशक

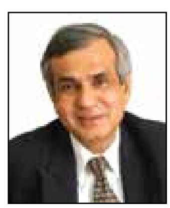
डॉ. राजीव कुमार
निदेशक

श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन
निदेशक

श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह
निदेशक

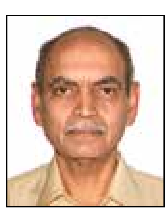
श्री राजीव टकरु
निदेशक

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल
निदेशक

केंद्रीय निदेशक बोर्ड

(23 मई 2013 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष
श्री प्रतीप चौधरी

प्रबंध निदेशक
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर
श्री दिवाकर गुप्ता
श्री ए. कृष्ण कुमार
श्री एस. विश्वनाथन

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री एस. वैंकटाचलम
श्री डी. सुंदरम
श्री पार्थसारथी अय्यंगार
श्री थॉमस मैथ्यू
कार्यकाल : 3 वर्ष और फिर से 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र
अधिकतम कार्यकाल : लगातार 6 वर्ष

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(गक) के अंतर्गत निदेशक
श्री ज्योति भूषण महापात्रा

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(गख) के अंतर्गत निदेशक
श्री एस. के. मुखर्जी

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत निदेशक
डॉ. राजीव कुमार
श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह
कार्यकाल : 3 वर्ष और पुनर्नियुक्ति/पुनर्नामांकन हेतु पात्र, परंतु अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ङ) के अंतर्गत निदेशक
श्री राजीव टकरु

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत निदेशक
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

दिनांक 23 मई 2013 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की समितियाँ

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)

अध्यक्ष
श्री प्रतीप चौधरी

प्रबंध निदेशक
श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर
श्री दिवाकर गुप्ता
श्री ए. कृष्ण कुमार
श्री एस. विश्वनाथन

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) अर्थात् डॉ. ऊर्जित पटेल और भारत में हो रही बैठक-स्थल के निवासी या बैठक के समय उस स्थान पर उपस्थित सभी या अन्य कोई निदेशक।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी)

श्री एस. वैंकटाचलम
निदेशक - समिति के अध्यक्ष

श्री डी. सुंदरम
निदेशक - सदस्य

श्री थॉमस मैथ्यू
निदेशक - सदस्य

डॉ. राजीव कुमार
निदेशक - सदस्य

श्री राजीव टकरु
भारत सरकार के नामिती - सदस्य

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती - सदस्य

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)-समिति के अध्यक्ष

श्री दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी - सदस्य (पदेन)

श्री एस. वैंकटाचलम
निदेशक - सदस्य

श्री डी. सुंदरम
निदेशक - सदस्य

श्री थॉमस मैथ्यू
निदेशक - सदस्य

डॉ. राजीव कुमार
निदेशक - सदस्य

श्री दीपक आई. अमिन
निदेशक - सदस्य

बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी)

श्री एस. वैंकटाचलम
निदेशक - समिति के अध्यक्ष

श्री थॉमस मैथ्यू
निदेशक - सदस्य

डॉ. राजीव कुमार
निदेशक - सदस्य

श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह
निदेशक - सदस्य

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

श्री एस. विश्वनाथन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस) - सदस्य (पदेन)

बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)

श्री दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी - सदस्य (पदेन) - समिति के अध्यक्ष

श्री एस. विश्वनाथन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस) - सदस्य (पदेन)

श्री एस. वैंकटाचलम
निदेशक - सदस्य

श्री पार्थसारथी अय्यंगार
निदेशक - सदस्य

श्री थॉमस मैथ्यू
निदेशक - सदस्य

डॉ. राजीव कुमार
निदेशक - सदस्य

श्री दीपक आई. अमिन
निदेशक - सदस्य

श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह
निदेशक - सदस्य

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन) - समिति के अध्यक्ष

श्री एस. विश्वनाथन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस) - सदस्य (पदेन)

श्री एस. वैंकटाचलम
निदेशक - सदस्य

श्री थॉमस मैथ्यू
निदेशक - सदस्य

श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह
निदेशक - सदस्य

श्री ज्योति भूषण महापात्रा
निदेशक - सदस्य

श्री एस. के. मुखर्जी
निदेशक - सदस्य

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)

श्री डी. सुंदरम
निदेशक - समिति के अध्यक्ष

श्री एस. वैंकटाचलम
निदेशक - सदस्य

श्री पार्थसारथी अय्यंगार
निदेशक - सदस्य

श्री दीपक आई. अमिन
निदेशक - सदस्य

श्री दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी - सदस्य (पदेन)

श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

श्री राजीव टकरु
भारत सरकार के नामिती - सदस्य (पदेन)

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती - सदस्य (पदेन)

श्री एस. वैंकटाचलम
निदेशक - सदस्य

श्री डी. सुंदरम
निदेशक - सदस्य

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति (बीसीएमआर)

श्री प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य

श्री दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी - सदस्य

श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य

श्री एस. विश्वनाथन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस) - सदस्य

श्री राजीव टकरु
भारत सरकार के नामिती - सदस्य (पदेन)

स्थानीय बोर्डों के सदस्य, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) को छोड़कर, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21(1)(क) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा नामित (23 मई 2013 की स्थिति के अनुसार)

अहमदाबाद

श्री एस. ए. रमेश रंगन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

बंगलूर

श्री अश्विनी मेहरा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भोपाल

श्री दिनेश के. खारा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री रमेश वरलियानी
श्री जी. पी. गुप्ता
श्री मनोहर बोथरा

भुवनेश्वर

श्री प्रवीण कुमार गुप्ता
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चंडीगढ़

श्री एन. कृष्णमाचारी
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री विनोद बिहारी शर्मा
श्रीमती रवीन्दर कौर

चेन्नई

श्रीमती वर्षा पुरंदरे
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री टी. आर. लोगनाथन

हैदराबाद

श्री राकेश शर्मा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

कोलकाता

श्री सुनील श्रीवास्तव
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

लखनऊ

श्री सुधीर दुबे
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह *
श्री मदन मोहन शुक्ला

मुंबई

डा. जे. एन. मिश्रा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री एस. वैंकटाचलम *
श्री डी. सुंदरम *
श्री पार्थसारथी अय्यंगार *
श्री थॉमस मैथ्यू *
श्री एस. एम. लोढा

दिल्ली

श्री काजल घोष
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
डॉ. राजीव कुमार *
श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन *

उत्तर पूर्वी

श्री रजनीश कुमार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री अशोक कुमार दास

पटना

श्री जीवनदास नारायण
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री तनवीर अख्तर
श्री संजय मंडल

केरल

डॉ. एम. श्रीनाथ शास्त्री
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्रीमती अल्फोन्सा जॉन
श्री सुधीर इब्राहिम
श्री फिलिप मैथ्यू

**भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21(1)(ख) के अनुसार स्थानीय बोर्डों में नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक।*

केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य
(23 मई 2013 की स्थिति के अनुसार)

श्री प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी

श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री एस. विश्वनाथन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री श्यामल आचार्य
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(मध्य कारपोरेट)

श्री एस. बी. नायर
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग)

श्री आर. वेंकटाचलम
उप प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी

श्रीमती सौंदरा कुमार
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन)

श्री पी. प्रदीप कुमार
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (विश्व बाजार)

श्री आर. के. सराफ
उप प्रबंध निदेशक (कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय)

श्री बी. वी. चौबल
उप प्रबंध निदेशक एवं कारपोरेट विकास अधिकारी

श्री एस. के. मिश्रा
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी

श्री वी. मुरली
उप प्रबंध निदेशक (निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखापरीक्षा)

बैंक के लेखा-परीक्षक

मेसर्स तोदी तुलसियान एण्ड कंपनी,
पटना, पटना मंडल

मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स,
भुवनेश्वर, भुवनेश्वर मंडल

मेसर्स सिंघी एण्ड कंपनी,
कोलकाता, उत्तर पूर्वी मंडल

मेसर्स एस. एन. नंदा एण्ड कंपनी,
नई दिल्ली, केरल मंडल

मेसर्स टी. आर. चड्ढा एण्ड कंपनी,
नई दिल्ली, मुंबई मंडल

मेसर्स एस. वेंकटराम एण्ड कंपनी,
चेन्नई, चेन्नई मंडल

मेसर्स प्रकाश एण्ड संतोष,
कानपुर, भोपाल मंडल

मेसर्स के. बी. शर्मा एण्ड कंपनी,
जम्मू, चंडीगढ़ मंडल

मेसर्स ऐड एण्ड एसोसिएट्स,
कोलकाता, अहमदाबाद मंडल

मेसर्स वी. पी. आदित्य एण्ड कंपनी,
कानपुर, लखनऊ मंडल

मेसर्स एस. जयकिशन,
कोलकाता, बंगाल मंडल

मेसर्स धमीजा सुखीजा एण्ड कंपनी,
श्रीनगर, दिल्ली मंडल

मेसर्स श्रीराममूर्ति एण्ड कंपनी,
विशाखापटनम, हैदराबाद मंडल

मेसर्स वी. सुंदरराजन एण्ड कंपनी,
चेन्नई, बंगलूर मंडल

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय शेयरधारको,

मुझे आपके बैंक के वित्त वर्ष 2012-13 के निष्पादन का ब्योरा प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। जिस प्रकार इस रिपोर्ट में ब्योरा प्रस्तुत किया गया है, आपके बैंक ने निरंतर विकास करते हुए भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा है। हमें विश्वास है कि आपका बैंक आप सभी हितधारकों के सहयोग से आने वाले समय में निरंतर विकास और व्यवसाय की नई उपलब्धियों को हासिल करेगा।

समष्टि आर्थिक परिदृश्य :

वर्ष 2013 के लिए विश्व विकास परिदृश्य पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर दिखाई दे रहा है। इस वर्ष दीर्घावधि जोखिमों में कमी आई है। घरेलू क्षेत्र में, यद्यपि वित्त वर्ष-13 में संवृद्धि दर लगभग 5% तक सीमित रही, फिर भी भारत लगातार विश्व की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं वाला एक देश बना हुआ है। मुद्रास्फीति सहित चालू वित्तीय परिदृश्य अब संतोषजनक स्तर पर बना हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्व बाजारों में वस्तुओं की कीमतों में कमी आने से देशीय अर्थव्यवस्था की आयातित मुद्रास्फीति में कमी लाने में मदद मिलेगी। औद्योगिक संवृद्धि में भी लगातार वृद्धि हो रही है। निर्यातों में अनुकूल वृद्धि होने, साथ ही पहले की तुलना में अधिक पूंजी आने से, चालू वर्ष में चालू खाता घाटे की स्थिति को नियंत्रित रखा जा सकेगा।

एक चुनौतीपूर्ण समष्टि आर्थिक परिवेश की उपर्युक्त पृष्ठभूमि में देशीय बैंकिंग प्रणाली ने लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनका विश्वास हासिल करना जारी रखा है। यह सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) की कुल जमाराशियों में प्रतिबिम्बित हुई है और वित्त वर्ष - 13 में इनकी जमाराशियों में 14.3% की वृद्धि हुई जबकि वित्त वर्ष 12 में इनमें 13.5% की वृद्धि हुई थी। तथापि, निवेश मांग में कमी आने और कुल-मिलाकर नरम विकास गति के कारण ऋण संवृद्धि में तीव्र गिरावट आई और वित्त वर्ष - 13 में यह 14.1% तक रही जबकि वित्त वर्ष - 12 में यह 17.0% रही थी। तथापि, चलनिधि स्थिति सामान्य रही क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों के लिए पुनर्वित्त का प्रावधान कर दिया है। चूंकि ब्याज दरों में कमी करने की बहुत कम गुंजाइश रह गई थी, बैंकों का निवल ब्याज मार्जिन दबाव में आ गया।

गिरावट के कारण, अनेक क्षेत्रों पर काफी प्रभाव पड़ा है। इससे बैंकों द्वारा वित्तपोषित आस्तियों की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। 40 सूचीबद्ध बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों में एक वर्ष पूर्व के स्तर की तुलना में 43.1% तक की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, पिछले सम्पूर्ण वर्ष के 50% से भी अधिक ऋणों का सीडीआर के अंतर्गत आस्तियों का पुनर्निर्धारण करने से, पुनर्संरचित आस्ति बही ने भी ऊर्ध्वगामी वृद्धि दर्शाई है।

आपके बैंक का निष्पादन :

जमा-राशियां :

आपके बैंक की जमा-राशियों में 15.24% की वार्षिक संवृद्धि दर्ज हुई और ये राशियां ₹12,02,740 करोड़ तक पहुँच गई जबकि पिछले वर्ष ये राशियां ₹10,43,647 करोड़ रही थीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह न केवल पिछले वर्ष की संवृद्धि की तुलना में बेहतर है, जो 11.75% रही थी, अपितु आपके बैंक ने उद्योग के वर्तमान रुझान के बावजूद यह संवृद्धि हासिल की है। इसके अतिरिक्त, यह संवृद्धि आपके बैंक की खुदरा जमा-राशियों और जमा संविभाग के समर्थन से हासिल हुई है, जो यह दर्शाती है कि बैंक ने उच्च लागत वाली बड़ी राशियों को प्राप्त करने में अपने आपको काफी हद तक दूर

रखा है। ₹6,04,649 करोड़ की कुल सावधि जमा-राशियों में से, खुदरा सावधि जमा-राशियों का योगदान 78.27% रहा और ये राशियां ₹4,73,235 करोड़ रहीं। आपके बैंक की सुदृढ़ स्थिति लोगों के विश्वास और समाज के सभी वर्गों तक इसकी व्यापक पहुंच पर आधारित है। इस कारण ग्राहक अधिग्रहण संवृद्धि भी बढ़ रही है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि बचत बैंक के अंतर्गत आपके बैंक में 287 लाख नए खाते खोले गए और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 18.62% की संवृद्धि दर्ज हुई और चालू खातों में, 2.20 लाख नए खातों के और जुड़ जाने से हम 8.43% की संवृद्धि हासिल कर सके।

बैंक ने 46.50% की दर से देश में निरंतर एक अच्छा कासा अनुपात बनाए रखा है जो सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अधिकांश निजी क्षेत्र के बैंकों से काफी अच्छा है जिसने 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार निधियों की लागत को 6.46% के न्यूनतम स्तर तक बनाए रखने में मदद की है।

अग्रिम :

बैंक अग्रिमों के बारे में, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आपके बैंक ने ₹10,00,000 करोड़ के स्तर को पार कर लिया है और अब अग्रिमों की राशि ₹10,78,557 करोड़ तक पहुंच गई है। जमा-राशियों की तरह, अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में दर्ज की गई 20.70% की संवृद्धि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दर्ज की गई संवृद्धि से बेहतर है। यह संवृद्धि मुख्य रूप से बड़े कारपोरेट ग्राहकों को दिए गए अग्रिमों के कारण हुई है जिनके अग्रिमों की राशि ₹50,549 करोड़ रही। अग्रिमों में पिछले वर्ष हासिल की गई 15.23% (₹16,298 करोड़) की संवृद्धि की तुलना में इस वित्त वर्ष के दौरान 40.28% की अभूतपूर्व संवृद्धि हासिल हुई है। मिड कारपोरेट ग्रुप ने भी ₹31,472 करोड़ का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और 18.15% की संवृद्धि हासिल की है जबकि पिछले वर्ष इसने 8.78% की संवृद्धि दर्ज की और ₹12,173 करोड़ का योगदान दिया था। तथापि, एसएमई खण्ड में ऋणों की मांग में कमी देखी गई और इसमें पिछले वर्ष की 17.41% की संवृद्धि की तुलना में 12.45% की वृद्धि ही दर्ज हुई। अग्रिमों की राशि ₹20,283 करोड़ रही जो बाजार परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित कर रही है। यह नोट किया जाए कि आपका बैंक आस्ति गुणवत्ता के प्रति सतर्क हो गया है और उसे वृद्धिशील वित्तीय सम्बद्धता का लगभग 80% बाह्य रेटिंगों पर आधारित अच्छी श्रेणी वाली आस्तियों में निवेश करना है। बेहतर रेटिंग प्राप्त कंपनियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना आपके बैंक की एक सचेत कार्यनीति रही है। इससे, सीजीटीएसएमई और ईसीजीसी गारंटी सुरक्षा के साथ, और सभी खण्डों में उचित संवितरण से भी इस संविभाग को जोखिम रहित बनाने में मदद मिली है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके बैंक की खुदरा ऋणों की स्थिति अत्यधिक उत्साहवर्धक है। खुदरा खण्ड में अग्रिम संवृद्धि दर 14.95% और अग्रिमों की राशि ₹27,267 करोड़ रही जबकि पिछले वर्ष इसमें 10.85% की संवृद्धि दर्ज हुई थी। इस खण्ड में प्रमुख संचालक हमारे गृह ऋण और ऑटो ऋण रहे हैं जिनमें क्रमश: 16.28% (₹16,728 करोड़) और 35.47% (₹6,494 करोड़)संवृद्धि दर्ज हुई है। दोनों संविभागों में मानक आस्तियों का प्रतिशत काफी अच्छा है और केवल 1% के आसपास की आस्तियां हानिगत हो सकती हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारी प्रतिस्पर्धी दरों के कारण, जिसने नए और अधिग्रहण प्रस्तावों को आकर्षित किया है, आपका बैंक बैंकिंग उद्योग में इन दोनों खण्डों में इस समय नम्बर 1 स्थिति में है।

कृषक समुदाय को ऋण वितरण के अंतर्गत, आपके बैंक ने इस वर्ष के दौरान ₹22,303 करोड़ के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम संवितरित किए हैं, इसमें 11.89 लाख नए किसानों को ऋण देना भी शामिल है और जो 25.85% की संवृद्धि को दर्शा रहा है। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, बहियों में दर्शाए गए ₹1,08,584 करोड़ के कुल प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों में से, 30.77%, अर्थात ₹33,409 करोड़ के अग्रिम स्वर्ण की संपार्श्विक प्रतिभूति के आधार पर दिए गए हैं। ग्रामीण परिवारों को उनकी स्वर्ण आस्तियों के आधार पर ऋण प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराने में आपके बैंक को खुशी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके बैंक ने प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के 13.5% के निर्धारित एएनबीसी लक्ष्य से अधिक 14.24% हासिल कर लिया है। आपके बैंक ने किसानों तक अपनी पहुंच को सुदृढ़ किया है और संभाव्य केन्द्रों में खोली गई 21 कृषि वाणिज्यिक शाखाओं को अपने नेटवर्क में शामिल किया है जिससे उभरते हुए उच्च राशि के कृषि और कृषि संबद्ध एसएमई अग्रिमों के अवसरों को प्राप्त किया जा सके।

उपर्युक्त निष्पादन से बैंक जमा-राशियों के अपने बाजार अंश में सुधार कर सका और इसका बाजार अंश जमा-राशियों में पिछले वर्ष के 16.29% से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान 16.46% और अग्रिमों में समान अवधि के 16.09% से बढ़कर 16.66% हो गया। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बैंक का ऋण-जमा अनुपात 82.4 रहा जबकि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 78 रहा है।

अन्य कार्यकलाप :

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने नेटवर्क में 719 शाखाओं को जोड़कर अपनी पहुंच में विस्तार किया है। ये शाखाएं 123 महानगरों में, 122 शहरी केन्द्रों में, 170 अर्ध-शहरी केन्द्रों और 304 ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, कुल 14,816 शाखाओं में से, 66% (9851 शाखाएं) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, आपके बैंक ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर गठजोड़ के माध्यम से 38,480 व्यवसाय प्रतिनिधि ग्राहक सेवा केन्द्र खोले हैं। वित्त वर्ष 12-13 के दौरान बीसी चैनल के माध्यम से लेनदेनों की राशि में वित्त वर्ष 11-12 की तुलना में 2.4 गुना वृद्धि हुई और इनकी राशि ₹13,033 करोड़ तक पहुंच गई है।

31.03.2013 को 32,752 एटीएमों वाला स्टेट बैंक समूह विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। यह स्थिति और भी बेहतर होती थी परंतु वर्ष के दौरान एटीएम विस्तार पर बड़े प्रतिबंध लगाए गए जिसने बैंक को समूह के 136 मिलियन डेबिट कार्डों वाले बड़े डेबिट कार्ड आधार में और अधिक वृद्धि करने से रोक दिया। इस कारण से, वर्ष के अंत में बैंक एक निवल निर्गमकर्ता रहा और वर्ष के दौरान उसे ₹66 करोड़ के परस्पर-परिवर्तन शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

आपके बैंक ने रोकड़ (नकदी) जमा मशीनों (सीडीएम) की शुरुआत की है जिससे ग्राहकों को अपने एसबीआई एटीएम-सह-डेबिट कार्ड का उपयोग करके अपने खातों में नकद राशि जमा करने में आसानी होगी। 31.03.2013 तक लगाई गई सीडीएम मशीनों की संख्या 665 रही।

आपके बैंक के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी कार्य-कलापों को निरंतर बल और सम्मान प्राप्त होता रहा है। सीएसआर के अंतर्गत बैंक समस्त भारत में चलाए गए अभियान के सामाजिक दृष्टि से संबंधित अनेक योजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराते हैं। इस वर्ष के उल्लेखनीय कार्यों में 42,000 स्कूलों में 43,161 वाटर प्यूरिफायरों की स्थापना करके स्वच्छ एवं शुद्ध पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। इस सुविधा से 84 लाख विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। 14,000 स्कूलों में 1,40,000 फैन की आपूर्ति करके फैन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को भी जारी रखा गया। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक के इतिहास में पहली बार, सीएसआर व्यय राशि ₹100 करोड़ को भी पार कर गई है और इस वित्त वर्ष यह ₹123 करोड़ तक पहुंच गई।

लाभ और निवल ब्याज मार्जिन संबंधी मापदण्ड

यद्यपि पूरी बैंकिंग प्रणाली में परिवेश चुनौतियों का अनुभव किया गया, फिर भी आपके बैंक ने महान समुत्थान-शक्ति को प्रदर्शित किया और कार्यनीतिक एवं बाजार उन्मुख पहलों के कारण अधिकांश मानदण्डों के अंतर्गत एक सुदृढ़ निष्पादन को बना रखा है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आपके बैंक ने कुल मिलाकर ₹17,916 करोड़ के निवल लाभ के साथ निवल लाभ में 16.77% की संवृद्धि दर्ज की है। आपके बैंक ने अकेले भी पिछले वर्ष के ₹11,707 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में इस वर्ष 20.48% की वृद्धि हासिल करते हुए ₹14,105 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। इससे आपके बैंक का स्थान देश के 3 बड़े कारपोरेटों में शामिल हो गया है।

कुल ब्याज आय में 12.33% की वृद्धि हुई और यह पिछले वर्ष के ₹1,06,521 करोड़ के स्तर से बढ़कर ₹1,19,657 करोड़ हो गई। दिया गया कुल ब्याज भी 19.13% की संवृद्धि के साथ पहले से अधिक रहा। इस कारण निवल ब्याज आय पिछले वर्ष के ₹43,291 करोड़ से बढकर इस वर्ष ₹44,331 करोड़ हो गई, जो व्यवसाय परिवेश को प्रतिबिम्बित कर रही है। गैर-ब्याज आय में भी इसी आधार पर 11.73% की वृद्धि हुई और यह पिछले वर्ष के ₹14,351 करोड़ से बढ़कर ₹16,035 करोड़ तक पहुंच गई। तथापि, यह स्थिति पूरी तरह से तुलनात्मक नहीं है क्योंकि इसमें पिछले वर्ष की पेंशन निधि से प्राप्त आय को शामिल किया गया था जबकि इस वर्ष पेंशन निधि बैंक से बाहर है। इस संदर्भ में, हमारे राजकोषीय संविभाग का निष्पादन उल्लेखनीय रहा है और इसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे पिछले वर्ष देशीय और विदेशी निवेशों (ईक्विटी, म्यूचुअल फण्ड और बाण्ड)की बिक्री से सम्पूर्ण बैंक स्तर पर हुए ₹920 करोड़ के नुकसान की स्थिति से बैंक को इस वित्त वर्ष में ₹1098 करोड़ के लाभ की स्थिति में ला दिया है। इस प्रक्रिया में, बैंक ने कम निष्पादन वाले निवेशों (स्टॉकों) की बिक्री करके इस संविभाग को एक अच्छी स्थिति में ला दिया है।

परिचालन व्ययों में 12.33% की वृद्धि हुई और ये पिछले वर्ष के ₹26,069 करोड़ की तुलना में ₹29,285 करोड़ के स्तर तक पहुंच गए। इसका मुख्य कारण शाखा परिवेश का क्षेत्र विस्तार एवं बेहतर साज सज्जा के कारण ऊपरी व्ययों में वृद्धि होना था, जिसका लाभ हमें आने वाले वर्षों में धीरे-धीरे प्राप्त होगा। मुख्य रूप से मुद्रास्फीति में सभी तरह से वृद्धि होने के कारण अधिवर्षिता लाभों के लिए प्रावधान सहित स्टाफ लागतों में 8.29% की वृद्धि हुई और इनकी राशि बढ़कर ₹16,974 करोड़ से ₹18,381 करोड़ तक हो गई। तथापि, परिचालन व्यय के एक अनुपात के रूप में स्टाफ व्ययों में गिरावट आई है और ये पिछले वर्ष के 65.11% से घटकर 62.77% रह गए हैं।

सम्पूर्ण बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) मार्गदर्शन के अनुसार और औसत औद्योगिक मानदंड से बेहतर है। कड़ी प्रतिस्पर्धा और एनपीए स्थिति को देखते हुए, एनआईएम दबाव में रहा है। यद्यपि यह पिछले वित्त वर्ष में हासिल किए गए स्तर की तुलना में कम है, फिर भी 3.34% के स्तर पर आपका बैंक अपने समकक्ष बैंकों में सबसे अच्छी स्थिति में है। घरेलू स्तर पर एनआईएम 3.66% और विदेश स्थित कार्यालयों में यह 1.50% रहा है। यदि तरल म्यूचुअल फण्डों के ब्याज को ध्यान में रखा जाता है, तो घरेलू एनआईएम बढ़कर 3.71% तक हो जाता है।

आस्ति गुणवत्ता

ह्रासित आस्तियों के स्तर में एक ऊर्ध्वगामी वृद्धि हुई है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति के कारण है। हमने बकाया राशियों के एक अभूतपूर्व स्तर का अनुभव किया है। अर्थव्यवस्था में दबाव वाले क्षेत्रों, अर्थात कागज, प्लास्टिक, लोहा एवं स्टील, सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, परिवहन आदि क्षेत्रों के मिड कारपोरेट अग्रिमों में यह स्थिति खराब हुई है। 2.10% के निवल एनपीए स्तर के साथ इस समय सकल एनपीए 4.75% के स्तर पर रही हैं। एनपीए प्रबंधन की दिशा में वर्ष के दौरान, विशेष रूप से वित्त वर्ष-13 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए विशेष प्रयासों से अच्छा फायदा हुआ है जिससे आखिरी तिमाही में इन पर नियंत्रण किया जा सका। स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है और यह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में रही। आपके बैंक ने वर्ष के दौरान एनपीए के लिए

₹11,368 करोड़ के प्रावधान के साथ अपेक्षित प्रावधान किए हैं। प्रावधान सुरक्षा अनुपात 66.58% रहा। कुल पुनर्संरचित आस्तियों की राशि ₹43,111 करोड़ रही, जिसमें से मानक श्रेणी की आस्तियों की राशि ₹32,228 करोड़ और एनपीए श्रेणी की आस्तियों की राशि ₹10,883 करोड़ रही हैं।

यद्यपि एनपीए की संवृद्धि में बाहरी घटकों का काफी प्रभाव रहा था, फिर भी आपके बैंक ने सख्त ऋण अनुवीक्षण, ऋणियों के साथ गहन अनुवर्तन और चर्चा करके, वसूली के लिए विशेष दलों का गठन करके, मामले प्रति मामले और योग्यता के आधार पर पुनर्संरचना और पुनर्निर्धारण, सरफेसी का सहारा लेकर, खाता निगरानी केन्द्रों के माध्यम से साथ साथ निगरानी करके और शाखा आदि के स्तर पर इनके समाधान की कार्यनीति के माध्यम से इस प्रभाव को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। वस्तुत: वित्त वर्ष 2012-13 की आखिरी तिमाही में, सकल एनपीए के स्तर में काफी कमी आई है और वित्त वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही में इनकी राशि ₹53,458 करोड़ (5.30%) थी, जो वित्त वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में घटकर ₹51,189 करोड़ (4.75%) रह गई। कुल-मिलाकर, ऐसे प्रयासों से एनपीए खातों में ₹10,119 करोड़ की आस्तियों का कोटि-उन्नयन हुआ और ₹4,766 करोड़ की नकद वसूली हुई। वर्ष के दौरान अपलिखित किए गए/वसूली अधीन अग्रिम वाले खातों में ₹1066 करोड़ की वसूली हुई। आने वाले समय में और वर्तमान अर्थव्यवस्था में विकास दर बने रहने के कारण हम समय पर और सक्रिय उपायों के माध्यम से हानिकर आस्तियों का समाधान करने के अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रहने देंगे।

पूंजी संरचना

आपके बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.92% रहा है जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक की 9% की अपेक्षा है। टियर-1 पूंजी 9.49% और टियर-2 पूंजी 3.43% है। यह सीएआर सुदृढ़ रहा और यह सुदृढ़ता निम्नलिखित तीन घटकों से आई है :

क) सुदृढ़ आंतरिक आय उत्पत्ति और ₹10,890 करोड़ के लाभ का पुनर्निवेश;

ख) सरकार द्वारा ₹3,004 करोड़ की पूंजी लगाना; और

ग) पूंजी का इष्टतम उपयोग करने के सतत और नियमित आधार पर प्रयास करना।

इस तथ्य को देखते हुए कि टियर-2 पूंजी के लिए नियम काफी सख्त और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं, आपके बैंक ने टियर-2 पूंजी को जुटाने के लिए ज्यादा विचार नहीं किया है।

आपके बैंक की बाजार मूल्यांकनों में स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। इस समय वह शीर्ष 10 बाजार कैप कंपनियों में 8वें स्थान पर है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वह नंबर-1 स्थिति में है।

समेकित आधार पर बैंक निरंतर देश का सबसे बड़ा करदाता बना हुआ है। इसने वित्त वर्ष 12-13 के दौरान ₹7559 करोड़ का कर अदा किया है जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसने ₹8,639 करोड़ का कर अदा किया था। विवेकीय और कारगर कर आयोजना उपायों से इस कर राशि में कमी आई है।

लाभांश

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक बोर्ड ने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ₹41.50 प्रति शेयर (415%) लाभांश की घोषणा की है।

नए व्यावसायिक प्रयास

1. बैंक के सभी बचत बैंक खाता-धारकों के लिए निम्न लागत (₹100) वाली ₹4 लाख की व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा बीमा ;
2. अंतरण लेनदेनों के लिए अंतर कोर प्रभारों को शून्य किया गया;
3. समय से पूर्व भुगतान करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को समाप्त कर दिया गया;
4. बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष रखने की आवश्यकता नहीं ;
5. एमएसएमई खण्ड के लिए एसएमई इंस्टा डिपॉजिट कार्ड, स्टेट बैंक व्यवसाय डेबिट कार्ड और स्टेट बैंक वर्चुअल कार्ड शुरू किए गए;
6. ऑन-लाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा की शुरुआत करना;
7. हमारे सभी ग्राहकों को मल्टीसिटी चेक बुक उपलब्ध कराई गई;

सहयोगी एवं अनुषंगियां

मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आपके बैंक की सहयोगी एवं अनुषंगियों ने एक अच्छी संवृद्धि दर को हासिल करना जारी रखा है।

वर्ष के दौरान, 5 सहयोगी बैंकों ने कर-पश्चात ₹3678 करोड़ का अपना समेकित लाभ दर्शाया है। चालू वित्त वर्ष में उनका परिचालन लाभ बढ़कर ₹8,802 करोड़ हो गया जबकि पिछले वर्ष यह ₹8,214 करोड़ रहा था। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, ये सभी बैंक 3.13% के औसत एनआईएम और 11.85% के औसत सीएआर के साथ लाभप्रद एवं अच्छी पूंजीगत स्थिति में हैं।

गैर-बैंकिंग अनुषंगियों में, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. ने ₹622.20 करोड़ का कर-पश्चात लाभ, 11.87% की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर्ज की है और वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान नए व्यवसाय प्रीमियम में निजी बाजार के प्रमुख के रूप में उभर कर सामने आयी है। एसबीआई कैपिटल मार्केट लि. ने 17.92% की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर्ज की है और उसका कर-पश्चात लाभ ₹296 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया है। एसबीआई कार्ड एण्ड पेमेन्ट सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड, जो भारत में अकेली कार्ड जारी करने वाली कंपनी है, ने 258% की वर्ष-दर-वर्ष उत्कृष्ट संवृद्धि को दर्शाते हुए ₹136.30 करोड़ का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने खुदरा, एसएमई और कारपोरेट खण्डों में 7.28 लाख पालिसियां जारी की हैं और ₹771 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया है। प्रीमियम अर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में 208% की वृद्धि दर्ज की है। एसबीआईडीएफएचआई ने अपने लाभ में ₹43.50 करोड़ से ₹80.29 करोड़ की वृद्धि करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 84% की उत्कृष्ट संवृद्धि दर्ज की है।

सम्मान और पुरस्कार

विभिन्न क्षेत्रों में आपके बैंक की उपलब्धियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनका नीचे वर्णन किया गया है:

- एफई बेस्ट बैंक्स अवार्ड-अवार्ड फॉर इनिशिएटिव्स
- नैशनल अवार्ड-2011-12 बेस्ट बैंक फॉर एक्सेलेंस इन दि फील्ड ऑफ खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज (पीएमईजीपी)
- विकास नेतृत्व श्रेणी के अंतर्गत एग्रीकल्चर टुडे से 'कृषि नेतृत्व अवार्ड-2012'।
- एसबीआई द्वारा प्रायोजित एपीजीवीबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 'नॉसकॉम से देश में बेस्ट आईटी ड्रिवन इनोवेशन अवार्ड इन बैंकिंग' प्रदान किया गया है।
- वर्ष 2011-12 के दौरान पूरे देश में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने में बैंक की सक्रिय भूमिका के लिए भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय ने"सर्टिफिकेट फॉर एक्सेलेंस" अवार्ड प्रदान किया।
- बैंक को सिंगापुर में सीएमओ एशिया द्वारा शुरू किया गया 'एशियास बेस्ट सीएसआर प्रैक्टिस अवार्ड' प्रदान किया गया।
- बैंक को दुबई में 'एशियन सीएसआर लीडरशिप अवार्ड 2012' प्रदान किया गया।
- आईपीई बेस्ट सीएसआर अवार्ड-2012
- मोस्ट केयरिंग कंपनीज ऑफ इंडिया अवार्ड-2012
- स्टार ऑफ दि इंडस्ट्रीज अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन बैंकिंग (पीएसयू)-2012
- निदेशक संस्थान द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस में 11 अक्तूबर 2012 को गोल्डन पिकॉक अवार्ड-2012
- गोल्डन पिकॉक नैशनल ट्रेनिंग अवार्ड-2012

भावी रूपरेखा

अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ प्रतीत होता है। हम आने वाले समय को उत्साहवर्धक भविष्य के रूप में देख सकते हैं। चुनौतियां अभी भी हैं और एक गतिशील एवं बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौतियां आती रहेंगी। हमें विश्वास है कि सरकार द्वारा शुरू की गई संतुलित विकास पहलों पर नए सिरे से बल दिए जाने से और उचित मौद्रिक नीतियों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से, बैंकिंग उद्योग नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। आपके बैंक ने वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिवेश में अपनी समुत्थान-शक्ति का प्रदर्शन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी सुदृढ़ स्थिति और संसाधनों से और हमारे ग्राहकों द्वारा हममें व्यक्त विश्वास से, हम हर प्रकार की स्थिति का मुकाबला कर सकेंगे तथा और अधिक सुदृढ़ होकर उभरेंगे।

मैं अपने प्रत्येक और सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके प्रयासों और प्रतिबद्धता के बिना आपका बैंक इतनी सुदृढ़ स्थिति में नहीं रहता जिस सुदृढ़ स्थिति में आज वह है।

मैं अपने सभी शेयरधारकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हम पर विश्वास किया है और जिन्होंने प्रगतिशील विकास के हमारे प्रयासों में अपना सहयोग दिया है।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

आपका अपना,

प्र. चौधरी

(प्रतीप चौधरी)

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण

आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2013 में गिरावट के कम जोखिमों के साथ प्रवेश किया क्योंकि अमरीकी वित्त व्यवस्था में सुधार और यूरो क्षेत्र संकट के बढ़ने को टाला जा रहा है। गिरावट के जोखिम के कम होने से अब वैश्विक विकास दर में सुधार होने की संभावनाओं के अनुरूप विचार किया जा सकता है। आईएमएफ के पूर्वानुमान के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3.3% की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि वर्ष 2012 में यह 3.2% रही थी। अमरीकी अर्थव्यवस्था में हाउसिंग सेक्टर गिरावट का केंद्र बिंदु रहा है जिसने अपने तुलन पत्र को सुधारने में खासी प्रगति की है। यूरो क्षेत्र में नीति निर्माताओं ने यूरो संकट के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके लिए उन्होंने परस्पर जुड़े एकसमान यूरो क्षेत्र ढांचे पर कार्य करने का रास्ता अपनाया है। इसके अलावा यूएस की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार के संकेत हैं। यूरो क्षेत्र के लगातार वृद्धि की स्थिति में आने में कुछ समय लग सकता है। नए बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2013 के दौरान 5.3% विकास दर रहने की संभावना है, जबकि वर्ष 2012 में यह 5.1% रही थी। कुल मिलाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में जोखिमों के उत्तरोत्तर कम होते जाने के परिवेश और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में लगातार ढांचागत सुधारों का वर्ष 2013 में वैश्विक विकास दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वित्त वर्ष 13 में पूरे दशक की सबसे नीची 5% वृद्धि दर दर्ज होने के बाद वर्तमान वित्त वर्ष 14 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के बढ़ने की संभावना है। इसके पीछे प्रमुख कारण औद्योगिक गतिविधियों में निरन्तर कमजोरी रही है। यह स्थिति घरेलू आपूर्ति में कमी से और बिगड़ गई है। (विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 12 के 2.7% के स्तर की तुलना में वित्त वर्ष 13 में 1% विस्तार हुआ। इसके अलावा सेवा क्षेत्र की धीमी रफ्तार भी एक कारण रही है जो कि बाहरी मांग में कमी की परिचायक है।

> भारत की आर्थिक विकास दर में चालू वित्त वर्ष 2014 में सुधार होने की उम्मीद है।

कृषि उत्पादन वर्षा में कमी एवं असमान वितरण के कारण वर्ष के दौरान प्रभावित हुआ। (कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष 12 के 3.6% की तुलना में वित्त वर्ष 13 में 1.9% विस्तार हुआ)। इस कारण खरीफ की बुआई भी प्रभावित हुई। हालांकि सितम्बर 2012 से वर्षा में सुधार के कारण रबी फसल के लिए भी मृदा की नमी बनी रही। वित्त वर्ष 13 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में 1.5% की मामूली कमी दर्ज होने के संकेत हैं, जो पिछले वर्ष के 259.3 मिलियन टन की तुलना में 255.4 मिलियन टन रहने की संभावना है। मार्च 2013 के अंत में खाद्यान्नों का कुल भंडार 59.7 मिलियन टन था जो कि देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है।

अप्रैल 12 में हेडलाइन मुद्रास्फीति के 7.5% के स्तर से सितम्बर 12 तक 8% तक लगातार वृद्धि से अप्रैल 13 में यह घटकर 4.9% तक आ गई। यह 41 महीने के निम्न स्तर और भारतीय रिज़र्व बैंक के संतोषजनक स्तर पर है। मुख्य मुद्रास्फीति भी अप्रैल 13 में 39 महीने के निम्न स्तर पर है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति - ग्रामीण शहरी (सीपीआई-आरयू) अप्रैल 13 में गिरकर 9.4% रह गई। यह 13 महीनों में न्यूनतम उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति थी। । उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के अन्य विभिन्न संकेतकों से इस बात को बल मिलता है कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति को जितना बढ़ना था बढ़ चुकी। आश्चर्य की बात यह है कि ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से नीचे आती जा रही है जो ग्रामीण मांग के कुछ कम होने का भी संकेत है। इसके अलावा डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के पूरे वित्त वर्ष के दौरान इसी तरह जारी रहने की संभावना नहीं है क्योंकि वर्तमान में डीजल की कीमतों में थोड़े सुधार के कारण इनका स्तर काफी नीचे आता जा रहा है। इससे वित्त वर्ष 14 में मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावनाएँ और कम हो जाएंगी।

औद्योगिक उत्पादन की संवृद्धि दर वित्त वर्ष 13 के दौरान घटकर 1% रह गई जो वित्त वर्ष 12 में 2.9% थी)। हालांकि मार्च 2013 में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है पर पूंजीगत माल और खनन क्षेत्र में लगातार गिरावट आने का जोखिम बना हुआ है।

भारत के वर्तमान चालू खाता घाटे का स्तर वित्त वर्ष 13 की तीसरी तिमाही में तेजी से जीडीपी के 6.7% ते स्तर पर पहुंच गया। जहाँ तक चालू खाता घाटे के संबंध में चिंता का संबंध है हमारा मानना है कि विश्वस्तर पर पण्य वस्तुओं की कीमतों के नरम रहने से भारतीय रुपये और सरकार के निर्यात संवर्धन उपायों से व्यापार घाटे में कमी आएगी और बाद में मध्यावधि में चालू खाता घाटे में कमी आएगी।

फिर भी, यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय निर्यातों को देखें तो पता चलता है कि वित्त वर्ष 13 के दौरान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका को निर्यात बढ़ने के साथ निर्यातों के रुझान में परिवर्तन का पता चलता है जैसे कि हमारे कुल निर्यात का 65% इन्हीं देशों के साथ हुआ है। आयात क्षेत्र में भी यह एक महत्वपूर्ण घटना है जैसे कि एशिया की आर्थिक विकास दर से विश्व के आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र रहे यूएस और यूके से दूर होते जा रहे हैं जिससे विश्व व्यापार में एशिया का महत्व बढ़ रहा है और दक्षिण-दक्षिण संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं।

यदि सकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो भारत अभी भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक तथा निवेशकों के लिए एक चहेता देश बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में ऋण बाजारों में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है कलेंडर वर्ष 13 के दौरान (मई 17 तक) कुल मिलाकर $3.1 बिलियन के निवेश आए। इसके अलावा, सरकारी और भारतीय रुपया मूल्य वर्ग वाले कारपोरेट ऋण पर प्रतिधारण कर घटाने के हालिया निर्णय से विदेशी संस्थागत ऋण आवक बढ़ी है। कुल मिलाकर

पूंजी संविभाग की आवक वित्त वर्ष 13 के दौरान बढ़कर 27.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गयी जो वित्त वर्ष 12 के दौरान 16.8 बिलियन यूएस डॉलर थी। निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवक वित्त वर्ष 13 में बढ़कर 22.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई जो वित्त वर्ष 12 में 21.8 बिलियन अमरीकी डॉलर थी।

बैंकिंग परिवेश

अर्थव्यवस्था में धीमेपन एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कारण वर्ष 2012-13 में बैंकों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। वित्त वर्ष 12 के 13.5% की तुलना में वित्त वर्ष 13 में समस्त अनुसूचित वाणिजयिक बैंकों (एएससीबी) की जमा वृद्धि बढकर 13.5% हो गई है जबकि ऋण के क्षेत्र में वृद्धि-दर वित्त वर्ष 12 के 17.0% की तुलना में वित्त वर्ष 13 में तेजी से गिरकर 14.1% के स्तर पर आ गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 13 की तीसरी तिमाही के अंत तक अपनी प्रमुख ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी हैं। हालांकि चलनिधि पर दबाव को शिथिल करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सीआरआर को 25 आधार अंकों की तीन किस्तों में 75 आधार अंक तक कम करके उसे 4.75% से घटाकर 4.0% के स्तर पर लाया गया है। एसएलआर में भी 100 आधार अंक की कमी करके उसे 23% तक लाया गया है। मौद्रिक प्रसार के रूप में सभी प्रमुख बैंकों के एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की जमा दरों को वित्त वर्ष 12 के 8.50% - 9.25% के स्तर से वित्त वर्ष 13 में 7.5% - 9.0% के स्तर पर लाया गया है। प्रमुख बैंकों की आधार दर इसी अवधि के दौरान 10.0% - 10.75% के स्तर से घटकर 9.70% - 10.25% तक नीचे आ गई है । वृद्धि दर में कमी के कारण कारपोरेट लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने एवं एनपीए की प्रणाली से प्रचालित पहचान होने के कारण बैंकों की अनर्जक आस्तियों में बढ़ोतरी हुई है।

वित्त वर्ष 14 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नए बैंकिंग लाइसेंस जारी किए जाने की संभावना है जो न केवल वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करेगा अपितु इस कारण मध्यम अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बढने की भी संभावना है।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अन्य नीतिगत उपायों में अन्यों के साथ-साथ (क) ग्राहकों को ₹सीटीएस-2010₹ मानक वाले चैक उपलब्ध कराना, (ख) कतिपय श्रेणी के अनर्जक अग्रिमों और पुनर्संरचित अग्रिमों पर अधिक प्रावधान करना आवश्यक कर दिया गया है, (ग) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के लिए संशोधित दिशानिर्देश और (घ) डेबिट और क्रेडिट कार्डों की अंतरराष्ट्रीय उपयोग शामिल है।

मई 2013 के दौरान घोषित मौद्रिक नीति में भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर 25 आधार अंक कम कर दी है । विकास मुद्रास्फीति पक्षों के आधार पर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 14 के दौरान आगे भी दरों में कटौती किए जाने की संभावना है । इससे बैंकों को व्यवसाय के अवसर उपलब्ध होंगे एवं साथ ही कम मार्जिन पर व्यवसाय करने का जोखिम भी उठाना होगा ।

एक मजबूत और परिष्कृत बैंकिंग प्रणाली निरंतर आर्थिक विकास की बुनियाद है जैसे कि बैंक बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच ऋण मध्यस्थन की प्रक्रिया की धुरी हैं। इसके अलावा, बैंक उपभोक्ताओं, लघु एवं मध्यम आकार वाले उद्यम, बड़ी कारपोरेट फर्में और सरकारों को महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं जो अपना दैनिक व्यवसाय करने के लिए उन पर निर्भर हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान खासी दृढ़ता का प्रदर्शन किया। यही दृढ़ता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रदर्शित की गई। इसमें बेसल III मानदंड भारत में बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रावधान और उच्चतर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के साथ लागू किए गए।

भावी परिदृश्य

वित्त वर्ष 14 के दौरान आर्थिक गतिविधियों की गति में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सुधार होने की ही उम्मीद है तथा वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान इसमें कुछ गति आने की संभावना है। मानसून के सामान्य रहने की स्थिति में कृषि विकास रुझान के अनुरूप रह सकता है।

औद्योगिक गतिविधियों के कुछ धीमी रहने के कारण वित्त वर्ष 14 के उत्तरार्ध में सुधार होने की अधिक संभावना है। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कारण देश में विनिर्माण क्षेत्र में नई ऊर्जा फूंकने के लिए ढांचा तैयार कर दिया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को तेजी से लागू करने से और राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्र के सृजन से न केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक पुख्ता बुनियाद रखा जा सकेगी बल्कि सेवा क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर मौद्रिक निभाव से औद्योगिक वृद्धि में भी मदद मिलेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति में निरंतर गिरावट को देखते हुए, जैसे कि वर्तमान में दिखाई दे रही है, उपभोक्ता मांग में कुछ सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है।

परंतु बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अब भी सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। यह आवश्यक है कि हम सरकारी-गैर सरकारी क्षेत्र सहभागिता को निरंतर बढावा देते रहें। अगले दशक में निरंतर वृद्धि दर बनाए रखने के लिए समावेश और नैरंतर्य नितांत आवश्यक होगा।

अगली पीढ़ी बैंकिंग को भारतीय बैंकों के लिए लगातार एक प्राथमिकता बने रहना होगा।

मुद्रास्फीति के बारे में हमारा मानना है कि मुद्रास्फीति के औसत स्तर का रुझान कम होने की ओर होगा और वित्त वर्ष 14 में

भारतीय रिज़र्व बैंक संतोषजनक स्तर के निकट है। कमोडिटी की कीमतों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर नरम बने रहने को देखते हुए और रुपये में स्थिरता के कारण ऐसा हो पाएगा।

हमारा यह भी मानना है कि वित्तीय सुदृढ़ता एक प्राथमिकता बनी रहेगी जैसा कि सरकार कई बार यह स्पष्ट कर चुकी है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार की योजना वर्ष 2016-17 तक वित्तीय घाटे को घटाकर 3% के स्तर पर लाने की है।

निर्यातकों के वित्तीय वर्ष 14 में भारी वृद्धि होने की संभावना नहीं है क्योंकि विश्व अर्थ्यवस्था में धीमा सुधार ही दिखाई देगा। हमारे विकास में आयात में नरमी अत्यंत आवश्यक है और हमें आने वाले समय में एक नई न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था विकसित करनी होगी। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था का गतिविधि केंद्र दक्षिण की ओर होता जा रहा है। भारत में व्यापार, निवेश और वित्त के लिए अधिकाधिक दक्षिण की ओर देखना होगा।

कुल मिलाकर, हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 14 के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 5.5% से 6% रहेगी। वर्तमान में नियामक मंजूरियों के लिए प्रतीक्षारत परियोजनाओं के तेजी से समाधान होने से देश में निवेश को आवश्यक बल मिलेगा और वृद्धि की संभवनाएँ फिर से उत्पन्न होंगी।

अंतत:, उभर रही एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में धीमी संवृद्धि के बीच मध्यम आय वर्ग के फंस जाने का डर तेजी से पनपता जा रहा है। अवधिगत आंकड़ों (आईएमएफ, 2013) से पता चलता है कि मजबूत आर्थिक संस्थाएँ, व्यवसाय अनुकूल भौगोलिक क्षेत्र और व्यापार ढांचे से ऐसी वृद्धि बाधाओं की संभावना कम हो जाएगी। हालांकि भारत को भौगोलिक क्षेत्रों, व्यापार ढ़ांचे के कारण वर्तमान में पसंसदीदा देश होने की ओर अग्रसर है और वर्तमान धीमेपन से भारत को भौतिक संसाधन आधारित वृद्धि के बजाए मानव संसाधन आधारित वृद्धि की दिशा में बढ़ने का सही अवसर प्रदान करेगा। मध्यावधि में भारत में मानवीय पूंजी सृजन के अवसर बढ़ेंगे। सेवा क्षेत्र के विस्तार के अनेक अवसर हैं बशर्ते हम कौशल उन्नयन के कार्यक्रमों में वृद्धि कर सके। यह भी उतना ही आवश्यक है कि सेवा क्षेत्र वर्तमान में भारत के जीडीपी में 60% से अधिक योगदान कर रहा है।

> बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2013 के लिए ₹ 41.50 प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2012 के लिए ₹ 35 प्रति शेयर था।

हकीकत यह है कि भारत की युवा जनसंख्या से अगली पीढ़ी के लिए बैंकिंग भारतीय बैंकों के लिए निरंतर एक प्राथमिकता रहेगी। भारतीय बैंक वस्तुत: सहायता प्राप्त और स्व सेवा दोनों माध्यमों की ओर सही सही बढ़ रहे हैं और इन्हें एक समृद्ध, एकीकृत और मजबूत बैंकिंग अनुभव प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए, ग्रीन चैनल काउंटर बैंकों के लिए अपने ग्राहकों को पर्यावरण अनकूल परिवेश उपलब्ध कराना अनेक पहलों में से एक है। निरंतर नियामक परिवर्तनों के चलते भारतीय बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन, ग्रामीण बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के क्षेत्र में नए नए बैंकिंग परिवर्तन लाने के और अधिक अवसर मिलेंगे।

वित्तीय निष्पादन

लाभ

वर्ष 2012-13 के लिए बैंक का परिचालन लाभ ₹ 31,081.72 करोड़ रहा जबकि वर्ष 2011-12 में यह ₹31,573.54 करोड़ था। इस प्रकार इसमें 1.56% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2012-13 के लिए बैंक को ₹14,104.98 करोड़ का निवल लाभ हुआ जबकि वर्ष 2011-12 में यह ₹11,707,29 करोड़ रहा था। इस प्रकार इसमें 20.48% की वृद्धि दर्ज हुई।

यद्यपि निवल ब्याज आय में 2.40% की संवृद्धि हुई, अन्य आय में 11.73% की वृद्धि हुई। परिचालन व्ययों में 12.33% की वृद्धि दर्ज की गई। परिचालन व्ययों में यह वृद्धि उच्चतर स्टाफ लागत और अन्य खर्चों के कारण हुई।

निवल ब्याज आय

बैंक की निवल ब्याज आय में 2.40% की वृद्धि दर्ज की गई और वर्ष 2012-13 में यह बढ़कर ₹44,331.30 करोड़ पर पहुंच गई जबकि वर्ष 2011-12 में यह ₹ 43,291.08 करोड़ रही थी। ऐसा अग्रिमों और निवेश पोर्टफोलियो में उच्चतर वृद्धि के कारण हुआ था।

वर्ष के दौरान वैश्विक परिचालनों से सकल ब्याज आय ₹1,06,521.45 करोड़ से बढ़कर ₹1,19,657 करोड़ पर पहुंच गई और इस प्रकार इसमें 12.33% की वृद्धि दर्ज हुई।

अग्रिमों में 21%की वृद्धि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वृद्धि दर 14.1%से अधिक और जमाराशियों में 15% की वृद्धि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वृद्धि-दर 14.3% से अधिक है।

अग्रिमों की राशि अधिक रहने से भारत में अग्रिमों पर ब्याज आय वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹85,782 करोड़ हो गई, जबकि वर्ष 2011-12 में यह ₹77,309.15 करोड़ थी। भारत में अग्रिमों पर औसत आय वर्ष 2011-12 के 11.05% से गिरकर वर्ष 2012-13 में 10.54% रह गई। विदेश स्थित कार्यालयों के अग्रिमों पर ब्याज आय में 26.71% की वृद्धि हुई।

भारत में कोषीय परिचालनों में निविष्ट संसाधनों से आय में 13.82% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण निविष्ट औसत संसाधनों की मात्रा में वृद्धि होना था। यह औसत आय जो वर्ष 2011-12 में 7.51% थी, वर्ष 2012-13 में बढ़कर 7.54% पर पहुंच गई।

वैश्विक परिचालनों पर दिया गया कुल ब्याज व्यय वर्ष 2011-12 में ₹ 63,230.37 करोड़ था, जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹75,325 करोड़ पर पहुंच गया। भारत में जमाराशियों पर दिए गए ब्याज में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में 20.88% की वृद्धि हुई, जबकि भारत में जमाराशियों के औसत स्तर में 14.23% की वृद्धि हुई थी। जमाराशियों की औसत लागत वर्ष 2011-12 के 5.95% स्तर से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 6.29% हो गई।

गैर-ब्याज आय

वर्ष 2012-13 में गैर-ब्याज आय की राशि ₹16,034.84 करोड़ रही, जबकि वर्ष 2011-12 में यह ₹14,351.45 करोड़ रही थी। इस प्रकार इसमें 11.73% की वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत और विदेश में स्थित अपने सहयोगी बैंकों/ अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों में लाभांश के रूप में ₹715.51 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹767.35 करोड़) की आय प्राप्त की।

परिचालन व्यय

स्टाफ लागत में 8.29% की वृद्धि हुई और यह वर्ष 2011-12 के स्तर ₹16,974.04 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹18,380 करोड़ हो गई। अन्य परिचालन व्ययों में 19.89% की वृद्धि दर्ज हुई, जिसका मुख्य कारण भाड़े, करों और बिजली, डाक खर्च, तार व टेलीफोन, बीमा तथा विविध व्ययों में वृद्धि होना था।

परिचालन व्यय, जिसमें स्टाफ लागत और अन्य परिचालन व्यय शामिल हैं, में 12.33% की वृद्धि हुई।

प्रावधान और आकस्मिकताएँ

वर्ष 2012-13 में किए गए प्रावधानों की मुख्य राशियाँ निम्नानुसार रहीं:

• निवेशों पर मूल्यह्रास के संबंध में ₹961.29 करोड़ का प्रावधान किया गया (जबकि वर्ष 2011-12 में निवेशों पर मूल्यह्रास के संबंध में ₹663.70 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसमें "परिपक्वता तक रखे गए" श्रेणी पर प्रीमियम के परिशोधन को शामिल नहीं किया गया।

• ₹5,953.88 करोड़ के आस्थगित कर रिवर्सल को छोड़कर, कर प्रावधान के लिए ₹107.97 करोड़ (वर्ष 2011-12 में ₹6,320.09 करोड़ के आस्थगित कर रिवर्सल को छोड़कर ₹455.93 करोड़ था)।

• ₹11,367.79 करोड़ (राइट बैक को छोड़कर) अनर्जक आस्तियों के लिए (वर्ष 2011-12 में ₹11,545.85 करोड़ था)।

• मानक आस्तियों के लिए ₹749.61 करोड़ (वर्ष 2011-12 में ₹978.81करोड़)। वर्तमान वर्ष के प्रावधान सहित मानक आस्तियों पर किए गए कुल प्रावधान की राशि ₹5289.58 करोड़ थी।

आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष

• ₹4,417.86 करोड़ (वर्ष 2011-12 में ₹3,516.98करोड़) की राशि सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित की गई।

• ₹19.17 करोड़ (वर्ष 2011-12 में ₹14.38करोड़) की राशि पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित की गई।

• ₹6,453.26 करोड़ (वर्ष 2011-12 में ₹5,536.50करोड़) की राशि अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित की गई।

तालिका 1 : प्रमुख निष्पादन संकेतक

संकेतक	एसबीआईएसबीआई समूह		एसबीआई समूह	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
औसत आस्तियों पर आय (%)	0.88	0.91	0.89	0.89
इक्विटी पर आय (%)	16.05	15.94	16.49	15.97
आय की तुलना में (%) (कुल निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	45.23	48.51	53.51	56.35
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	1214.78	1394.79	1540.64	1769.19
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹)	184.31	210.06	241.55	266.82
प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन (₹)	184.31	210.06	241.55	266.82
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-I)	12.05	11.22	11.84	11.07
श्रेणी I	8.50	8.23	8.30	8.10
श्रेणी II	3.55	2.99	3.54	2.97
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-II)	13.86	12.92	13.68	12.82
श्रेणी I	9.79	9.49	9.65	9.46
श्रेणी II	4.07	3.43	4.03	3.36
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	1.82	2.10	1.81	2.07

आस्तियाँ

बैंक की आस्तियों में 17.28% की वृद्धि हुई और ये मार्च 2013 के अंत में बढ़कर ₹3,35,519.23 करोड़ हो गई, जबकि मार्च 2012 के अंत में ये ₹15,66,261.04 करोड़ थीं। इस अवधि के दौरान, ऋण संविभाग में 20.52% की वृद्धि हुई और इनकी राशि ₹8,67,578.89 करोड़ से बढ़कर ₹10,45,616.55 करोड़ हो गई। मार्च 2013 के अंत में निवेशों में 12.41% की वृद्धि हुई और इनकी राशि ₹3,12,197.61 करोड़ से बढ़कर ₹3,50,927.27 करोड़ हो गई। अधिकांश निवेश घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया।

देयताएँ

बैंक की कुल देयताएँ (पूंजी एवं आरक्षितियों को छोड़कर) 17.24% वृद्धि के साथ 31 मार्च 2012 के स्तर ₹12,51,568.03 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹14,67,377.36 करोड़ हो गईं। देयताओं में यह वृद्धि मुख्यतया जमाराशियों और उधारराशियों में वृद्धि होने के कारण हुई। 31 मार्च 2013 को वैश्विक जमाराशियाँ ₹12,02,739.57 करोड़ थीं जबकि 31 मार्च 2012 को ये ₹10,43,647.36 करोड़ थीं। इस प्रकार 31 मार्च 2012 के स्तर की तुलना में 15.24% की वृद्धि

परिलक्षित हुई। उधार-राशियों में 33.21% की वृद्धि हुई और ये 31 मार्च 2012 के अंत के स्तर ₹1,27,005.57 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2013 के अंत में ₹1,69,182.71 करोड़ हो गईं। यह वृद्धि मुख्यतया भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक से उधारियों और भारत के बाहर उधारियों और पुनर्वित्त के कारण हुई।

मुख्य परिचालन

I. 1. ग्राहक सेवा

हमारे विजन कथन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बैंक की व्यवसाय कार्यान्वयन नीतियों एवं परिचालनों में ग्राहक ही सर्वोपरि है। बैंक में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए बैंक के अंदर एक व्यापक तंत्र मौजूद है। इसके अंतर्गत शीर्ष स्तर से शाखा इकाइयों तक में यह देखा जाता है। इसके तहत लगातार वर्तमान सेवाओं की समीक्षा की जाती है और सुधार सुझाए जाते हैं। इन समितियों द्वारा उठाये गए महत्वपूर्ण और उन पर की गई कार्रवाई, सभी मंडलों में ग्राहक शिकायतों के समेकित आकंड़ों का विश्लेषण भी किया जाता है। यह सभी की जानकारी प्रत्येक तिमाही में बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैंक में एक सुपरिभाषित और सुप्रलेखित शिकायत निवारण नीति लागू है जिसमें निम्नलिखित के लिए व्यवस्था है :

• अलग से एक ग्राहक देखभाल कक्ष

• बैंक की वेब आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) का पुनर्विन्यास किया गया है और इसे बैंक के लिए एकल ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और समाधान प्रणाली के रूप में शुरू किया गया है। ग्राहक विभिन्न माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन माध्यमों में शाखा में लिखित शिकायत दर्ज कराना, बैंक के संपर्क केंद्र टोल फ्री नंबर 1800 425 3800/1800 11 2211 पर काल करना, बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन, 8008 202020 नंबर पर एएमएस 'UNHAPPY' संदेश भेजना आदि भी शामिल है। सभी शिकायतें सीएमएस के माध्यम से दर्ज कराई जाती हैं और इनके दर्ज कराए जाने के तुरंत बाद एक यूनीक नंबर के साथ पावती दे दी जाती है। बैंक ने अपने लिए अनिवार्य कर लिया है कि ग्राहकों की अधिकांश शिकायतों का अधिकतम 3 सप्ताह की अवधि में निकारण कर दिया जाए जबकि बीसीएसबीआई कोड द्वारा 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। बैंक ग्राहकों की सभी एटीएम संबंधी शिकायतों का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 7 दिन की सीमा में समाधान हो जाए।

अनेक ग्राहक हितैषी नए प्रयास आपके बैंक द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किए गए।

• बैंक ग्राहक सेवा में उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। बैंक ने ग्राहक सेवा में किसी दोष की संभावना जो बहुत कम रहती हैं के लिए ग्राहक को क्षतिपूर्ति करने के लिए की बोर्ड अनुमोदित क्षतिपूर्ति नीति लागू की है। इस नीति में सुनिश्चित किया जाता है कि व्यथित ग्राहक को उसके द्वारा मांग किए जाने के बिना क्षतिपूर्ति कर दी जाए।

• दामोदरन समिति की 70% से अधिक सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

• शाखाओं, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों, स्थानीय प्रधान कार्यालयों, प्रशासनिक कार्यालयों और कॉरपोरेट केंद्र में समुचित तंत्र स्थापित किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उपभोक्ता फोरम आदि से प्राप्त अनुरोधों और अपीलों पर कार्रवाई करते हैं।

ग्राहक अनुकूल पहल

वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश / उपभोग / निवल निर्यातों, बाधित खाद्य उत्पादन, उच्च मुद्रास्फीति, संकटग्रस्त उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र-वस्त्र, रसायन, लोहा और स्टील, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, दूरसंचार जैसे प्रमुख प्रयास बैंक द्वारा किए गए हैं जिसे निवेश और विकास बढ़ सेके अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, आवास, नियातों के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सुविधा हों और ग्राहकों की परेशानियां/कष्ट कम हो सकें और ग्राहक संतुष्टि का स्तर ऊंचा हो सके।

➢ ***मूल्यन संबंधी राहतें***

❖ ब्याज की दरें

वर्ष के दौरान दो बार बेस दर में कमी की गई है एक बार 20/09/2012 को यह 10% से घटा कर 9.75% कर दी गई एंव दूसरी बार 4/2/2013 को यह कम करके 9.70% कर दी गई है अब जो कि सभी बैंकों में सबसे कम है तथा इसे निर्धारित करते समय इस बात का धयान रखा गया है कि इससे सभी श्रेणियों के उधारकर्ताओं को राहत मिल सके।

❖ बैंक द्वारा निर्यातकों (इसीजीसी फीस) और एमएसई यूनिटों द्वारा देय फीस दोनों के लिए गारंटी फीस ग्रहण की गई जिससे ₹ 1 करोड़ संपार्श्विक मुक्त वित्त ऋण पर गारंटी कवर दिया जा सके।

➢ ***प्रक्रिया परिवर्तन***

❖ विभिन्न व्यवसाय समूहों में संबंध प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। कारपोरेटों के लिए खाता प्रबंधन टीमें, उच्च मालियत वाले ग्राहकों के लिए प्रीमियर बैंकिंग सेवाएं, एसएमई (एमई एवं एसई) के लिए रिलेशनशिप मैनेजरों की तैनाती की गई।

❖ प्रक्रिया कक्षों की पुनर्संरचना की गई और इनकी संख्या में भी वृद्धि की गई (आरएसीपीसी/एसएमईसीसी की स्थापना की गई)। ऋण-प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने करने के लिए लोन ओरिजिनेशन सॉफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

❖ शाखाएं खोलकर ग्राहक संपर्क स्थलों का विस्तार किया गया। दूरदराज के क्षेत्रों में ग्राहक सेवा केंद्रों, व्यवसाय प्रतिनिधि बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई।

❖ सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं में क्लस्टर मॉडल की शुरुआत की गई जिससे अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सके।

❖ अलाभकारी आस्ति खातों की निगरानी के लिए सभी प्रक्रिया केन्द्रों में एक अलग कक्ष की स्थापना की गई।

➢ ***उत्पादों में नए परिवर्तन***

❖ हर ग्राहक द्वारा आमतौर पर सबसे पहले बचत बैंक खाता खोला जाता है। इस खाते को आधार बनाकर ही ग्राहक द्वारा बैंक से भविष्य में अन्य सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं। बचत बैंक उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- बचत खातों में न्यूनतम शेष की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया ।
- औसत तिमाही जमा शेष राशि न रखने पर जुर्माना लगाना बंद कर दिया गया।
- कोर बैंकिंग में एक खाते से दूसरे खाते में राशि ट्रांस्फर करने पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। नकदी जमा करने के न्यूनतम शुल्क को ₹25 से घटाकर ₹10 कर दिया गया है।
- सभी बचत बैंक खातेदारों के लिए नगण्य दर पर वैयक्तिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रारंभ की गई है।
- एक नई पहल की गई और हमारे सभी ग्राहकों को सीटीएस-2010 आधारित मल्टी सिटी चेक बुक उपलब्ध कराई गई हैं।

> स्टेट बैंक वर्चुअल कार्ड के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से सुरक्षित ई-कॉमर्स ऑनलाइन लेनदेन किया जा सकता है।

❖ 6 माह की अवधि के लिए लागू सावधि जमाराशियों के लिए शुरू की गई अनफिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को एक वर्ष तक की सावधि जमा राशियों के लिए भी लागू कर दी गई।

❖ एक नई ट्रेक्टर ऋण योजना प्रारंभ की गई जिसमें पात्रता, मार्जिन, प्रतिभूति, ब्याज एवं अग्रिम शुल्क संबंधी छूट प्रदान की गई है। किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए एक संशोधित केसीसी योजना भी लागू की गई है। ₹1 लाख से ऊपर के सभी कृषि ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के मानदंडों में छूट प्रदान की गई है।

❖ व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एसबीआई ऋण योजना शुरू की गई। विदेश में पढ़ाई करने के लिए ऋण राशि बढ़ाकर ₹ 30 लाख कर दी गई।

➢ ***टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना***

❖ सीएमपी केन्द्र के माध्यम से एनपीसीआई आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एबीपीएस) का उपयोग करने वाला भारतीय स्टेट बैंक देश का पहला बैंक बन गया है। इस प्रणाली में आधार नंबर के आधार पर एलपीजी सब्सिडी का अंतरण किया जाता है।

❖ ऑन लाइन बचत बैंक आवेदन एवं ई-आरडी, टीडीआर/ एसटीडीआर खातों की सुविधा प्रारंभ की गई जिसका हमें ग्राहकों से काफी उत्साहजनक प्रतिसाद मिला है। एटीएमों के माध्यम से टीडीआर /एसटीडीआर जारी करना शुरू किया गया।

❖ चालू खाता/ओडी/कॅश क्रेडिट विवरण, आवास ऋण ब्याज प्रमाणपत्र, जमा खाता प्रमाणपत्र, की केंद्रीकृत प्रिंटिंग जिससे ग्राहक सुविधा बढ़ सके। वर्ष के दौरान शुरू की गई यह सेवा ग्राहकों के लिए सुविधाप्रद सिद्ध हुई है।

❖ लक्ष्य समूहों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान एक नई श्रृंखला के प्लास्टिक कार्ड जारी करने शुरू किए गए हैं। कारपोरेट ग्राहकों के लिए प्राइड एवं प्रीमियम नाम से दो प्रकार के स्टेट बैंक बिजनेस डेबिट कार्ड शुरू किए गए हैं। तीव्र गति से नकदी जमा करने मे व्यापारियों एवं सेवा प्रदायकर्ताओं के लिए इंस्टा डिपोजिट कार्ड। सभी रिटेल ग्राहकों के लिए स्टेट बैंक वर्चुअल कार्ड।

❖ स्टेट बैंक मॉबी केश ईजी ए मॉबाइल वेलेट वर्ष के दौरान शुरू किए गये।

❖ कर्मचारी भविष्य निधि की उगाही के लिए ई-चालान जो शाखाओं और कारपोरेट इंटरनेट के द्वारा जारी किए जाते हैं, वर्ष के दौरान शुरू किए गए।

1.2 व्यवसाय समूह

क. वैश्विक बाजार परिचालन

वैश्विक बाजार इकाई प्रमुख रूप से बैंक की तरलता, संपूर्ण विदेशी मुद्रा लेनदेनों एवं उनकी लेखा पुस्तकों में निवेश संविभाग का प्रबंध करती है जो कि बैंक के तुलन पत्रक के एक तिहाई राशि के लगभग होते हैं तथा इनके अलावा भी संविभाग प्रबंध एवं विदेशी मद्रा उत्पादों जैसी अनेकों महत्वपूर्ण सेवाओं का प्रबंध करती है।

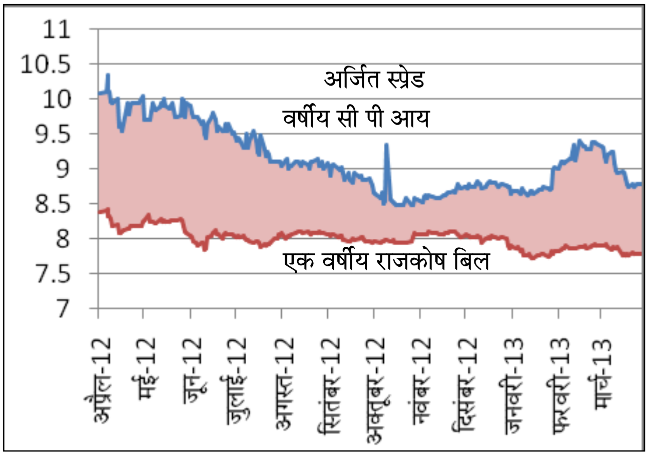

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी आरक्षिती अनुपात को 0.75% और सांविधिक चलनिधि अनुपात 1% घटा दिया। इससे बैंक को अल्प अवधी मुद्रा बाजार लिखतों जैसे वाणिजिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र में निवेश करने के अवसर प्राप्त हुए। बैंक ने सीडी में ₹75,000 करोड़ और सीपी में औसत स्प्रेड 65 से 75 आधार बिंदु पर निवेश किया। यह दर कोष बिलों पर लागू दरों से होने वाली लाभ से अधिक होने के कारण अतिरिक्त ब्याज आय अर्जित कर पाई।

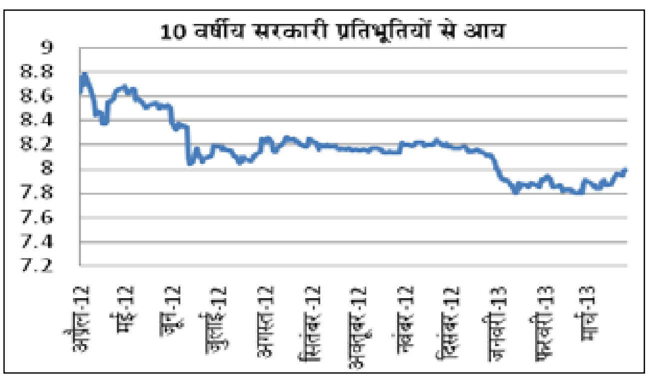

सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रति फल वर्ष के दौरान कम हुआ जो रिपो दरों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 आधार बिंदुओं की कमी किए जाने और मुद्रास्फीति में कमी आने के कारण संभव हुआ। 10 वर्ष वाले केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में प्रति फल अप्रैल 2012 के स्तर से कम होकर 8.63% से 31 मार्च 2013 को 7.99% पर आ जाने के कारण रहा। प्रतिफल में इस कमी से बैंक के एस एल आर पोर्टफोलिओ के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हुए। हमने पोर्ट फोलिओ के सक्रिय प्रबंधन से ₹200 करोड़ का व्यवसाय जुटाया। सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिफल में 64 आधार बिंदुओं की कमी के बाद बावजूद एस एल आर पोर्टफोलिओ पर प्रति लाभ 5000 आधार बिंदू मामूली सा कम रहा क्योंकि पोर्टफोलिओ का पुन: समतुलन किया गया था।

> बैंक को “देश में सर्वोत्कृष्ट विदेशी विनिमय सेवा प्रदाता” एशियामनी सर्वेक्षण 2012 में घोषित किया गया।

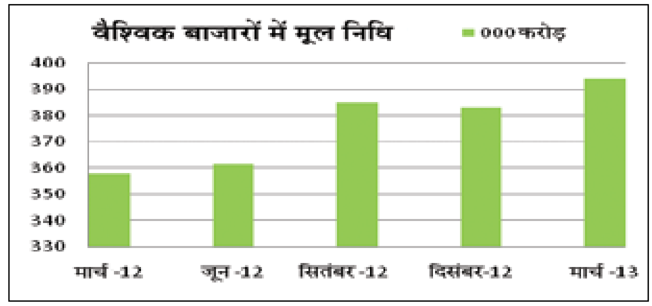

चूंकि प्रतिफलों में कमी का दौर चल रहा था इसलिए बैंक ने निर्णय लिया कि पोर्टफोलियों की अवधि को बढ़ा दिया जाए। बैंक ने केंद्र और राज्य सरकारों की ₹35,000 करोड़ की दीर्घ दिनांकित प्रतिभूतियों की खरीद की। बैंक ने वर्ष के दौरान ₹10,000 करोड़ से अधिक की कुल राशि के उच्च प्रतिफल वाले कार्पोरेट बांडो में भी निवेश किया। विश्व बाजार प्रबंधन के तहत सकल निधि राशि 31 मार्च 2013 को ₹ 4 लाख करोड़ पर बंद हुए थे।

इस वर्ष इक्विटी की स्थिति में सुधार हुआ जो अमरीका की बेहतर आर्थिक स्थिती, यूरोजोन में कम दबाव, भारत सरकार के सुधारोन्मुख उपायों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कटौती किए जाने के कारण संभव हुआ। बैंक ने अनेक कार्यनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देशों में निवेश किया। विश्वबाजार में निफ्टी स्टॉकों में स्वत्वधारी खरीद फरोख्त में वृद्धि हुई। बैंक ने नकदी प्रबंधन और अधिक प्रतिलाभों के लिए म्युच्युल फंड स्कीमों का भी उपयोग किया। बैंक ने इक्विटी और म्यूच्यूल फंडों से लगभग ₹600 करोड़ का लाभ कमाया।

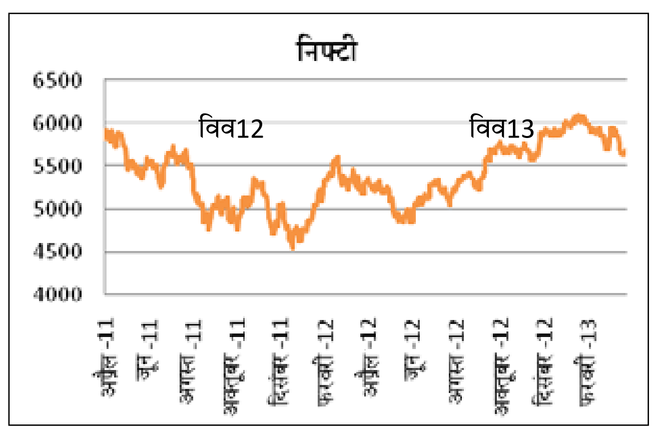

बैंक प्रायवेट इक्विटी वेंचर कॅपिटल निधियों निवेशों के क्षेत्र में निरंतर अवसर खोजता रहा। वर्ष के दौरान विभिन्न वेंचर कॅपिटल फंडों में ₹100 करोड़ का निवेश किया। बैंक ने वषै 2013 के दौरान प्रायवेट ईक्विटी निवेशों में से आंशिक राशि निकाल ली जिस कारण 45.25% से अधिक आयआरआर पर ₹50 करोड़ से अधिक का लाभ कमाया। अनुकुल मूल्य और बाजार स्थितियों के कारण बैंक ने अन्य कार्यनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण निवेशों में से भी राशि निकाली जिस कारण ₹65 करोड़ का लाभ हुआ। बैंक ने प्राथमिक बजार और भारत सरकार के

विनिवेशन कार्यक्रम में लगभग ₹1,300 करोड़ का निवेश करके ऑफर फॉर सेल माध्यम से सहभागिता की।

वैश्विक बाजार अपने ग्राहकों को उनके मुद्रा प्रवाहों एवं बचाव जोखिमों के प्रबंध के लिए ऑप्शनों, स्वैप, वायदा एवं सर्राफा सेवाओं के माध्यम से सभी मुद्राओं में विदेशी मुद्रा समाधान सेवाएं प्रदान करता है। पूरे देश भर में अपनी उपस्थिति के कारण हमारा बैंक शाखाओं एवं डीलिंग रूम के माध्यम से एक विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिसमें उसके ग्राहकों के बीच निर्बाध रूप से मुद्रा के प्रवाह की प्रक्रिया होती है। अपने ग्राहकों को उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करने का हमारा यह एक सतत प्रयास है। इस कार्य के लिए हमारे ट्रेजरी विपणन कार्यालय अपने ग्राहकों को बाजारों के संबंध में इनपुट प्रदान करके एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों का सुझाव देकर इस कार्य से जोड़ने के कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। बैंक ने विदेशी मुद्रा, हेजिंग, स्वर्ण और स्वत्वधारी खरीद फरोख्त में ग्राहकों से प्राप्त राशियों से ₹1600 करोड़ से अधिक की आय अर्जित की। इस प्रकार इसमें 18% की वृद्धि दर्ज हुई। वैश्विक बाजार बैंक के एफसीएनआर (बी) राशियों का भी प्रबंध करता है और विदेशी मुद्रा में निर्यात के लिए वित्त पोषण हेतु निधियां और एफसीएनआर (बी) ऋण भी उपलब्ध कराता है।

हमारे बैंक को प्रतिष्ठित एशियामनी सर्वेक्षण 2012 में 'फॉरेक्स सेवाओं के सर्वश्रेष्ठ समग्र घरेलू प्रदायकर्ता' चुना गया है। हमारे बैंक को "बेस्ट फॉर फॉरेक्स आप्शन" एवं "बेस्ट फोर फॉरेक्स प्रॉडक्ट एंड सर्विसेज" श्रेणियों में नंबर एक श्रेणी प्रदान की गई है तथा इसी चुनाव में "बेस्ट फॉर फॉरेक्स रिसर्च एंड मार्केटकवरेज" श्रेणी में भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इनसे हमें अपने सम्मानित ग्राहकों को सतत आधार पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने में प्रोत्साहन मिलता है।

हम देश भर में सेवानिवृत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार की निधियों में संविभाग प्रबंध सेवाएं प्रदान कर रहे हैं । हमारा संविभाग सेवाएं अनुभाग ने निरन्तर आधार पर निजी सेवा क्षेत्र के अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ते हुए ईपीएफओं निधियों के लिए लाभ अर्जितकिया है तथा जिसकी प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ (एयूएम) ₹ 2,38,000 करोड़ से अधिक है। पिछले वर्ष ईपीएफओ क्षेत्र में हमें सर्वोत्कृष्ट फंड प्रबंधक का खिताब मिला है।

ख. कारपोरेट बैंकिंग समूह

बैंक के कारपोरेट बैंकिंग समूह की तीन कार्यनीतिक व्यवसाय इकाईयाँ है यथा कारपोरेट लेखा समूह, लेनदेन बैंकिंग इकाई एवं परियोजना वित्त एवं लीजिंग एसबीयू।

ख.1. कारपोरेट लेखा समूह (कैग)

कारपोरेट लेखा समूह बैंक के बड़े ऋण पोर्टफोलिओ की देख रेख करने के लिए एक विशेष कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई है। इस कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई के 6 क्षेत्रीय केंद्रीय यथा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद में महाप्रबंधकों के नेतृत्व में कार्यरत कार्यालय हैं। यह व्यवसाय मॉडल रिलेशनशिप प्रबंध संकल्पना के इर्दगिर्द कार्य करता है तथा प्रत्येक कारपोरेट ग्राहक को एक रिलेशनशिप प्रबंधक के साथ कार्यसंबंध किया गया है जो प्रति कार्यात्मक ग्राहक सेवा दल का नेतृतव करता है । रिलेशनशिप कार्यनीति को ग्राहकों को एकीकृत एवं व्यापक समाधान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है जिसमें एक निश्चित समय सीमा में व्यवसाय कायाकल्प सहित उद्दिष्ट उत्पाद प्रदायगी शमिल है। इस कार्यनीति का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक को सर्वोच्च कारपोरेटों के लिए सबसे पसंदीदा सेवा प्रदायकर्ता बनाना एवं अपनी लाभप्रदता की हिस्सेदारी में और अधिक वृद्धि करना एवं निवेश की गई पूँजी से आय में सु धार करना शामिल है। सीएजी में रिलेशनशिप प्रबंधन के पीछे एक सतत लेखा आयोजना कार्य की भावना है जिसकी वरिष्ठ प्रबंधन के द्वारा सक्रियता से समीक्षा की जाती है।

दामोदर घाटी निगम को ₹2437 करोड़ के ऋण वितरण के लिए करार

तालिका 2: कैग का व्यवसाय निष्पादन (₹ करोड़ में)

सुविधा	मार्च-12	मार्च-13	वर्ष दर वर्ष वृद्धि
निधि आधारित (बकाया)	125286	175831	40%
गैर निधि आधारित (राशि)	337486	409477	21%

कैग की निधि आधारित बकाया राशियाँ बैंक के कुल ऋणों का 16% है बैंक के देशीय विदेशी मुद्रा व्यवसाय मुद्रा के लगभग 59% की देख रेख करता है। वर्ष के दौरान कैग ने एस्सार ऑइल, एचडीएफसी, हिंडलको इंडस्ट्रीज, एस्सार स्टील, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन, डीवीसी, जेएसडब्ल्यू, एनर्जी आदी ग्राहकों के अनेक उच्च मुल्य वालो सौदों की देखरेख की।

रुपये के मूल्यह्रास परिवेश में कैग के अनेक ग्राहकों ने विदेशी मुद्रा में ऋण लेना पसंद किया। इस प्रकार कैग ग्राहकों जैसे सरकारी क्षेत्र के बड़े तेल उपक्रमों और टाटा, रिलायंस, एस्सार, अदानी, जेएसडब्ल्यू आदि समूह से बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय जुटाया अधिग्रहण निधियों के अत्यंत प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में भी कैग ने हॉटन इंटरनैशनल आयएनसी द्वारा हिंदुजा के अधिग्रहण

और एक्सॉन मोबिल्स ग्लोबल बीओपीपी व्यवसाय द्वारा बीसी जिंदल ग्रुप के अधिग्रहण सौदों के जरिए मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

एचपीसीएल मित्तल एनर्जी, भटिंडा, पंजाब

कैग की आस्ति गुणवत्ता नियंत्रित बनी रही। कुल अग्रिमों में सकल एनपीए 0.57% पर रहे। कैग पोर्टफोलियो का लगभग निवेश श्रेणी में आता है। बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से 40% आस्तियों को उच्चतम रेटिंग प्राप्त हुई।

कैग की मजबूत वृद्धि को देखते हुए बड़े केंद्रों पर और कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। शुरू में कार्यालय मुंबई और दिल्ली में खोले जाएंगे। कैग के सभी कार्यालयों का नेतृत्व महाप्रबंधकों द्वारा समूह के बढ़ते कारोबार को देखते हुए किया जा रहा है। इससे कैग के उच्च मूल्य वाले ग्राहकों के साथ वरिष्ठ स्तर पर बातचीत में सुविधा होगी। ऋण वितरण के कार्य के अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुख्य परिचालन अधिकारी के पद को सभी कैग इकाइयों में बढ़ाकर उप महाप्रबंधक का कर दिया गया है।

ख.2 लेनदेन बैंकिंग इकाई

लेनदेन बैंकिंग इकाई के द्वारा नकदी प्रबंधन उत्पादों , व्यापार वित्त एवं सप्लाई चेन (डीलर /वैंडर) वित्तपोषण पर निगरानी का कार्य करती है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उसने अपने कार्यकलापों मे विस्तार किया है।

बैंक की अग्रिमों में वृद्धि मुख्यतया कारपोरेट ऋणों के कारण हुई जो वर्ष 2012-13 के दौरान 40% से अधिक बढ़े।

❖ **बैंक में नकदी प्रबंधन (सीएमपी)** सेवाओं का कार्य 722 केन्द्रों पर 1219 प्राधिकृत शाखाओं के द्वारा किया जाता है। सामान्य चेक एवं नकदी संग्रहण के अलावा इसके माध्यम से नकदी/चेक पिकअप एवं सर्वजनिक निर्गमनों के लिए घर घर जाकर बैंकिंग सेवाएं देने का कार्य सीएमपी के द्वारा किया जाता है। लाभांश वारंट, मल्टीसिटी चेक, आईपीओ और ई-पेमेंट इत्यादि भुगतान सेवाएं सभी शाखाओं में उपलबध कराई जाती हैं। सीएमपी ने राज्य सरकार की भुगतान प्रणालियों को बैंक के कोर बैंकिंग समाधान के साथ एकीकृत कर दिया है। वह राज्य सरकारों को उनके महत्वकांक्षी राष्ट्रीय ई - गर्वनेंस परियोजना (एनईजीपी) को केनद्रिकृत भुगतान समाधान सुविधा प्रदान करा रहा है। एसबीआई पहला बैंक था जिसने आधार नंबरों पर एलपीजी सब्सिडी अंतरित करने के लिए एनपीसीआई आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) का उपयोग किया।

❖ **ई-ट्रेड एसबीआई** एक वेब आधारित पॉर्टल है जो ग्राहकों को विश्व के किसी भी हिस्से से ऑन लाइन आधार पर साख पत्रों, बैंक गारटिंयों को दर्ज करने एवं बिल संग्रहण / परक्रामण अपेक्षाओं की पूर्ति की सुविधा प्रदान करके ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा एवं व्यापार वित्त सेवाओ के लिए आसान एक्सेज प्रदान कर रहा है। इस सेवा का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है तथा 31.03.2013 को ई-ट्रेड के अंतर्गत 1326 कारपोरेट रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे तथा ई-ट्रेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रति माह 11000 से अधिक लेदनदेन हो रहे थे।

❖ **ई-वीपीएस (इलेक्ट्रॉनक वेंडर फायनेंसिंग स्कीम)** एवं ई-डीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक डीलर फायनेंसिंग स्कीम) एक पूर्णतया यांत्रिकृत एवं सुरक्षित उत्पाद हैं जो कि कारपोरेटों के कार्यशील पँजी चक्र के प्रभावी प्रबंध के लिए एवं व्यवसाय साझेदारों की सतत संवृद्धि एवं लाभप्रदता को ध्यान में रखकर तेयार की गई है।

❖ **वित्तीय संस्था व्यवसाय इकाई (एफआईबीयू)** एक प्रकार की विशेषीकृत सर्व केन्द्रित इकाई है जिसका उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं से भावी व्यवसाय अवसरों को भुनाना है तथा यह अपने अधीन 15 बीमा कंपनियों, 26 म्यूचअल फंड कंपनियों, 45 एनबीएफसी एवं 15 बैकों को ला चुकी है।

❖ **परियोजना वित्त एवं लीजिंग एसबीयू (पीएफएसबीयू)** संरचनात्मक क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं के अनुमोदन एवं निधियों के प्रबंध का कार्य करता है जेसे ऊर्जा, टेलिकॉम, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट एवं अन्य शहरी संरचनात्मक परियोजनाओं के अलावा धातु, सीमेंट आदि क्षेत्रों में अन्य गैर-संरचनात्मक परियोजनाओं का कार्य भी किया जाता है। जिसके लिए कुछ न्यूनतम प्रारंभिक परियोजना लागत लगती है।

तालिका 3 : पीएफएसबीयू का व्यवसाय निष्पादन (₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13
परियोजना लागत	109293	166299
परियोजना ऋण	84858	88033
संस्वीकृत राशि	24976	24119
समूहन राशि	18160	33454

31 मार्च 2013 को परियोजना वित्त एसबीयू के साथ कार्यानवयन के अधीन संरचनात्मक परियोजनाओं के संविभाग में कुल 52,836 मैगावाट क्षमता की परियोजनाओं का समावेश है जिसमें 1720 मैगावाट की अक्षय ऊर्जा की परियोजनाएं भी शामिल हैं। टेलिकॉम परियोजनाओ में 303 मिलियन अभिदाताओं को प्रदान की जाएंगी। 5386 किमी की दोहरी लेन, चार लेन एवं छह लेन वाली सड़कों की परियोजनाएं चल रही हैं;

40 एमटीपीए के बहुउद्देश्य कारगो एवं 1.2 मिलियन टीईयू की कंटेनर क्षमता को संभालने वाले नए बंदरगाह, हैदराबाद में मैट्रो परियोजना के अलावा स्टील, सीमेंट , शहरी संरचना , सीआर ई आदि के क्षेत्र में भी कई प्रकार की परियोजनाएं कार्यानवित की जा रही हैं। वर्ष के दौरान कुल (खाद्य एवं खादेतर) ₹12,884 करोड़ (पिछले वर्ष ₹15,410 करोड़) का संवितरण इन परियोजनाओं को किया गया है।

तालिका 4 : --2012-13 के दौरान बडे सौदे:

परियोजना	विवरण
टाटा स्टील ओडीसा	6 मिलियन टीपीए क्षमता वाला एकीकृत स्टील संयंत्र
ओएनजीसी पेट्रो-एडीशंस	एथिलिन का 1100 केटीपीए और 400 केटीपीए प्रॉपीलीन का ग्रीन फील्ड पेट्रो रसायन संयंत्र
जिंदल पॉवर	1200 मेगावाट क्षमता के थर्मल पॉवर संयंत्र की स्थापना
वीडियोकॉन	सावधि ऋण पुनर्वित्त और मोजाबिक ऑयल ऑपरेशन के लिए एसबीएलसी। इस सौदे को बिजनेस वर्ल्ड मैगना वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संरचित सौदे का पुरस्कार।

आधुनिकतम प्रौद्योगिकी आधारित कपड़ा बुननेवाली इकाई - आलोक इंडस्ट्रीज, सिलवासा, दादरा एवं नगर हवेली - वित्तप्रदाता मध्य कारपोरेट समूह

बैंक ने 21 प्रख्यात परामर्शदाताओं का एक पैनल गठित किया है। ये सरकारी क्षेत्र के अग्रणी उपक्रमों के पूर्व सीईओ/निदेशक रह चुके हैं और इन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है। इस विशेषज्ञ पैनल के गठन से विद्युत, तेल शोधन, धातु, उर्वरक, दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता का मूल्यांकन करने में पीएफएसबीयू की क्षमता और बढ़ जाएगी।

ग. मिड कारपोरेट समूह

मध्य कारपोरेट समूह (एमसीजी) की 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार अपने 13 कार्यालय अहमदाबाद, बंगलूर, चंडीगढ़, चेन्नई, (2), हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, मुंबई (2), नई दिल्ली (2) और पुणे में तथा 60 शाखाएँ हैं। वर्ष के दौरान इसके अग्रिम ₹1,70,442 करोड़ से बढ़कर ₹2,04,853 करोड़ पर पहुंच गए।

व्यवसाय की संख्या और मात्रा दोनों में विस्तार और वृद्धि को देखते हुए मध्य कारपोरेट समूह, कारपोरेट केंद्र में अक्तूबर 2012 में एक अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) पदस्थ किए गए। दो सीजीएम के बीच कार्य विभाजन भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। एक उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों का और दूसरे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की देखरेख करते हैं। ये उप प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक की एमसीआरओ/एमसीजी शाखाओं की बढ़ी हुई संख्या और व्यवसाय के बढ़ते विविधीकरण के अनुरूप उनकी सहायता कर रहे हैं। इसी तरह, एक अतिरिक्त महाप्रबंधक वर्ष 2012-13 के दौरान दिल्ली, मुंबई और चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ किए गए और इन्हें एमसीजी शाखाओं का स्पष्ट आवंटन और उससे जुड़ी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इन केंद्रों में महाप्रबंधकों की संख्या को दुगुना करने से ग्राहकों वरिष्ठ पदाधिकारियों तक पहुंच पहले की तुलना में बढ़ी है और ऋण वितरण भी बेहतर हुआ है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाला नया व्यवसाय जुटाने पर भी और अधिक ध्यान केंद्रित हो रहा है। वर्ष के दौरान 16 मध्य कारपोरेट शाखाओं में सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) के पद को बढ़ाकर उप महाप्रबंधक (डीजीएएम) का कर दिया गया है। इन शाखाओं का नेतृत्व अब एजीएम के स्थान पर डीजीएम द्वारा किया जा रहा है जिससे ग्राहकों को अपनी ऋण संबंधी और उससे जुड़ी अन्य समस्याओं का और कारगर समाधान मिल पाएगा।

लेखा प्रबंधन टीम (एएमटी) मॉडल को सभी शाखाओं (214 एएमटी) में कार्यान्वित कर दिया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक टीम में पहले की अपेक्षा कम खाते हैं तथा यह टीम बेहतर ऋण सुपुर्दगी एवं वैयक्तिक खातों पर पूर्ण व्यवसाय केन्द्रित पर अपना काम करता है। एएमटी व्यवस्था के अंतर्गत में संस्वीकृति पूर्व एवं संस्वीकृति उत्तर औपचारिकताएं एक ही टीम के द्वारा पूर्ण की

मध्य कारपोरेट समूह के निधि आधारित व्यवसाय में 18% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई।

जाती हैं। इस टीम में रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट और सर्विस आफिसर होते हैं जो ग्राहकों की अपेक्षाओं पर समुचित रूप से विचार करने और उससे जुड़े जोखिमों का सही सही आकलन करने में सहायता करते हैं।

एमसीजी द्वारा अनेक महासम्मेलन आयोजित किए गए। इनमें प्रमुख कार्याधिकारियों के साथ परामर्शन सत्र किए गए जिससे वे व्यवसाय के रुझानों के समझकर उनका सही सही विश्लेषण कर सकें। ये महासम्मेलनों में शीर्ष कार्यपालकों और और शाखा स्तरीय परिचालन अधिकारियों के बीच खुला और विस्तृत विचार-विमर्श होने से व्यवसाय संवर्धन और आस्ति प्रबंधन के लिए योजना तैयार करने में अत्यंत उपयोगी रहे।

शीर्ष श्रेणी प्राप्त ग्राहकों के लिए और अधिक आकर्षक कीमत निर्धारण और शर्तें अच्छी गुणवत्ता वाली आस्तियों के लिए सुनियोजित प्रयास करने से निवेश श्रेणी से ऊपर वाली आस्तियों का कुल प्रतिशत मार्च 2012 के 64.26% से बढ़कर मार्च 2013 में 68.31% पर पहुंच गया।

समूह ने विदेश में आस्ति/कंपनी अधिग्रहण में भारतीय कंपनियों की मदद की और विस्तार योजनाओं में सहायता प्रदान की। इनमें विदेशी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों (एलओसी समर्थित) को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के माध्यम से बाहरी ऋणों के रूप में सहायता करना भी शामिल है। विगत वर्षों में समूह ने भारतीय कंपनियों द्वारा यूएसए, यूरोप, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में इस प्रकार के कई अधिग्रहणों में मदद की है।

इसके साथ साथ कमजोर/तनावग्रस्त खातों के प्रवर्तकों से निकट से जुड़कर बेहतर आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए। इससे एमसीजी की अनर्जक आस्तियाँ दिसंबर 2012 के स्तर ₹19,777 करोड़ से घटकर मार्च 2013 में ₹18,443 करोड़ रह गई। कुल अग्रिमों में एनपीए के प्रतिशत को न केवल नियंत्रित किया गया अपितु वर्ष 2012-13 की अंतिम तिमाही में इसमें जबरदस्त कमी लाई गई।

मध्य कारपोरेट अर्थव्यवस्था में धीमेपन के काफी प्रभावित हुए हैं जिससे आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई। मूल्यांकन/संस्वीकृति, अनुवर्तन और पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को चुस्त-दुरुस्त किया गया। सीडीआर और गैर-सीडीआर दोनों प्रकार के पुनर्संरचना वाले मामलों की हाल ही में संख्या बढ़ने को देखते हुए समूह में कारपोरेट केंद्र के स्तर पर महाप्रबंधक (पुनर्संरचना) का एक अतिरिक्त पद सृजित किया गया है। इन परिवर्धनों से डीएमडी को ग्राहक संबंध बढ़ाने में वरिष्ठ अधिकारियों की और अधिक सहायता मिल सकेगी।

घ. राष्ट्रीय बैंकिंग समूह

तालिका 5: एनबीजी व्यवसाय निष्पादन (₹ करोड़ में)

स्थिति	31.3.2011	31.03.2012	31.03.2013	वायटीडी वृद्धि	
	स्तर	स्तर	स्तर	समग्र	(%)
खंड जमा-राशियाँ	7,91,836	9,12,848*	10,48,136	1,35,288	14.82
खंड अग्रिम	3,75,037	4,29,509*	4,96,394	66,885	15.57

(*इन आंकड़ों में वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान एमसीजी को अंतरित किए गए खातों से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं है)

व्यवसाय राशि, शाखा नेटवर्क, और मानव संसाधनों के अनुसार, राष्ट्रीय बैंकिंग समूह बैंक का सबसे बड़ा व्यवसाय समूह है। इस समूह में पांच कार्यनीतिक इकाइयां हैं,जिनमें ग्रामीण बैंकिंग (आरबीयू), वैयक्तिक बैंकिंग (पीबीबीयू),स्थावर संपदा, निवास एवं आवास विकास (आरई-एचइंडएचडी),लघु एवं मध्यम उद्यम, (एसएमईबीयू) और सरकारी व्यवसाय इकाई (जीबीयू) शामिल हैं। 31 मार्च 2013 कोबैंक के कुल व्यवसाय में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह का हिस्सा कुल देशीय जमा-राशियों में 95.05% और कुल देशीय अग्रिमों में 56.70% रहा।

31 मार्च 2013 को राष्ट्रीय बैंकिंग समूह में कुल 14,816 देशीय शाखाओं में से 14,733 शाखाएं शामिल थीं जो14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों के द्वारा नियंत्रित होती हैं।

हमारी शाखाओं में बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से, हमने अपनी सभी शाखाओं को वातानुकूलित बनाया है और शाखाओं के परिवेश में सुधार किया है। बड़ी संख्या में सहायकों की भर्ती करने से, शाखा विस्तार कार्यक्रम में भी तेजी आई है, और वर्ष के दौरान हमारी शाखाओं की संख्या में 719 शाखाओं की और वृद्धि हुई है। नई शाखाओं को बहुत अच्छे परिवेश, एयर-कंडिशनिंग, डिजिटल डिस्पले सुविधाओं और पर्याप्त स्टाफ संख्या के साथ नई शाखाएं खोली गई।

तालिका 6: शाखा विस्तार

स्थिति	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
31.03.12	5382	3995	2502	2218	14097
वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान शामिल शाखाएं	304	170	122	123	719
31.03.13	5686	4165	2624	2341	14816

परिचालन कार्य-क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान हमने 2 और नेटवर्को, 7 और प्रशासनिक कार्यालयों और 81 क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयोंकी शुरुआत की है।

एटीएम नेटवर्क:भारतीय स्टेट बैंक के पास देश का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है, जिसमें वर्ष के दौरान हमने और अधिक विस्तार किया है जिससे ग्राहकों को बेहतर एटीएम सुविधाएं प्रदान की जा सकें। हमने एटीएमों का अपटाइम भी बढ़ाया है।

तालिका 7: एटीएम नेटवर्क

स्थिति	एटीएमों की संख्या	एटीएम उपलब्धता समय	एटीएमों पर लेन देन की संख्या (लाख में)
31.03.12	22141	95.15%	23811
31.03.13	27175	96.42%	29324

ग्राहक संतुष्टि में और अधिक बढ़ाने और एक साथ आने वाले अवकाश दिनों के दौरान उनकी तकलीफों को कम से कम करने के लिए, हम अपनी ओर से विस्तारित बैंकिंग काम-काज का समय/अतिरिक्त कार्य दिवस प्रस्तावित करते रहे हैं।

घ.1 ग्रामीण व्यवसाय इकाई

❖ **वित्तीय समावेशन**

• बैंक ने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन के माध्यम से 38,480 बीसी ग्राहक सेवा केन्द्रों की स्थापना की है।

• भारतीय स्टेट बैंक अपने व्यवसाय संपर्की (बीसी) के माध्यम से विभिन्न तकनीकी आधारित उत्पाद उपलब्ध करा रहा है जैसे बचत बैंक, आवर्ती जमा, एसटीडीआर, धन-प्रेषण एवं एसबी-ओडी सुविधाएं।

• बैंक ने सरलीकृत केवाईसी के साथ 2.03 करोड़ लघु खाते खाले हैं।

• बैंक ने 12,931 एफआई गांवों (जनसंख्या2000) एवं 7,600 वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) गांवों (जनसंख्या <2000) को इसमें शामिल किया है।

• वित्तीय वर्ष 12-13 के दौरान बीसी माध्यमों के अंतर्गत लेनदेनों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई है जिसमें ₹13,033 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना सफलतापूर्वक प्रांरभ की गई है। 121 डीबीटी प्रायोगिक परियोजनाओ में से 28 डीबीटी के साथ भारतीय स्टेट बैंक के पास बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रायोजक बैंक के रूप में ₹8.77 करोड़ के 1.31 लाख लेनदेनों का कार्य पूर्ण किया है जो कि उसके द्वारा प्राप्तकर्ता बैंक के रूप में ₹7.08 करोड़ के 0.41 लाख लेनदेनों के अतिरिक्त है।

• 43 प्रायोगिक जिलों में आधार के साथ 99% परिवारों को जोड़ा गया है जिसमें कुल 9.85 लाख खाते खोले गए हैं।

• शहरी वित्तीय समावेशन-शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों, विक्रेताओं आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 5,629 बीसी केन्द्र खोले गए हैं जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 13 के दौरान ₹6,962 करोड़ के 157 धन-प्रेषण संबंधी लेनदेन किए गए हैं।

• ₹5,600 करोड़ के ऋण आबंटन के साथ 5.45 लाख स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किए गए हैं। एसएचजी में हमारी बाजार हिस्सेदारी23% की है।

वित्तीय समावेशन के लिए बहुविध आईटी सुविधा वाले चैनलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• कियोस्क बैंकिंग - बैंक की अपनी प्रौद्योगिकी पहलों को 31 राज्यों और 479 जिलों में कार्यान्वित किया गया है। इन पहलों में 20,178 सीएसपी पर आधारित बायो-मैट्रिक वैधता के साथ इंटरनेट की सुविधावाले पीसी (कियोस्क) परिचालित किए गए जिनके माध्यम से 83 लाख ग्राहकों का पंजीकरण किया गया।

• एसबीआईटाइनी कार्ड - वित्त वर्ष-13 के दौरान लगभग 14 लाख ग्राहकों का पंजीकरण किया गया है (76 लाख से अधिक संचयी ग्राहक)।

• मोबाइल ग्रामीण बैंकिंग - मोबाइल प्लेटफार्म पर बैंक की अपनी प्रौद्योगिकी शुरू की गई। यह प्रौद्योगिकी सबसे कम कीमत वाले प्रत्येक मोबाइल हैण्डसेट पर भी कार्य करती है।

• सेल फोन मैसेजिंग चैनल - यह लागत प्रभावी मॉडल है, जो कम कीमत वाला साधारण मोबाइल फोन पर कार्य कर रहा है और पिन/हस्ताक्षर आधारित सुरक्षा के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे 12 राज्यों के 50 जिलों में स्थित 2,025 ग्राहक सेवा केन्द्रों में कार्यान्वित किया गया है।

तालिका 8 : कृषि अग्रिमों का व्यवसाय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर	
	31.03.2012	31.03.2013
ऋण वितरित किसानों की संख्या	99,80,156	1,11,69,524
कृषि प्राथमिकता अग्रिम	1,07,256	1,24,834
प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम	86,281	1,08,584
प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम (एएनबीसी का %) बेंचमार्क 13.5%	12.99%	14.24%

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम ₹1,00,000 करोड़ से अधिक हो गए, केवल बैंक ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। 1,11,00,000 से अधिक किसानों को शामिल करते हुए और एएनबीसी के 13.5% के निर्दिष्ट लक्ष्य को पार करते हुए, बैंक ने वित्त वर्ष 13 के दौरान कृषि खंड के अग्रिमों के अंतर्गत ₹21,408 करोड़ (25%) के व्यवसाय के साथ अब तक की सर्वाधिक संवृद्धि हासिल की है।

• बैंक ने सबसे अधिक 111 आरएसईटीआई संस्थान खोले हैं जिससे ग्रामीण युवा स्व-रोजगार शुरू कर सकें।

वित्तीय समावेशन पुरस्कार 2013 "कियॉस्क बैंकिंग मॉडेल के लिए भारतीय स्टेट बैंक को सर्वोत्कृष्टता प्रशस्ति पत्र" वर्ष 2012 के दौरान भारत में शीर्ष 50 परियोजनाओं में सर्वोत्कृष्ट - श्री आशीष कुमार राय, मुख्य महाप्रबंधक (ग्रा. व्य.) 5 जनवरी 2013 को पुरस्कार प्राप्त करते हुए

❖ **कृषि को ऋण प्रवाह**

वित्त वर्ष-13 में बैंक ने भारत सरकार के ₹60,000 करोड़ के लक्ष्य के सामनेकुल ₹63,936 करोड़ के कृषि ऋण संवितरण किए हैं और वर्ष के दौरान 11.89 लाख नए किसानों को कृषि ऋण प्रदान किए गए।

एसबीआई-बीसी केंद्र, रायपुर (मध्य प्रदेश)

❖ **नए उत्पादों की शुरूआत:**

• संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10% की वृद्धि के साथ 5 वर्षों के लिए निर्धारित की जाने वाली अल्पकालीन ऋण सीमा, जो फसल कटाई के बाद दी जाती है, घरेलू/उपभोग आवश्यकता के लिए ऋण, कृषि आस्तियों का रखरखाव, फसल बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस), आस्ति बीमा और निवेश ऋण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, ऋण खाते का परिचालन स्टेट बैंक किसान कार्डों का प्रयोग करके बहुविध आपूर्ति चैनलों (बिक्री केन्द्रों और एटीएमों) के माध्यम से किया जाता है।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को "सर्वोत्कृष्टता प्रशस्ति पत्र" डॉ. वी. ईश्वरन (जीएम, एबीयू) बैंक की ओर से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

• पात्रता, मार्जिन, प्रतिभूति मानदंडों में रियायत देने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों और अदायगी के लिए ईएमआई की सुविधा के साथ नई ट्रेक्टर ऋण योजना का कार्यान्वयन किया गया जिससे उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

• कृषि व्यवसाय संवृद्धि को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए।

तिमाही आधार प्रतियोगिताओं के साथ कृषि स्वर्ण ऋणों के लिए स्वर्ण धारा अभियान जारी रखे गए और ₹14,345 करोड़ का व्यवसाय उत्पन्न किया गया।

बाजार अंश को फिर से प्राप्त करने के लिए दिनांक 1 सितंबर 2012 से ट्रेक्टर कार्निवाल योजना की शुरुआत की गई और ₹328 करोड़ (8083 ट्रेक्टर ऋण) की व्यवसाय संवृद्धि हासिल की गई।

• **संवृद्धि बढ़ाने वाले घटक**:

• कारपोरेट और भागीदारी गठजोड़ :व्यवसाय बढाने के लिएबैंक ने 14 नए कारपोरेट गठबंधन किए हैं – जैसे पैप्सीको (केसीसी), रेलीज इंडिया (केसीसी), आईटीसीलि (केसीसी) एवं नेशनल बल्क हैंडलिंग कारपोरेशन (वेयरहाउसिंग रिसीट फाइनैंसिंग)।

• विशेष ब्याज रियायतें : बागवानी, लघु सिंचाई, बीज बुआई, वेयरहाउसिंग, ग्रामीण गोदाम, मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गीपालन, कृषि निविष्टियों के डीलरों, कृषि यंत्रीकरण आदि जैसी उच्च राशि वाले कृषि कार्यकलापों में ऋण संवृद्धि बढ़ाने के लिए 1.5% से 3.5% तक विशेष ब्याज दरें रियायते दी गई है।

• कृषि व्यवसाय की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ₹1 लाख तक के सभी कृषि ऋणों के लिए और वसूली गठजोड़ व्यवस्था वाले ₹3.00 लाख वाले ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति मानदंडों में छूट दी गई है।

• **किसानों को सहयोग**:

• "बॉन्डिंग विद फारमर" योजना को "एसबीआई का अपना गाँव योजना" के अंतर्गत शामिल 209 गाँवों तक बढ़ाया गया है तथा कृषि समुदाय के साथ संबंधों को पोषित करने के लिए 373 किसान क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया है। इसे मिलाकर 10,648 ऐसे किसान क्लबों की संख्या 10,648 तक हो गई है।

❖ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

तालिका 9: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विहंगावलोकन

वितरण	स्तर	
	31.03.2012	31.03.2013
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सं.	18	15
शामिल राज्य	16	15
शामिल जिले	129	138
शाखाएँ	3180	3380
जमा राशियाँ (₹ करोड़ में)	29491	33379
अग्रिम (₹ करोड़ में)	17833	20681
सी डी अनुपात	60.47	61.95
कर पश्चात् लाभ (₹ करोड़ में)	320	386

31.03.2013 को, भारतीय स्टेट बैंक के पास 15 प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो 15 राज्यों के 138 जिलों में परिचालन कर रही है और इनकी 3380 शाखाओं का एक नेटवर्क है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात शारदा ग्रामीण बैंक, रिवासिद्धी ग्रामीण बैंक, नैनीताल अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ऋषिकुल्य ग्रामीण बैंक, जो अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं, का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विलय कर दिया गया है तथा इस बैंक द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अर्थात पर्वतीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विलय कर दिया गया है। बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर परिचालन कर रही हैं और एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम संबद्ध केसीसी जैसी इलेक्ट्रानिक बैंकिंग सेवाओं में बेहतर प्रौद्योगिकी को काम में ले रहे हैं। वित्तीय समावेशन के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपना आकार और व्यवसाय की मात्रा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

❖ ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

तालिका 10: आरएसईटीआई का निष्पादन (₹ करोड़ में)

वितरण	31.03.2012	31.03.2013
आरसेटी की संख्या	106	111
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में	19	24
प्रशिक्षित व्यक्ति	1,11,049	1,43,190
रोजगार प्राप्त व्यक्ति	45,285	56,630

आरएसईटीआई संस्थान नि:शुल्क, श्रेष्ठ और व्यापक अल्पकालीन आवासीय स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित करता है जिनमें भोजन एवं आवास की व्यवस्था नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाती है और ये कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए तैयार किए गए हैं। 31.03.2013 को बैंक ने पूरे देश में 111 आरएसईटीआई संस्थान स्थापित किए हैं।एसबीआई-आरएसईटीआई संस्थान ने कुल-मिलाकर 5371 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं, 1,43,190 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है और 56,630 प्रशिक्षुओं को स्व-रोजगार/वेतन नियोजन के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया है।

हमारी "साइबर ट्रेजरी" पहल के तहत पटना में वाणिज्यिक वाहनों के ऑनलाइन कर - भुगतान की शुरुआत

❖ अन्य उल्लेखनीय तथ्य

• अल्पसंख्यकों के कल्याण और सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों (पीएसएल) के 15% के सामने बैंक ने 31.03.2013 को कुल पीएसएल के 16.77% का स्तर हासिल कर लिया है।

• भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने 31.03.2013 तक 169 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख उद्देश्यवित्तीय जागरूकता का विकास करना, बचत का महत्व बताना और बैंक के साथ बचत करने के लाभ बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाएं औरबैंकों से ऋण लेने के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

• 31.03.2013 को बैंक ने कमजोर वर्गों के लिए ₹77,019 करोड़ की राशि के अग्रिम प्रदान किए हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 10% के निर्दिष्ट लक्ष्य के सामने एएनबीसी का 10.14% है।

• बैंक ने अल्प-संख्यक समुदाय जिलों (एमसीडी) में कम बैंकिंग सुविधा/बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में 172 नई शाखाएं खोली है जिससे 31.03.2013 को ऐसी शाखाओं की कुल संख्या 3,438 तक हो गई है।

घ. 2 वैयक्तिक बैंकिंग व्यवसाय इकाई

तालिका 11 : पीबीबीयू का देशीय व्यवसाय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2012	31.03.2013	वाईटीडी संवृद्धि (%)
जमा-राशियां	5,99,313	6,94,033	15.80
अग्रिम (खुदरा इसमें आवास ऋण राशि शामिल नही है)	79,688	90,227	13.23
कासा	2,82,047	3,29,699	16.89

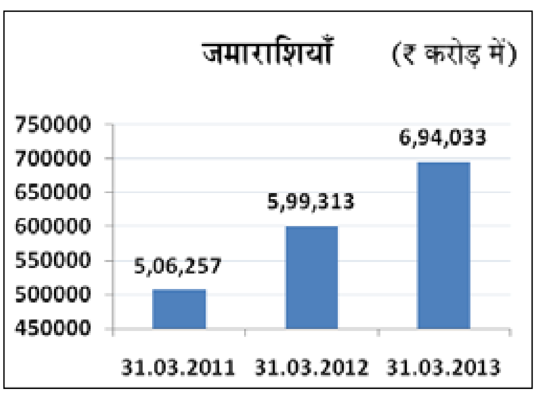

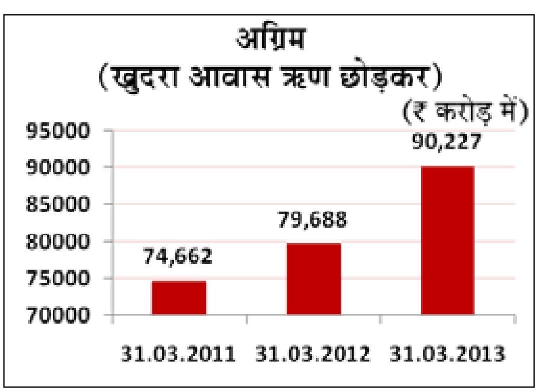

31 मार्च 2013 को देशीय जमा-राशियां ₹94,720 करोड़ तक बढ़ी और इनमें 15.8% की संवृद्धिहुई है तथा अग्रिमों में ₹10,214 करोड़ की वृद्धि हुई और इनमें 13.23% की संवृद्धि हुई है। 31.03.2013 को कासा जमा में 16.89% की वृद्धि हुई है और कासा अनुपात 47.5% हो गया है।

तालिका 12 : बचत बैंक खातों में संवृद्धि

	31.03.2012	31.03.2013
नए बचत बैंक ग्राहकों की संख्या	227 लाख	286.60 लाख
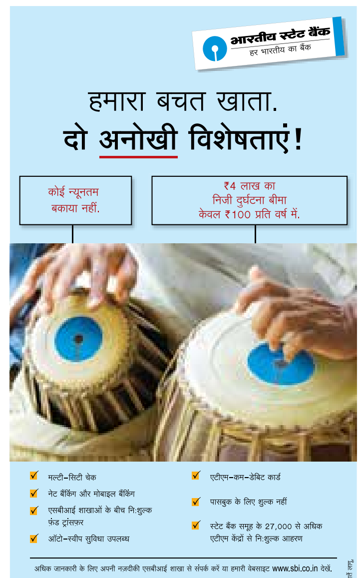
अन्य उल्लेखनीय तथ्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

• सभी शाखाओं में वेस्टर्न युनियन मनी ट्रांसफर लेनदेन की सुविधा प्रस्तावित की जा रही है और 31 मार्च2013 तक इसने अन्य आय में ₹8.11 करोड़ का योगदान दिया। वर्ष के दौरान बैंक ने मनी ग्राम लेनदेन भी शुरू किए हैं।

• भारत सरकार की एक पहल नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत व्यवसाय करने के लिए हमारे बैंक को पॉइंट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) के रूप में नामित किया गया है और सभी मंडलों में हमारी 3,879 शाखाओं को नई पेंशन योजना के अंतर्गत व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत किया गया है। हमारे बैंक ने एक नया कारपोरेट मॉडल भी विकसित किया है और इसमें 8 कारपोरेटों को पंजीकृत किया है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल है। एनपीएसलाईट जो कि एनपीएस का ही एक स्वरूप है के अंतर्गत पंजीकरणों कोबढ़ावा करने के लिए बैंक को एक संग्राहक के रूप में भी पंजीकृत किया गया है।

• सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार हमारा बैंक एएसबीए (ब्लॉक राशि द्वारा समर्थित आवेदन) के लिए स्व-प्रमाणित संघीय सहायता समूह का सदस्य है जो देश में हमारी सभी शाखाओं के माध्यम से प्रस्तावित की जा रही है।

• दृष्टिबाधित व्यक्तियों हेतु एसबीआई ने ध्वनी मार्गदर्शित व्यवहार करने हेतु, देश भर में 3000 एटीएम लगाए गए हैं। ये एटीएम सभी बैंकों के दृष्टिबाधित ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं।

❖ अनिवासी भारतीय सेवाएं :

• वर्ष 2012-13 के दौरान एनआरआई जमा-राशियों में ₹13,922 करोड़ (22%)की वृद्धि हुई है और 31.03.2013 को ₹77,185 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान एनआरआई अग्रिमों में ₹442 करोड़ (25%)की वृद्धि हुई है तथा 31.03.2013 को ये ₹2240 करोड़ के स्तर पर पहुंच गए। वर्ष के दौरान एसबीआई एमएफ और एसबीआई लाइफ की योजनाओं में अनिवासी भारतीयों ने लगभग ₹696 करोड़ का निवेश किया है।

• एसबीआई प्रवासी भारतीय दिवस का प्रमुख प्रायोजक है जो विदेशो में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया और वर्ष के दौरान इसे 7 से 9 जनवरी 2013 तक कोच्चि (केरल) में आयोजित किया गया ।

• पसंदीदा एनआरआई बैंक का दर्जा हासिल करने के लिए, चालू वित्त वर्ष के दौरान हमने भारत में 16 नई एनआरआई शाखाओं की शुरुआत की है जिसके बाद हमारी एनआरआई शाखाओं की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। एनआरआई ग्राहकों की सेवा करने के लिए इन शाखाओं में उत्कृष्ट परिवेश के साथ-साथ समर्पित अधिकारी दल भी रखे गए हैं।

• भारतीय स्टेट बैंक ने सितंबर 2012 से चार अतिरिक्त मुद्राओं (करेंसियों), अर्थात स्वीसफ्रेंक (सीएचएफ), न्यूजीलैंडडॉलर (एनजेडडी), स्वेडिशक्रोना (एसईके) और डेनिशक्रोने (डीकेके) में एफसीएनआर (बी) जमा-राशियां प्राप्त करना शुरू कर दिया है।

तालिका 13 : कारपोरेट एवं संस्थात्मक गठजोड़ :

विवरण	31.03.2012	31.03.2013	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान संवृद्धि	
			सम्पूर्ण	%
रक्षा वेतन पेकेजऔर अर्ध-सैनिक वेतन पेकेज खाते	19,21,107	22,27,930	3,06,823	15.97
अन्य वेतन पेकेज खाते	42,54,397	48,51,168	5,96,771	14.03
कुल वेतन पेकेज खातों की संख्या	61,75,504	70,79,098	9,03,594	14.63
कासा (रुपए करोड़ में)	16,221	21,262	5,041	31.08

इन विभिन्न वेतन पेकेजों के परिणामस्वरूप हमारा कुल वेतन खाता ग्राहक आधार 70.79 लाख हो गया है, अर्थात 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान 9.03 लाख नए खातों की संवृद्धि। इसी अवधि के दौरान इन खातों में कासा खातों की राशियां ₹16,221 करोड़ से बढ़कर ₹21,262 करोड़ हो गई है। ₹5,041 करोड़ की वृद्धिशील कासा बैंक की वृद्धिशील वैयक्तिक बैंकिंग कासा का 11.58% है।

❖ **ऑटो ऋण**

एसबीआई ऑटो ऋण ने वर्ष के दौरान कार ऋण वित्तपोषण के खुदरा बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा। यात्री कार बाजार में लगभग मंद संवृद्धि के बावजूद भी वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के ऑटो ऋण संविभाग में 35.48% की वृद्धि हुई । मार्च 2013 को एएससीबी के बीच बैंक 22.25% के बाजार अंश के साथ ऑटो ऋण में एक स्पष्ट बाजार प्रमुख के रूप में उभर कर सामने आया है।

इस समय बैंक कार के "ऑन रोड़ मूल्य", सर्वाधिक 7 वर्षों की अदायगी अवधि, समय-पूर्व भुगतान करने पर कोई जुर्मानानहीं, कोई अग्रिम ईएमआई नहीं और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर कार ऋण प्रस्तावित कर रहा है। ऋण प्रदान करती है। वर्ष के दौरान कार और टू-व्हीलर दोनों का एक साथ वित्तीयन करने के लिए (संयुक्त सीमा तक) बैंक ने एक नया उत्पाद "एसबीआई कॉम्बो लोन स्कीम" प्रारंभ की है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान एसबीआई ने प्रमुख कार निर्माताओं, जैसे मारुति, ह्युंडाई, टाटा मोटर्स, फॉर्ड,महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, टॉयटा एवंमर्सिडीज के साथ संयुक्त संवर्धनात्मक कार्यकलाप शुरू किए हैं।

❖ **शिक्षा ऋण**

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान एसबीआई शिक्षा ऋण में 9.43% की वृद्धि हुई। मार्च 2013 को एसबीआई के पास कुल ₹13,751 करोड़ की वित्तीय संबद्धता है।

मार्च 2013 को एएससीबी के बीच 24.9% के बाजार अंश के साथ एसबीआई शिक्षा ऋण में बाजार प्रमुख है।

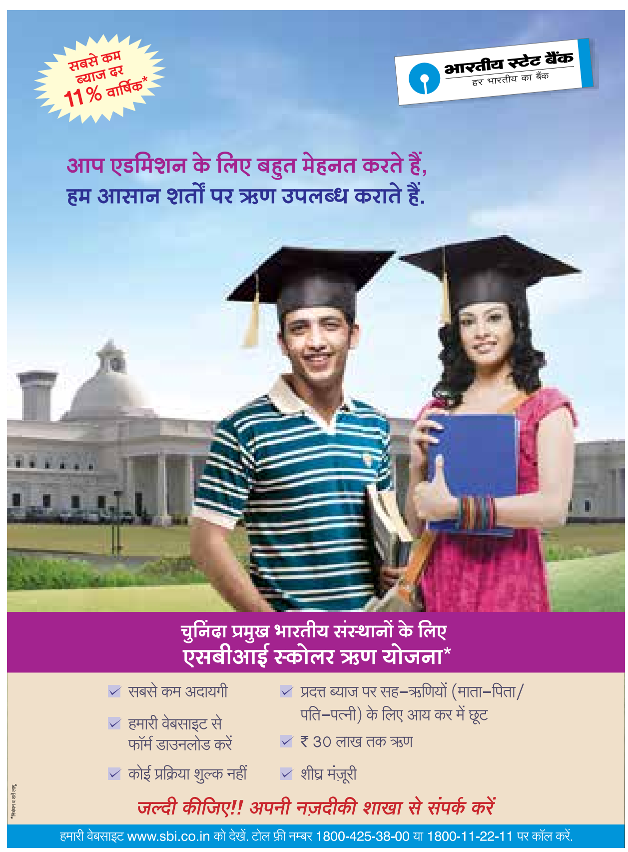

एसबीआई शिक्षा ऋणों में बाजार का प्रमुख खिलाड़ी - मार्च 2013 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 24.97% अंश।

जुलाई 2012 में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए एसबीआई ऋण योजना की शुरुआत की गई और इसके अंतर्गत ₹1 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं।

विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने वाले शिक्षा ऋणों को भी ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख तक कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिएएसबीआईस्कॉलर लोन स्कीम के अंतर्गत 114 संस्थाओं को शामिल किया गया है। इस योजना के अधीन अधिकतम ऋण राशि को भी बढ़ाकर ₹30 लाख तक कर दिया गया है।

❖ **वैयक्तिक ऋण**

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान वैयक्तिक ऋण संविभाग, जो कि वैयक्तिक बैंकिंग खंड में दूसरा सबसे बड़ा संविभाग है, में ₹2860 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण, संपत्तियों के आधार पर ऋण, स्वर्ण ऋण आदि शामिल होते हैं। इनमें से, एक्सप्रेस क्रेडिट और सावधि जमाओं के आधार पर ऋण जैसे दो प्रमुख उत्पाद हैं जिनमें वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान क्रमश: ₹1002 करोड़ और ₹1217 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसमें सबसे उल्लेखनीय संवृद्धि स्वर्ण ऋण संविभाग की रही है जो कि वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ₹480 करोड़ (96.94%) तक बढ़ा है। "जमाराशियों के आधार पर ऋण" योजना के अंतर्गत हमारे बाजार अंश को और अधिक बढ़ाने के लिए, हमने अपनी ब्याज दर कोसावधि जमा (टीडी) की ब्याज दर से 0.75% से अधिक के स्थान पर घटाकर 0.50% अधिक तक दिया है जो संपूर्ण इस उद्योग में सबसे कम है।

ऋण उत्पादों की सुपुर्दगी व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाती है। ऋण राशि, भौगोलिक फैलाव और उत्पाद केन्द्र के आधार पर पूरे देश में खुदरा आस्ति केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्र (आरएसीपीसी) खोले गए हैं जिससे सभी खुदरा ऋण प्रस्तावों की प्रक्रिया में एकरुपता बनी रहे। इससे ग्राहक को आसानी से आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी और ऋण उद्गम साफ्टवेयर (एलओएस) की सहायता से जो इस समय ऋण संबंधी जोखिमों की निगरानी करता है, भविष्य में ग्राहक अपने ऋण आवेदन स्थिति का ऑनलाइन पता लगा सकेंगे। 31.03.2013 को, 60 आरएसीपीसी 70 खुदरा आस्ति और लघु एवं मध्यम उद्यम शहरी ऋण केन्द्र (आएएसएमईसीसी) थे।

एनपीए कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये :

- सभी पी खंड ऋणों के उद्देश्य परख मुल्यांकन हेतु संख्यां सबंधी मॉडलों के आधार पर रिस्क स्कोरिंग मॉडेल विकसित कि गए हैं। हाल ही में ऑटो लोन स्कोरिंग कड़ा किया गया है और व्यक्तियों की निवल आय पर और अधिक बल दिया जा रहा है। (उदाहरण के लिए ऑटो लोन हेतु न्युनतम आय माप दंड ₹1लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख वार्षिक कर दिया गया है)
- लोन ऑरिजिनेशन सॉफ्टवेयर (एलओएस) का प्रयोग (आयएसीपी में 100% उपयोग) और इसे रिस्क स्कोरिंग मॉडेल और सिबिल से जोड़ा गया है जिससे अनेक प्रक्रिया संबंधी जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकेगा।
- शिक्षा ऋणों में एनपीए बढ़ने को देखते हुए छात्रों और सहऋणियों/ गारंटीकर्ता का पॅन कार्ड सभी शिक्षा ऋणों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। वर्तमान शिक्षा ऋणों के लिए पॅन कार्ड नंबर लेने की एक बारगी प्रक्रिया की योजना बनाई गई है। सभी परिचालन इकाइयों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे ऋणोंयों, सहऋणियों और गारंटीकर्ता को शिक्षा ऋणों में चूक के मामलों मे नोटिस भेजे।
- सरफेसी के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई करना, योग्य मामलों में कारें भी जब्त करना।
- उन कंपनियों के कर्मचारियों को कोई और ऋण (शिक्षा ऋणों को छोड़कर) मंजूर न करने के अनुवेश दिए गए हैं जिन कंपनियों खाते एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गये है.

घ.3 स्थावर संपदा, निवास एवं आवास विकास (आईआरएचएण्डएचडी) :

भारतीय स्टेट बैंक लगातार बैंकिंग क्षेत्र में 'सबसे पसंदीदा आवास ऋण प्रदाता' बना हुआ है जिसका आवास ऋण संविभाग बैंकिंग क्षेत्र में सबसे विशाल है। इसकी संपूर्ण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अनुमानित हिस्सेदारी 26% है।

तालिका 14 : आवास ऋणों में निष्पादन (₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च, 2012	मार्च, 2013
स्तर	1,02,739	1,19,467
वायटीडी वृद्धि	12,826	16,728
वायटीडी वृद्धि (%)	14.41	16.30

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अपने आवास ऋण संविभाग को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नानुसार हैं :-

• एनआरआई आवास ऋण योजना के अंतर्गत 'अधिकत मचुकौती अवधि' को 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है ताकि इसे घरेलू आवास ऋण योजना के अधीन 'अधिकतम चुकौती अवधि' के स्तर पर लाया जा सके तथा इस प्रकार से इसे अधिक सरल बनाया जा सके।

• आवास इंटिरियर/फर्निशिंग के अधिकतम वित्तीयन स्तर को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। इस मद को परियोजना लागत के 10% तक सीमित किया गया है एवं ऋण की अधिकतम राशि मूल्य पर ऋण (लोन टू वेल्यू) निर्धारित अनुपात के अधीन रहेगी।

• आधार दर पर स्प्रेड को कम करके आवास ऋण ब्याज दरों को 7 अगस्त 2012 से कम किया गया है। आगे पुन: आधार दरों में कमी की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप हमारे आवास ऋणों पर अंतत: 4 फरवरी 2013 से प्रभावी ब्याज की दर 30 लाख तक के ऋणों के लिए 9.95% वार्षिक एवं 30 लाख से अधिक ऋणों के 10.10% वार्षिक आ गई है जिससे ये दरें बाजार में अत्यंतप्रतिस्पर्धी एवं सबसे कम हैं।

• वाणिज्यिक रियलईस्टेट (सीआरई) आवास ऋणों के अधीन ब्याज दरों पर 0.25% वार्षिक प्रीमियमसमाप्त कर दिया गया है जिससे कि इसे सामान्य आवास ऋणों पर लागू ब्याज दरों के स्तर पर ला दिया गया है।

• कम हुई ब्याज दरों का लाभ अपेक्षकृतउच्चब्याज दर वाले हमारे वर्तमान आवास ऋण के ग्राहकों को पहुंचाने की दृष्टि से उन्हें चालू कम ब्याज दरों पर आने का विकल्प उनकी बकायों पर 0.56%शुल्क के भुगतान पर दिया गया है जो कि 21 सितंबर 2012 से प्रभावी है।

• 1 सितंबर 2012 से एक विशेष आवास ऋण अधिग्रहण अभियान चलाया गया है जिसके अंतर्गत किसी भी ऋण राशि के आवास ऋण अधिग्रहणों पर प्रति खाता 1000/- रुपए का नियत प्रसंस्करणशुल्क लगाया गया है। इसके अलावा त्यौहारों के मौसम में नए आवास ऋण व्यवसाय को आकर्षित करने के लिए 31 दिसंबर 2012 तक विशेष आवास ऋण अभियान के अंतर्गत प्रभावी प्रसंस्करणशुल्क में 50% की रियायत दी गई है। इन दोनों अभियानों को 31 मार्च 2013 तक आगे बढ़ाया गया है। उपर्युक्त के कारण हमारे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में हमारे आवास ऋण उत्पादों का समग्र मूल्यन के क्षेत्र में हमें प्रतिस्पर्धी लाभ मिल रहा है।

• हमारे आवास ऋण ग्राहकों को एसबीआईलाइफइंश्योरेंसकं. लि. की ओर से ऋण रक्षा/स्मार्टशील्ड/सरल शील्ड के माध्यम से सावधि बीमा (ऋण सुरक्षा) कवर (वैकल्पिक) उपलब्धकराया जा रहा है। उक्तपॉ लिसियों के प्रीमियम के भुगतान के लिए भी बैंक अतिरिक्त ऋण प्रदान करता है जो कि आवास ऋणों के अधीन योजना पर लागू का ही विस्तार

घ.4 एसएमई व्यवसाय इसाई (एसएमईबीयू)

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान एसएमई व्यवसाय इकाई के अग्रिमों में वर्षानुवर्ष 12.45% की वृद्धि दर्ज की गई। एसएमई व्यवसाय इकाई के 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार अग्रिमों के आंकड़े निम्नानुसार हैं

तालिका 15 : एसएमई में व्यवसाय निष्पादन (₹करोड़ में)

विवरण	31.03.2012	31.03.2013	संवृद्धि (वृद्धि%)
अग्रिम	1,63,745	1,84,128	20,383 (12.45%)
खातों की संख्या (लाखों में)	12.84	12.97	0.13

❖ **रिलेशनशिप बैंकिंग :**

सिंगल विंडो प्रक्रिया के तहत बैंक एसएमई उद्यमियों को रिलेशनशिप बैंकिंग उपलब्ध करा रहा है। रिलेशनशिप मैनेजर (मध्यम उद्यम) की संख्या 31.03.2013 को बढ़ाकर 566 कर दी गई और उन्हें देश भर में मध्यम उद्यम इकाइयों की ₹1.00 करोड़ और अधिक की

ऋण सीमाओं की देखरेख का कार्य सौंपा गया है। रेलेशनशिप बैंकिंग के अंतर्गत अग्रिम पोर्टफोलियो 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार ₹1,03,619 करोड़ है। ₹10 लाख से ₹1.00 करोड़ के बीच की ऋण सीमाओं वाली इकाइयों के लिए रिलेशनशिप प्रबंधकों (लघु उद्यम) के सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए पदस्थ किया गया है।

❖ **एसएमई क्रेडिट सिटी सेंटर्स (एसएमईसीसीसी) :**

एसएमईसीसीसी की शुरुआत वर्ष 2004-05 के दौरान बीपीआर पहल के रूप में केंद्रीकृत ऋण प्रक्रिया केंद्रों के तौर पर ₹1 करोड़ की ऋण सीमा तक के एसएमई ऋणों की संस्वीकृति करने केलिए की गई थी। वर्तमान में देश भर में 78 एसएमईसीसी और 58 एसएमईसीसी कार्यरत हैं। देश में एसएमई क्षेत्र में बैंक की स्थिति को मजबूत करने के लिए एसएमईसीसी की संरचना और प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिष्ठित परामर्शदाता समूह के सहयोग से एक बड़ी प्रक्रिया शुरू की गई है। नई प्रक्रिया सितंबर 2013 से लागू हो जाएगी।

❖ विशेषीकृत एसएमई शाखाएँ:

एसएमई उद्यमियों को विशेषीकृत सेवाएँ प्रदान करने के लिए 400 शाखाओं को, जिनके पास अपने कारोबार के बड़े हिस्से के रूप में एसएमई अग्रिम हैं, "एसएमई शाखा" नाम दिया जा रहा है। इससे इन शाखाओं की एकसमान नाम से पहचान बनेगी और इन शाखाओं को एसएमई ऋण वितरण के उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

❖ सूक्ष्म और लघु उद्यमो को सीजीटीएमएसई के तहत ऋण प्रवाह:

बैंक सीजीटीएमएसई की गारंटी के तहत एमएसई क्षेत्र को ₹1.00 करोड़ तक संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध करा रहा है। इसके अतिरिक्त इन इकाइयों को राहत देने के लिए बैंक ने सीजीटीएमएसई को देय गारंटी प्रभार ग्रहण करने का निर्णय लिया है। सीजीटीएमएसई की गारंटी योजना के तहत बकाया निम्नानुसार है:

तालिका 16: सीजीटीएमएसई में निष्पादन (₹करोड़ में)

विवरण	31.03.2012 को	31.03.2013 को	संवृद्धि (% वृद्धि)
बकाया कुल (एस एम ई अग्रिम में %)	3,716 (2.27)	7,236 (3.92)	3,520 (94.7)
ग्राहकों की सं. (लाख में)	1.13	1.72	0.59 (52.2)

❖ प्रोजेक्ट अपटेक:

बैंक एसएमई कलस्टरों को सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है ताकि इन एसमई कलस्टरों मे प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा इनकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि एवं लागत में कमी लाकर इन कलस्टरों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके । शुरूआत के बाद 28 कलस्टरों में अब तक 1600 इकाइयाँ लाभान्वित हुई है। वर्तमान में तीन परियोजनाएं इसके अंतर्गत कार्यरत हैं - स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेब्रिकेशन एवं बॉयलर काम्पोनेन्ट (त्रिची) फेब्रिकेशन इंजीनियरिंग (जमशेदपुर एवं नागपुर।

❖ उद्धमिता विकास कार्यक्रम:

उद्धमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) को सतत आधार पर आयोजित करने के लिए बैंक ने राष्ट्रीय स्तर पर ईडीपी संस्थानों के सहयोग से एक योजना तैयार की है। शरूआत के तौर पर वर्ष के दौरान चार केन्द्रों को आईडीपी के आयोजन के लिए चुना गया है यथा अहमदाबाद (ईडीआई के सहयोग से), हैदराबाद (एनआई-एमएसएमई), नई दिल्ली (एनआईईएसबीयूडी के सहयोग से) एवं भुवनेश्वर (एसबीआई-आरएसईटीआई झारसगुडा के सहयोग से)। ईडीपी के लिए मुख्य रूप से इंजीनियरिंग /प्रबंधन कालेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों एवं शिक्षित युवकों को ही लक्ष्य समूह बनाया जाता है। इसमे कुल 120 सहभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान सभी मंडलों में ईडीपी कार्यक्रमों को लगातार आधार पर आयोजित करने का प्रस्ताव है।

सप्लाई चेन वित्तपोषण

अपनी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एसबीआई कारपोरेट जगत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके लिए उनके सप्लाई चेन भागीदारों को वित्पोषण कर रहा है। इस दिशा में एसबीआई ने निम्नलिखित विशेषताओं वाले चैनल फाइनैंसिंग उत्पाद शुरू किए हैं :

- वेब आधारित प्लेटफार्म को एक कारपोरेट उद्यम संसाधन आयोजना साफ्टवेयर से पूर्णतया जोड़ दिया है
- पैसे का साथ साथ ऑनलाइन अंतरण
- निधियों का स्वचालित समाधान
- आवश्यकता अनुकूल एमआईएस
- केंद्रीकृत परेशानी मुक्त प्रक्रिया

चैनल वित्तपोषण के अंतर्गत पेश किए गए सभी उत्पाद कार्यशील पूंजी चक्र का कारगर प्रबंधन और निरंतर वृद्धि तथा व्यवसाय भागिदारों की लाभ प्रदता सुनिश्चित करने को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। समस्त सप्लाई चैन का इस योजना के अंतर्गत ध्यान रखा गया है जो पूर्णतया स्वचालित, सुरक्षित और सुदृढ़ है चैनल वित्त पोषण के तहत पेश किए गए उत्पाद हैं - इलेक्ट्रानिक डीलर फायनेंसिंग स्कीम (ईडीएफएस) और इलेक्ट्रानिक वेंडर फायनेंस स्कीम (ईवीएफएस)। सप्लाई वित्तपोषण के अंतर्गत बैंक ने 65 बड़े उद्योगों के साथ गठ जोड़ किया है। इन उद्योगों में ऑटो, ऑयल, स्टील, पॉवर, फर्टीलायझर, एफएमसीजी और टेक्सटाईल जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल है.

तालिका 17: सप्लाई चेन वित्तपोषण में निष्पादन

(₹करोड़ में)

विवरण	31.03.2012 को	31.03.2013 को	संवृद्धि (% वृद्धि)
बकाया	2,190	4,781	2,591 (118.3)
ग्राहकों की संख्या	813	1766	953 (117.2)

नकदी जमा प्रबंधन:

किसी भी समय ग्राहको को उनके चाले खातों /सीसी खातों/ बचत खातों में नकदी जमा करने के लिए कैश डिपॉजिट मशीनों की शुरूआत का कदम काफी सफल रहा है। मार्च 2013 को बैंक ने 700 ऐसी मशीनों की स्थापना की है। इंस्टा जमा कार्ड की मदद से व्यापारी ,सेवा प्रदायकर्ता जैसे एसएमई ग्राहक अब बिना लाइन में खड़े हुए भी त्वरित आधार पर नकदी का प्रेषण कर पा रहे हैं। अधिकांश मशीनों को 24x7 उपयोग में लाया जा सकता है। 31 मार्च 2013 को बैंक ने एसएमई ग्राहकों को 1,66,477 कार्ड जारी किए हैं जो कि इन सुविधाओं की बढ़ती लोकप्रियता एवं स्वीकार्यता का द्योतक है। गाहकों के घर जाकर उनके खातों में जमा करने के लिए नकदी संग्रहण की योजना 31 मार्च 2103 को 484 एसएमई ग्राहको को प्रदान की जा रही है जबकि 31 मार्च 2012 को यह केवल 88 ग्राहकों को प्रदान की जा रही थी। इस सुविधा के अंतर्गत वर्ष 2013 मे 2,246.75 करोड़ रु की सकल उगाही ग्राहकों के लिए की गई है जबकि 2012 के 153.20 करोड़ रु की उगाही ग्राहकों के लिए की गई थी।

तालिका 18: नकदी संग्रहण सुविधा (₹करोड़ में)

विवरण	31.03.2012 को	31.03.2013 को	संवृद्धि (% वृद्धि)
सुविधा प्राप्त करने वाले ग्राहकों की संख्या	88	484	396 (450)
नगदी संग्रहण राशि	153.20	2,246.75	2,093.55 (1348)

घ.5 : सरकारी बैंकिंग इकाई

तालिका 19: सरकारी व्यवसाय में निष्पादन

वर्ष	टर्नओवर (रुपए करोड़ में)	कमीशन (रुपए करोड़ में)	बाजार अंश (%)
2011-12	2536900	2008.23	58.50
2012-13	2862053	1778.20	58.12

• यद्यपि बैंक ने सरकारी व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा है परन्तु एजेन्सी कमीशन में थोड़ी सी कमी आई है जो कि 1 जुलाई 2012 से भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा दरों में कमी किए जाने के कारण है। एजेन्सी कमीशन के प्रतिकूल प्रभाव को सरकारी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए उपयुक्त विभिन्न उत्पादों के विपणन के द्वारा कुछ कम किया गया है।

• बैंक ने कुछ अन्य राज्य सरकारों और करों को सायबर ट्रेजरी की परिधि में लाया है तथा लोक भविष्य निधि खाते और पेंशन खाते खोलने के कार्य पर विशेष बल दिया गया है।

• केन्द्र और राज्य सरकारों के ई-गर्वनेंस परियोजनाओं को ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने एवं प्रक्रियाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। ये परियोजनाएं सरकारी व्यवसाय के संचालन के कार्य में आमूल-चूल परिवर्तन कर रही हैं।

• नई पेंशन योजना 2.83 लाख नए खाते खोले गए हैं जिसके परिणामस्वरूप इन पेंशन खातों की संख्या 34.74 लाख हो गई है जिनका रखरखाव हम देश भर में स्थित 14 केन्द्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण प्रकोष्टों के माध्यम से सफलतापूर्वक कर रहे हैं। पेंशन संबंधित विवरण पेंशनरों को एसएमएस के माध्यम से उनके मोबाइल पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा, पेंशनर चाहें तो अपनी शिकायतें ऑनलाइन, हमारी वेबसाइट पर भेज सकते हैं या फिर हमारे संपर्क केन्द्र से फोन पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। देश भर में आयोजित विभिन्न पेंशनर मीट के अलावा भोपाल में "ई- बात" कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से पेंशनरों को इंटरनेट बैंकिंग एवं ग्राहकों के द्वारा आसानी से उपयोग में लाए जा सकने वाले उत्पादों को सीखने एवं उनके लाभों को जानने में सहायता मिली है।

• हमारा बैंक विभिन्न विभागों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों की ओर से निर्बाध रूप से शुल्क के संग्रहण के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। इन प्रयासों के कारण एजेन्सी कमीशन दरों में हुए संशोधन के कारण हुए प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में हमें आने वाले वर्षों में सहायता होगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस उत्पाद से हमें ₹41 करोड़ की आय हुई है।

• हमारा बैंक केन्द्र सरकार के मिशन "साक्षर भारत" में सक्रियता से सहभाग कर रहे हैं तथा इसके अंतर्गत हमने 1,23,343 खाते खोले हैं जो देश भर में 22 राज्यों की ग्राम पंचायतों को निधियों के वितरण का कार्य कर रहे हैं। बैंक ने लाल किला, नई दिल्ली एवं लखनऊ (उत्तर प्रदेश की राजधानी) में "साक्षर भारत" के आयोजनों को भी प्रायोजित किया है।

• भारतीय स्टेट बैंक विदेश मंत्रालय के लिए एक मात्र बैंकर है जो देश भर में पासपोर्ट सेवा केन्द्रों से पासपोर्ट शुल्क के संग्रहण का कार्य कर रहा है।

• हमारा बैंक केन्द्र सरकार की ई-भुगतान गेटवे (जीईपीजी) जैसी केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं के साथ जुड़कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। जीईपीजी पोर्टल के साथ एकीकृत होने से बैंक देश भर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/वेन्डरों को इलेक्ट्रिक भुगतान करने में सक्षम हो गया है।

• "रेल शक्ति", "ई-ऑक्शन" एवं "इंप्रेस्ट काड" जैसे उत्पादों का रेल प्राधिकारियों से अच्छा प्रतिसाद मिला है तथा वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान इस दिशा में और गति आने की संभावना है।

• हमारे बैंक को आरटीआई शुल्क के ऑनलाइन संग्रहण के लिए प्राधिकृत किया गया है जो कि एजेन्सी कमीशन के रूप मे पर्याप्त आय प्राप्त करने में सहायता करेगा।

भारतीय स्टेट बैंक 58% बाजार अंश के साथ सरकारी व्यवसाय में बाजार प्रमुख है।

ड. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह

विदेश स्थित कार्यालयों का परिचालन

विदेशी शाखाओ की आस्तियों के स्तर में मार्च 12 के 35.826 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में मार्च 13 में यह स्तर 42.246 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है जो कि 18% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 13 के दौरान हमारा निवल ग्राहक ऋण 17% बढ़ा है जो कि 26.681 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 31.148 बिलियन यूएस डॉलर पर आ गया है। इसका निवल लाभ 7% बढ़कर 435.64 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है।

तालिका 20: विदेशी कार्यालयों में व्यवसाय निष्पादन

(मि. अमरीकी डालर में)

	मार्च-12	मार्च-13	वाई ओ वाई वृद्धि	वाई ओ वाई वृद्धि %
निवल आस्ति	35826.46	42146.10	6319.65	17.64
निवल ग्राहक ऋण	26681.23	31148.53	4467.31	16.74
निवल लाभ	395.63	435.62	39.99	10.11

विदेशों में विस्तार

रिटेल शाखा, बहरीन

31मार्च 2012 के 173 की तुलना में हमारे विदेश स्थित कार्यालयों की संख्या 31 मार्च 13 को बढ़कर 186 हो गई है जो कि 34 देशों में फेले हुए हैं। इन कार्यालयों में 52 शाखाएं, 7 प्रतिनिधि कार्यालय एवं, छह विदेशी बैंकिंग अनुषंगियों के 107 कार्यालय एवं 20 अन्य कार्यालय शामिल हैं।

तालिका 21: विदेशी कार्यालयों का ब्योरा

	वि.व. -12	वर्ष के दौरान खोले गए नए कार्यालय	वि.व. -13
शाखा/एसओ/अन्य कार्यालय	58	10	68
अनुषंगी/संयुक्त उद्यम (6)			
कार्यालय	103	4	107
प्रतिनिधी कार्यालय*	8	-1	7
सहयोगी/प्रबंधित/ एक्सचेंज कं./निवेश	4	0	4
योग	173	13	186

*तियांजिन प्रतिनिधी कार्यालय को पूर्ण कार्यरत शाखा में उन्नत किया गया

संसाधन प्रबंधन

अस्थिर बाजार स्थितियों के बाद भी बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों ने तरलता का संतोषजनक स्तर को बनाए रखा है। अप्रैल 2012 में बैंक ने 6 माह की अवधि के लिए रिवर्स एन्कॉइरी के माध्यम से 50 मिलियन यूएस डॉलर की उगाही की थी । जुलाई 2012 में बैंक ने 1.25 बिलियन यूएस डॉलर के बांड निर्गमन को सफलता पूर्वक मूल्यन किया था जो कि 1 अगस्त 2017 को परिपक्व होने वालाींु ए/144ें लेनदेन है। इस राजकोषीय वर्ष के दौरान 540 मिलियन यूएस डॉलर के विभिन्न द्विपक्षीय ऋणों की उगाही की गई है।

धन प्रेषण

वित्त वर्ष 12 के 61,457 करोड ₹ की तुलना में वित्त वर्ष 13 के दौरान आवक धन प्रेषण 69,812 करोड़ हो गया है जो कि 14% अधिक है। बैंक का 27 विनिमय कंपनियों एवं मध्य पूर्व में पाँच बैंकों के साथ गठबंधन व्यवस्था है जो एसबीआई के माध्यम से धन प्रेषणों को भेजने का कार्य करते हैं। वर्ष के दौरान " एसबीआई एक्सप्रेस रेमिट - कानाडा" नाम से एक नया धन प्रेषण उत्पाद प्रारंभ किया गया है जो कि केवल कनाडियन डॉलरों के धन प्रेषण के लिए है। एसबीआई के इंटरनेट ग्राहकों के लिए 'Remxout' नाम से एक बाहरी धन प्रेषण उत्पाद जारी किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक-अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह

186 कार्यालयों का अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क
34 देशों में शाखाएं

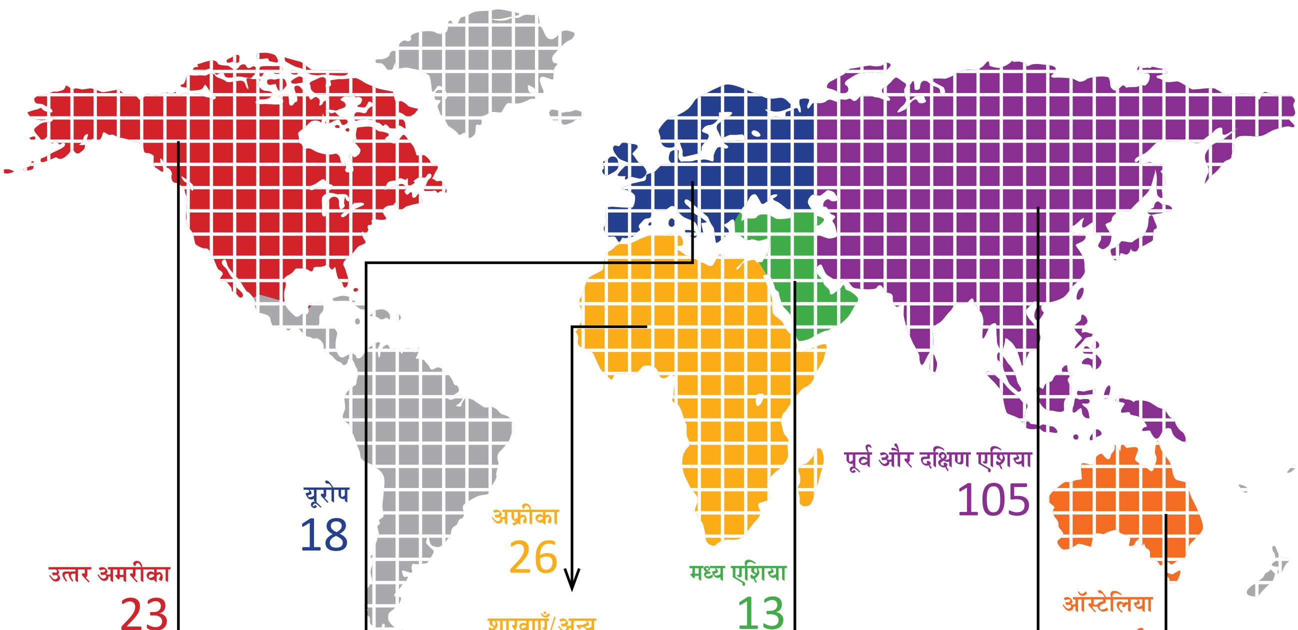

उत्तर अमरीका

शाखाएँ/अन्य कार्यालय
बहामास (1)
यूएसए (4)

अनुषंगियाँ
कैलिफोर्निया (10)
कनाडा (7)

प्रतिनिधि कार्यालय
वाशिंगटन

यूरोप

शाखाएँ/अन्य कार्यालय
बेल्जियम (1)
फ्रांस (1)
जर्मनी (2)
यूके (11)

अनुषंगी
रूस (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
इटली
टर्की

अफ्रीका

शाखाएँ/अन्य कार्यालय
दक्षिण अफ्रीका (8)

अनुषंगी/सं.उ.
मारिशस (15)
नाइजीरिया (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
अंगोला
मिस्र

मध्य एशिया

शाखाएँ/अन्य कार्यालय/आरएचओ
बहरीन (4)
इजरायल (1)
ओमान (1)
कतर (1)
साउदी अरेबिया (1)
यूएई (2)

प्रतिनिधि कार्यालय
इरान

प्रबंध अधीन एक्सचेंज सीओज़
ओमान
कतर

पूर्व और दक्षिण एशिया

शाखाएँ/अन्य कार्यालय
बांग्लादेश (8)
चीन (2)
हांगकांग (2)
जापान (2)
मालदीव (3)
श्रीलंका (5)
सिंगापुर (7)

अनुषंगी/सं.उ.
इंडोनेशिया (14)
नेपाल (60)
भूटान (1)

प्रतिनिधी कार्यालय
फिलीपाइन्स

ऑस्टेलिया

शाखाएँ/अन्य कार्यालय
ऑस्ट्रेलिया (1)

ङ 2 देशीय परिचालन

मर्चेन्ट बैंकिंग

बैंक ने एशिया प्रशांत में (जापान को छोड़कर एवे आस्ट्रेलिया को मिलाकर) समूह ऋणों के लिए मेन्डेटेड लिड अर्रेन्जर एंड बुक रर्नर की अपनी स्थिति को लगातार छह्रे वर्ष, वित्त वर्ष 13 में भी बनाए रखा है।

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय कारपोरेटों / उनकी विदेश स्थित अनुषंगियों के लिए कुल 17 उच्च राशि के समूह विदेशी मुद्रा ऋणों की व्यवस्था में सहभाग किया है जिसमे कुल 6.44 बिलियन यूएस डॉलर की कुल राशियाँ शामिल हैं तथा जिसमें इसका सहभाग 2.75 बिलियन यूएस डॉलर का है।

तालिका 22: सामूहिक ऋण सौदे

	सौदों की सं.	राशि (बि. अमरीकी डालर में)
वि.व -12	14	4.76
वि.व -13	17	6.29

उपर्युक्त के अलावा भारतीय कारपोरेटों को द्विपक्षीय आधार पर कुल 3.68 बिलियन यूएस डॉलर के विदेशी मद्रा सावधि ऋण प्रदान किए हैं। इसने अलावा द्वितीयक बाजार के माध्यम से 229.04 मिलियन यूएस डॉलर के कुल 10 ऋणों का अधिग्रहण भी किया है।

वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा सावधि ऋणों के सौदों से बैंक ने 89.88 मिलियन यूएस डॉलर की आय भी अर्जित की है।

ग्लॉबल लिंक सेवाएं (जीएलएस)

ग्लॉबल लिंक सेवाएं (जीएलएस) एक प्रकार की विशेषीकृत इकाई है जो निर्यात बिल उगाहियों , चेक उगाहियों एवं ऑन लाइन आवक ध न प्रेषण लेनदेनों के केन्द्रीकृत प्रसंस्करण की व्यवस्था करती है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान जीएलएस ने (अपनी देशीय शाखाओं की ओर से) 104,262 निर्यात बिलों एवं 74,566 विदेशी मुदा चेक उगाही का कार्य किया है जिनका कुल मूल्य 15.27 बिलियन यूएस डॉलर का है। इसके अलावा उसने 7,047,064 ऑनलाइन आवक धन प्रेषणों का संचालन किया है जिसका कुल मूल्य 6.45 बिलियन यूएस डॉलर है तथा इसमें विश्व की 39 मुद्राओं में लेनदेन हुआ है ।

संपर्की संबंध

बैंक ने विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए 429 प्रतिषठित अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ संपर्की बैंकिंग करार बनाए हैं। ये संपर्की बैंक 118 देशों मे स्थित हैं । बैंक के पास वित्तीय संदेशों का स्विफ्ट के माध्यम से शीघ्र धन प्रेषण करने के लए 1,765 रिलेशनशिप मैनेजमेंट अप्लीकेशन (आएमए) व्यवस्थाएं की हैं।

माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा द्वारा तियांजिन शाखा, चीन का उद्घाटन

देश जोखिम एवं बैंक ऋण जोखिम

बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप देश जोखिम प्रबंधन नीति लागू है। इस नीति के अंतर्गत देश, बैंक, उत्पाद एवं प्रतिपक्ष ऋण जोखिम सीमाओ के न्यूनीकरण के कारगर जोखिम प्रबंधन मॉडल निर्धारित किए गए हैं। देशवार एवं बैंकवार ऋण जोखिम सीमाओ की नियमित आधार पर निगरानी एवं समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिमों के स्वरूप में उतार चढ़ाव के अनुरूप ऋण जोखिम की उच्चतम सीमाओं एवं वर्गीकरणों को घटाया - बढ़ाया जाता है। बैंक के हितों की रक्षा के लिए आवधिक सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं।

I.3. कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय

उभरते व्यवसाय क्षेत्रों (जिसमें तकनीकी आधारित उत्पाद भी शामिल हैं) का विकास एवं जारी करने का कार्य उप प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में कार्यरत एक विशेषीकृत विभाग द्वारा किया जाता है । इन प्रमुख प्रयासों में हुई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

डेबिट कार्ड :

वित्त वर्ष 2012 -13 के दौरान स्टेट बैंक समूह के डेबिट कार्ड के माध्यम से खर्च 15,000 करोड़ रू का हुआ है जो कि संपूर्ण उद्योग स्तर पर डेबिट कार्ड व्यवसाय का 20% है। हमारा बैंक द्वारा विक्रय केन्द्रों / ई-कॉमर्स के लिए डेबिट कार्ड उपयोग के प्रोत्साहन के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है । 16 अक्तूबर 2012 से 15 नवम्बर 2012 के दौरान त्यौहार के मौसम में "क्रेकर ऑफ दी ऑफर" नाम से एक प्रोत्साहन अभियान चलाया था जिसमें बैंक ने अपनी अनुषंगी एसबीआई कार्ड के साथ बहुत से मर्चेन्ट बैंकरों के साथ गठबंधन किया था और स्टेट बैंक डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के उपयोगों के लिए उनकी दुकानों /वेबसाइटों पर आकर्षक ऑफर प्रदान किए थे। डेबिट कार्ड एक्टीवेशन मे वृद्धि केरने के लिए बैंक

ने अपने डेबिट कार्ड धारकों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन ऑफर चलाया है जो कि उद्योग जगत की विभिन्न वाणिज्यिक श्रेणियों के जानेमाने ब्रांडों एवं एसबीआई कार्ड के समन्वय से हुआ है।

31 मार्च 2013 को स्टेट बैंक समूह 136 मिलियन डेबिट कार्डों के साथ देश का सबसे बड़ा बैंक है जिसकी बाजार की हिस्सेदारी 40% है।

स्टेट बैंक 1 जुलाई 2012 के दिन अपने कारपोरेट ग्राहकों के लिए दो रूपान्तरणों में "प्राइड" एवं "प्रमियत" नाम से दो कार्ड जारी किए हैं। 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान 86000 बिजनेस कार्ड जारी किए गए है। यह उत्पाद शीघ्र ही सहयोगी बैंकों के सहयोग से जारी किया जा रहा है।

➢ **प्रीपेड कार्ड :**

इस श्रेणी में बैंक की कार्डों की श्रृंखला में कई लोकप्रिय प्रीपेड कार्ड शामिल हैं जैसे गिफ्ट कार्ड, सामान्य उद्देश्य प्रीपेड कार्ड जैसे ई-झेड कार्ड एवं विदेश यात्रा कार्ड जो कि ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

➢ **विदेश यात्रा कार्ड :**

विदेश यात्रा (फॉरेन ट्रेवल कार्ड) एक चिप आधारित ईएमवी अनुपालन कार्ड है जो कि आठ मुद्राओं में उपलब्ध है - यूएस डॉलर (यूएसडी), ग्रेट ब्रिटेन पाउन्ड (जीबीपी), यूरो, कनाडियन डॉलर (सीएडी), आस्ट्रेलियन डॉलर (एयूडी), जापानी येन (जेपीवाई), साऊदी रियाल (एसएआर) एवं सिंगापुरी डॉलर (एसजीडी), यह कार्ड विदेश यात्रियों को सुरक्षा एवं सुविधा प्रदान करता है। एसबीएफटीसी का कारपोरेट रुपान्तर भी जारी किया गया है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए विक्रय 66.92 मिलियन डॉलर के लगभग रहा है।

➢ **ई-जेड - पे कार्ड :**

ई-जेड कार्ड को (कारपोरेट निकायों को वेतन भुगतान के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए विक्रय 931.92 करोड़ रुपए का रहा है। भारतीय रेल एवं भारत में फेडरेशन ऑफ फ्रेट फारवर्डर्स असोसिएशन (एफएफएफएआई) के लिए सह-ब्रांड का प्रीपेड कार्ड वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान जारी किया गया है।

➢ **गिफ्ट कार्ड :**

अपने प्रियजनों को "चुनने की आजादी" देने वाला यह गिफ्ट कार्ड ग्राहकों का पसंदीदा कार्ड रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान इसके द्वारा 77.44 करोड़ भारतीय रुपए की बिक्रियाँ हुई हैं। स्टेट बैंक अचिवर कार्ड मार्च 2013 के दौरान जारी किया गया है जो कि एक कारपोरेट प्रोत्साहन कार्ड है जिसे कि बार-बार भरा जा सकता है तथा जो प्रोत्साहनों/पुरस्कारों के संवितरण के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए जारी किया जाता है।

➢ **ग्रीन चैनल काउन्टर (जीसीसी) :**

"ग्रीन चैनल काउन्टर" सुविधा 7052 शाखाओं में उपलब्ध कराई गई है। जीसीसी में औसतन प्रतिदिन 100,000 से अधिक लेनदेन संचालित किए जाते हैं।

➢ **स्वयं सहायता कियॉस्क (एसएसके) :**

31.03.2013 को 965 शाखाओं में एसएसके स्थापित किए गए हैं। औसतन प्रतिदिन एसएसके पर 30,000 हजार से अधिक लेनदेन होते हैं।

➢ **ग्रीन रेमिट कार्ड (जीआरसी) :**

जीआरसी 02.01.2012 को प्रारंभ किया गया जिसके द्वारा हमारी शाखाओं के बड़ी संख्या में नॉन - होम नकदी जमा लेनदेनों को कार्य किया जाता है। ग्रीन चैनल काउन्टर या नकदी जमा मशीन पर कार्डधारक अपने कार्ड को स्वाइप करके, उस लाभार्थी को धन प्रेषण कर सकता है जिसका खाता नम्बर कार्ड में शामिल कर दिया गया है। एक बार लेनदेन पूर्ण हो जाने पर प्रेषक एवं लाभार्थी दोनों को अपने मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त हो जाता है। बैंक ने 6,23,623 कार्ड जारी किए थे जिससे 31.03.2013 को 8,08,830 नकदी जमा लेनदेन होते हैं।

मोबाइल बैंकिंग एवं वैलेट :

वर्तमान में बैंक की बाजार हिस्सेदारी 65% की है तथा लेनदेन मूल्य के आधार पर यह 36% से अधिक है। वित्तीय वर्ष के दौरान इस सेवा के माध्यम से 1933 करोड़ रुपए के वित्तीय लेनदेन किए गए हैं जिससे 4.67 करोड़ रुपए की आय हुई है। फरवरी 2012 को पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार एवं लेनदेनों की संख्या के अनुसार एसबीआई इस बाजार में सबसे आगे है। इस क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रयास जारी हैं। बैंक ने "स्टेट बैंक मॉबी कैश" के ब्रांड नाम से एक पूर्णतया केवाईसी मोबाइल वेलेट कार्ड की शुरुआत की है। इसी का एक रुपांतरण "स्टेट बैंक मॉबी कैश ईजी" नाम से एक वेलेट जारी किया गया है जिसके लिए केवाईसी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है, 31 दिसंबर 2012 को मुंबई, दिल्ली एवं चंडीगढ़ में जारी किया गया है तथा अब तक इसमें 14,500 वेलेट जारी किए गए हैं।

मर्चेन्ट अधिग्रहण व्यवसाय (एमएबी) :

देश में एक विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमारे 136 मिलियन कार्डों को पीओएस में एकटीवेट करने के लिए, बाजार में हमारी उपस्थिति बढ़ाने एवं बाजार में उपलब्ध उच्च संभावनाओं को भुनाने के लिए बैंक द्वारा मर्चेन्ट अधिग्रहण व्यवसाय किया जा रहा है। अपनी 70000 टर्मिनलों के साथ बैंक पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा अधिग्रहणकर्ता है। बैंक ने कई प्रमुख व्यवसायकर्ताओं के साथ कारपोरेट गठबंधन किए हैं जिसमें सर्वोच्च शैक्षिक संस्थान एवं अस्पताल शामिल हैं।

प्राईवेट ईक्विटी :

> बैंक द्वारा एक प्राथमिक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन रूसी राष्ट्र धन संपदा निधि - रूसी प्रत्यक्ष निवेश निधि पर हस्ताक्षर

ऑस्ट्रेलिया के मेक्वायर ग्रुप के साथ संयुक्त उपक्रम करके बैंक ने 2009 में प्राईवेट ईक्विटी व्यवसाय की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत 1.2 बिलियन डॉलर की निधियाँ उगाही गई है जो कि भारत पर कैद्रित सबसे बड़ा प्राईवेट ईक्विटी फंड है। इस फंड ने एयरपोर्ट, टेलिकॉम, सड़क, अक्षय ऊर्जा एवं ताप ऊर्जा के क्षेत्रों में 8 निवेश किए हैं। इस फंड ने अनुबद्ध पूंजी में से 90% का निवेश किया है।

सल्तनत ऑफ ओमान के साथ संयुक्त उपक्रम, जिसे ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड कहा गया है, के अंतर्गत 100 मिलियन यूएस डॉलर के फंड ने 202 करोड़ के तीन निवेश रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंडस्ट्रीयल एक्सप्लॉजिव के क्षेत्र में किए हैं। इसके साथ ही फंड ने अपनी अनुबद्धता पूंजी का 40% निवेश कर लिया है।

बैंक ने रशियन सॉवरेन वेल्थ फंड - रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड (आरडीआईएफ) के साथ अबाध्य करार किया है जिसके अनुसार द्विपक्षीय सहायोग परियोजनाओं, द्विपक्षीय व्यापार संबंधी परियोजनाओं या कंपनियाँ, निजीकरण या वैश्विकरण के अवसरों, विशेष रूप से भारत - रुस से संबंधित परियोजनाओं में निवेश करने/निवेश में सहायता देने के लिए 2 बिलियन यूएस डॉलर निजी ईक्विटी फंड स्थापित किया जाएगा।

इन क्षेत्रों की सफल कंपनियों के सहायोग से इस प्रकार के और फंडों की स्थापना करने के लिए बैंक विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों की तलाश में है।

I.4. अनर्जक आस्ति प्रबंधन

ऋण नीति एवं प्रक्रिया

इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में अनर्जक आस्तियों में तेजी से वृद्धि देखी गई जो चौथी तिमाही में थमी। एनपीए का अन्य उच्च सृजन मुख्यतया आर्थिक वृद्धि में कुल मिलाकर धीमापन होने और व्यष्टि आर्थिक कारण हो सकते हैं। इससे हमारी ऋण नीति और प्रणालियों का इस प्रकार व्यवस्थित करने की आव्श्यकता अनुभव की गई जिससे निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके:

1. अन्य बैंकों की तुलना में उच्चतर एनपीए के कारणों का विश्लेषण करना और उनका समाधान करना,
2. बेहतर अर्जक व्यवसाय खंडों में हमारे अपेक्षाकृत कम हिस्से के कारण ढूंढना।

बैंक की ऋण नीति और कार्यविधि समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित है जिसमें सभी व्यवसाय समूहों/खंडों जैसे सीएफओ, आईबीजी, एनबीजी, एमसीजी, कैग और ट्रेजरी के शीर्ष कार्यपालक भी शामिल हैं। सीपीपीसी फोरम को सक्रिय किया गया है और वर्ष के दौरान इसकी 17 बैठकै आयोजित की गईऔर 72 नीतिगत परिवर्तन अनुमोदित कि गए।

कारपोरेट केंद्र में:

क) केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)

ख) कारपोरेट केंद्र ऋण समिति (सीसीसीसी)

ग) थोक बैंकिंग ऋण समिति (डब्ल्यूबीसीसी-I)
अंतरराष्ट्रीय प्रभाग ऋण समिति (आईडीसीसी)

घ) थोक बैंकिंग ऋण समिति (डब्ल्यूबीसीसी-II)
अंतरराष्ट्रीय प्रभाग ऋण समिति (आईडीसीसी-II)

स्थानीय प्रधान कार्यालय/मध्य कारपोरेट समूह में:

क) मंडल ऋण समिति (सीसीसी-I)/
मध्यकारपोरेट ऋण समिति (एमसीसीसी)

ख) मंडल ऋण समिति (सीसीसी-II)

ग) आंचलिक ऋण समिति (जेडसीसी)/
एसएमई ऋण समिति (शाखा स्तरीय ऋण समीति एमसीजी में)

घ) क्षेत्रीय ऋण समिति (आरसीसी)

निचले स्तरों पर ऋण संस्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक क्षेत्रीय ऋण समिति (आरसीसी) सृजित की गई है जिसे ₹5 करोड़ की निधि आधारित और कारपोरेटों के लिए ₹2.5 करोड़ के निधि आधारित विवेकाधिकार दिए गए हैं।

एसएएमजी में एक नई ऋण समिति भी गठित की गई है।

उपर्युक्त संरचना से व्यवसाय के अवसरों का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सकेगा और इसके साथ-साथ पर्याप्त नियंत्रण और निगरानी भी रखी जा सकेगी। उपर्युक्त सभी समितियों की समय समय पर और नियमित रूप से बैठकै होती रहती हैं जब कभी भी पर्याप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाना होता है। सामूहिक निर्णय प्रक्रिया बेहतर जोखिम आकलन और बेहतर निर्णय लेने में कारगर पाई गई है।

विश्लेषण से पता चला है कि बैंक में गैर निधि आधारित व्यवसाय में कीमत-लागत अंतर निधि आधारित व्यवसाय की तुलना में पूंजीगत लागत को समायोजित करने के बाद काफी कम पाया गया है। तदनुसार बैंक ने समस्त गैर निधि आधारित व्यवसाय के कीमत निर्धारण को बाहरी क्रेडिट रेटिंगों से जोड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही इन एक्सपोजरों के लिए प्रतिभूति संरक्षा में भी सुधार किया गया है। इसके साथ साथ शीर्ष रेटिंग प्राप्त कंपनियों जैसे एएए, एए, ए रेटिंग वाली कंपनियों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिससे इन ऋणों की संख्या बढ़े। वित्त वर्ष का पहला उत्तरार्ध शिथिल था। इन कार्यानीतियों के परिणाम दूसरे उत्तरार्ध में दिखाई दिए और पिछली तिमाही की तुलना में अग्रिमों में ₹46,491 करोड़ की अच्छी खासी वृद्धि हुई और इनमें 80% से अधिक कंपनियां निवेश श्रेणी ली थीं।

बैंक ने कारपोरेटों के लिए अपनी नीति को भी परिष्कृत किया है जो बैंक को अपने उच्च लागत वाले अपने ऋणों को अन्य बैंकों के साथ पुनर्वित्तपोषित करना अनुमत करती है। कारपोरेट ऋण मे दोहरा लाभ रहता है एक तो यह कारपोरेट की दीर्घावधि कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध रहता है और दूसरा इसमें न्यूनतम अचल आस्ति कवरेज अनुपात 1.25 की जरूरत होती है। यह ग्राहकों में बहुत लोकप्रिय हुई है। उसी तरह समय समय पर कीमत निर्धारण और अन्य विभिन्न ऋणों जैसे आवास ऋण आदि की शर्तों को अच्छी गुणवत्ता वाले ऋणों में ऊंची वृद्धि करने के अनुरूप बनाया गया है।

प्रतिष्ठित कंपनियों के डीलरों के वित्तपोषण के लिए इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म ई-डीएफएस को मजबूत बनाया गया है और कीमत निर्धारण को भी आकर्षक बनाया गया है जिससे ई-डीएफएस पोर्टफोलियों में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

बैंक नें सभी निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए 100% ईसीजीसी कवर की नीति को भी जारी रखा है और इसका प्रीमियम बैंक द्वारा वहन किया गया। वर्ष के दौरान ईसीजीसी ने वैश्विक धीमेपन और अनेक विदेशी खरीदारों के द्वारा चूक को समझते हुए पैकिंग और पोस्ट शिपमेंट ऋणों के नियमों को कड़ा बनाया है। तदनुसार बैंक की ऋण नीति में यह व्यवस्था की गई है कि पैकिंग ऋण तभी संस्वीकृत किया जा सकता है जब विदेशी खरीदारों के बारे में हालिया तारीख की संतोषजनक क्रेडिट रिपोर्टें उपलब्ध होंगी और ईसीजीसी द्वारा बनाई गई खरीदार विशेष अनुमोदन सूची से इनका सत्यापन हो जाएगा।

इसी तरह कार ऋणों के लिए क्रेडिट स्कारिंग माडल में संशोधन किया गया है जिससे इसे क्रेडिट मानकों में कोई बड़े विचलन किए बिना और कारगर बनाया जा सके। इसके अलावा अग्रिमों के अधिग्रहण के लिए कम से कम एसबी6 की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग और बाहरी रेटिंग के मामले में कम से कम बीबीबी रेटिंग आवश्यक कर दी गई है।

बाहरी रेटिंग : बैंक आस्तियों पर पूंजी क्रेडिट रेटिंग के आधार पर आवंटित करनी होती है। वतमान विनियमों के अनुसार ₹5 करोड़ और उससे अधिक के सभी अग्रिम खातों के लिए क्रेडिट रेटिंग आवश्यक/अनिवार्य है। 55,130 पात्र खातों में से 31,702 खातों की रेटिंग हो चुकी है। हम शेष पात्र खातों को आवश्यक बाहरी रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

सभी कार्यशाल पूंजी अग्रिमों के लिए कीमत निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए कीमत निर्धारण को बाहरी रेटिंग से जोड़ा गया है जो निम्नानुसार है :

तालिका 23 : ऋणों की कीमत निर्धारण

बाहरी रेटिंग	कार्यशील पूंजी मांग ऋण	कैश क्रेडिट
एएए/एए	आधार दर	आधार दर + 25 आधार बिंदु
ए	आधार दर + 25 आधार बिंदु	आधार दर + 50 आधार बिंदु
बीबीबी	आधार दर + 0.65 आधार बिंदु	आधार दर + 0.90 आधार बिंदु

ऋण कीमत निर्धारण निष्पक्ष होने से संस्वीकृति का समय अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग कीमत निर्धारण का निर्णय लेने में नहीं लगता। इसी तरह अन्य व्यवसाय क्षेत्रों जैसे आवास ऋण, शिक्षा ऋण, कार ऋण आदि का कीमत निर्धारण भी निष्पक्ष और सभी श्रेणियों के लिए एकसमान है।

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, लुधियाना

वर्ष 2008 के वैश्विक संकट को देखते हुए भारतीय अर्थ व्यवस्था के समक्ष मुद्दों को देखते हुए एसबीआई सहित भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता दबाव में है। ऋण श्रेणी परिवर्तन निरंतर जारी है और एनपीए का समाधान आज बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी किए हुए है।

इस विषय के समाधान के लिए हमने 2004 में तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह गठित किया था। एसएएमजी का नेतृत्व एक उप प्रबंध निदेशक करते हैं और उनकी सहायता के लिए 2 मुख्य महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। एसएएमजी की स्थापना उच्च राशि वाले एनपीए को कारगर समाधान करने के लिए एक अलग और एक विशेषीकृत खंड के रूप में की गई है जो अन्य कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयों द्वारा इस समूह को भेजे जाते हैं।

आज, एसएएमजी की देश भर में 15 शाखाएँ हैं जिनमें से 2 वर्ष के दौरान, एक एर्नाकुलम में और दूसरी मुंबई में, खोली गई हैं। बैंक को तीन अन्य केंद्रों पर शाखाएँ खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक कोयंबतुर में खोलने के लिए व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। इन शाखाओं में ऐसे पदाधिकारी पदस्थ किए गए हैं जिन्हें तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान में विशेषष्ठाता प्राप्त है और उनकी सहायता के लिए विधि अधिकारी भी रहते हैं।

आज की तारीख में बैंक के एनपीए और एयूसीए का 24.35% और 58.14% एसएएमजी के अंतर्गत है। हालांकि एसएएमजी को मुख्यतया कारपोरेट खंड के एनपीए के समाधान की जिम्मेदारी दी गई है, इसके साथ साथ तनावग्रस्त आस्ति वसूली कक्ष (सार्क) की स्थापना राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के भीतर रिटेल एनपीए के समाधान के लिए की गई है। एसएआरबी/एसएआरसी के वसूली प्रयासों में सहायता करने के लिए देश भर में हमारी 14,816 शाखाओं में निचले स्तर पर परिचालन स्टाफ उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त अकाउंट ट्रैकिंग और मानीटरिंग (एटीएम) केंद्रों पर सभी मंडलों में रिटेल खंड में एसएमए और एनपीए खाते वाले ऋणियों से संपर्क करने के लिए परिचालित हैं। व्यवसाय प्रतिनिधि, व्यवसाय सुलभकर्ता और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी कृषि एनपीए की वसूली के लिए तैनात किया गया है।

एसएएमजी तनावग्रस्त आस्तियों के लिए अन्य निम्नलिखित उपायों के साथ साथ अनेक प्रकार की कार्यनितियों को भी कार्यान्वित करता है,

- मानक आस्तियो और एनपीए दोनों की पुनर्संरचना या तो सीडीआर तंत्र या एक द्विक्षीय व्यवस्था के माध्यम से की जा रही है।
- सरफेसी माध्यम का उपयोग करके आस्तियों की नीलामी के द्वारा वसूली।
- कार्यनीतिक निवेशकों का चयन करना और तनावग्रस्त आस्तियों के अधिग्रहण के लिए उनके साथ तालमेल करना
- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को एनपीए की बिक्री करना
- ऋणियों के साथ एकबारगी समाधान करना
- बैंक को बंधक रखी गई संपत्तियों के अधिग्रहण का कब्जा लेने के लिए समाधान एजेंटों का उपयोग करना और उनकी नीलामी के लिए व्यवस्था करना
- ई-ऑक्शन प्लेटफार्म का उपयोग करके यथासंभव अनेक भावी बोली लगाने वालों तक पहुंचना
- कुछ मामलों में ऋण आस्ति अदला-बदली पर विचार किया गया
- जांचकर्ता एजेंसियों का उपयोग करके प्रवर्तकों और गारंटीदाताओं की भारमुक्त आस्तियों का पता लगाना और इन संपत्तियों के निर्णय के पूर्व कुर्की लेना
- कंपनियों और प्रवर्तकों को इरादतन चूककर्ताओं का पता लगाना और सिबिल जैसी ऋण सूचना कंपनियों की वेबसाइटों पर उनके नाम प्रदर्शित करना। ये नाम भारतीय रिज़र्व बैंक को भी रिपोर्ट किए जाते हैं।
- समाचार पत्रों में चूककर्ताओं के फोटो, जहां आवश्यक हो, प्रकाशित कराना।

एसएएमजी द्वारा फोकस और विशेष ध्यान दिए जाने और कार्रवाई के जाने के कारण वर्ष के दौरान बड़ी राशि वाले एनपीए में भारी वसूली हो पाई है। इसके अतिरिक्त एसएएमजी के प्रयासों से इस वर्ष देय राशियों की वसूली हो पाई। इनमें से कुछ तो एक दशक से भी पुरानी थी।

एसएएमजी और अन्य वसूली इकाइयों में पदस्थ पदाधिकारियों की निपुणताओं को निरंतर बेहतर और परिष्कृत किया जाता है।

- नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा एसएएमजी की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित किए जाते हैं
- इस क्षेत्र के गणमान्य विशेषष्ठों द्वारा अतिथि वक्तव्यों की व्यवस्था की जाती है (उदाहरणार्थ एक अनुभव प्राप्त बैंकर और "प्रैक्टीकल अप्रोच टू रिकवरी मैनेजमेंट इन बैंक्स एंड फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सिक्युरिटाएजेशन एक्ट" पुस्तक के लेखक श्री आर. सी. कोहली द्वारा अनेक अवसरों पर हमारे पदाधिकारियों को संबोधित किया गया।
- नियमित महासम्मेलनों का आयोजन किया जाता है जिनमें इस विषय से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है। अलग अलग खातों का समीक्षा भी की जाती है और इन खातों में शीर्ध वसूलियों के लिए कार्यनीतियाँ बनाई

जाती हैं। परिचालन पदाधिकारियों से इस विषय में निरंतर जानकारी प्राप्त की जाती है कि कैसे समूह इसका परिचालनों में अधिकाधिक उपयोग कर सकता है।

- बैंक की शीर्ष प्रबंधन, अध्यक्ष सहित सभी बड़ी राशि वाले खातों की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं और इन एनपीए के समाधान के उपाय सुझाते हैं।

बैंक द्वारा एसएएमजी के भीतर ऋण संबंधी शीघ्र निर्णय लेने में सुविधा के लिए वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए जैसे ओटीएस अनुमोदन, जब्त संपत्तियों आदि की नीलामी के लिए रिजर्व कीमतें निर्धारित करना, आदि। हाल ही तक ऐसे सभी मामलों जिनमें संस्वीकृतियों/अनुमोदनों की अपेक्षा होती है, अन्य व्यवसाय समूहों की ऋण समितियों के माध्यम से भेजे जाते हैं। एक तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन ऋण समिति अब गठित की जा रही है जिसका उद्देश्य एसएएमजी के प्रस्तावों पर संस्वीकृति या अनुमोदन करना ही है। यह विशेष ऋण समिति एसएएमजी के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ऋण संबंधी निर्णय तत्काल लिए जाते हैं और तुरंत परिचालन पदाधिकारियों को सूचित कर दिए जाते हैं जिससे शीघ्र वसूलियाँ हो पाती हैं। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एख स्कीम घोषित की गई है जिसमें 5 वर्ष पहले बट्टे खाते डाली गई राशियों की वसूली में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पदाधिकारियों को सामान्य प्रोत्साहन राशिका भी भुगतान किया जाता है। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और बैंक बट्टे खाते डाले गए ₹1000 करोड़ से अधिक राशि की वर्ष के दौरान वसूली कर पाया।

कठिन और चुनौतीपूर्ण परिवेश में हमने बीते वर्ष में देखा है कि एसएएमजी और एमएएमबी/एसएआरबी/एसएआरसी के संकल्पबद्ध और विषय केंद्रित प्रयासों से एनपीए वृद्धि को थामने में मदद मिली है। वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही के दौरान यह खास तौर पर देखने को मिला। इस दौरान निवल एनपीए का प्रतिशत वर्ष के दौरान के चरम स्तर 5.30% और 2.59% से घटकर क्रमश: 4.75% और 2.10% के स्तर पर आ गया। वस्तुत: चौथी तिमाही में भी सकल एनपीए में कुल मिलाकर ₹2,269 करोड़ की कमी दिखाई दी। अधिक ब्योरा नीचे दिया गया है :

तालिका 24: एनपीए का विश्लेषित ब्योरा

सकल एनपीए	वित्त वर्ष 11-12	वित्त वर्ष 13 की तृतीय तिमाही	वित्त वर्ष 12-13
सकल एनपीए	39,676	53,458	51,189
सकल एनपीए%	4.44	5.30	4.75
निवल एनपीए %	1.82	2.59	2.10
मानक श्रेणी से नई गिरावट	24,712	26,126	31,993
नकदी वसूलियाँ/ग्रेड बढ़ना	9,618	9,167	14,885
बट्टे खाते डालना	744	3,176	5,594
बट्टे खाते डाले गए ऋणों में वसूली	962	673	1,066

वित्त वर्ष 13-14 के दौरान भी आस्ति गुणवत्ता पर दबाव बने रहने की उम्मीद है। एसएएमजी और बैंक की अन्य वसूली इकाइयाँ भविष्य की इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

II सहायक एवं नियंत्रण परिचालन

II.1. सूचना प्रौद्योगिकी

➢ **कोर बैंकिंग प्रोजेक्ट**

सीबीएस प्रणाली को एक दिन में 250 मिलियन से अधिक लेनदेनों, एक बिलियन खातों को सहायता प्रदान करने और प्रति सैकेंड 17,000 से अधिक लेनदेनों की प्रविष्टि करने की क्षमता स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

इस प्रणाली को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए वर्ष के दौरान सीबीएस में अनेक नई विशेषताओं को जोड़ा गया है। रुपे प्लेटफार्म पर दो नए एटीएम कार्ड शुरू किए गए हैं। बचत बैंक, चालू खाता और कैश क्रेडिट खाते के पीडीएफ प्रारूप में पासवर्ड संरक्षित खाता विवरण अब ग्राहकों के ई-मेल पते पर भेजे जा रहे हैं।एटीएम के माध्यम से टीडीआर/एसटीडीआर जारी करने, 16 अंकों वाले सेन्सस कोड को ऑनलाइन से प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली को सीबीएस में तैयार किया गया है।प्रामाणिक पद्धति के एक द्वितीय घटक के रूप में सभी सीबीएसप्रयोक्ताओं के लिएबायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने वाली कार्य-प्रणाली को शाखाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जोखिमों की प्रणाली-गत एवं कार्यक्षम जोखिम पहचान, मूल्यांकन, मापन, निगरानी और न्यूनतम करने की प्रक्रिया शुरू की गई। व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में आपदा प्रबंधन अभ्यास नियमित रूप से संचालित किए गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रथम व्यापक समन्वित व्यवसाय निरंतरता अभ्यास (आईबीसीई) का परीक्षण दिनांक 8 एवं 9 दिसंबर 2012 को और दूसरा दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2013 को किया गया।

➢ **एटीएम**

भारतीय स्टेट बैंक ने 11.00 करोड़ से भी अधिक कार्ड जारी किए हैं जिनमें से लगभग 8.54 करोड़ कार्डोंके माध्यम से एटीएमों के नियमित रूप से लेनदेन हो रहे हैं। स्टेट बैंक समूह का एटीएम परिचालन दो स्विचों से संचालित होते हैं। बेस24 स्विच की क्षमता में हाल ही में वृद्धि की गई है और अब यह लगभग 50,000 एटीएमों का कार्य संभाल सकता है।ब्राउन लेबल एटीएमों के माध्यम से एटीएमफुटप्रिन्ट का व्यापक रूप से विस्तार किया गया है जिसे वित्त मंत्रालय के मार्ग-दर्शन में पूर्णत: आउटसोर्सड पहल के रूप

में कार्यान्वित जा रहा है। विभिन्न प्रकार के एटीएमलगाए गएऔर विभिन्न प्रकार के कार्ड जारी किए गए। 581 नई नकदी जमा करने वाली मशीनें लगाई गई हैं जिससे ग्राहकों को नकदी जमा करने में सुविधा हो सके।

➢ **इंटरनेट बैंकिंग**

इंटरनेट बैंकिंग सेवाबैंक की वेबसाइट https://www.onlinesbi.com के माध्यम से उपलब्ध है। बैंक का इंटरनेट बैंकिंगसोल्यूशन खुदरा एवं कारपोरेट दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक उत्पाद है। चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौराननिम्नलिखित प्रमुख नई विशेषताओं को इसमें जोड़ा गया है:

> भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के पास दिनांक 31.03.2013 को 32752 एटीएमों का एक विशाल नेटवर्क है जो विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है।

पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग:

इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन आदि करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का मोबाइल फोन वर्जन (https://m.onlinesbi.com), यूएसडालर, यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पौण्ड में विदेशी जावक-धन-प्रेषण, ऑनलाइन बचत बैंक खाता आवेदन, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वर्चुअल ई-कार्ड, आईपीओ(ऋण) एएसबीए सुविधा, प्रोफाइल पासवर्ड के लिए मल्टी-लिंगुवलईमेज आधारित की-बोर्ड, जम्मू एण्ड कश्मीर ग्राहकों के लिए वॉइसओटीपी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग

रक्षा आईआरसीटीसी - अर्ध-सैनिक बलों द्वारा टिकट बुक करने के लिए, सेन्ट्रलप्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम (सीपीएसएमएस) सुविधा, कारपोरेट ग्राहकों द्वारा ईपीएफ भुगतान, कारपोरेट ग्राहकों द्वारा लॉगइन करने के लिए हार्डवेयर टोकन के माध्यम से द्वितीय घटक प्रमाणीकरण, कारपोरेट के लिए मर्चेंट पूर्व-अनुमोदित लेनदेन, विदेशी मुद्रा ऋण आवेदन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

➢ **आईटी-विदेश स्थित कार्यालय**

25 देशों में स्थित बैंक के 145 विदेश स्थित कार्यालय फिनेकलसूइट ऑफ अप्लिकेशन का उपयोग करते हैं जिसमें फिनेकल कोर, फिनेकलट्रेजरी और फिनेकल इंटरनेट बैंकिंग अप्लिकेशन शामिल हैं। विदेशी केन्द्रों में 134 एटीएम और 2 कियोस्क लगाए गए हैं और 7.63 डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। लगभग 1.43 लाख उपयोगकर्ताओं ने इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकरण किया है।

➢ **एन्टरप्राइज डाटा वेयरहाउस विभाग**

जोखिम प्रबंधन, ग्राहक विश्लेषण, आस्ति एवं देयता प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित डाटा मार्टों की रूपरेखा की गई है। कार्यपालाकै द्वारा निर्णय लेने के लिए उपयोग में लाने हेतु डैशबोर्ड विकसित करके लगाए गए हैं। कैम्पेन मैनेजमेंट टूल कार्यान्वित किया गया है और विभिन्नखण्डों के अंतर्गत ग्राहक लक्ष्य वाली विभिन्न व्यवसाय इकाइयों द्वारा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से कैम्पेन शुरू किए गए हैं। बेहतर निगरानी के लिए कारपोरेट लेखा समूह, मिड कारपोरेट ग्रुप और लघु एवं मध्यम उद्यम खातों के लिए "कस्टमर वन व्यू" विकसित किया गया है। व्यवसाय विकास, नियंत्रण, निष्पादन और लाभप्रदता के क्षेत्रों में आंकड़ा खनन एवं विश्लेषण निष्पादित किए जा रहे हैं।

➢ **नेटवर्किंग**

बैंक ने एक सुरक्षित, मजबूत वैन संरचना वाले नेटवर्क का कार्यान्वयन किया है जो लीज लाइनों, वीसैट और सीडीएमए टेक्नालॉजी के माध्यम से स्टेट बैंक समूह की सभी शाखाओं/कार्यालयों तथा एटीएमों को जोड़े हुए है। यद्यपि कनेक्टिविटी के लिए प्राइमरी लिंक हेतु लीज लाइनें प्राप्त की गई हैं, फिर भी बॅक-अप के रूप में आईएसडीएन लाइनें वीसैट उपलब्ध कराए गए है। बैंक सभी स्थानों पर लीज लाइनों की क्षमता को 32 के बीपीसल से बढ़ाकर 64 केबीपीएस कर दिया गया है। बैंक सभी स्थानों पर लीज लाइनों की क्षमता को 64 के बीपीएस से बढ़ाकर 128 के बीपीएस तक करने की प्रक्रिया में है।

II.2. जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

➢ **भारतीय स्टेट बैंक में जोखिम प्रबंधन संरचना**

बैंक में कार्यरत जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नानुसार है:

तालिका 25: बैंक में जोखिम प्रबंधन तंत्र

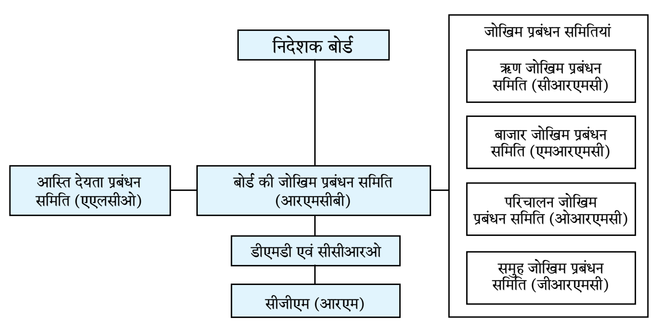

कर्तव्यों का विभाजन और जोखिम मापन, निगरानी एवं गतिविधियों के नियंत्रण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र जोखिम नियंत्रण संरचना अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप कार्यरत है। यह संरचना परिचालन स्तर पर व्यवसाय इकाइयों को अधिकार देने की संकल्पना पर आधारित है जिसमें प्रौद्योगिकी को प्रमुख प्रचालक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है ताकि उद्गम के स्थान पर ही जोखिम की पहचान एवं उसके प्रबंधन की व्यवस्था की जा सके।

जोखिम नियंत्रण संरचना की परिकल्पना के अनुरूप विभिन्न जोखिमोंके लिए समेकित जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम, समूह जोखिम और उद्यम जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ बेसल कार्यान्वयन और सूचना सुरक्षा विभाग को मुख्यमहाप्रबन्धक (जोखिम प्रबंधन) के अंतर्गत रखा गया है जिसे उप प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

❖ ऋण जोखिम प्रबंधन :

• बैंक द्वारा ऋण मूल्यांकन और जोखिम निर्धारण की सक्षम पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। विभिन्न निवेश खंडों में ऋण जोखिम के मूल्यांकन हेतु बैंक विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करती है। बैंक की आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया व्यापक मूल्यांकन प्रमाणीकरण संरचना पर आधारित है।

• विभाग ने वित्त वर्ष 2012-2013 में 36 उद्योगों को चिह्नित किया गया, जिनमेंदूरसंचार, ऊर्जा, कोयला, उड्डयन, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, कपड़ा क्षेत्र, लौह एवं इस्पात शामिल हैं, और उचित निर्णय लेने के लिए इन सूचनाओंको परिचालन कर्मचारियों को प्रेषित किया।बैंक बोर्ड के निर्देशानुसार कंपनियों/समूहों का विशिष्ट अध्ययन किया गया।

• बैंक ने ऋण जोखिम के लिए आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण (आईआरबी) लागू करने हेतु आशय-पत्र का आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेज दिया है। इसी उद्देश्य से, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) द्वारा नई नीतियों एवं ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित प्रबंधन तंत्र को स्वीकृत किया गया है। आईआरबीके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन तंत्र को और भी मजबूत किया गया है।

• चूक की संभावना के आकलन (पीडी),हानिप्रद चूक (एलजीडी) और चूक के समय ऋण जोखिम (ईएडी) के आकलन के लिए मॉडलविकसित किए गए हैं।

• बैंक नियमित रूप से अपने ऋण निवेश सूचियों का तनाव परीक्षण एवं तनावस्थितियों का नियमित रूप से उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसारऔर समष्टि आर्थिक बदलावों के अनुरूप अद्यतन करताहै।

• विभिन्न जोखिम नीतियों, उद्योग दिशा-निर्देशों एवं निवेश मानकोंके पुनर्विचार के लिए वर्ष के दौरानऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) की पाँच बैठक और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी बी) की छहबैठक की गईं।

❖ **बाज़ार जोखिम प्रबंधन**

• बाज़ार जोखिम बैंक को होने वाली वह संभावित हानि है जो विनिमय दर, ब्याज दर, ईक्विटी मूल्य आदि जैसी बाजार परिस्थितियों में होने वाले बदलाव के कारण इसके व्यवसाय संविभागमूल्यों में परिवर्तन आने से हो सकती है। बैंक की बाज़ार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम की पहचान और जोखिम मापन, नियंत्रणउपायों, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल होती है।

• विदेशी विनिमय व्यापार, डेरीवेटिव, ब्याज दर, प्रतिभूति, ईक्विटी, और म्यूचुअल फ़ंड की जोखिम के लिए बैंक के पास बोर्ड स्वीकृत नीतियां हैं। बाज़ार जोखिम को विभिन्न जोखिम परिसीमा द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो संबंधित नीतियों में वर्णित है, जैसे नेट ओवर नाइट ओपेन पोसिशन, आशोधित अवधि, स्टॉपलॉस मैनेजमेंट, एक्शन ट्रिग्गर प्रबंधन, कटलॉस ट्रिग्गर, केन्द्रीकरण और ऋण सीमा आदि।

• वर्तमान समय में बाजार जोखिम पूंजी का परिकलन मानकीकृत आकलन प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। बैंक ने बेसल-।। के अंतर्गत बाजार जोखिम के निर्धारण हेतु उन्नत दृष्टिकोण, अर्थात् आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक को अपना आशय-पत्र प्रस्तुत किया है। आंतरिक मॉडल बैंक के व्यवसाय संविभाग की निगरानी करने हेतु जोखिम आधारित मूल्य निर्धारित प्रणाली के साथ-साथ तिमाही अंतराल पर व्यवसाय संविभाग का तनाव परीक्षण भी आयोजित किया जाता है। इस समय बैंक द्वारा समानांतर रूप से मानकीकृत आकलन प्रणाली एवं आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण का संचालन किया जा रहा है।

• बैंक में बाजार जोखिम की निगरानी एवं समीक्षा बाजार जोखिम प्रबंधन समिति एवं बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है जो तिमाही अंतराल पर कम से कम एक बार बैठक करती है।

❖ **परिचालन जोखिम प्रबंधन :**

• परिचालन जोखिम हानि वह जोखिम है जो अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, जनसमूह एवं प्रणालियों या बाह्य घटनाओं के परिणामस्वरूप होती है।

• बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्रणालियों एवं नियंत्रण पद्धतियों की निरंतर समीक्षा करना, संपूर्ण बैंक में परिचालन जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जोखिम दायित्व का निर्धारण करना, व्यवसाय कार्यनीति में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों को शामिल करना और नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करना सुनिश्चित करना है, जो बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के प्रमुख घटक हैं।

• विकसित आकलन दृष्टिकोण अपनाने हेतु परिचालन जोखिम प्रबंधन रूपरेखा और परिचालन जोखिम निर्धारण दृष्टिकोण के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार महत्वपूर्ण नीतियां, मैनुअल और रूपरेखा से संबंधित प्रलेख लागू किए गए हैं।

• बैंक ने विकसित निर्धारण दृष्टिकोण अपनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को पहले ही अपना आशय-पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

• बैंक-स्तरीय परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) जो एक कार्यपालक समिति है, तिमाही अंतराल पर बैंक के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करती है और बैंक में परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु उपयुक्त नियंत्रण/उपाय संस्तुत करती है। सभी 14 मंडलों, व्यवसायएवं सहायक समूहों(एनबीजी, आई, सीबीजी, एमसीजी, जीएमयू तथा आईटी) में भी जोखिम प्रबंधन समितियां निर्धारित की गई हैं।

• चालू वर्ष के दौरान आवधिक निगरानी करने और उच्च राशि वाली धोखाधडियों (एक करोड़ रुपए और उससे अधिक) को नियंत्रित करने तथा साथ हीउसमें कमीलाने के लिए उच्च राशि वाली धोखाधडियों संबंधीकार्यपालक समिति (सीईएचवीएफ)का गठन किया गया है जिसके प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष होंगे।

• अन्य कार्यपालक स्तरीय समितियां, अर्थात् संपूर्ण उत्पाद समिति (ओपीसी) एवं आउटसोर्सिंग जांच समिति (ओवीसी) भी गठित की गई है।

❖ **समूह जोखिम प्रबंधन** :

• समूह जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य समूह इकाइयों में मानकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को लागू करना है।

• समूह आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (समूह आईसीएएपी) अल्पतनावग्रस्त परिस्थितियों सहित पूंजी मूल्यांकन हेतु संगत जोखिमों और अल्पीकरण उपायों का मूल्यांकन करती है। समूह कंपनियों की आईसीएएपी प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए तथा समूह आईसीएएपी नीति निर्धारित की गई है।

• ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, संकेंद्रीकरण जोखिम, चलनिधि जोखिम और संक्रामक जोखिम हेतु जोखिम आधारित मानदंडों का एक तिमाही विश्लेषण बोर्ड की समूह जोखिम प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

• बड़े ऋणियों से संबंधित जोखिम और पूंजी बाजार जोखिम के लिए जोखिम सीमाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार लागू किया गया है। इसी प्रकार, अप्रतिभूत जोखिम, स्थावर संपदा और अंत: समूह ऋण जोखिमों को बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है।

• समूह जोखिम प्रबंधन की देखभाल करने एवं विश्व-स्तरीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए बैंक ने हाल ही में समूह जोखिम प्रबंधन परियोजना प्रारंभ की है।

❖ **बेसल कार्यान्वयन** :

• बेसल - III पूंजी विनियमों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश 01 अप्रैल 2013 से लागू किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए बैंक ने उपयुक्त प्रक्रिया लागू की है।

• बेसल - III दिशा-निर्देशों को पहले लागू करने वाले देशों में भारत एक देश है जबकि यूएसए और ईयू ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है।

❖ **उद्यम जोखिम प्रबंधन** :

• चलनिधि जोखिम, ब्याजदर जोखिम, ऋण संक्रेंदीकरण जोखिम जैसे स्तंभ-I एवं स्तंभ-II जोखिमों के अलावा पूंजी पर्याप्तता एवं सामान्य व तनावग्रस्त परिस्थितियों के अंतर्गत संपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रणाली कीमूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) लागू की गई है।

• व्यावासायिक उद्देश्यों के अनुरूप अपने कार्यों को युक्तिपरक कार्यों में रूपांतरित करने के लिए बैंक द्वारा प्रारंभ की गई जोखिम प्रबंधन परियोजना के एक भाग के रूप में, बैंक ने उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) रूपरेखा शुरू की है।

• आर्थिक पूंजी एवं जोखिम विनियोजित पूंजीगत प्रतिफल (आरएआरओसी) सहित जोखिम प्रवृत्ति, जोखिम समूहन और जोखिम आधारित निष्पादन प्रणाली जैसी सर्वोत्तमविश्व-स्तरीयप्रक्रियाओं को भी हाल ही में प्रारंभ की गई ईआरएम परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा।

❖ **सूचना सुरक्षा** :

• बैंक ने एक सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति कार्यान्वित की है जो सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप है। इन नीतियों की आवधिक समीक्षा की जाती है और जिसे उद्भवी चुनौतियों का सामना करने के लिए यथोचित रूप से सुदृढ़ बनाया गया है।

• सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्टाफ को और अधिक जागरूक बनाने के लिए नियमित सुरक्षा अभ्यास एवं कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ग्लोबल आईटी केंद्र, बेलापुर में व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) को कार्यान्वित किया गया है। इस क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया में भी बैंक अग्रणी रहा है।

➢ **आंतरिक नियंत्रण**

बैंक में अंतर्निर्मित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर सुस्पष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है। बैंक अपने निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा के माध्यम से आंतरिक लेखा-परीक्षा करता है। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) आई एंड एम ए विभाग की कार्य-प्रणाली पर निगरानी एवं नियंत्रण रखती है। निरीक्षण प्रणाली को आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य के माध्यम से जोखिम की पहचान, नियंत्रण और प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण

भूमिका रहती है जिसे कारपोरेट अभिशासन के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में एक माना गया है। बैंक मुख्यतया दो स्तरीय लेखा-परीक्षाएं करता है- जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआईए) और प्रबंधन लेखा-परीक्षा जिसकी परिधि में आंतरिक लेखा-परीक्षा की विभिन्न अपेक्षाएं आती हैं। बेंक की सभी लेखा इकाइयां*, उदाहरणार्थ शाखाएं, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग (बीपीआर) इकाइयां, कारपोरेट केंद्र के प्रमुख विभाग जैसे विदेशी लेखा कार्यालय, राजकोषीय परिचालन, केंद्रीय लेखा कार्यालय आदि की जोखिम केंद्रित लेखा-परीक्षा (आरएफआईए) की जाती है। निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग के प्रमुख उप प्रबंध निदेशक (आई एण्ड एम ए) होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते है और बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का रिपोर्ट करते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह विभाग ऋण लेखा-परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा (केंद्रीयकृत आईटी संस्थापनाएं एवं शाखाएं), होम आफिस लेखा-परीक्षा (विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा) और खर्च लेखा-परीक्षा (प्रशासनिक कार्यालयों में) संचालित करता है तथा संगामी लेखा-परीक्षा (घरेलू एवं विदेश स्थित कार्यालय) और मंडल लेखा-परीक्षा की नीति एवं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है। शाखाओं में अनुपालन संबंधी लेखा-परीक्षा भी की जाती है।

❖ **जोखिम केंद्रीकृत आंतरिक लेखा-परीक्षा**

आईएण्डएमए विभाग आरएफआईए के माध्यम से लेखा-परीक्षा की हुई इकाइयों के संपूर्ण कार्यों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा करती हे जो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए सहायक है। व्यवसाय प्रोफाइल और जोखिम वित्तीय संबद्धता के आधार पर सभी देशीय शाखाओं को तीन समूहों (समूह I, II, एवं III) में अलग-अलग किया गया है। व्यवसाय प्रोफाइल और जो?खिम वित्तीय संबद्धता के आधार पर सभी देशीय शाखाओं को तीन समूहों (समूह I, II, एवं III) में अलग-अलग किया गया है। यद्यपि समूह- I वाली शाखाओं की लेखा-परीक्षा का प्रबंधन केंद्रीय लेखा-परीक्षा इकाई (सीएयू) द्वारा किया जाता है, जबकि समूह-II समूह-III की शाखाओं तथा व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों की लेखा-परीक्षा तेरह आंचलिक निरीक्षण कार्यालयों द्वारा संचालित की जाती है जिनमें प्रत्ये कार्यालयों में महाप्रबंधक प्रमुख अधिकारी होते हैं। दिनंक 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान जोखिम केंद्रीत आंतरिक लेखा-परीक्षा के अंतर्गत 8895 देशीय शाखाओं/ बीपीआर इकाइयों की लेखा-परीक्षा की गई।

❖ **प्रबंधन लेखा-परीक्षा**

आरएफआईए (लेखा-परीक्षा) की शुरुआत होने से, प्रबंधन लेखा-परीक्षा को पुनराभिमुख किया गया है जिससे बैंक में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं एवं कार्यविधियों में जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। संपूर्ण प्रबंधन लेखा-परीक्षा में कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं/मंडल स्थानी प्रधान कार्यालयों/शीर्ष प्रशिक्षण संस्थाओं, बैंक द्वारा प्रयोजित सहयोगी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा करना शामिल होता है।

❖ **ऋण लेखा-परीक्षा**

ऋण लेखा-परीक्षा का उद्देश्य प्रति वर्ष ₹10 करोड़ और उससे अधिक की वित्तीय संबद्धता वाले अलग-अलग बड़े वाणिज्यिक ऋणों की महत्वपूर्ण ढंग से जांच करते हुए बैंक के वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना है। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली इकाई में ऋण (अग्रिम) संविभाग की गुणवत्ता के बारे में चेतावनी संकेतों के रूप में व्यवसाय इकाई के लिए प्रतिसूचना भी उपलब्ध कराती है और सुधारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देती है। ऋण लेखा-परीक्षा में ₹5 करोड़ से अधिक के सभी अलग-अलग अग्रिमों की संस्वीकृति से पूर्व और संस्वीकृति संवर्धन/नवीकरण के 6 महीने के अंदर संस्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा (ऋण समीक्षा कार्य पद्धति) भी की जाती है। दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान 7329 खातों को ऋण लेखा-परीक्षा ऑन-साइट के अध्यधीन रखा गया है।

❖ **सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा**

शाखा की आरएफआईए लेखा परीक्षा के भाग के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए सभी शाखाओं को सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा-परीक्षा के अध्यधीन रखा जा रहा है। केंद्रीकृत आईटी संस्थापनाओं की आईएस लेखा-परीक्षा योग्यता प्राप्त अधिकारियों के एक दल के द्वारा की जाती है। दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 के दौरान, 13 केंद्रीकृत आईटी संस्थापनाओं की आईएस लेखा-परीक्षाएं पूर्ण की गई।

❖ **विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा**

दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान, 49 शाखाओं में होम आफिस लेखा-परीक्षा, 11 प्रतिनिधियों कार्यालयों/ कॅन्ट्रि हेड आफिसों में और 4 अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में प्रबंधन लेखा-परीक्षा की गई।

❖ **संगामी लेखा-परीक्षा**

संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली सुदृढ़ आंतरिक लेखा कार्यों, प्रभावी नियंत्रणों की स्थापना करने और सतत आधार पर परिचालनों की निगरानी संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है जिससे कि भारतीय रिजर्व बेंक द्वारा निर्धारित बैंक के अग्रिमों और अन्य जोखिम वित्तीय संबद्धता को शामिल किया जा सके। आई एण्ड एम ए विभाग शाखाओं और बीपीआर इकाइयों में संगामी लेखा-परीक्षा के संचालन हेतु प्रक्रिया, दिशा-निर्देश और प्रारूप निर्धारित करता है।

❖ **मंडल लेखा-परीक्षा**

मंडल लेखा-परीक्षा जो एक प्रत्यायोजित लेखा-परीक्षा है जिसमें निम्न जोखिम वाले क्षेत्र शामिल होते हैं और यह दो आरएफआईए के बीच संचालित की जाती है। इससे लेखा-परीक्षा की हुई इकाई के लिए आरएफआईए के लिए अच्छी तरह से तैयारी करना बेहतर हो जाता है।

II.3. सतर्कता

बैंक में सतर्कता प्रशासन का मुख्य कार्य न केवल गंभीर उल्लंघनों के लिए समुचित अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करके नियमों एवं विनियमनों के गैर-अनुपालन की जांच करना है अपितु प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए निवारक सतर्कता के विभिन्न उपायों को तैयार करके उनका कार्यान्वयन करना भी है जिससे उच्च प्रभावकारित सुनिश्चित हो और कम से कम अनियमितता रहे। सतर्कता की अवधारणा एक अन्वेषण प्रक्रिया के रूप में और दंडात्मक कार्रवाई के निष्पादन के लिए अधिसमय विकसित हुई है। इसका लक्ष्य कारपोरेट विकास के लिए सतर्कता है। इसका बल अब दंडात्मक सतर्कता के बजाय निवारक और पूर्वोपायी सतर्कता पर है जिसमें सभी संबंधितों की सक्रिय सहभागिता हो।

इस परिप्रेक्ष्य में, दो महत्वपूर्ण विषयों का विशेष रूप से उल्लेख आवश्यक है यथा (1) निवारक सतर्कता समिति (पीवीसी) बैठकै जो शाखाओं और बीपीआर इकाइयों पर आयोजित होती है, (2) बिसल ब्लोअरस्कीम/पाबिसी बैठकों के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी निवारक सतर्कता पर अपनी विचार व्यक्त कर सकता है, अपने कार्यस्थल की विशेष आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न उपाय सुझाकर उन्हें कार्यान्वित कर सकता है तथा अपने पद के कार्यों में र्सावधानी और सजगता सुनिश्चित करने की सामूहिक प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। “विसल ब्लोअर स्कीम” में स्टाफ सदस्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सहकर्मियों व वरिष्ठों के भी नियमविरुद्ध और अनैतिक आचरण, यदि कोई हों, की जानकारी संबंधित प्राधिकारियों को दें।

वर्ष 2012-2013 के दौरान निपटान किए गए सतर्कता मामलों की संख्या 1508 रही जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान इनकी संख्या 1117 रही थी।

धोखाधड़ी रोकना एवं निगरानी रखना

• वित्तीय आसूचना इकाई-भारत को संवेदनशील रिर्पोटें प्रस्तुत करने की दृष्टि से लेनदेनों की निगरानी करना। धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

• संपूर्ण बैंक में उचित जागरूकता बनाए रखने और आम लोगों के बीच के वाई सी मुद्दों की उचित समझ पैदा करने के लिए भी बैंक प्रति वर्ष 1 अगस्त को केवाईसी अनुपालन एवं धोखाधड़ी निवारण दिवस के रूप में मना रहा है।

• धोखाधडियां रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से बैंक ने अनेक कदम उठाए हैं।

II.4.मानव संसाधन

मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि बैंकिंग उद्योग की जनव्यापी प्रकृति है।

तालिका 26 : स्टाफ संख्या

	अधिकारी	अवार्ड स्टाफ	अधीनस्थ स्टाफ	कुल
31.3.2012 की स्थिति के अनुसार	80,404	95,715	39,362	2,15,481
घटाएँ: सेवानिवृत्तियाँ/पलायन	3,059	4,107	2,412	9,578
जोड़ें/घटाएँ (-) लिपिकीय स्टाफ से अधिकारी श्रेणी में पदोन्नति के कारण	2,604 (+)	2,604 (-)	--	--
जोड़ें: नई वृद्धि	847	20,682	864	22,393
31.3.2013 की स्थिति के अनुसार	80,796	1,09,686	37,814	2,28,296

शाखा नेटवर्क के विस्तार का पूरा लाभ लेने और स्टाफ की कमी दूर करने के लिए, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में, बैंक ने 20,682 नए सहायक शामिल किए हैं। 30 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे और इनमें से सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का चयन किया। नए सहायकों में से अनेक श्रेष्ठ अकादमिक योग्यता अर्थात कंप्यूटर इंजीनियरी, एमबीए आदि की व्यावसायिक योग्यता रखने वाले भी हैं। औसत आयु पहले से कम रही है और भर्ती हुए युवा अपने साथ कार्य के प्रति नया दृष्टिकोण लेकर आए हैं। हम नए भर्ती हुए इन युवाओं का स्वागत करते हैं और हमारा मानना है कि वे बैंक के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेंगे।

एसबीआईआईसीएम में अधिकारियों हेतु एक प्रशिक्षण सत्र

बैंक ने 1500 प्रोबेशनरी अधिकारियों की भर्ती के लिए भी विज्ञापन दिया और अब तक के सर्वाधिक 17 लाख उम्मीदवारों ने इनके लिए आवेदन किया। इससे पता चलता है कि बैंक आज युवाओं और देश भर के शिक्षित जनसंख्या का पंसदीदा नियोक्ता है।

कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाना :

अधिकारी और लिपिकीय संवर्ग में नई पीढ़ी के कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर भर्ती करने से शाखाओं में ग्राहक संवाद और सेवा में स्टाफ के दृष्टिकोण में दूरगामी परिवर्तन आया है और इससे कर्मचारियों की उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ाने में भी मदद मिली है जिस कारण बैंक का व्यवसाय और लाभप्रदता बढ़ी है। इस कारण प्रति कर्मचारी व्यवसाय और प्रति कर्मचारी लाभ में भी वर्ष के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

तलिका 27 : स्टाफ उत्पादकता

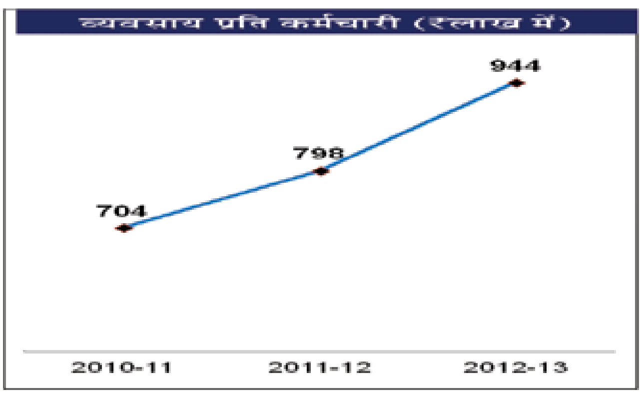

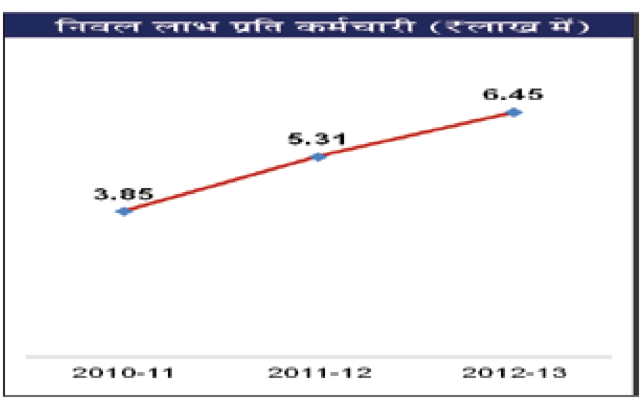

वर्ष के दौरान सहायक श्रेणी में नए कर्मचारियों की वृद्धि जनवरी-मार्च 2013 की तिमाही में हुई और इन कर्मचारियों को अब बैंक में प्रारंभिक प्रशिक्षण देकर पूर्ण मान कार्य में संलग्न किया गया है और ये व्यवसाय में और वृद्धि करने के लिए तैयार हैं।

कार्य-संस्कृति में सुधार : प्रबंधन ने कुछ अधिकारी वर्गों द्वारा परेशान करने के लिए आंदोलन चलाने के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की है। स्टेट बैंक अधिकारी सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में सर्वोत्तम शर्तों पर रखे गए हैं। यह अचंभे में डालने वाली बात है कि कुछ अधिकारी वर्ग अन्य बैंकों के विपरीत भारतीय स्टेट बैंक में आंदोलन चलाने का मार्ग चुनते हैं। इसलिए हमारे विचार से भारतीय स्टेट बैंक में इस प्रकार के विध्वंसकारी आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है जब सारे मुद्दों में उद्योग स्तर पर निर्णय लिया जाना है। उपर्युक्त प्रशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप बैंक परिसरों में आंदोलन रुक गए हैं।

अधिकारी संघों/कर्मचारी महासंघों के साथ समय-समय पर परामर्शी बैठकें आयोजित की गईं। इसके साथ-साथ विभिन्न कर्मचारी वर्गों की शिकायतों को समझने और उनका निवारण करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संघ के साथ सक्रिय संवाद स्थापित किया गया। ये परामर्श कारपोरेट केंद्र और मंडल दोनों स्तरों पर किए गए।

तालिका 28 : रोजगार में आरक्षण

वर्गकुल	कुल	अनुसूचित जाति	अनसूचित जनजाति	नि:शक्त जन
अधिकारी	80,796	13,824 (17.11%)	5,215 (6.45%)	485 (0.60%)
सहायक	1,09,686	18,226 (16.62%)	8,745 (7.97%)	1,724 (1.57%)
अधीनस्थ	37,814	11,500 (30.41%)	2,804 (7.42%)	193 (0.51%)
कुल	2,28,296	43,550 (19.08%)	16,764 (7.34%)	2,402 (1.05%)

बैंक अनू और अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के निदेशों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध कराता है। आरक्षण नीति से संबंधित मुद्दों के निपटान और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के कारगर निवारण के लिए बैंक के सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के साथ-साथ कारपोरेट केंद्र, मुंबई में भी संपर्क अधिकारी नामित किए गए हैं।

चेन्नई में वॉलीबॉल मुकाबला

अन्य नए प्रयास

अनेक परिलब्धियाँ जैसे लीज आवास, मोबाइल फोनों का प्रावधान, समूह बीमा आदि वर्ष के दौरान सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इस कारण भी कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रेरित हुए हैं।

वर्ष के दौरान हॉकी, वॉलीबाल और बास्केटबॉल के अंतर-मंडल मुकाबलों का भोपाल, चेन्नई और हैदराबाद में क्रमश: सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसमें सभी 14 मंडलों के कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता रही।

II.5.कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई (एसटीयू)

बैंक के प्रशिक्षण तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

शीर्ष प्रशिक्षण संस्थाएं (एटीआई): स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज - हैदराबाद, स्टेट बैंक अकादमी - गुड़गांव, स्टेट बैंक फांउडेशन इंस्टीट्यूट (चेतना) , स्टेट बैंक ग्रामीण विकास संस्थान - हैदराबाद, स्टेट बैंक सूचना एवं संचार प्रबंध संस्थान - हैदराबाद

एसबीआई को गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड 2012

स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्र : देश भर में 19 राज्यों में 47 ज्ञानर्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, बैंक ने कोलकाता के राजारहाट न्यू टाउन में प्रमुख इंस्टीट्यूशनल एरिया में वेस्ट बंगाल हाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से ₹58 करोड़ की लागत वाली 10 एकड़ जमीन ली है। यह जमीन कोलकाता एयरपोर्ट के समीप स्थित है। आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित इस पूर्णरूपेण आवासीय शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने में मदद मिलेगी क्योंकि वर्तमान में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सहभागियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लंबी यात्रा तय करके पहुंचना पड़ता है।

प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाने के लिए और बैंक पदाधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन जैसे विलयों, विदेश में अधिग्रहणों की नई-नई और बेहतर तकनीकों से अवगत कराने और वित्तीय विवरणों का गहराई से विश्लेषण के लिए तैयार करने में बैंक ने बाहरी विशेषज्ञों के साथ-साथ अपने वरिष्ठ सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की मदद ली है जो ऋण व्यवसाय में संलग्न पदाधिकारियों एवं संकाय सदस्यों को नवीनतम जानकारियों और तकनीकों से सुसज्जित करने के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। आकांक्षा यही है कि प्रशिक्षण संस्थानों में हमारे संकाय इन कार्यक्रमों के अनुरूप अपने को उत्तरोत्तर तैयार करते रहें और आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सांलित करते रहें।

विदेश में प्रशिक्षण : उच्च स्तरीय प्रशिक्षण विशेषकर कार्यनीतिक प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण, जो बैंक के अपने प्रशिक्षण तंत्र में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, की आवश्यकता को समझते हुए बैंक ने अपने वरिष्ठ कार्यपालकों को भारत और विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में अल्पकालिक कार्यपालक विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त किया।

तालिका 29: वरिष्ठ कार्यपालक विदेश प्रशिक्षण

	विदेश में प्रशिक्षण	भारत में प्रशिक्षण
प्रबंध निदेशक/उप प्रबंध निदेशक	18	--
मुख्य महाप्रबंधक	37	--
महाप्रबंधक	29	62
उप महाप्रबंधक	9	228
कुल	93	290

वस्तुत: वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी इच्छानुसार उस प्रशिक्षण और उस यूनिवर्सिटी / इंस्टीट्यूट का चयन करने का अवसर दिया गया जिसमें वे प्रशिक्षण प्राप्त करन चाहते हैं। पदाधिकारियों को जन संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था उनमें हार्वर्ड, स्टेनफोर्ड, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. भारतीय प्रबंध संस्थान जैसे नाम शामिल हैं। बैंक की नीति यह रही है कि प्रत्येक वर्ग का हर एक कर्मचारी प्रत्येक वर्ष कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अवश्य सहभागिता करे। 1.76 लाख कर्मचारियों को वर्ष के दौरान संस्थागत प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 90% अधिकारी और 60% कर्मचारी प्रशिक्षित हुए।

अनेक लेख हमारे अनुसंधान अधिकारियों/संकाय सदस्यों द्वारा आंतरिक और बाहरी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं जैसे बैंकॉन कम्पेन्डियम, इंडियन बैंकर, फाइनैंशियल प्लानिंग जर्नल आदि में प्रकाशित हुए।

हमारा प्रयास है कि बैंक में ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से स्व-ज्ञानार्जन की एक संस्कृति विकसित की जाए। इस पोर्टल में वर्तमान में 280 पाठ शामिल किए गए हैं। इसके अच्छे परिणाम रहे हैं और 7000 से अधिक

कर्मचारी इसका उपयोग कर रहे हैं जबकि 94% ने पंजीकरण कराया है। स्टेट बैंक प्रशिक्षण प्रबंध व्यवस्था, एक व्यापक डाटाबेस सिस्टम स्थापित है जिसमें किसी भी शीर्ण प्रशिक्षण संस्थान/स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्र के प्रशिक्षण कलेंडरों, कार्यक्रम समय-सारणियों, व्यक्तिगत प्रशिक्षण अनुभव, प्रशिक्षणार्थी की प्रतिक्रिया को देखने और ऑनलाइन स्व-नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है। नॉलिज हेल्पलाइन की स्थापना की गई है जिसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

II.6. राजभाषा

बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रयास किए गए। कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों के कंप्यूटरों पर मानक एनकोडिंग यूनिकोड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए गए।

वर्ष के दौरान स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर पर यूनिकोड में हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और इस प्रकार अब बैंक में स्टाफ सदस्यों के लिए कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना आसान हो गया है। स्टाफ सदस्यों को अपना दैनिक काम-काज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रयोजनमूलक हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

बैंक की कारपोरेट और इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइटों के द्विभाषीकरण का कार्य प्रगति पर है। बैंक में एचआरएमएस पोर्टल पर स्टाफ सदस्यों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं व कार्यविधि मैनुअलों को भी द्विभाषी, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध करा दिया गया है जिससे सभी कर्मचारियों, विशेष रूप से अधीनस्थ संवर्ग के स्टाफ सदस्यों के लिए एचआरएमएस का प्रयोग करना और अधिक आसान हो गया है। सर्विस डेस्क के द्वारा हिंदी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी में ही दिए जा रहे हैं। इसी तरह, बैंक के कॉल सेंटरों द्वारा अब हिंदी में सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है। इस वर्ष बैंक के एटीएमों पर हिंदी में हिटों की संख्या 66674049 रही जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 52063356 थी, इस प्रकार इनमें 28.04% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो वैकल्पिक चैनलों में हिंदी के प्रयोग के प्रति हमारे ग्राहकों की बढ़ती रूचि को दर्शाती है।

II.7. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व :

1. बैंक कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए अपने निवल लाभ का 1% अलग रखता है और प्रयास यह रहता है कि इसका पूर्ण उपयोग हो।

2 बैंक की कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति में निम्नलिखित प्रमुख सामाजिक उद्देश्यों के लिए दान देना शामिल है:

   i) प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री राहत कोषों में प्राकृतिक और अन्य विपदाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दान।

   ii) ऐसे संगठनों को अंशदान जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत छूट प्राप्त है। यह दान अधिकांशत: उपकरणों और वाहनों के लिए किया गया।

   iii) पड़ोस के स्कूलों को पंखों और वाटर प्योरिफायर्स का वितरण।

महाराष्ट्र (सूखा पीड़ित राहत) - ₹2 करोड़

हमें प्रसन्नता है कि वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए निवल लाभ का 1% दान करने के लक्ष्य, जो बैंक द्वारा इसके पहले पूरा करना दूर की बात प्रतीत हो रही थी, न केवल उसे पूरा किया गया बल्कि उसे पार भी कर लिया गया।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर पिछले वर्षों र्का खर्च निम्नानुसार रहा :

(₹करोड़ में)

	2012	2013
निवल लाभ का 1%	82	117
सीएसआर खर्च	71	123

3. अन्य प्रमुख कार्यक्रम:

गर्मियों के मौसम में कक्षाओं में पंखों के बिना विद्यार्थियों को अनेक असुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसे देखते हुए बैंक ने 14,000 स्कूलों को 1,40,00 पंखे दान किए। प्रयास यही रहा कि बैंक की प्रत्येक शाखा अपने पड़ोस के एक स्कूल में यह दान कार्यक्रम चलाए। प्रयास यह रहा कि हर शाखा साधारण परिवारों के छात्रों वाले अपने पड़ोस के एक स्कूल को अपनाकर उसमें 10 पंखे और 1 वाटरप्यूरिफायर लगाए। इस कार्यनीति के कारण इन गति विधियों से व्यापक रूप से जुड़ पाया। देश के हर एक क्षेत्र जिसमें एसबीआई की शाखा है उसके पड़ोस के स्कूल पंखों और वॉटरप्यूरिफायर के दान से लाभान्वित हुए।

सिक्किम (बाढ़ राहत) - ₹1 करोड़

वर्ष के दौरान दान मे दिए गए अनेक पंखों और वाटर प्योरिफायर्स का ब्योरा निम्नानुसार है :

	पंखों की संख्या	वाटर प्योरिफायर्स की संख्या
2012-13	1,40,000	43,161

गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, सालंगटेम मॉकोचुंग, नागालेंड को पंखों का दान

गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल, मुगली, कर्नाटक को सोलर लैम्प्स का दान

बैंक समाज की आस्तियों से बड़ी मात्रा में समाज के सभी वर्गों के हित के लिए सहायता प्रदान करना चाहता है। इन कदमों से समाज में अच्छी साख बन पाई और हमारे अनेक शाखा प्रबंधकों को पड़ोस के स्कूलों में वार्षिक समारोहों में अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। हमसे बैंक और समाज के परस्पर जुड़ने में एक रचनात्मक प्रयास मानते है। हमे प्रसन्नता है कि हमारे युवा नागरिकों के जीवन सुखद और स्वस्थ हों।

गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और रोगियों तथा डॉक्टरों के परिवहन के लिए बैंक ने 113 एम्ब्यूलेंस और मेडिकल वैन दान करके ऐसे गैर महानगरीय क्षेत्रों में सहायत्ता उपलब्ध कराई है जिनमें इनका उपलब्ध होना चुनौती पूर्ण है। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की सहायत्ता करने के लिए बैंक ने 51 स्कूल बसें/ वैने वितरित की।

बैंक सहायता प्राप्त करने वाले कुछ प्रमुख लाभार्थियों में शामिल हैं - अरविंद आय हॉस्पिटल, चेन्नई, टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता, एन. स्वाइं मेमोरियल ट्रस्ट, हैदराबाद, शंकर नेत्रालय, चेन्नई, सेंट ज़ेवियर कालेज, मुंबई आदि

पर्यावरण प्रेमी पहल :

बैंक ने अनेक स्थानों पर सोलर लैम्प्स लगाने के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह सहायता विशेषकर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई, जो विद्युत-आपूर्ति पर निर्भर नहीं हैं।

III सहयोगी एवं अनुषंगियाँ

स्टेट बैंक समूह की कुल 20325 शाखाएं हैं। इनमें पाँच सहयोगी बैंकों की 5509 शाखाएं भी शामिल हैं देश के पूरे बैंकिंग जगत का सिरमौर है। बैंकिंग के अलावा यह समूह अपनी विभिन्न अनुषंगियों के माध्यम से सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान कराता है जिसमे जीवन बीमा, मर्चेंट बैंकिंग, म्युचअल फंड, क्रेडिट कार्ड, फैक्टरिंग, प्रतिभूतियों का क्रय - विक्रय, पेंशन फंड प्रबंधन, अभिरक्षा सेवाएं, साधारण बीमा (गैर जीवन बीमा) और मुद्रा बाजार मे प्राथमिक व्यापारी सेवाएं शामिल हैं।

1. **सहयोगी बैंक**

भारतीय स्टेट बैंक के पाँच सहयोगी बैंकों की मार्च 13 के अंतिम शुक्रवार को जमाराशियों में बाजार हिस्सेदारी 6.16% की है तथा अग्रिमों के क्षेत्र में बाजार की हिस्सेदारी 6.32% है।

तालिका 32: सहयोगी बैंकों के निष्पादन के उल्लेखनीय बिन्दु :

(₹करोड़ में)

	31.03.2013 को	31.03.2012 को	परिवर्तन (%)
कुल आस्तियाँ	5,04,556	4,34,947	16.00
कुल जमाराशियाँ	4,17,657	3,61,589	15.51
कुल अग्रिम	3,40,321	2,89,148	17.70
परिचालन लाभ	8,803	8,214	7.17
निवल लाभ	3,678	3,626	1.43
ऋण जमा अनुपात	81.48%	79.97%	151 bps
पूँजी पर्याप्ता अनुपात	11.85%	13.16%	-131 bps
सकल एनपीए	11,589	8,538	35.73
कुल एनपीए	6,143	4,418	39.04
ईक्विटी पर आय*	14.33%	15.64%	-131 bps

*वार्षिक आधार पर

सहयोगी बैंकों, अनुषंगियों एवं संयुक्त उपक्रमों के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं:

- एसबी केपिटल मार्केटस लि ने उसकी अनुषंगी यथा एसबीआईकैप सिक्युरीटीज लि. में ₹ 50 करोड़ के निवेश का निर्णय लिया है जो कि प्रत्येक ₹ 25 करोड़ के दो खेपों में किया जाएगा। पहली खेप की राशि 4 मई 2012 को जमा की जा चुकी है।

- हमारी संयुक्त उपक्रम कंपनी जीई केपिटल बिजनेस प्रॉसेस मेनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि. ने 33,98,996 शेयर के कुल शेयर पुन: खरीदें हैं जिनकी प्रति शेयर मूल्य ₹ 10/- है तथा जनवरी 13 में इनकी कुल राशि ₹ 47.92 करोड़ होती है। इस पुन: खरीद में एसबीआई का हिस्सा 13,59,598 शेयरों का है जिसका मूल्य ₹ 19.17 करोड़ होता है।

- एसबीआई फंड मेनेजमेंट (प्रा) लि. ने ₹ 5 करोड़ एवं एसबीआई केपिटल मार्केट लि. (कुल ₹ 10 करोड़ के शेयर) एसबीआई पेंशन फंड प्रा लि.(एसबीआईपीएफ) में निवेश किए हैं जिसकी वजह से एसबीआई पीएफ में एसबीआई की हिससेदारी 90% से घटकर 60% की हो गई है।

2. **एसबीआई केपिटल मार्केट लिमिटेड (एसबीआई कैप)**

एसबीआईकैप भारत का एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि विभिन्न ग्राहक वर्गों कों तीन उत्पादों के समूहों में वित्तीय परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है। संरचनात्मक आधार, गैर संरचनात्मक एवं पूँजी बाजारों (ईक्विटी एवं ऋण)। इन सेवाओं में परियोजना परामर्शी, ऋण समूहन, विलयन एवं अधिग्रहण, निजी ईक्विटी एवं पुनसंर्चनात्मक परामर्शी।

एसबीआईकैप ने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 418.39 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 12 के दौरान यह कर पूर्व लाभ ₹ 364.84 करोड़ का था। इसी प्रकार से वित्त वर्ष 13 में इसने ₹ 296.00 करोड़ का करोत्तर लाभ कमाया है जबकि वित्त वर्ष 12 में यह ₹ 250.96 करोड़ का था।

एसबीआईकैप एवं उसकी चार अनुषंगियों ने कुल मिलाकर वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 444.37 करोड़ का करपूर्व लाभ कमाया है जबकि वित्त वर्ष में करपूर्व लाभ ₹ 385.87 करोड़ का था तथा इसी प्रकार से इनका करोत्तर लाभ वित्त वर्ष 13 में ₹ 313.96 करोड़ का है जबकि वित्त वर्ष में यह ₹ 265.31 करोड़ का था।

इस क्षेत्र में अग्रणी कंपनी होने के कारण एसबीआईकैप को इस उद्योग के कुछ बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जिसमें आईएफआर एशियाज इंडिया लोन हाउस ऑफ द इयर 2012 एवं विडियाकॉन के लिए डील ऑफ दी इयर 2012 का बिजनेस वर्ल्ड अवार्ड। एसबीआईकैप को उद्योग श्रेणी में अभी भी सर्वोत्तम स्थान बनाकर रखा है , इसकी प्रमुख बातें निम्नानुसार रही हैं:

> एसबीआई कैपिटल मार्केट को एशिया में जापान को छोड़कर ब्लूमबर्ग द्वारा नंबर 1 मैनडेटिड लीड अरेंजर घोषित किया गया।

- डीलॉजिक द्वारा परियोजना वित्तीयन के क्षेत्र में ग्लॉबल मेंडेटेड लीड अरेंजर
- थॉमसन - रॉयटर्स के द्वारा ग्लॉबल प्रोजेक्ट फायनेंस बुकरनर में नम्बर 1 की रैंक
- प्राइम द्वारा वित्त वर्ष 2013 के दौरान ऋण के सार्वजनिक निर्गमनों के लिए निर्गमनों की संख्या के आधार पर नंबर 1 की रैंक।

2.1 **एसबीआईकेप सिक्युरीटीज लिमिटेड (एसएसएल)**

एसएसएल एसबीआई कैपिटल मार्केटस लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है । यह खुदरा एवं संस्थागत ग्राहकों नकद एवं वायदा विकल्प सौदों में ईक्विटी ब्रॉकिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा म्यूचुअल फंड जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों के विक्रय और वितरण में संलग्न है। एसएसएल की 100 शाखाएं और यह खुदरा एवं संस्थागत दोनों प्रकार के ग्राहकों को डीमेट, ई-ब्रोकिंग, ई-आईपीओ और ई- एमएफ सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 2.42 करोड़ का करोत्तर लाभ (पीएटी) अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 12 के दौरान यह पीएटी ₹ 4.03 करोड़ का था। पूँजी बाजार में मंदी के कारण लाभ में कमी रही है।

2.2 **एसबीआईकैप्स वेन्चर्स लिमिटेड (एसवीएल)**

एसवीएल एसबीआई कैपिटल मार्केटस लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है । इसने वित्त वर्ष के दौरान ₹ 0.35 करोड़ का लाभ अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 12 के दौरान यह लाभ ₹ 0.23 करोड़ का था।

2.3 **एसबीआईकैप (यूके) लि. (एसयूएल)**

एसयूएल एसबीआई कैपिटल मार्केटस लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है। मुदी की स्थिति के बाद भी इसने वित्त वर्ष 13 के दौरान कुल ₹ 17.26 करोड़ की कुल आय एवं ₹ 10.76 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 12 में कुल आय ₹ 9.18 करोड़ एवं कुल लाभ ₹ 4.82 करोड़ का था।

एसयूएल ने यूके, और यूरोप में एसबीआई कैपिटल मार्केटस लिमिटेड के लिए एक रिलेशनशिप इकाई के रूप में अपनी स्थिति बना रही है। व्यवसाय उत्पादों का विपणन करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थाओं, विधि फर्मो, लेखा फर्मो अादि के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं।

2.4 **एसबीआई ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)**

एसबीआई ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल) जो कि एसयूएल एसबीआई कैपिटल मार्केटस लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है ने 1 अगस्त 2008 से प्रतिभूति न्यासी व्यवसाय शुरू किया था एवं इसने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 14.93 करोड़ का सकल लाभ कमाया है एवं ₹ 7.51 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 12 में सकल लाभ ₹ 11.63 करोड़ एवं निवल लाभ ₹ 5.86 करोड़ का था।

3 **एसबीआई डीएफएचआई लि (एसबीआई डीएफएचआई)**

एसबीआई डीएफएचआई लि एकमात्र सबसे बड़ी स्टेन्ड अलॉन प्राथमिक डीलर (पीडी) कंपनी है जिसकी देश भर में उपस्थिति है। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा भी यह मुद्रा बाजार के लिखतों, गैर प्रतिभूति ऋण लिखतों आदि का कार्य करती है। पीडी के रूप में इसकी व्यवसायिक गतिविधियाँ भारतीय रिजर्व बैक के द्वारा निर्धारित/ विनियमित होती हैं।

एसबीआई समूह का कंपनी में 72.71% की हिस्सेदारी है जो कि प्राथमिक निलामियों में बुक बिलडिंग प्रक्रिया में सहायता करता है और द्वितीयक बाजार को जी सिक्युरिटीज में आधार और चलनिधि उपलब्ध कराती है। 31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी ने ₹ 80.28 करोड़ का करोत्तर लाभ अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 2012 में यह ₹ 43.50 करोड़ का था।

मार्च 2013 को एसबीआईडीएफएचआई की बाजार हिस्सेदारी उसके सभी बाजार प्रतिस3.64% है।

स्टेन्ड अलॉन पीडी के बीच एसबीआई डीएफएचआई की हिस्सेदारी मार्च 2012 के 16.45 % की तुलना में मार्च 2013 में 22.48% हो गई है।

4. **एसबीआई कार्डस एंड पेमेन्ट सर्विसेज लि. (एसबीआईसीपीएसएल)**

• एसबीआईसीपीएसएल भारत की एकमात्र स्टेन्ड अलॉन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कंपनी है जो कि भारतीय स्टेट बैंक एवं जीई केपिटल कारपोरेशन के बीच एक संयुक्त उपक्रम है एवं एसबीआई की भागीदारी 60% है।

• सक्रिय कार्डों के हिसाब से एसबीआई सीपीएसएल पूरे उद्योग जगत में तीसरे स्थान पर है।

• 31 मार्च को कंपनी का “कार्ड इन फोर्स” (सीआईएफ) या सक्रिय कार्ड 25.70 लाख हैं। 31 मार्च 2012 को ₹ 2,178 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2103 को कुल प्राप्य राशियां ₹ 3,294 रही हैं।

• मार्च 2013 को कंपनी ने 136.30 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है जबकि मार्च 2012 को कंपनी ने ₹ 37.90 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। यह निष्पादन मुख्य रूप से आस्ति आधारित आय संवृद्धि के कारण एवं ऋण राशियों मे पर्याप्त कमी एवं बेहतर वसूली निष्पादन के कारण संभव हो पाया है।

• वित्त श्रेणी के अधीन किए गए सर्वेक्षण के अनुसार रीडर्स डायजेस्ट ने एसबीआईसीपीएसएल को 2012 का सबसे भरोसेमंद ब्रांड का खिताब दिया है।

• एसबीआईसीपीएसएल ने वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक रिटेल खर्च का 1000 करोड़ के स्तर को पार कर लिया है जो कि उसकी शुरुआत से अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है।

5. **एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड (एसबीआईलाइफ)**

• एसबीआई लाइफ, एसबीआई एवं बीएनपी परिबास कार्डिफ के बीच संयुक्त उपक्रम है जिसमें एसबीआई की हिस्सेदारी 74% है।

• एसबीआई लाइफ का बीमा उत्पादों के बिक्री के लिए एक अनन्य बहु - वितरण मॉडल है जिसमे बैंकइंश्योरेंस, रिटेल एजेन्सी एवं संस्थागत गठबंधन व समूह कारपोरेट चेनल शामिल हैं।

• एसबीआई लाइफ वित्त वर्ष 13 के लिए नए व्यवसाय प्रीमियम के क्षेत्र में प्राइवेट बाजार लीडर रहा है।

• निजी जीवन बीमाकर्ताओ में नव व्यवसाय प्रीमियम (एनबीपी) के क्षेत्र में एसबीआई लाइफ की बाजार हिस्सेदारी 16.85% की है । 31 मार्च 2013 को समग्र बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से (भारतीय जीवन बीमा को मिलाकर) एसबीआई लाइफ नव व्यवसाय प्रीमियम के क्षेत्र में 4.84% हिस्सेदारी रखता है।

• एसबीआई लाइफ विभिन्न ग्राहकों के खंडो को ध्यान मे रखाते हुए कई गतिशील बीमा उत्पाद प्रस्तुत कर रहा है जैसे ऑन लाइन वितरण के क्षेत्र में पहले महत्वपूर्ण प्रयास के तौर पर उसने ई-शील्ड के साथ ऑनलाइन सावधि योजनाएं प्रारंभ की हैं तथा वित्तीय समावेशन को ध्यान मं रखते हुए "ग्रामीण बीमा" की शुरूआात की है।

• एसबीआई लाइफ ने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 622.20 करोड़ का करोत्तर लाभ कमाया है जबकि वित्त वर्ष के दौरान यह लाभ 12% था अत: इस प्रकार इसमें वर्षानुवर्ष आधार पर 12% की संवृद्धि दर्ज की गई है।

• एसबीआई लाइफ की प्रबंधन के अधीन आस्तियों ने वर्षानुवर्ष के आधार पर 11.50% की वृद्धि दर्ज की है जो कि 31 मार्च 2013 को ₹ 51912 करोड़ है।

• वर्ष के दौरान अपने नेटवर्क में विस्तार किया है एवं 44 शाखाएं खोलकर एसबीआई लाइफ ने अपनी कुल शाखाओं की संख्या 758 कर दी है।

• वर्ष के दौरान एसबीआई लाइफ ने विभिन्न कारेपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 6,309 पेड़ लगाए गए हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के कल्याण के लिए "गिफ्ट ए स्माईल" एवं "प्रोजेक्ट स्कॉलर" नाम से प्रयास किए गए हैं । एसबीआई लाइफ ने मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की मदद के लिए "स्वयं सिद्ध" नाम से एक प्रयास किया है। इसके अलावा कुष्ट रोग के उन्मूलन के लिए दान कार्य किये हैं।

2012-13 के दौरान कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार / प्रशस्तियाँ प्राप्त हुई हैं :

एसबीआई लाइफ ने "इंडियन मर्चंट चेंबर्स रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड 2012" सर्विसेस श्रेणी में जीता।

• एसबीआई लाइफ ने सेवा की श्रेणी में "इंडियन मर्चेन्ट चेम्बर्स" की ओर से रामकृष्णा बजाज नेशनल क्वालिटी आवार्ड 2012 जीता है जो कि गुणवत्ता एवं संगठनात्मक उत्कृष्ट के क्षेत्र में उसकी प्रतिबद्धता का परिचायक है।

• आईपीई बीएफएसआई आवार्ड कार्यक्रम में इसे सर्वश्रेष्ठ नियोजक का पुरस्कार मिला है।

• साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ अकाउन्टेन्ट के द्वारा उसे 'बेस्ट प्रसेन्टेड एनवल रिपोर्ट आवार्ड' से नवाजा गया है।

• डन एंड ब्रेडस्ट्रीट - पीएसयू आवार्ड 2012- इंश्योरेंस सेक्टर

• "अंडर सर्वड मार्केट पेनिट्रेशन आवार्ड एंड क्लेम सर्विस ऑफ दी ईयर आवार्ड 2012" की श्रेणियों में भारतीय बीमा आवार्ड 2012

6. एसबीआई फंड मेनेजमेंट (प्रा) लि. (एसबीआईएफएमपीएल)

• एसबीआईएफएमपीएल भारतीय स्टेट बैंक की म्युचअल फंड इकाई है। यह औसत 'प्रबंध अधीन आस्तिया' की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा फंड हाउस है । यह बाजार की प्रमुख इकाई है जिसके 5 मिलियन से अधिक निवेशक हैं।

• एसबीआई म्युचअल फंउ ने वित्त वर्ष 13 में निवेश प्रबंधन के क्षेत्र में 25 वर्ष पूर्ण किए हैं।

• एसबीआईएफएमपीएल ने निवेश निष्पादन में पूरी तरह से कायाकल्प किया है जिसके 2 सर्वोत्तम चौमाहियों में ईक्विटी योजना एयूएम ('प्रबंध के अधीन आस्तियों') 92% रही हैं एवं सर्वोत्तम चौमाही में यह 41% रहा है।

• एसबीआईएफएमपीएल ने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 85.68 करोड़ का करोत्तर लाभ रहा है जबकि वित्त वर्ष 12 में यह ₹ 60.52 करोड़ था।

• मार्च 13 को समाप्त हुई तिमाही के लिए कंपनी की प्रबंध अधीन आस्तियाँ का औसत ₹ 54,905 करोड़ है जबकि मार्च 2012 को समाप्त तिमाही में यह ₹ 42,042 करोड़ था इस प्रकार से इसमे वर्षानुवर्ष आधार पर 30.60% की संवृद्धि हुई है।

• वित्त वर्ष 13 के दौरान एसबीआईएफएमपीएल ने अपने पहले एक्सचेज ट्रेड फंड की शुभारंभ किया है जिसका नाम एसबीआई सेन्सेक्स फंड है। यह फंड राजीव गाँधी इक्विटी बचत योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।

• एसबीआईएफएमपीएल ने एसबीआई एज फंड की शुरुआत की है। यह फंड 3 आस्तियों की श्रेणियों का लाभ देता है यथा ईक्विटि, स्वर्ण एवं डेब्ट (ऋण) का लाभ एक ही फंड में देता है।

7. एसबीआई ग्लॉबल फेक्टर्स लि. (एसबीआईजीएफएल)

• एसबीआईजीएफएल भारत की एक प्रमुख कंपनी है जो कि घरेलू एवं निर्यात एवं आयात फैक्टरिंग के क्षेत्र में कार्यरत है।

• वित्त वर्ष 13 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 3.63 करोड़ का लाभ दर्ज किया है जबकि वित्त वर्ष 12 में उसे ₹ 65.73 करोड़ की हानि हुई थी।

8. एसबीआई पेंशन फंड प्रा. लि. (एसबीआईपीएफ)

• एसबीआईपीएफ पेंशन निधि नियमन और विकास प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर) एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन निधियों के प्रबंधन के लिए नियुक्त तीन पेंशन निधि प्रबंधकों मे से एक है। गठित नई पेंशन व्यवस्था की पेंशन निधियों के प्रबंधन इकाइयों में से एक है।

• एसबीआईपीएफ स्टेट बैंक समूह की एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है जिसने अपैल 2008 से अपने परिचालन शुरू किए है। कंपनी की

31 मार्च 2003 कि स्थिति के अनुसार कुल "प्रबंध अधीन आस्तियाँ" ₹11,788 करोड़ (वर्ष दर वर्ष 96%) थी।

• कंपनी ने सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में एयूएम के मामले में 6 पेंशन फंड प्रबंधकों में अपनी अग्रणी स्थिति बनाई रखी।

• निजी क्षेत्र में समग्र एयूएम बाजार अंश 73% था जबकी सरकारी क्षेत्र में 37% था।

• एसबीआयपीएफ ने अपनी स्थापना के बाद से प्रतिलाभो के मामले में 7 आस्ति श्रेणियों में अग्रणी स्थान बनाया रखा।

• एसबीआईपीएफ को वित्त वर्ष 13 के दौरान निम्निलिखित अवॉर्ड प्राप्त हुए।

• अंशदाताओं को निष्पादन और ग्राहक सेवा में उत्कृष्ठता के लिए पेंशन फंड ऑफ द ईयर पुरस्कार इंडियन पेंशन फंड अवार्ड 2012 के अंतर्गत प्राप्त हुआ।

• स्कॉच वित्तीय समावेशन पुरस्कार 2013 में वित्तीय समावेशन (पेशन श्रेणी) के लिए पुरस्कार

9. **एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसबीआईजीआईसी)**

• एसबीआईजीआईसी भारतीय स्टेट बैंक और आईएजी आस्ट्रेलिया के बीच इक संयुक्त उद्यम है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का अंश 74% है।

• एसबीआयजीआईसी ने वित्त वर्ष 13 के दौरान अपने पूरे परिचालन का तीसरा वर्ष पूरा कर लिया।

• कंपनी का सकल प्रत्यक्ष लेखित प्रीमियम 31 मार्च 13 को 770.85 करोड़ रु है।

• कंपनी ने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 145.16 करोड़ की निवल हानि हुई है जबकि हानि ₹ 164.90 करोड़ की हानि का अनुमान था। जबकि वित्त वर्ष 12 में यह हानि ₹ 95.34 करोड़ की थी। कंपनी के वर्ष 2014-15 में कायाकल्प होने की संभावना है।

• एसबीआईपीएफ का एक बहु वितरण मॉडल है जिसमें बैंकाइंश्योरंस, एजेन्ट, ब्रोकर एवं बीमा उत्पाद वितरण के लिए प्रत्यक्ष चेनल होते हैं।

10. **एसबीआई एसजी ग्लॉबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि. (एसबीआईएसजी)**

• एसबीआईएसजी भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की सोसायटी जनरल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसकी स्थापना किसी वित्तीय समूह के द्वारा पूरी की जाने वाली अनेक प्रकार के की वित्तीय सेवाओं को पूरा करने के लिए उच्च कोटी की अभिरक्षा एवं निधि संचालन सेवाएं कराने के लिए की गई थी ।

• एसबीआईएसजी ने मई 2010 के दौरान अपने वाणिज्यिक परिचालनों एवं सितम्बर 2010 में अपने विधि लेखाकरण सेवाओं की शुरुआत की थी।

• कंपनी ने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 38.43 लाख का लाभ कमाया है जबकि वित्त वर्ष 12 के दौरान यह लाभ ₹ 24.71 लाख का था।

• अभिरक्षाधीन आस्तियाँ 31 मार्च 2013 को ₹ 51,629 करोड़ थी जबकि प्रशासनाधीन आस्तियाँ ₹ 52639 करोड़ रु थी ।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों की 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार सूचना

तालिका 33: देशीय बैंकिंग अनुषंगियों के निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्य

(रु करोड़ों में)

क्र.	बैंक का नाम	स्वामित्व में एसबीआई की हिस्सेदारी		कुल आस्तियाँ	कुल जमा राशियाँ	कुल अग्रिम	परि. लाभ	निवल लाभ	ऋण-जमा अनुपात	पूँजी पर्याप्ता अनुपात %	सकल एनपीए %	निवल एनपीए %	ईक्विटी पर आय %
		राशि	%										
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एडं जयपुर	676.12	75.07	86023	71215	58474	1713	730	82.11	12.16	3.62	2.27	15.33
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	367.55	100	139664	117270	92020	2788	1250	78.77	12.36	3.46	1.61	17.70
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	628.63	92.33	68739	56712	45980	1331	416	81.08	11.79	4.53	2.69	11.05
4	स्टेट बैक पटियाला	445.10	100	108551	88416	75460	1619	667	85.35	11.12	3.25	1.62	12.48
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	120.85	75.01	101579	84046	68389	1351	615	81.37	11.70	2.56	1.46	14.76

तालिका 34 : बैंकिंग अनुषंगियों का

क्र.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (स्टेट बैंक का हित) ₹ करोडों में	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2012-13 के लिए निवल लाभ (हानियाँ) 2012-13
1	एसबीआई केपिटल मार्केटस लि. (समेकित)	58.03	100	313.96
2	एसबीआई डीएफएचआई लि.	139.15	63.78	80.28
3	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज लि.	2.00	100	0.0381
4	एसबीआई म्युचअल फंड ट्रस्टी प्रा.लि.	0.10	100	4.20
5	एसबीआई गलॉबल फैक्टर्स लि.	137.79	86.18	3.63
6	एसबीआई पेंशन फंड प्रा.लि.	18.00	60.	(0.74)

तालिक 35 : संयुक्त उद्यमों का निष्पादन

क्र.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (स्टेट बैंक का हित) ₹ करोडों में	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2012-13 के लिए निवल लाभ (हानियाँ) 2012-13
1	एसबीआई फंड मेनेजमेंट प्रा. लि.	31.50	63	85.68
2	एसबीआई फंड मेनेजमेंट (इटरनेशनल) प्रा. लि. (यूएसडी)	$ 50000	63	हानि यूएसडी 29854
3	एसबीआई काडर्स एंड पेमेंट सर्विसेज लि.	471.00	60	136.30
4	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं लि.	740.00	74	622.20
5	एसबीआई एसजी ग्लॉबल सिक्यूरिटीज प्रा. लि.	52.00	65	0.38
6	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	111.00	74	(145.16)
7	सी-एड टेक्नॉलॉजी लि.	4.90	49%	1.22
8	जीई केपिटल बिजनेस प्रॉसेज मेनेजमेंट सर्विसेज प्रा लि.	9.44	40	21.65
9	मेकवायर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट पीटीई. लि.	2.25	45	यूएसडी 5.41
10	मेकवायर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.		#	यूएसडी 56,425
11	मेकवायर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्रा लि	18.57	45	8.03
12	एसबीआई मेकवायर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	0.025	45	0.007
13	ऑमान इंडिया जॉइन्ट 50 इनवेस्टमेंट फंड प्रा लि.	2.30	50	2.53
14	ऑमान इंडिया जॉइन्ट इनवेस्टमेंट फंड ट्रस्टी कं प्रा लि.	0.01	50	0.004

मेकवायर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्रा लि का 100% अनुषंगी

उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशक बोर्ड एतदद्वारा उल्लेख करता है कि :

i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और महत्त्वपूर्ण विचलनों की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ii. उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं तथा प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2013 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ एवं हानि की की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेक सम्मत हैं;

iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है; और

iiv. उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है।

आभार

वर्ष के दौरान श्री जी.डी. नडाफ, अधिकारी कर्मचारी निदेशक अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर, 31 मई 2012 को सेवानिवृत्त हो गए। श्री रशपाल मल्होत्रा, भारत सरकार द्वारा धारा 19(घ) के अंतर्गत नामित निदेशक 9 अगस्त 2012 को सेवानिवृत्त हुए। डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती अपना कार्यकाल पूरा होने पर 31 दिसंबर 2012 को सेवानिवृत्त हो गए। श्री दिलीप सी. चौकसी, शेयरधारकों द्वारा धारा 19 (ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक ने 31 दिसंबर 2012 को व्सवाय समय की समाप्ति पर त्यागपत्र दे दिया। श्री डी.के. मित्तल, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक अधिवार्षिता आयु पूर्ण होने पर 31 जनवरी 2013 को सेवानिवृत्त हो गए।

डॉ. राजीव कुमार, भारत सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत 6 अगस्त 2012 से निदेशक के रूप में पुनर्नामित किए गए। श्री हरीचंद्र बहादुर सिंह, भारत सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत 24 सितंबर 2012 से निदेशक के रूप में नामित किए गए। श्री एस.के. मुखर्जी, धारा 19 (गख) के अंतर्गत 4 अक्तूबर 2012 से अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित किए गए। श्री एस विश्वनाथन, धारा 19 (ख) के अंतर्गत 9 अक्तूबर 2012 से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। श्री थॉमस मैथ्यू 13 जनवरी 2013 से 24 जून 2014 के दौरान श्री दिलीप सी. चौकसी के स्थान पर पहली बार निर्वाचित किए गए। श्री राजीव टकरु, सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में धारा 19 (ङ) के अंतर्गत दिनांक 4 फरवरी 2013 की अधिसूचना के द्वारा श्री डी.के. मित्तल के स्थान पर निदेशक के रूप में नामित किए गए। डॉ. ऊर्जित आर. पटेल दिनांक 6 फरवरी 2013 की अधिसूचना के द्वारा धारा 19 (च) के अंतर्गत डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में नामित किए गए।

निदेशक, बोर्ड की चर्चाओं में श्री जी.डी. नडाफ, श्री रशपाल मल्होत्रा, डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण, श्री दिलीप सी. चौकसी और श्री डी.के. मित्तल द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करते हैं। साथ ही बोर्ड में निदेशकों के रूप में शामिल हुए डॉ. राजीव कुमार, श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह, श्री एस.के. मुखर्जी, श्री एस. विश्वनाथन, श्री थॉमस मैथ्यू, श्री राजीव टकरु और डॉ. ऊर्जित आर. पटेल का स्वागत करते हैं।

निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं विनियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता प्रकट की है।

निदेशकों ने सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाजारों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को भी उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और बैंक के कर्मचारियों की समर्पित एवं प्रतिबद्ध टीम की उन्होंने सराहना की है।

केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के लिए
और उनकी ओर से,

दिनांक : 23 मई 2013

अध्यक्ष

कारपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरश: अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि उपयुक्त कारपोरेट अभिशासन का महत्व विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन से अधिक होता है जिससे बैंक व्यवसाय सदाचार का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने सभी हितधारकों के लिए इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार है:

- शेयरधारकों की पूंजी की सुरक्षा और उसमें वृद्धि करना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों तथा समग्र समाज जैसे अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को संपूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- ग्राहक सेवा तथा निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करना।
- ऐसा सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित बातों के लिए प्रतिबद्ध है :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करें,व्यवसाय तथा कार्यों के मामले में प्रभावी नेतृत्व तथा व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करे तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए सुस्पष्ट रूप से लिखित पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यक्ष, कार्यपालक प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदार हों। अध्यक्ष की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हो, तो उसकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार बैंक ने उन मामलों को छोड़कर जहाँ खंड 49 के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं, कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है।

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (अधिनियम) से हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं ;

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर नजर रखना;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की सम्पूर्ण निगरानी ;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभों में अधिकाधिक वृद्धि करना।

बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। 31 मार्च 2013 को बोर्ड में प्रौद्योगिकी, लेखाविधि, वित्त तथा आर्थिक जगत की शख्सियतों सहित कुल 11 अन्य निदेशक हैं। इनमें शेयरधारकों के प्रतिनिधि, बैंक का

स्टाफ, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (घ) के अंतर्गत भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित अधिकारी शामिल हैं। पूर्णकालिक निदेशकों, अध्यक्ष और तीन प्रबंध निदेशकों के अलावा 31 मार्च 2013 को बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार था :

- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (गक) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (गख) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नामित तीन निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा 19 (ङ)के अंतर्गत नामित (भारत सरकार का एक अधिकारी) एक निदेशक, और
- केंद्र सरकार द्वारा 19 (च) के अंतर्गत नामित (भारतीय रिजर्व बैंक का एक अधिकारी) एक निदेशक।

निदेशक बोर्ड का गठन सूचीबद्धता व्यवस्था के खंड 49 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच कोई अंतर-संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक I में दिया गया है, विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक III में दिया गया है।

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं । वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की तेरह बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तिथियाँ और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों की तिथियां तथा इनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं.: 13
बैठकों की तिथियां : 18.05.2012, 15.06.2012, 22.06.2012, 28.07.2012, 10.08.2012, 08.09.2012, 19.10.2012,09.11.2012, 20.12.2012, 19.01.2013, 09.02.2013, 14.02.2013, 14.03.2013

श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष और श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक(एनबी) सभी तेरह बैठकों में उपस्थित रहे।

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री हेमंत जी. कान्ट्राक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (आईबी)	13	12
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	13	10
श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (एएण्डएस) (09.10.2012 से प्रभावी)	07	07
श्री दिलीप सी. चौकसी (31.12.2012 तक)	09	05
श्री एस. वैंकटाचलम	13	12
श्री डी. सुंदरम	13	09
श्री पार्थसारथी अय्यंगार	13	09
श्री थॉमस मैथ्यू (13.01.2013 से प्रभावी)	04	03
श्री ज्योति भूषण महापात्रा	13	12
श्री जी.डी. नडाफ (31.05.2012 तक)	01	01
श्री एस. के. मुखर्जी (04.10.2012 से प्रभावी)	07	05
श्री रशपाल मल्होत्रा (09.08.2012 तक)	04	04
डॉ. राजीव कुमार (06.08.2012 से प्रभावी)	09	07
श्री दीपक आई. अमिन	13	12
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (24.09.2012 से प्रभावी)	07	04
श्री डी.के. मित्तल (31.01.2013 तक)	10	05
श्री राजीव टकरु (04.02.2013 से प्रभावी)	03	03
डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण (31.12.2012 तक)	09	07
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (06.02.2013 से प्रभावी)	03	02

वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ :

- भारत के माननीय वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने दिनांक 09 फरवरी 2013 को केंद्रीय बोर्ड की एक विशेष रूप से बुलाई गई बैठक को संबोधित किया और लोकसभा द्वारा हाल ही में पारित कंपनी बिल 2012, जिसका उद्देश्य विश्व में प्रवर्तित कानून के समतुल्य कारपोरेट कानून की व्यवस्था स्थापित करना है, पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने निदेशकों की भूमिका के महत्व और विश्वभर के बोर्डों की तरह और अधिक दृढ़ निश्चयी होने पर जोर दिया। उनकी सक्रिय सहभागिता से और अधिक पारदर्शिता और प्रबंधकीय जवाबदारी आ सकती है। उन्होंने खातों की पुनर्संरचना, सभी देशीय क्षेत्रों में देश की प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने की क्षमता में सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, बैंकिंग क्षेत्र में समेकन एवं सहयोगी बैंकों के विलय, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार एवं अर्थक्षमता बढ़ाने के लिए और अधिक निधियां उपलब्ध कराने और प्रतिभाओं को रोककर रखने जैसे मानव संसाधन आदि विषयों पर निदेशकों के साथ बातचीत भी की।
- जैसेकि बैंक केंद्रीय बोर्ड और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों के समक्ष रखे जाने वाली समीक्षाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत है। वर्ष के दौरान गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सक्रिय और सफल प्रयास किए गए जिनसे समीक्षाओं की विषय-वस्तु और संरचना में पर्याप्त सुधार हुआ।
- बैंक द्वारा की गई विभिन्न पहलों की सराहना करते हुए दिनांक 11 अक्तूबर 2012 को कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इन्स्टिट्यूट ऑफ डिरेक्टर्स द्वारा बैंक को "गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2012" से सम्मानित किया गया।
- निदेशकों को नवीनतम सूचनाओं से अद्यतन रखने में सुविधा हो इस उद्देश्य से वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पहल की :
  - (i) लेखा-परीक्षा समिति के दो निदेशकों को हैदराबाद स्थित इन्स्टिट्यूट फॉर डेवलपमेन्ट एण्ड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया;
  - (ii) सेन्टर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एण्ड लर्निंग द्वारा लेखा समितियों के सदस्यों के लिए मुंबई में आयोजित सम्मेलन के लिए एक निदेशक को प्रतिनियुक्त किया जिससे अपनी भूमिका का प्रभावशाली ढंग से निर्वाह कर सकें और अभिशासन का स्तर बेहतर हो सकें।
  - (iii) एक अन्य निदेशक को नई दिल्ली में स्टान्डिंग कान्फरेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजिस (स्कोप) के कारपोरेट अभिशासन के कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त किया गया।

केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है - :

वर्ष 2012-13 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति

आयोजित बैठकों की कुल संख्या : 52

क्र. सं.	निदेशक	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1	श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष	52
2	श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)	41
3	श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	40
4	श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	43
5	श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (09.10.12 से)	20
6	श्री दिलीप सी. चौकसी (31.12.12 तक)	14
7	श्री एस. वेंकटाचलम	49
8	श्री डी. सुंदरम	28
9	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	07
10	श्री थॉमस मैथ्यू (13.01.13 से)	09
11	श्री ज्योति भूषण महापात्रा	11
12	श्री जी.डी. नडाफ (31.05.12 तक)	03
13	श्री एस.के. मुखर्जी (04.10.12 से)	06
14	डॉ. राजीव कुमार (06.08.12 से)	04
15	श्री रशपाल मल्होत्रा (09.08.12 तक)	07
16	श्री दीपक आई. अमिन	21
17	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (24.09.12 से)	05
18	श्री डी. के. मित्तल, सरकार द्वारा नामित (31.01.13 तक)	-
19	श्री राजीव टकरु, सरकार द्वारा नामित (04.02.13 से)	-
20	डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (31.12.12 तक)	03
21	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (06.02.13 से)	-

अन्य बोर्ड स्तरीय समितियाँ :

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों और भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय आठ समितियाँ गठित की हैं जैसे लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति, बड़ी राशि (₹ 1 करोड़ तथा उससे अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, ग्राहक सेवा समिति, प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति और बोर्ड की पारिश्रमिक समिति। ये समितियाँ बोर्ड स्तरीय कार्यवाही में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं जिनमें प्रमुख क्षेत्र हैं लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन और कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान का अनुमोदन देने हेतु पारिश्रमिक समिति की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित होती है। अन्य समितियों की बैठकें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा के कैलेन्डर के आधार पर आवधिक रूप में सामान्यत: तिमाही अंतराल पर आयोजित होती है ताकि नीतिगत मामलों और/या प्रमुख निष्पादन की समीक्षा की जा सके। इन समितियों द्वारा बैंक के उच्च कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्यवृत्त और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 19 जनवरी 2013 को किया गया था। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करती है और सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/विनिर्देशों का उल्लंघन न होने पाए।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करने से है। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भी करती है और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/ प्रणालियों की समीक्षा करती है ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एव अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर विशेष ध्यान भी देती है :

- अपने ग्राहक को जानिए धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश;
- लेखांकन के प्रमुख क्षेत्र;
- खंड 49 और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन;
- घोष और जिलानी समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से मासिक रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और विस्तृत (लांग फार्म) लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार विमर्श करती है।

केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक औपचारिक ''ऑडिट चार्टर'' अथवा 9टर्म्स ऑफ रेफरेंस" निर्धारित किया गया है जिसे समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 16.03.2011 को इसमें संशोधन किया गया था।

गठन एवं वर्ष 2012-13 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में आठ सदस्य होते हैं, इनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिति) तथा तीन गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संविधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा करने के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की दस बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं.: 10

बैठकों की तारीखें: 17.05.2012, 09.06.2012, 28.07.2012, 09.08.2012, 07.09.2012, 08.11.2012, 30.11.2012, 26.12.2012, 13.02.2013, 23.02.2013

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री हेमंत जी कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)	10	09
श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	10	07
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (वैकल्पिक सदस्य)	-	04
श्री दिलीप सी. चौकसी (31.12.12 तक)	08	07
श्री एस. वैंकटाचलम (19.01.13 से)	02	02
श्री डी. सुंदरम	10	09
श्री पार्थसारथी अय्यंगार (18.01.13 तक)	08	03
श्री थॉमस मैथ्यू (19.01.13 से)	02	02
डॉ. राजीव कुमार (19.01.13 से)	02	01
श्री दीपक आई. अमिन (08.09.12 से 18.01.13 तक)	03	02
श्री डी. के. मित्तल (31.01.13 तक)	08	-
श्री राजीव टकरु (04.02.13 से)	02	-
डॉ. सुबीर वी. गोकर्ण (31.12.12 तक)	08	04
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (06.02.13 से)	02	01

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (**आरएमसीबी**) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम संबंधी समन्वित जोखिम प्रबंधन संबंधी नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 19 जनवरी 2013 को पुनर्गठित की गई जिसमें सात सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक और वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें होती हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 6

बैठकों की तिथियाँ : 31.05.2012, 13.08.2012, 07.09.2012, 07.12.2012, 08.02.2013, 27.02.2013

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ उन बैठकों की अवधि के दौरान आयोजित संख्या जिनमें	बैठकों की संख्या उपस्थित थे
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)	06	06
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	06	05
श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग), वैकल्पिक सदस्य	-	01
श्री एस. वेंकटाचलम	06	06
श्री डी. सुंदरम	06	04
श्री पार्थसारथी अय्यंगार, (18.01.13 तक)	04	01
श्री थॉमस मैथ्यू (19.01.13 से)	02	02
डॉ. राजीव कुमार (08.09.12 से)	03	01
श्री दीपक आई. अमीन (08.09.12 से)	03	02

बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति

शेयर बाजारों के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बांडों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (**एसआईजीसीबी**) का 30 जनवरी 2001 को गठन किया गया था। यह समिति पिछली बार 19 जनवरी 2013 को पुनर्गठित की गई थी जिसमें छह सदस्य हैं और इसकी बैठक की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की वर्ष 2012-13 के दौरान चार बैठकें हुईं जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

वर्ष 2012-13 के दौरान शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकोंकं की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 30.04.2012, 27.07.2012, 30.11.2012, 08.02.2013

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ उन बैठकों की अवधि के दौरान आयोजित संख्या जिनमें	बैठकों की संख्या उपस्थित थे
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)	04	04
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (19.12.12 तक)	03	03
श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी)(20.12.2012 से)	01	04
श्री एस. वेंकटाचलम	04	01
श्री दिलीप सी. चौकसी (31.12.2012 तक)	03	-
श्री पार्थसारथी अय्यंगार, (08.09.2012 से 18.01.2013 तक)	01	01
श्री थॉमस मैथ्यू (19.01.2013 से)	01	02
श्री रशपाल मल्होत्रा (09.08.2012 तक)	02	-
डॉ. राजीव कुमार (08.09.2012 से)	02	01
श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह (19.01.2013 से)	01	01

अब तक प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान) : 262

उन शिकायतों की संख्या, जिनका समाधान शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप नहीं किया गया : निरंक

लंबित शिकायतों की संख्या : निरंक

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम : श्री टी.कृष्णस्वामी, महाप्रबंधक (अनुपालन)

बड़ी राशि (₹ 1 करोड़ तथा अधिक) की धोखाधडियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति :

बड़ी राशियों वाली धोखाधडियों (₹ 1 करोड़ तथा अधिक) की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का 29 मार्च 2004 को गठन किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है जिससे यह समिति प्रणालीगत खामियों, धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने एवं सूचित करने में देरी के कारणों का पता लगा सकेगी और सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रख सकेगी तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुकत निराकरण उपाय भी शुरू कर सकेगी। इस समिति को पिछली बार 19 जनवरी 2013 को पुनर्गठित किया गया जिसमें आठ सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की पांच बैठकें हुईं।

वर्ष 2012-13 के दौरान बड़ी राशि की धोखाधडियों की निगरानी के लिए गठित विशेष समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 5
बैठकों की तिथियाँ : 12.04.2012, 21.06.2012, 31.08.2012, 12.12.2012, 30.01.2013

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ उन बैठकों की अवधि के दौरान आयोजित संख्या जिनमें	बैठकों की संख्या उपस्थित थे
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	05	04
श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (19.12.2012 तक)	04	04
श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सह. एवं अनु.) (20.12.12 से)	01	01
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग) (वैकल्पिक सदस्य)	--	01
श्री दिलीप सी. चौकसी (31.12.2012 तक)	04	03
श्री एस. वेंकटाचलम	05	05
श्री पार्थसारथी अय्यंगार	05	--
श्री थामस मैथ्यू (19.01.2013 से)	01	01
श्री रशपाल मल्होत्रा (09.08.2012 तक)	02	02
डा. राजीव कुमार (08.09.2012 से)	02	--
श्री दीपक आई. अमीन (08.09.2012 से)	02	02
श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह (19.01.2013 से)	03	01

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर एवं उत्तरोत्तर सुधार लाने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (**सीएससीबी**) का गठन किया गया था। यह समिति पिछली बार 19 जनवरी 2013 को पुनर्गठित की गई और इसमें सात सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति बैठकों की तिथियां तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तिथियाँ : 30.04.2012, 27.07.2012, 30.11.2012, 30.01.2013

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ उन बैठकों की अवधि के दौरान आयोजित संख्या जिनमें	बैठकों की संख्या उपस्थित थे
श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	04	04
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग) (19.12.2012 तक)	03	03
श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (20.12.2012 तक)	01	01
श्री एस. वेंकटाचलम	04	04
श्री दिलीप सी. चौकसी (31.12.2012 तक)	03	-
श्री डी. सुंदरम (08.09.2012 से 18.01.2013 तक)	01	01
श्री थॉमस मैथ्यू (19.01.2013 से)	01	01
श्री ज्योति भूषण महापात्र (08.09.2012 से)	02	01
श्री जी. डी. नडाफ (31.05.2012 तक)	01	01
श्री एस. के. मुखर्जी (20.12.2012 से)	01	01
श्री रशपाल मल्होत्रा (09.08.2012 तक)	02	02
डॉ राजीव कुमार (08.09.2012 से 18.01.2013 तक)	01	-
श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह (19.01.2013 से)	01	01

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति गठित की गई। समिति ने बैंक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक कार्यनीतिक भूमिका का निर्वाह किया है। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त दिशानिर्देशों के आधार पर दिनांक 24 अक्तूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) कर दिया गया। समिति ने बैंक के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक कार्यनीतिक भूमिका निभाई है। समिति को निम्नांकित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

1) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक कारगर कार्यनीतिक आयोजना प्रणाली अपनाई है।
2) यह सुनिश्चित करना है कि संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा के अनुरूप है।
3) यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी निवेश, जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन दर्शाता हो और बजट स्वीकार्य हों।
4) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों पर प्रबंधन द्वारा निगरानी करने की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जानेवाली कुल निधियों की निगरानी करना;और
5) सूचना प्रौद्योगिकी के निष्पादन आकलन और व्यवसाय में योगदान (अर्थात् वचनबद्ध मूल्य प्रदान करने) की समीक्षा करना।

यह समिति 19 जनवरी 2013 को पुनर्गठित की गई। समिति के छह सदस्य हैं। एक गैर कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की छह बैठकें हुई।

वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 6

बैठकों की तिथियाँ : 28.06.2012, 13.08.2012, 23.11.2012, 15.12.2012, 19.01.2013, 26.03.2013

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ उन बैठकों की अवधि के दौरान आयोजित संख्या जिनमें	बैठकों की संख्या उपस्थित थे
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	06	03
श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	06	05
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग) (वैकल्पिक सदस्य)	--	02
श्री डी. सुंदरम	06	06
श्री एस. वेंकटाचलम	06	06
श्री पार्थसारथी अय्यंगार	06	04
श्री दीपक आई. अमीन (08.09.2012 से)	04	02

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति का गठन भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 19 जनवरी 2013 को किया गया था। इस समिति के चार सदस्य हैं जिसमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो अन्य निदेशक श्री एस. वेंकटाचलम एवं श्री डी. सुंदरम सम्मिलित हैं। इस समिति द्वारा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु पूर्णकालिक निदेशकों की प्रोत्साहन राशियों की जांच-पड़ताल तथा उनका भुगतान करने की संस्तुति की गई।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार की सूचनाओं के अनुसार, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए 20 दिसंबर 2012 की आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में बोर्ड की ऋण निगरानी समिति गठित की गई। बोर्ड में छह सदस्य में जिसमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामित निदेशक शामिल हैं। इस समिति की बैठक 14 मार्च 2013 को हुई और इसमें अनर्जक आस्ति प्रबंधन और बैंक शीर्ष 20 अनर्जक आस्ति खातों की समीक्षा की गई।

बोर्ड की नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय बोर्ड द्वारा, शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के चयन हेतु नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के चयन में चथेष्ट सावधानी बपतने और उनकी उपयुक्तता एवं सही स्थिति ज्ञात करने हेतु 20 दिसंबर 2012 को आयोजित शेयरधारकों की साधारण सभा में स्वतंत्र निदेशकों की एक नामांकन समिति गठित की गई। इस नामांकन समिति की बैठक 12 जनवरी 2013 को आयोजित की गई और इसने तदनुसार उम्मीदवारों की ''उपयुक्तता एवं सही'' स्थिति घोषित की।

स्थानीय बोर्ड

प्रत्येक केन्द्र में जहाँ पर बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक केंद्र पर बैंक का एक स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ), स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्य और विवेकाधिकारों का उपयोग स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2013 को नौ स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ और अन्य पाँच स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं।

बैठक फीस

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार बैठक फीस अदा की जाती है। तथापि गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड की समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। हाल में केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए ₹ 10,000/- और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए ₹ 5,000/- बैठक फीस दी जाती है। तथापि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा नामित निदेशकों को बैठक फीस नहीं दी जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान अदा की गई बैठक फीस का विवरण अनुलग्नक-छ में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-ञ में है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वर्ष 2012-13 में संदत्त वेतन व भत्ते

नाम	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	प्रोत्साहन	अन्य बकाया	कुल पारिश्रमिक
अध्यक्ष श्री प्रतीप चौधरी (01/04/2012 से 31/03/2013)	9,60,000/-	7,41,600/-	6,00,000/-	निरंक	23,01,600/-
प्रबंध निदेशक श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर (01/04/2012 से 31/03/2013 तक)	9,33,180/-	7,18,979/-	5,00,000/-	निरंक	21,52,159/-
श्री दिवाकर गुप्ता (01/04/2012 से 31/03/2013 तक)	9,33,180/-	7,18,979/-	5,00,000/-	निरंक	21,52,159/-
श्री ए. कृष्ण कुमार (01/04/2012 से 31/03/2013 तक)	9,33,180/-	7,18,979/-	5,00,000/-	निरंक	21,52,159/-
श्री एस. विश्वनाथन (09/10/2012 से 31/03/2013 तक)	4,33,516/-	3,12,131/-	निरंक	निरंक	7,45,647/-

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

वर्ष 2011-12 की वार्षिक महासभा 22 जून 2012 को आयोजित की गई जिसमें 09 निदेशक उपस्थित थे। इनके नाम हैं श्री प्रतीप चौधरी, श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, श्री दिवाकर गुप्ता, श्री ए. कृष्ण कुमार, श्री एस. विश्वनाथन, श्री डी. सुंदरम, श्री पार्थसारथी अय्यंगार, श्री ए. वेंकटाचलम, श्री थोमस मैथ्यु, श्री ज्योति भूषण महापात्र, श्री एस.के. मुखर्जी, डॉ. राजीव कुमार, श्री दीपक अमिन, श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह, श्री राजीव टकरू और श्री डॉ. ऊर्जित आर पटेल। बैंक के शेयरधारकों की वर्ष 2010-11 की वार्षिक महासभा 20 जून 2011 को, वर्ष 2009-10 की 16 जून 2010 को आयोजित की गई। ये सभी सभाएं, मुंबई में आयोजित की गई और इसके अलावा पूर्व में आयोजित 3 बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

प्रकटीकरण

बैंक अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों, आदि के साथ किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक लेनदेन से असंबद्ध रहा है जो बृहत्तर स्तर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल हो सकते थे।

बैंक द्वारा स्टाक एक्सचेंजों अथवा सेबी अथवा पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रयोज्य नियमों और विनियमों का विगत तीन वर्षों के दौरान पालन किया गया है। इनके द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विसल ब्लोअर नीति लागू की गई है और सभी स्टाफ सदस्यों की जानकारी के लिए इसे बैंक की स्टेट बैंक टाइम्स पर उपलब्ध कराया गया है। इससे सेवा नियमों के उल्लंघन में कर्मचारियों के किसी अनैतिक कृत्य व व्यवहार की सूचना दी जा सके। इसमें बिसल ब्लोअर के हित/पहचान को संरक्षण देने का भी प्रावधान है।

बैंक ने स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 की सभी शर्तों को पूरा किया है बशर्ते की खंड की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्राधानों, उन प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों या निदेशों का अतिक्रमण नहीं कर रही हों।

निदेशक बोर्ड का गठन, लेखा परीक्षा समिति का गठन और उसका कोरम, गैर कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति, सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के संबंध में खण्ड 49 की सांविधिक अपेक्षाएं बैंक पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान है।

शेयरधारकों के आवास पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय निष्पादन तथा महत्वपूर्ण घटनाएं संक्षेप में प्रेषित करने को छोड़कर बैंक ने खण्ड 49 की सभी गैर-सांविधिक अपेक्षों का अनुपालन किया है। उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत सूचना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

संचार माध्यम

बैंक की यह दृढ़ मान्यता है कि सभी हितधारकों को बैंक के कार्यकलाप, निष्पादन और नए उत्पादों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष 2012-13 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और तिमाही परिणाम देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट (www.sbi.co.in and www.statebankofindia.com) पर भी प्रदर्शित किया गया। वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है। बैंक की वेबसाइट पर अन्य सामग्री के साथ-साथ बैंक द्वारा जारी समाचार, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट तथा विभिन्न उत्पाद-प्रस्तावों का ब्योरा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैंक के वार्षिक एवं अर्ध-वार्षिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकारों के साथ एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें बैंक के अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्तुति तथा मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक और बैठक आयोजित की जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है और उनसे बैंक के कार्यनिष्पादन पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचनाएं जारी की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना :

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा : दिनांक 21.06.201, समय 3.00 बजे अपराह्न, स्थान : ''वाई बी चहवाण सेंटर'' जनरल जगन्नाथ भोसले, मार्ग नरीमन पाइंट, मुंबई 400 021

वित्तीय कलेंडर	:	01.04.2012 से 31.03.2013
बहीबंदी की तिथि	:	30.05.2013 से 03.06.2013
लाभांश	:	₹ 41.50 प्रति शेयर
लाभांश भुगतान की तिथि	:	17.06.2013
शेयर बाजारों में सूचीकरण	:	भारतीय स्टेट बैंक के लाभांशों का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भी किया जा रहा है। मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई. जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीकृत हैं। लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	:	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर हस्तांतरण व्यवस्था	:	शेयर हस्तांतरण की कार्रवाई कागज पर की जाती है तथा निर्धारित समयावधि में इसे शेयरधारक को लौटा दिया जाता है। एक स्वतंत्र निजी कंपनी सचिव द्वारा सूचीकरण करारों की शर्तों के अनुसार त्रैमासिक हस्तांतरण लेखा परीक्षा तथा मिलान किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट	:	मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
तथा उनके नाम	:	यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई- 400 093.
बोर्ड फोन नंबर	:	022-6671 2151 to 56 (पूर्वाहन 10 बजे से अपराहन 1.00 बजे तक और अपराहन 2 बजे से 4.30 बजे तक)
सीधी लाइनें	:	022-6671 2198, 022-667121 99, 022-6671 2201 to 6671 2203
ई-मेल पता	:	sbi_eq@dfssl.com
पत्रव्यवहार के लिए पता	:	भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, कारपोरेट कैद्र, 14 वी मंजिल, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
टेलीफोन	:	(022) 22740841 से 22740848
फैक्स	:	(022) 22855348
ई-मेल पता	:	gm.snb@sbi.co.in

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

वर्ष 1996 में जीडीआर जारी करते समय, सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो-तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी अर्थात् यदि जीडीआर धारक व्यक्ति भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयर प्राप्त करना चाहता हो तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयर में रूपांतरित करना होता था परंतु उल्टी प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीआर/जीडीआर के दो-तरफा समरूपता की अनुमति दे दी। बैंक ने बैंक के जीडीआर की दो-तरफा समरूपता की अनुमति है।

बैंक के पास 31.03.2013 को 82,60,763 जीडीआर से संबंधित 1,65,21,526 शेयर थे।

मास	एसबीआई (जीडीआर) एलएसई ($) में उच्च	निम्न	जीडीआर बकाया (सं.)
अप्रैल-12	89.05	80.50	84,68,749
मई-12	81.90	67.90	83,09,433
जून-12	79.65	72.30	82,74,643
जुलाई-12	84.00	77.30	82,66,863
अगस्त-12	81.30	69.20	82,66,863
सितंबर-12	86.15	69.90	82,66,863
अक्तूबर-12	91.80	81.40	82,66,863
नवंबर-12	83.00	77.25	82,66,863
दिसंबर-12	90.00	82.20	82,61,263
जनवरी-13	96.00	90.70	82,61,263
फरवरी-13	93.50	83.75	82,60,763
मार्च-13	88.00	81.40	82,60,763

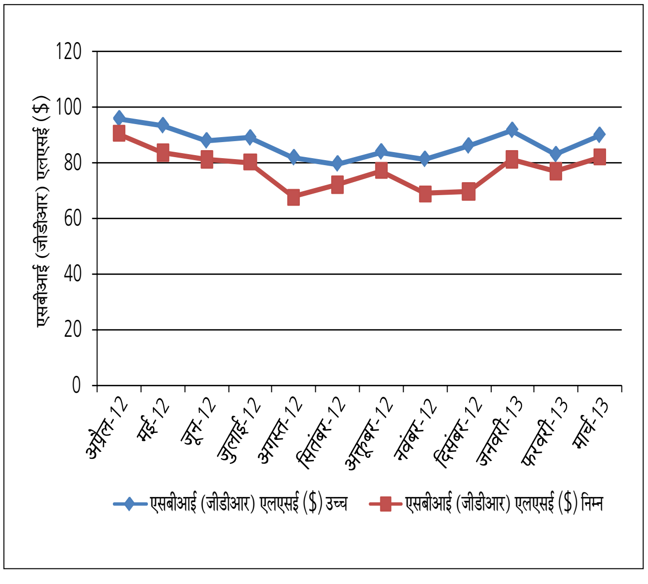

शेयरों का डीमैटीरियलाइजेशन और चलनिधि - 31-03-2013 को

रूप	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	फोलियो संख्या	कुल फोलियो का %
कागज रूप में	1,04,08,469	1.52	2,05,913	25.52
कागज रहित	67,36,25,502	98.48	6,00,808	74.48
कुल	68,40,33,971	100.00	8,06,721	100.00

प्रति शेयर बही मूल्य : ₹ 1,394.79
आर्थिक मूल्य वर्धित (ईवीए): ₹ 7,275 करोड़

दावारहित शेयर :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में दावारहित उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर और शेयरधारकों की संख्या का औसत	1,083	25,881
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता का संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	19	589
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	19	589
वर्ष के अंत में दावारहित उचंत खाते में पड़े बकाया शेयरों और औसत शेयरधारकों की संख्या	1,064	25,292

लाभांश निष्पादन : भारतीय स्टेट बैंक पिछले कई वर्षों से अपने शेयरधारकों को निरंतर वृद्धिशील लाभांश भुगतान करता आ रहा है।

ई-पहल : कारपोरेट अभिशासन में 9ग्रीन प्रयासों" पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार हम उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं जिनके ई-मेल पते उपलब्ध है।

निवेशक सेवा :

निवेशकों की शेयरधारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुंबई में बैंक के कारपोरेट केंद्र में एक पूर्ण व्यवस्थित विभाग शेयर एवं बांड विभाग - और 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों में शेयर एवं बांड कक्ष है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे बैंक कार्यालयों को या रजिस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेंटों को मिली हो, तुरंत ध्यान देकर उनका समाधान किया जाता है।

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव :

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स / एनएसई निफ्टी निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। बैंक के शेयरों का 28.03.2013 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 4.10% और एनएसई निफ्टी में 3.31% था।

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े (बाजार बंद होने के समय मूल्य)

मास	एसबीआई शेयर का भाव बीएसई (₹) में		बीएसई सेंसेक्स	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-12	2347.00	2090.20	17664.10	17010.16
मई-12	2167.40	1804.50	17432.33	15809.71
जून-12	2241.95	1975.00	17448.48	15748.98
जुलाई-12	2251.50	1931.00	17631.19	16598.48
अगस्त-12	2089.00	1816.20	17972.54	17026.97
सितंबर-12	2278.00	1828.25	18869.94	17250.80
अक्तूबर-12	2363.60	2058.05	19137.29	18393.42
नवंबर-12	2269.00	2044.00	19372.70	18255.69
दिसंबर-12	2407.65	2171.00	19612.18	19149.03
जनवरी-13	2550.00	2397.50	20203.66	19508.93
फरवरी-13	2451.65	2055.60	19966.69	18793.97
मार्च-13	2272.50	2025.40	19754.66	18568.43

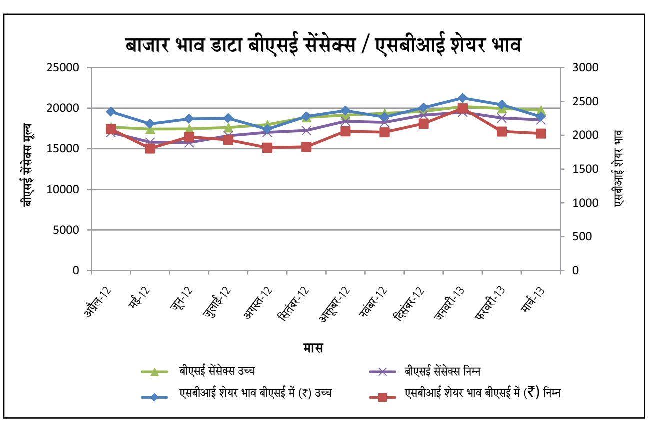

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े (बाजार बंद होने के समय मूल्य)

मास	स्टेट बैंक के शेयर का भाव एनएसई (₹)		एनएसई निफ्टी	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-12	2349.70	2090.05	5378.75	5154.30
मई-12	2168.90	1802.30	5279.60	4788.95
जून-12	2244.00	1974.05	5286.25	4770.35
जुलाई-12	2252.55	1931.50	5348.55	5032.40
अगस्त-12	2088.95	1815.15	5448.60	5164.65
सितंबर-12	2278.00	1827.00	5735.15	5215.70
अक्तूबर-12	2362.55	2010.30	5815.35	4888.20
नवंबर-12	2269.35	2041.00	5885.25	5548.35
दिसंबर-12	2408.15	2173.50	5965.15	5823.15
जनवरी-13	2551.70	2397.55	6111.80	5935.20
फरवरी-13	2452.10	2051.00	6052.95	5671.90
मार्च-13	2273.80	2027.10	5971.20	5604.85

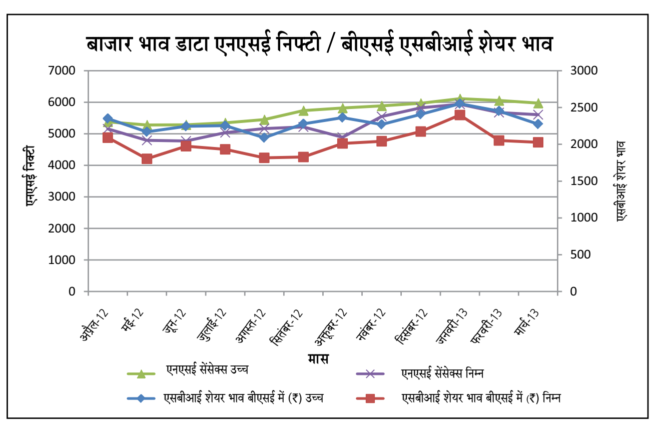

31.03.2013 को शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	62.31
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी कारपोरेट निकाय/ अनिवासी भारतीय/वैश्विक निक्षेपागार रसीदें)	13.32
3	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	4.85
4	निजी कारपोरेट निकाय	2.72
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनियाँ आदि	10.96
6	अन्य निवासी व्यक्तियों सहित	5.84
	कुल	100.00

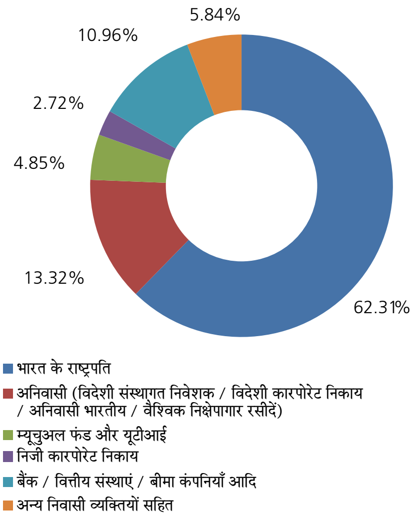

बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल ईक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	62.313
2	भारतीय जीवन बीमा निगम एवं समूह	9.986
3	दि बैंक आफ न्यूयार्क (हमारे जीडीआर की डिपोजिटरी के रूप में)	2.415
4	स्केजेन कॉन-टिकी वर्डिप एपिरफांड (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.700
5	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - टॉप 200 फंड	0.642
6	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी ईक्विटी फंड	0.632
7	कॉप्टहॉल मोरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.567
8	एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड खाता एसएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड मॉरिशस लि. (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.487
9	भारतीय साधारण बीमा निगम	0.457
10	वानगार्ड इमर्जिंग मार्केटस स्टॉक इंडेक्स (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.393

अनुलग्नक I

दिनांक 31 मार्च 2013 को गैर-कार्यपालक निवेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री एस वैंकटाचलम

(जन्म तिथि : 8 नवंबर 1944)

श्री एस. वैंकटाचलम भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 25 जून 2011 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा पुन: निर्वाचित निदेशक हैं। वे सक्रिय सनदी लेखाकार है, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के रत्न-सदस्य है और सिटी ग्रुप एवं सिटी बैंक एनए इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में 31 वर्षों से वरिष्ठ प्रबंधन संवर्ग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रह चुके हैं।

श्री डी. सुंदरम

(जन्म तिथि : 16 अप्रैल 1953)

श्री डी. सुंदरम भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 25 जून 2011 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा पुन: निर्वाचित निदेशक है। वे टीवीएस कैपिटल फंड लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वे व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अकाउंटेंट (एफआइसीडब्ल्युए) हैं और वित्त तथा लेखा के क्षेत्र में बृहद् अनुभव रखते हैं। भारत और विदेश में हिन्दुस्तान यूनीलीवर समूह में विभिन्न पदों पर कार्य करने के अलावा वे हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड के समूह उपाध्यक्ष एवं मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं।

श्री पार्थसारथी अय्यंगार

(जन्म तिथि : 2 जून 1961)

श्री पार्थसारथी अय्यंगार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 25 जून 2011 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। श्री अय्यंगार को यूएसएस से इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन (प्रबंधन सूचना प्रणाली) में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त है। उन्हें यूएस और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वे विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं सलाहकार संस्था गार्टनर के उपाध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित विश्लेषक है और वर्तमान में भारत में इसके क्षेत्रीय अनुसंधान निवेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

श्री थॉमस मैथ्यू

(जन्म तिथि : 20 फरवरी 1951)

श्री थॉमस मैथ्यू भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 13 जनवरी 2013 से शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। श्री मैथ्यू भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के रत्न सदस्य है और उन्हें देशी एवं विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सांविधिक/आंतरिक लेखा परीक्षा का 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

श्री ज्योति भूषण महापात्रा

(जन्म तिथि : 23 सितंबर 1957)

श्री ज्योति भूषण महापात्रा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग क) के अंतर्गत 21 नवंबर 2011 से केंद्र सरकार के द्वारा नामित वर्कमेन कर्मचारी निदेशक हैं। .

श्री एस.के.मुखर्जी

(जन्म तिथि :27 नवंबर 1955)

श्री एस.के. मुखर्जी, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग ख) के अंतर्गत 4 अक्तूबर 2012 से केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिकारी कर्मचारी निदेशक है।

डॉ. राजीव कुमार

(जन्म तिथि : 6 जुलाई 1951)

डॉ. राजीव कुमार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 6 अगस्त 2012 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. कुमार ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय की डी.फिल डिग्री धारक हैं, एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और पूर्व में फिक्की के निदेशक, आईसीआरआईइआर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में और एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम कर चुके हैं। डॉ. कुमार वर्तमान में सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली में वरिष्ठ रत्न-सदस्य है।

श्री दीपक आई. अमिन

(जन्म तिथि : 20 अप्रैल 1966)

श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 24 जनवरी 2012 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री अमिन आईआईटी, मुंबई से कंप्यूटर विष्ठान एवं इंजीनियरिंग में बी.टेक. तथा यूएसए के रोड आइलैंड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एमएस की डिग्री प्राप्त हैं। श्री अमिन कोविलिक्स, इंक सीटल व भारत आधारित अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सलाहकार कंपनी (एमटेक आइएनसी के द्वारा अधिगृहीत) के सह संस्थापक व सीईओ हैं। इससे पहले श्री अमिन यूएसए की सॉफ्टवेयर कंपनियों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं।

श्री हरीचन्द्र बहादुर सिंह

(जन्म तिथि : 16 सितंबर 1963)

श्री हरीचन्द्र बहादुर सिंह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 24 सितंबर 2012 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री सिंह को कृषि, ग्रामीण अर्थतंत्र और एसएमई व्यवसाय में अनुभव है। वे 24.12.2008 से 08.12.2010 के दौरान पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक थे।

श्री राजीव टकरू

(जन्म तिथि : 26 सितंबर 1955)

श्री राजीव टकरु भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत 4 फरवरी 2013 से केंद्र सरकार के द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री राजीव टकरू वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं।

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

(जन्म तिथि : 28 अक्तूबर 1963)

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 6 फरवरी 2013 से केंद्र सरकार के द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर हैं।

अनुलग्नक II

31.03.2013 को निदेशक बोर्ड/बैंक/अन्य कंपनियों की बोर्ड स्तरीय समितियों @/ की कुल संख्या जिनमें निदेशक बोर्ड के निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं

क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिए गए हैं)
1.	श्री प्रतीप चौधरी	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग मुंबई-400 006	07.04.2011	अध्यक्ष : 17 निदेशक : 03
2.	श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर	प्रबंध निदेशक एम-1 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	07.04.2011	निदेशक : 05 समिति सदस्य : 02
3.	श्री दिवाकर गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-2 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	07.04.2011	निदेशक : 02
4.	श्री ए. कृष्ण कुमार	प्रबंध निदेशक डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	07.04.2011	निदेशक : 06 समिति सदस्य : 05

@ शेयर बाजार में सूचीकरण करार के खंड 49 के पैरा 1 (सी) (ii) का विधिवत अनुपालन करते हुए केवल लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को दर्शाया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिए गए हैं)
5.	श्री एस. विश्वनाथन	प्रबंध निदेशक डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	09.10.2012	निदेशक : 05 समिति सदस्य : 03
6.	श्री एस. वेंकटाचलम	सेवानिवृत्त बैंक कार्यपालक बिल्डिंग बी-1, फ्लैट 1-डी (प्रथम तल) हार्बर हाइटस, एनए सावंत मार्ग, कोलाबा, मुंबई-400 005	25.06.2011	निदेशक : 04 समिति के अध्यक्ष : 02 समिति सदस्य : 02
7.	श्री डी. सुंदरम	उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टीवीएस केपिटल फंड लिमिटेड, आइएल एण्ड एफएस फायनैंशियल सेंटर, क्वाडरेंट बी, द्वितीय तल, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	25.06.2011	निदेशक : 08 समिति के अध्यक्ष : 03 समिति सदस्य : 01
8.	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक, गार्टनर इंडिया, बनेर 133 नेशनल सोसाइटी औंध रोड, पुणे-411007	25.06.2011	निदेशक : 02
9.	श्री थोमस मैथ्यू	परामर्शदाता 1401 महिन्द्रा हाइटस, 96, तारदेव रोड, मुंबई-400 034	13.01.2013	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 02
10.	श्री ज्योति भूषण महापात्रा (वर्कमेन निदेशक)	विशेष सहायक भारतीय स्टेट बैंक कट्टक शाखा कलेक्टरेट कम्पाउन्ड कट्टक-753 002	21.11.2011	निदेशक : 01
11.	श्री एस.के. मुखर्जी (अधिकारी कर्मचारी निदेशक)	उप प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक इकाई, भंगागढ़, गुवाहाटी-781 005	04.10.2012	निदेशक : 01
12.	डॉ. राजीव कुमार	अर्थशास्त्री सी-215 भूतल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 017	06.08.2012	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 02
13.	श्री दीपक आई. अमिन	परामर्शदाता सी-72, आइकोन, डीएलएफ फेज 5, गुड़गांव-122 002	24.01.2012	निदेशक : 02
14.	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	कृषि एवं व्यवसाय आरआर कोठी, केनाल रोड, रायबरेली-229001 (उ.प्र.)	24.09.2012	निदेशक: 01 समिति सदस्य : 01
15.	श्री राजीव टकरु (भारत सरकार द्वारा नामित)	सचिव (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग), जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001	04.02.2013	निदेशक: 05 समिति सदस्य : 01
16.	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित)	उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001	06.02.2013	निदेशक : 02 समिति सदस्य : 01

@ शेयर बाजार में सूचीकरण करार के खंड 49 के पैरा 1 (सी) (ii) का विधिवत अनुपालन करते हुए केवल लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को दर्शाया गया है।

अनुलग्नक II क

31.03.2013 को निदेशक बोर्ड/बैंक/अन्य कंपनियों की बोर्ड स्तरीय समितियों की कुल संख्या जिनमें निदेशक बोर्ड के निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं।

(@केवल लेखापरीक्षा समिति एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को दर्शाया है)

1. श्री प्रतीप चौधरी

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	अध्यक्ष
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अध्यक्ष
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अध्यक्ष
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अध्यक्ष
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	अध्यक्ष
7	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	अध्यक्ष
8	एसबीआई फंड मैनेजमेंट पी. लिमिटेड	अध्यक्ष
9	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष
10	एसबीआई कैपिटल मार्केटस लि.	अध्यक्ष
11	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लि.	अध्यक्ष
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	अध्यक्ष
13	एसबीआई कार्ड एण्ड पेमेंट सर्विसेस पी. लि.	अध्यक्ष
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	अध्यक्ष
15	एसबीआई पेंशन फंड पी. लि.	अध्यक्ष
16	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष
17	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज लि.	अध्यक्ष
18	भारतीय आयात निर्यात बैंक	निदेशक
19	जीई कैपिटल बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	निदेशक
20	भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान	निदेशक

2. श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- सदस्य बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
2	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	निदेशक	-
3	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	निदेशक	-
4	भारतीय स्टेट बैंक (मारीशस)	निदेशक	-
5	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	निदेशक	-

3. श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	-
2	नेशनल सिक्युरिटीज डिपासिटरी लि.	निदेशक	-

4. श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
2	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
3	एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेस प्राईवेट लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
4	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
5	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	निदेशक	-
6	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य

5. श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
2	एसबीआई कैपिटल मार्केटस लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- सदस्य
3	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- सदस्य
4	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लि.	निदेशक	-
5	एसबीआई कैप यूके लिमिटेड	निदेशक	-

6. श्री एस. वैंकटाचलम

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- अध्यक्ष बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
2	ओरेकल फाइनैंशियल सर्विसेस सॉफ्टवेयर लि.	अध्यक्ष	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- सदस्य बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
3	ईक्वीफैक्स क्रेडिट इनफरमेशन सर्विसेस प्रा. लि.	निदेशक	-
4	केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	निदेशक	-

7. **श्री डी. सुंदरम**

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	एसबीआई कैपिटल मार्केटस लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
3	टीवीएस कैपिटल फंड लि.	प्रबंध निदेशक	-
4	टीवीएस इलेक्ट्रानिक्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष
5	ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष
6	नाइन डाट नाइन मीडियाबॉक्स पी. लि.	निदेशक	-
7	मेडफोर्ट हॉस्पिटल्स पी. लि.	निदेशक	-
8	मैक्सविज़न लेज़र सेंटर पी. लि.	निदेशक	

8. **श्री पार्थसारथी अय्यंगार**

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-
2	इनफो टेक्नोलॉजी एडवाइजर (आई) पी. लि.	निदेशक	-

9. **श्री थॉमस मैथ्यू**

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति- सदस्य

10. **श्री ज्योति भूषण महापात्रा**

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-

11. **श्री एस.के. मुखर्जी**

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-

12. **डॉ. राजीव कुमार**

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति- सदस्य

13. **श्री दीपक आई. अमिन**

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-
2	रेडियन एडवाइजर्स प्रा. लि.	निदेशक	-

14. श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य

15. श्री राजीव टकरु

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
3	भारतीय जीवन बीमा निगम लि.	निदेशक	-
4	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लि.	निदेशक	-
5	भारतीय आयात-निर्यात बैंक	निदेशक	-

16. डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य

अनुलग्नक – III

31.3.2013 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का ब्योरा

क्र.सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1.	श्री प्रतीप चौधरी	निरंक
2.	श्री हेमंत जी. कॉन्ट्रेक्टर	446
3.	श्री दिवाकर गुप्ता	100
4.	श्री ए. कृष्ण कुमार	69
5.	श्री एस. विश्वनाथन	654
6.	श्री एस. वैंकटाचलम	500
7.	श्री डी. सुंदरम	2640
8.	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	500
9.	श्री थॉमस मैथ्यू	500
10.	श्री ज्योति भूषण महापात्र	60
11.	श्री एस.के. मुखर्जी	80
12.	डॉ. राजीव कुमार	निरंक
13.	श्री दीपक आई. अमिन	निरंक
14.	श्री हरीचंद्र बहादुर सिंह	निरंक
15.	श्री राजीव टकरु	निरंक
16.	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	निरंक

अनुलग्नक IV

वर्ष 2012-13 के दौरान कैद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को अदा की गई बैठक फीस का ब्योरा

क्र. सं.	निदेशक का नाम	कैद्रीय बोर्ड की बैठकै (₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकै (₹)	कुल (₹)
1	श्री दिलीप सी. चौकसी	50,000	1,25,000	1,75,000
2	श्री एस. वैंकटाचलम	1,20,000	3,95,000	5,15,000
3	श्री डी. सुंदरम	90,000	2,50,000	3,40,000
4	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	90,000	80,000	1,70,000
5	श्री थोमस मैथ्यू	30,000	85,000	1,15,000
6	श्री ज्योति बी. महापात्रा	1,20,000	60,000	1,80,000
7	श्री जी.डी. नडाफ	10,000	20,000	30,000
8	श्री एस.के. मुखर्जी	50,000	35,000	85,000
9	डॉ. राजीव कुमार	70,000	30,000	1,00,000
10	श्री रशपाल मल्होत्रा	40,000	65,000	1,05,000
11	श्री दीपक आई. अमिन	1,20,000	1,45,000	2,65,000
12	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	40,000	40,000	80,000

अनुलग्नक V

भारतीय स्टेट बैंक

घोषणा

बैंक की आचार संहिता (2012-13) के अनुपालन की

मैं पुष्टि करता हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए बैंक की आचार संहिता का अनुपालन किया है।

प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

दिनांक : 4 **अप्रैल** 2013

तोदी तुलसियान एंड कं.
सनदी लेखाकार

कारपोरेट अभिशासन संबंधी लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

भारतीय स्टेट बैंक के
शेयरधारकों के लिए

हमने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कारपोरेट अभिशासन की उन शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जो भारत में शेयर-बाजारों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित की गई है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी निर्देशक नोट के अनुसार की गई है और यह कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही भारतीय स्टेट बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण-करार में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम सूचित करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत-निवारण समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो भारतीय स्टेट बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने भारतीय स्टेट बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते तोदी तुलसियान एंड कं.
सनदी लेखाकार,
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 002180 सी

(सुशील कुमार तुलसियान)
भागीदार
सदस्यता सं. 075899

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23 मई 2013

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2012 -13

विषय-सूची तालिका

खण्ड क: कंपनी के बारे में सामान्य सूचना
खण्ड ख: कंपनी का वित्तीय ब्योरा
खण्ड ग : अन्य ब्योरा
खण्ड घ: व्यवसाय दायित्व (बीआर) सूचना
खण्ड ङ: सिद्धांत-वार निष्पादन
व्यवसाय दायित्व (बीआर) से संबंधित अभिशासन
व्यवसाय दायित्व (बीआर) रिपोर्ट के बारे में
सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआरनीति/नीतियां (हां/नहीं में जवाब)
सिद्धांत 1: अच्छा कारपोरेट अभिशासन कार्यान्वित करना
सिद्धांत 2: व्यवसाय बढ़ाने वाले उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराना
सिद्धांत 3: मानव संसाधन पूंजी का ध्यान रखना
सिद्धांत 4: हितधारकों से परामर्श प्राप्त करना
सिद्धांत 5: मानवाधिकारों का सम्मान करना
सिद्धांत 6: पर्यावरण का ध्यान रखना
सिद्धांत 7: लोक नीति की वकालत करना
सिद्धांत 8: समावेशीसंवृद्धि हासिल करना
सिद्धांत 9: ग्राहकों की सेवा करना

खण्ड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है जिसकी शाखाएं दूरस्थ क्षेत्रों सहित पूरे देश में स्थित है। बैंक का 14,816 शाखाओं और 32752 समूह एटीएमों का एक अतुलनीय नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। बैंक की कुल शाखाओं की एक तिहाई से भी ज्यादा शाखाएं ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं जो समाज की आर्थिक उन्नति करने के बैंक के उद्देश्य को प्रदर्शित कर रही है।

बैंक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के कार्य में लगा हुआ है। बैंक के कार्य-कलापों को सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "ग्रुप के: राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण वाले वित्तीय एवं बीमा कार्यकलाप (समस्त आर्थिक कार्यकलाप) - 2008" के अंतर्गत शामिल किया गया है।

बैंक के कार्यकलाप नीचे उल्लिखित औद्योगिक कार्यकलाप कोड के अंतर्गत आते हैं :

समूह श्रेणी	श्रेणी	विवरण
641		मौद्रिक मध्यस्थता
	6419	अन्य मौद्रिक मध्यस्थता

बीमा, म्यूचुअल फण्ड, वित्तीय पट्टा, कार्ड व्यवसाय आदि जैसी अन्य वित्तीय सेवाएं सभी ग्राहक खंडों चाहे वह सरकारी, कारपोरेट या व्यक्तिगत हो, को बैंक की सहयोगी तथा/अथवा अनुषंगियों के माध्यम से दी जाती हैं। बैंक की तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाएंश्रेणियां, जिनमें से प्रत्येक में अनेक उत्पाद/सेवाएं शामिल होती हैं, निम्नलिखित हैं:

1. जमा
2. ऋण एवं अग्रिम
3. धन-प्रेषण और उगाहियां

बैंक के 14 मंडल और 85 आंचलिक कार्यालय हैं जो पूरे देश में महत्वपूर्ण केन्द्रों में स्थित हैं। भारतीय स्टेट बैंक की अंतरराष्ट्रीय बैंकिंगसेवाएं उसके भारतीय ग्राहकों, अनिवासी भारतीयों, विदेशी इकाइयों और बैंकों के हित के लिए प्रदान की जाती है। बैंक के 34 देशों में 186 कार्यालयों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो सभी समय क्षेत्रों में फैला हुआ है। बैंक के कुछ अंतरराष्ट्रीय केन्द्रों में यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, कनाड़ा, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, चीन सिंगापुर, जापान और आस्ट्रेलिया शामिल हैं। पूरे विश्व में 429 से अधिक बैंकों के साथ प्रतिनिधि संपर्क होने और भारत में विदेशी एवं एनआरआई शाखाओं का एक समूह होने से यह नेटवर्क और भी बड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, बैंक के विदेश स्थित संयुक्त उद्यम और अनुषंगियां बैंक की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को रेखांकित करता है।

पता :	भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक भवन कारपोरेट केन्द्र, मादाम कामा रोड नरीमन पाइंट, मुंबई - 400021, भारत
वेबसाइट :	http://www.sbi.co.in http://www.statebankofindia.com
ई-मेल आईडी :	gm.snb@sbi.co.in
वित्तीय वर्ष :	FY 2012 – 2013

खण्ड ख : कंपनी का वित्तीय ब्योरा

भारतीय रुपए में 684.03 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ, वित्त वर्ष 12-13 के दौरान बैंक की कुल आय और कर पश्चात लाभ (पीएटी) क्रमशः भारतीय रुपए में 1,35,691.94 करोड़ और भारतीय रुपए में 14,105.32 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 12-13 के लिए, बैंक की कुल जमा-राशियां भारतीय रुपए में 12,02,739.57 करोड़, कुल अग्रिम भारतीय रुपए में 10,45,616.55 करोड़ और कुल व्यवसाय भारतीय रुपए में 22,48,356.12 करोड़ रहा।

भारतीय स्टेट बैंक समाज के अल्प सुविधा प्राप्त सदस्यों के विकास में एक स्थायी सामाजिक बदलाव लाने और समाज को कुछ वापस देने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 12-13 के लिए बैंक के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय की बजट राशि पिछले वर्ष के कर पश्चात लाभ का 1% थी और इसकी राशि भारतीय रुपए में 117.07 करोड़ रही। वित्त वर्ष 12-13 के दौरान सीएसआर कार्य-कलापों पर बैंक की वास्तविक व्यय राशि भारतीय रुपए में 123.27 करोड़ रही। बैंक अपने सीएसआर कार्य-कलापों के माध्यम से देश के सभी भागों में रहने वाले लाखों गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सेवाओं में कार्यरत है।

सीएसआर को बैंक की अनेक व्यवसाय पहलों से जोड़ दिया गया है और यह सामाजिक सेवा बैंकिंग के अंतर्गत वर्ष 1973 से भारतीय स्टेट बैंक का एक हिस्सा बनी हुई है और इसमें विभिन्न सामाजिक, पर्यावरण संबंधी और कल्याणकारी गतिविधियां शामिल होती हैं। बैंक में एक व्यापक कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति लागू है जिसे अगस्त 2011 में केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने अनुमोदित किया है।

बैंक की सीएसआरगतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों को यहां नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- शिक्षा में सहायता करना
- स्वास्थ्य देखभाल में सहायता करना
- गरीब एवं अल्प-सुविधा प्राप्त लोगों को सहायता करना
- उद्यम विकास कार्यक्रम
- राष्ट्रीय आपदाओं के समय सहायता करना

बैंक की सीएसआर गतिविधियों से संबंधित और अधिक जानकारी को वित्त वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट के ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व'' में शामिल किया गया है।

खण्ड ग : अन्य ब्योरा

व्यवसाय दायित्व (बीआर) पहलों में अनुषंगियों और व्यवसाय भागीदारों की सहभागिता।

बैंक के पास 5 देशीय और 6 विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां हैं। अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों का विस्तृत ब्योरा वित्त वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

बैंक के सहयोगी एवं अनुषंगियां अपने सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी पहलों के संबंध में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। बैंकिंग परिचालनों में एक काम्प्लेक्स सप्लाई चेन व्यवस्था नहीं रहती है और इस प्रकार व्यवसाय भागीदारों (आपूर्तिकर्ता/संवितरक) की संख्या भी बहुत सीमित होती है, जिससे अपने व्यवसाय दायित्व पहलों में उनको शामिल करने की बैंक के पास बहुत थोड़ी गुंजाइश रहती है। बैंक यह अपेक्षा रखता है कि वह अपने आपूर्तिकर्ताओं/संवितरकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वे अपने व्यवसाय का एक दायित्वपूर्ण ढंग से संचालन करें।

खण्ड घ : व्यवसाय दायित्व (बीआर) सूचना

व्यवसाय दायित्व (बीआर) से संबंधित अभिशासन

• बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जवाबदार निदेशक	
डीआईएननम्बर (यदि लागू हो)	00871792
नाम	श्री ए. कृष्ण कुमार
पदनाम	प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)
• व्यवसाय दायित्व प्रमुख	
डीआईएननम्बर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
नाम	श्रीमती पदमजा नायर
पदनाम	महाप्रबंधक (कारपोरेट संप्रेषण एवं परिवर्तन प्रबंधन)
टेलीफोन नम्बर	022-22824469
ई-मेल आईडी	gm.ccc@sbi.co.in

बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति के अनुसार बैंक की व्यवसाय क्षायित्व निष्पादन की निदेशक बोर्ड द्वारा वार्षिक रुप से मूल्यांकन किया जाएगा । नोडल अधिकारी जिसे व्यवसाय दायित्व कार्य का नेतृत्व सौंपा गया है, बैंक के व्यवसाय दायित्व निष्पादन के लिए जिम्मेदार है । इसके आतिरिक्त, बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति को नोडल अधिकारी द्वारा समय समय पर अद्यतन किया जाएगा। अद्यतन करने का यह कार्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के संशोधनो के अनुसार किया जाएगा और एक वार्षिक समीक्षा बैठक बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के संबंध में

यह बैंक की पहली व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट हैं । अब से यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाएगी । वित्त वर्ष 2012-13 की बीआर रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट http://www.sbi.co.in या http://statebankofindia.com under the link Corporate Governance →CSR→BR Report पर देखीजा सकती है।

सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) नीति/नीतियां (हां/नहीं में जवाब)

क्र सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6 .	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास .... के लिए नीति/नीतियां हैं ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा करके नीति बनाई जा रही है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या यह नीति राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा दें ? (50 शब्दों में)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
		भारतीय स्टेट बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति जुलाई 2011 में भारत सरकार के कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय अभिप्रेत दिशा-निर्देशों पर आधारित है।								
4.	क्या इस नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/मालिक/सीईओ/ सक्षम निदेशक बोर्ड द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
		यह बीआर नीति केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और बोड द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।								
5.	क्या इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिए कंपनी के पास कोई बोर्ड समिति/निदेशक/पदाधिकारी है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	ऑनलाइन देखने के लिए इस नीति से संबंधित लिंक का उल्लेख करें ?	http://www.sbi.co.in or http://statebankofindia.com under the link Corporate Governance → CSR → BR Report.								
7.	क्या संबंधित आंतरिक और बाहरी हितधारकों को औपचारिक रूप से इस नीति के बारे में सूचित किया गया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी के पास इस नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आंतरिक संरचना है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी के पास इस नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए इस नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण प्रणाली है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति की कार्य प्रणाली के बारे में स्वतंत्र लेखा-परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपनी व्यवसाय दायित्व नीति तैयार की है और इसलिए, अनुवर्ती वर्षों में इस नीति की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन किया जाएगा।								

खण्ड ङ : सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1 : अच्छा कारपोरेट अभिशासन कार्यान्वित करना

भारतीय स्टेट बैंक नीतिपरक आचरण के क्षेत्र में एक अनुकरणीय निष्पादन स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है और इसलिए, कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है।बैंक ने केन्द्रीय बोर्ड में अपने निदेशकों के लिए और अपने प्रमुख प्रबंधन वर्ग के लिए एक सुपरिभाषित आचार संहिता निर्धारित की है। आचार संहिता के आधार पर निर्देशी सिद्धांत बनाए जाते हैं जिनके आधार पर बैंक अपने बहुसंख्य हितधारकों, सरकार और विनियामक एजेंसियों, मीडिया, और दूसरों के साथ, जिनसे यह संबंधित है, के साथ अपना दैनिक व्यवसाय परिचालित एवं संचालित करेगा। इस संहिता में व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों के बीच हित के वास्तविक या स्पष्ट मतभेदों का निपटान करने की उचित एवं नैतिक कार्यविधियों सहित ईमानदारी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को लागू करने की परिकल्पना एवं अपेक्षा की जाती है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारी कारपोरेट वेबसाइट पर इस संहिता को आसानी से देखा जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति में भी नैतिक, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित पहलुओं को शामिल किया जाता है।

हमारी प्रत्येक अनुषंगी और सहयोगी बैंक का अपना स्वयं का बोर्ड और नीतियां हैं। बैंक अपने सभी संव्यवहारों में अत्यंत पारदर्शिता बनाए रखता है। प्रमुख हितधारकों से प्राप्त शिकायतों और उनके निपटान का पूर्ण ब्योरा वार्षिक आधार पर बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

सिद्धांत 2 : निरंतर विकास के लिए उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराना

बैंक देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक प्रमुख भूमिका अदा करते हैं तथा गरीबों और अल्प-सुविधा प्राप्त वर्गों के कल्याण के लिए सरकार की अधिकांशत: ऋण संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से किया गया है। देश का सबसे बड़ा बैंक होने के कारण भारतीय स्टेट बैंक अपने विभिन्न नवोन्मेषी उत्पादों एवं सेवाओं के माध्यम से देश के सतत विकास में योगदान करने में सबसे आगे हैं।

बैंक अनेक प्रकार के वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है। बैंक के कुछ नए उत्पाद एवं सेवा एंग्रीनचैनल काउंटर, ग्रीनरेमिट कार्ड आदि जैसे पर्यावरण/सामाजिक अंतर्निहित फायदों के साथ शुरू किए गए हैं। इन उत्पादों/सेवाओं का ब्योरा वित्त वर्ष 2012-13 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

बैंक अपने परिचालनों में संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने का प्रयास करता है। बैंकिंग परिचालनों के लिए अधिकांश उपभोग योग्य सामग्री लेखन-सामग्री मदें होती हैं। रिपोर्ट अवधि में बैंकिंग उद्योग के संदर्भ में स्थायी स्रोत मुख्य रूप से स्थानीय रूप से आधारित आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं से लेने होते हैं। बैंक ने लगभग अपनी सभी उपभोग योग्य वस्तुएँ स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ली हैं। (बैंक समस्त भारत आधारित आपूर्तिकर्ताओं को स्थानीय रूप से आधारित आपूर्तिकर्ताओं के रूप में परिभाषित करता है)।

सिद्धांत 3 : मानव पूंजी का ध्यान रखना

कर्मचारियों की संख्या

बैंक देश के सबसे बड़े नियोजकों में से एक है। वित्त वर्ष 2012-13 के अंत में उसके 2,28,296 कर्मचारी थे, जिनमें 46833 महिला कर्मचारी, 2402 अशक्त कर्मचारी हैं। 31 मार्च 2013 को, बैंक के 43550 अनुसूचित जाति और 16764 अनुसूचित जनजाति कर्मचारी थे।

कर्मचारी हित लाभ

बैंक का यह मानना है कि बैंकिंग लगभग पूरी तरह संबंधों पर आधारित है और यह बैंक के कर्मचारी जो इन संबंधों को बनाते और निभाते हैं, चाहे वह एक व्यक्तिगत ग्राहक, एक लघु व्यवसाय या एक बड़ी कंपनी के साथ हों। बैंक के लोग अपने ग्राहकों के लिए कुछ अलग करके दिखाते हैं और यह बैंक के लिए महत्वपूर्ण है कि वह उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदान करें। बैंक अपने कर्मचारियों के लिए बहुविध लाभवाली योजनाएं चलाती हैं, जिनमें कर्मचारियों को भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन, चिकित्सा लाभ, अग्रिमों पर कम ब्याज दरें, जमा-राशियों पर उच्चतर ब्याज दरें, कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, अवकाश गृहों की सुविधा आदि उपलब्ध कराना शामिल हैं।

एसोसिएशन की स्वतंत्रता

बैंक में दो मान्यताप्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन हैं-एक पर्यवेक्षी स्टाफ के लिए और दूसरा अवार्ड स्टाफ के लिए। एसोसिएशन के नाम निम्नानुसार हैं :

1. ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स फेडरेशन
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन

अधिकांश स्टाफ और अधिकारी इन फेडरेशनों के सदस्य हैं।

मानवाधिकार

बैंक की भर्ती नीति बाल श्रमिकों, बेगार श्रमिक या अस्वैच्छिक श्रमिकों की भर्ती करने की अनुमति नहीं देती है। कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का शीघ्रतापूर्वक और उचित ढंग से निपटान करने के लिए स्थानीय प्रधान कार्यालयों (एलएचओ), प्रशासनिक कार्यालयों और क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों (आरबीओ) के स्तर पर स्वतंत्र शिकायत समिति गठित की गई है और कारपोरेट केन्द्र में एक संपर्क समन्वयक बनाया गया है। बैंक जाति, वंश या लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है और अपने कर्मचारियों के लिए एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करता है।

कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास

अपने कर्मचारियों में दक्षता का निर्माण करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास एक बहुत व्यापक प्रशिक्षण नेटवर्क है जिसमें 47 ज्ञानार्जन केन्द्र और 5 शीर्ष संस्थाएं शामिल हैं, जो 50 से भी अधिक वर्षों से कार्यरत हैं। बैंक के पास एक कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई (एसटीयू) है, जिसके प्रमुख एक मुख्य महाप्रबंधक हैं।

एसटीयू का कार्य भारतीय स्टेट बैंक में एक ऐसा ''ज्ञानार्जन संगठन'' बनाने में सहायता करना है जो बदलाव एवं विकास कार्यों का प्रबंध करने में सक्षम हो। एसटीयू न केवल भारतीय स्टेट बैंक में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को पूरी तरह से कार्य-योग्य बनने का प्रशिक्षण देने में अपितु उसके वर्तमान कार्य-बल के ज्ञान और निपुणता को बढ़ाने तथा उनकी अभिवृत्ति का फिर से अभिविन्यास करने में भी सहायता करता है। प्रशिक्षण प्रणाली एक ऐसा सांस्कृतिक परिवेश उत्पन्न करती है जो स्वयं, समूह, संगठन और समाज के लगातार ज्ञानार्जन एवं विकास को बढ़ावा देता है। भारतीय स्टेट बैंक अपने शीर्ष नेतृत्व को भी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थाओं द्वारा चलाए गए ग्राहकोनुकूल नेतृत्व कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाता रहा है।

वर्ष 2012-13 के दौरान 1.76 लाख कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, इनमें 52 कम दृष्टिवाले और कम सुनाई देने वाले कर्मचारी शामिल हैं। बैंक ने एक पर्यावरण अनुकूल और निपुणता उन्नयन के सुविधाजनक मार्ग के रूप में ई-लर्निंग पोर्टल की

भी शुरुआत की है। 94 प्रतिशत स्टाफ सदस्यों ने इस ई-लर्निंग पोर्टल पर पंजीकरण करवा लिया है। बैंक की प्रशिक्षण प्रणालियों की कार्य-क्षमता और प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए, बैंक को प्रतिष्ठित ''गोल्डनपिकॉक नैशनल ट्रेनिंग अवार्ड-2012'' प्राप्त हुआ है।

सिद्धांत 4 : हितधारकों से परामर्श प्राप्त करना

भारतीय स्टेट बैंक हितधारकों की गरिमा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यवसाय चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में, बैंक ने शेयरधारकों, निवेशकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, समुदाय, बैंकिंग एसोसिएशन, सरकार और विक्रेताओं के रूप में अपने प्रमुख हितधारकों का चयन किया है।

अपने व्यापक और विभिन्न प्रकार के हितधारकों में से, बैंक कुछ वंचित, कमजोर वर्ग और सीमांतक हितधारकों को विशेष सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार के कुछ हितधारकों में लघु एवं सीमांत किसान, शिल्पकार, अत्यंत लघु क्षेत्र के ग्राहक और सूक्ष्म इकाइयां (एसएचजी), शारीरिक रूप से नि:शक्त और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, अल्प सुविधाप्राप्त और बैंकिंग सुविधा रहित लोग हैं।

वंचित, कमजोर वर्ग और सीमांतक हितधारकों के रूप में स्वीकार किए गए हितधारकों के लिए बैंक कई प्रकार कें प्रयास करता रहा है। ऐसी पहलों का ब्योरा वित्त वर्ष 2012-13 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

सिद्धांत 5 : मानवाधिकारों का सम्मान करना

बैंक मानवाधिकारों का सम्मान करता है और अपने परिचालन एवं प्रभाव के क्षेत्र में किसी मानवीय अधिकारों के उल्लंघन को बरदाश्त नहीं करता है। मानवीय अधिकारों के उल्लंघन से कमजोर वर्गों की रक्षा करने के लिए बैंक में प्रणालियां, कार्यविधियां और नीतियां कार्यरत हैं। महिला कर्मचारी के उत्पीड़न के संबंध में बैंक के विस्तृत दिशा-निर्देश ऐसा एक उदाहरण है। ऐसी शिकायतों का उचित कार्य-निष्ठा के साथ निपटान करने के लिए बैंक के कारपोरेट केन्द्र में एक बहुत वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को ''संपर्क समन्वयक'' के रूप में नियुक्त किया गया है।

बैंक अपने हितधारकों और अन्यों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन को बिलकुल बरदाश्त नहीं करता है।

प्रमुख हितधारकों से प्राप्त शिकायतों और उनके निपटान से संबंधित स्थिति को वार्षिक आधार पर बैंक की वेबसाइट पर दर्शाया जाता है।

सिद्धांत 6 : पर्यावरण का ध्यान रखना

यद्यपि अन्य दूसरे उद्योग में इसी तरह का कार्य करने वाली किसी कंपनी की तुलना में बैंक के परिचालनों से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रत्यक्ष प्रभाव कम रहता है, फिर भी बैंक जहां तक संभव हो, उसके कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक के परिचालनों से बहुत कम उत्सर्जन/अपशिष्ट उत्पन्न होता है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बैंक को कोई कारण बताओ/विधिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति में पर्यावरण पहलुओं से संबंधित इसका दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से शामिल रहता है जो उसके सभी परिचालनों के संबंध में लागू होता है।

जलवायु बदलाव और संसाधन बचाने पर ध्यान देने के लिए बैंक द्वारा की गई कुछ पहल निम्नानुसार हैं :

1. बैंक की सतत ग्रीनबैंकिंग पहल के एक भाग के रूप में, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में पवन-चक्की (विंड मिल) परियोजनाओं को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है और इस प्रकार उत्पन्न की गई ऊर्जा को बैंक की शाखाओं/कार्यालयों के काम में लिया जाता है। इससे बैंक की पवन-चक्कियों(विंड मिल) द्वारा उत्पन्न की गई अक्षय ऊर्जा की सीमा तक प्रदूषण फैलाने वाली ताप-ऊर्जा की निर्भरता में कमी आएगी।
2. ऊर्जा एवं अपशिष्ट का सक्षमता से निपटान करने सहित ऊर्जा सक्षम उपायों को लागू करने, कागज एवं जल का सक्षम ढंग से उपयोग करने, सोलरएटीएमों की स्थापना करने, ग्रीनचैनलकाउंटरों की शुरुआत करने (पेपर रहित बैंकिंग) के रूप में संसाधनों का स्थायी रूप उपयोग करने का महत्व हितधारकों के बीच प्रभावशाली ढंग से प्रसारित हुआ है।
3. आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण के माध्यम से सक्षम विनिर्माण प्रथाओं को अपनाते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बैंक रियायती ब्याज दरों पर परियोजना ऋण प्रदान करते हुए ग्राहकों को प्रोत्साहित करता रहा है।
4. बैंक ने अपने कार्बन विस्तार स्तर का निर्धारण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की है जिससे बैंक संसाधनों के उपभोग पैटर्न का पता लगाने में मदद मिलेगी और लागत प्रभावी ढंग से स्थायी उपयोग के लिए विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन करने के लिए बैंक प्रभावी कदम उठा सकेगा।
5. सभी मंडलों में वृक्षारोपण के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए।
6. बैंक में एक स्मार्ट, अर्थात विशिष्ट, परिमेय, हासिल करने योग्य, वास्तविक और समयबद्ध ग्रीनबैंकिंग लक्ष्य कार्यरत हैं,जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

→ इलेक्ट्रिक ऊर्जा और ईंधन की खपत कम करना

→ सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों में ब्यूरो ऑफ एनर्जीएफिशियेंट से स्टाररेटिंग प्राप्त करना

→ ''ग्रीनबिल्डिंग'' का निर्माण करना

→ खराब जल को शुद्ध करना

→ सोलर एटीएम

→ ऊर्जा बचत के संबंध में स्टाफ को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम/समारोह

→ फल देने वाले पेड़ लगाना

सिद्धांत 7 : लोक नीति की वकालत करना

भारतीय स्टेट बैंक विभिन्न बैंकिंग एवं वित्त संबंधी ट्रेड निकायों, चेम्बर्स और एसोसिएशनों का एक सक्रिय सदस्य रहा है।

कुछ प्रमुख एसोसिएशनजिनमें भारतीय स्टेट बैंक उनका एक भाग है, यहां नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :

1. भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
2. भारतीय विदेशी मुद्रा विक्रेता संघ (फेडई)
3. फिक्सडइन्कम मनी मार्केट एण्डडेरीवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए)

बैंक की नीति ऐसे समाज के सम्पूर्ण फायदे के लिए वकालत करने की रही है जो किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक हित का कार्य नहीं करता हो।

सिद्धांत 8 : समावेशीय संवृद्धि हासिल करना

भारत ने पिछले दशक में महत्वपूर्ण प्रगति और जीडीपी संवृद्धि को देखा है। यद्यपि, संवृद्धि की कहानी प्रभावशाली रही है, फिर भी गरीबी देश की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। भारत को वास्तव में संवृद्धिसमावेशी बनाने के लिए, बैंकिंग उद्योग जनसंख्या के व्यापक खण्डों तक, विशेष रूप से अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों तक पहुंचने और उन्हें बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस प्रकार, ''वित्तीय समावेशन'' समावेशीसंवृद्धि और विकास के संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण पहलू है।

देश के सबसे बड़े भारतीय बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक का यह मानना है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और उसका कार्यान्वयन करने में उसे भूमिका अदा करनी होगी।इस संबंध में बैंक द्वारा शुरू की गई पहलों का ब्योरा वित्त वर्ष 2012-13 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय समावेशन में किए गए अपने अनुकरणीय कार्य के अलावा, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने सीएसआर कार्य-कलापों पर भारतीय रुपए में 123.27 करोड़ की कुल राशि खर्च की है। शुरू किए गए कार्य-कलापों और परियोजनाओं का ब्योरा उपर्युक्त खण्ड ''ख'' और वार्षिक रिपोर्ट के ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व'' खण्ड में शामिल किया गया है। बैंक ने देश के सभी भागों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आजीविका आदि में सहायता प्रदान करने वाली अनेक सामाजिक पहलें की हैं।

बैंक ने अपने सीएसआर कार्य-कलापों में निम्नलिखित अवार्ड प्राप्त किए हैं।

- कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए गोल्डन पिकॉकअवार्ड
- एशिया का श्रेष्ठ सीएसआरप्रेक्टिस अवार्ड-2012
- एशियनसीएसआरलीडरशिप अवार्ड-2012
- आईपीई श्रेष्ठ सीएसआर अवार्ड-2012
- मोस्ट कैयरिंग कंपनी अवार्ड-2012

सिद्धांत 9 : ग्राहकों की सेवा करना

शिकायत निवारण प्रणाली

बैंक ने अत्यधिक सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली और पद्धति को कार्यान्वित किया है जिससे ग्राहक अपनी चिंताओं और प्रतिसूचना को व्यक्त कर सकें।

1. बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शिकायतें दर्ज और शिकायत दूर करने की प्रणाली के एक एकल बिन्दु के रूप मेंतैयार की गई वेब-आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) की शुरुआत की है।
2. ग्राहकों के प्रतिनिधित्व के साथ ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थापित की गई है जो मंडल में ग्राहक सेवा की संपूर्ण स्थिति की समीक्षा करती है।
3. यद्यपि बैंक ग्राहक सेवा में उच्चतम मानक हासिल करने का प्रयास करता है, फिर भी प्रदान की गई सेवा में किसी भी प्रकार की कमी के कारण घटने वाली घटना में ग्राहक को वित्तीय रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक क्षतिपूर्ति नीति है। इस नीति में यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिकायतकर्ता ग्राहक को उसके द्वारा मांग किए बिना ही क्षतिपूर्ति की जाती है।
4. शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक मंडल में एक समर्पित ग्राहक निगरानी कक्ष स्थापित किया गया है जो शिकायतों को दूर करने सहित ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों की भी देखरेख करता है।

वित्त् वर्ष के अंत तक बैंक के पास केवल 1.17% ग्राहक शिकायतें बकाया है। ग्राहक शिकायतों का ब्योरा और उनका निपटान बैंक की वेबसाइट पर दर्शाया गया है।

उचित बैंकिंग प्रथाएं

भारतीय स्टेट बैंक को पक्का विश्वास है कि उसके व्यवसाय की संवृद्धि के लिए एक संतुष्ट ग्राहक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है। 'उत्कृष्टता की ओर' नाम से उचित बैंकिंग प्रथा संहिता की शुरुआत भारत में पहली बार बैंक ने शुरू की थी। इस संहिता में व्यक्तिगत बैंकिंग ग्राहकों को उच्च स्तर की बैंकिंगसेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित हुई है।

फरवरी 2006 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक स्वतंत्र स्वायत्त परीक्षक के रूप में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड की स्थापना की है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक बैंकों के साथ अपने संव्यवहारों में उचित व्यवहार प्राप्त करते हैं।बीसीएसबीआई ने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता से संबंधित संहिता (संहिता) को प्रकाशित किया है जो बैंकिंगप्रथाओं के न्यूनतम मानक और बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले ग्राहक सेवा के निर्दिष्ट मानदंड निर्धारित करता है। भारतीय स्टेट बैंक बीसीएसबीआई का एक सदस्य है और इसलिए, इस संहिता को और अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार में अपनी उचित प्रथा संहिता को स्वैच्छिक रूप से अपना लिया है।

बैंक द्वारा अपनायी गई उचित ऋण प्रथा संहिता के अंतर्गत की गई कुछ महत्वपूर्ण घोषणा एंनिम्नानुसार हैं:

- खुदरा ऋणों के मामले में एक व्यावसायिक ढंग से, सक्षमता, शिष्टता, कर्तव्य-निष्ठा और शीघ्रता से सेवाएं प्रदान करना।
- धर्म, जाति, लिंग, वंश या उनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना।
- ऋण उत्पादों के विज्ञापन और विपणन में निष्पक्ष एवं ईमानदार बने रहना।
- ऋण लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों को शर्तों, लागतों, अधिकारों और दायित्वों का प्रकटीकरण समय पर और उचित ढंग से करना।
- यदि मांग की गई हो, तो ऋण संबंधी संविदाओं में इस प्रकार की सहायता या सलाह उपलब्ध कराना।
- संगठन के अंदर शिकायत निवारण कक्ष स्थापित करके ग्राहकों के साथ किसी भी विवाद या मतभेदों का आपसी विश्वास के साथ निपटान करने की कोशिश करना।
- आपसी विश्वास में सभी नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करना।
- ऋणों से संबंधित संविदाओं में संभाव्यता जोखिमों के बारे में सामान्य जागरूकता फैलाना और ग्राहकों को स्वतंत्र रूप से वित्तीय सलाह लेने के लिए और केवल बैंकों के प्रतिनिधियों की सलाह पर कार्य नहीं करने पर प्रोत्साहित करना चाहिए।

उत्तकृष्ट ग्राहक सेवा, सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली और उचित बैंकिंग प्रथाओं के प्रति बैंक की समर्पित भावना के कारण, बैंक में अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर-जवाबदार विज्ञापन तथा/अथवा प्रतिस्पर्धा व्यवहार के संबंध में उसके विरुद्ध कोई भी मामला बकाया नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	684,03,40	671,04,48
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	98199,65,14	83280,16,10
जमाराशियाँ	3	1202739,57,43	1043647,36,23
उधार-राशियाँ	4	169182,71,36	127005,56,80
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	95455,06,70	80915,09,46
	योग	1566261,04,03	1335519,23,07
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	65830,41,04	54075,93,86
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	48989,75,41	43087,22,63
निवेश	8	350927,27,16	312197,61,03
अग्रिम	9	1045616,55,31	867578,89,01
अचल आस्तियाँ	10	7005,02,22	5466,54,92
अन्य आस्तियाँ	11	47892,02,89	53113,01,62
	योग	1566261,04,03	1335519,23,07
आकस्मिक देयताएँ	12	926378,90,86	832605,33,43
उगाही के लिए बिल	--	66639,54,09	66959,85,00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा -टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : ₹ 10 प्रति शेयर दर वाले 500,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 500,00,00,000)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : ₹ 10 प्रति शेयर दर वाले 68,41,17,046 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 67,11,28,349)	684,11,70	671,12,83
अभिदत्त और संदत्त पूंजी : ₹ 10 प्रति शेयर दर वाले 68,40,33,971 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 67,10,44,838) [उपर्युक्त में 1,65,21,526 (पिछले वर्ष 1,69,77,498) ईक्विटी शेयर सम्मिलित हैं, जो 82,60,763 (पिछले वर्ष 84,88,749) वैश्विक निक्षेपागार रसीदों के रूप में हैं.]	684,03,40	671,04,48
योग	684,03,40	671,04,48

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	36052,85,01		32512,22,28	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4417,86,08		3540,62,73	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			40470,71,09		36052,85,01
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ** **Capital Reserves**				
	अथशेष	1508,08,79		1493,71,10	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	19,16,96		14,37,69	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			1527,25,75		1508,08,79
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	28513,84,58		20658,58,29	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2991,08,00		7864,05,01	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	3,72,77		8,78,72	
			31501,19,81		28513,84,58
IV.	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	2433,48,66		608,73,19	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1041,84,73		1824,75,47	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			3475,33,39		2433,48,66
V.	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ**				
	अथशेष	14771,55,13		9077,45,63	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	6453,26,04		5694,09,50	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			21224,81,17		14771,55,13
VI.	**लाभ और हानि खाते की शेष राशि**		33,93		33,93
	* नोट: राजस्व और अन्य आरक्षितियों में (i) एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹ 5,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 5,00,00 हजार) एवं (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिती ₹ 4487,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹3737,00,00 हजार) की राशि शामिल है.				
	योग		98199,65,14		83280,16,10

अनुसूची 3 - जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	I.	**माँग जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	7345,35,39	6969,88,04
		(ii) अन्यों से	105334,91,78	91480,43,79
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**	426383,11,88	369156,31,01
	III.	**सावधि जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	27855,66,19	17405,94,82
		(ii) अन्यों से	635820,52,19	558634,78,57
		योग	1202739,57,43	1043647,36,23
ख.	I.	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	1130136,60,70	982214,07,48
	II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	72602,96,73	61433,28,75
		योग	1202739,57,43	1043647,36,23

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	₹
I.	**भारत में उधार-राशियाँ**					
	(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक		14476,16,00		-
	(ii)	अन्य बैंक		5648,85,07		5048,10,02
	(iii)	अन्य संस्थाएँ और अभिकरण		4894,40,03		3813,97,75
	(iv)	पूंजीगत लिखत:				
		क. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	2165,00,00		2165,00,00	
		ख. गौण ऋण	34671,39,60		34671,39,60	
				36836,39,60		36836,39,60
		योग		61855,80,70		45698,47,37

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ (जारी...)

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
		₹	₹	₹	₹
II.	**भारत के बाहर से उधार-राशियाँ**				
	(i) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		103934,09,41		78127,33,19
	(ii) पूंजीगत लिखत:				
	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)		3392,81,25		3179,76,24
	योग		107326,90,66		81307,09,43
	कुल योग		169182,71,36		127005,56,80
	प्रतिभूत उधार राशियाँ जो ऊपर I और II में शामिल हैं		5244,20,68		4478,39,42

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	19686,48,27	20504,85,88
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	16384,11,49	-
III.	प्रोद्भूत ब्याज	13333,47,47	10742,54,95
IV.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	628,91,86	-
V.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	45422,07,61	49667,68,63
	योग	95455,06,70	80915,09,46

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	11552,19,17	11186,36,07
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
	(i) चालू खाते में	54278,21,87	42887,03,55
	(ii) अन्य खातों में	-	2,54,24
	योग	65830,41,04	54075,93,86

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	664,07,65	820,02,23
	(ख) अन्य जमा खातों में	3002,57,75	3811,99,13
	(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
	(क) बैंकों में	7173,00,00	5995,24,93
	(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
	योग	10839,65,40	10627,26,29
II.	**भारत के बाहर**		
	(i) चालू खातों में	25822,33,16	23650,02,74
	(ii) अन्य जमा खातों में	4334,76,89	422,14,68
	(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7992,99,96	8387,78,92
	योग	38150,10,01	32459,96,34
	कुल योग (I एवं II)	48989,75,41	43087,22,63

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में निवेश :**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	269260,22,00	255833,61,37
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	6,14,92
	(iii) शेयर	3865,81,59	3337,59,99
	(iv) डिबेंचर और बांड	29055,06,45	12999,14,27
	(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगी सम्मिलित हैं)	5465,12,53	5460,99,83
	(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिटें, वाणिज्यिक पत्र तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की जमाराशियाँ आदि)	32608,24,94	23383,46,96
	योग	340254,47,51	301020,97,34
II.	**भारत के बाहर निवेश :**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	2860,35,91	1866,27,62
	(ii) विदेशों में स्थापित अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम	1602,78,14	1602,78,14
	(iii) अन्य विनिधान (शेयर, डिबेंचर आदि)	6209,65,60	7707,57,93
	योग	10672,79,65	11176,63,69
	कुल योग (I एवं II)	350927,27,16	312197,61,03
III.	**भारत में निवेश**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य	341173,96,83	302856,15,20
	(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यह्रास	919,49,32	1835,17,86
	(iii) निवल निवेश (ऊपर I से) **योग**	340254,47,51	301020,97,34
IV.	**भारत के बाहर निवेश :**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य	10801,98,41	11436,68,18
	(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास	129,18,76	260,04,49
	(iii) निवल निवेश (ऊपर II से)	10672,79,65	11176,63,69
	कुल योग (III एवं IV)	350927,27,16	312197,61,03

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	I.	क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	88667,91,97	77138,60,77
	II.	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	465451,77,02	374143,24,94
	III.	सावधि ऋण	491496,86,32	416297,03,30
		योग	1045616,55,31	867578,89,01
ख.	I.	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	770342,19,70	624544,52,03
	II.	बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	93712,47,29	78555,19,05
	III.	अप्रतिभूत	181561,88,32	164479,17,93
		योग	1045616,55,31	867578,89,01
ग.	I.	भारत में अग्रिम		
		(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	264313,88,71	250176,96,36
		(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	54670,17,17	54707,32,31
		(iii) बैंक	68,76,58	180,37,64
		(iv) अन्य	559156,10,37	428436,62,60
		योग	878208,92,83	733501,28,91
	II.	भारत के बाहर अग्रिम		
		(i) बैंकों से प्राप्य	32915,24,62	17086,18,01
		(ii) अन्यों से प्राप्य		
		(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	21216,56,17	21568,46,45
		(ख) सिंडीकेटिड ऋण	56258,73,66	47400,11,59
		(ग) अन्य	57017,08,03	48022,84,05
		योग	167407,62,48	134077,60,10
		कुल योग (ग-I एवं ग-II)	1045616,55,31	867578,89,01

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**परिसर**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	2142,79,28		1791,60,63	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	676,70,93		357,10,96	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	2,75,69		5,92,31	
	अद्यतन मूल्यह्रास	942,18,45		859,61,78	
			1874,56,07		1283,17,50
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	11847,40,39		10595,54,50	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2442,55,55		1862,27,87	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	671,52,39		610,41,98	
	अद्यतन मूल्यह्रास	8897,48,54		7996,91,40	
			4720,95,01		3850,48,99
III.	**पट्टाकृत आस्तियाँ**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	802,13,34		802,13,34	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	19,24,24		-	
	प्रावधान सहित अद्यतन मूल्यह्रास	782,89,10		802,13,34	
		-		-	
	जोड़ें: पट्टा समायोजन खाता	20,27		20,27	
			20,27		20,27
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियाँ (परिसर सहित)**		409,30,87		332,68,16
	कुल (I, II, III एवं IV)		7005,02,22		5466,54,92

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	1573,93,79
II.	प्रोद्भूत ब्याज	12090,67,66	11013,85,83
III.	अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	5333,66,58	8240,82,75
IV.	आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	-	180,63,83
V.	लेखन सामग्री और स्टांप	97,79,18	98,01,43
VI.	दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	4,25,91	4,25,91
VII.	अन्य	30365,63,56	32001,48,08
	योग	47892,02,89	53113,01,62

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	958,23,39	930,18,89
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	2,80,00	2,80,00
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	471913,15,90	404915,74,76
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	95428,29,37	86853,33,93
	(ख) भारत के बाहर	77481,61,57	84072,55,61
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	126672,56,77	134540,58,99
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	153922,23,86	121290,11,25
	योग	926378,90,86	832605,33,43

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक का लाभ और हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची सं.	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	119657,09,90	106521,45,34
	अन्य आय	14	16034,84,33	14351,44,57
		योग	135691,94,23	120872,89,91
II.	**व्यय**			
	दिया गया ब्याज	15	75325,79,65	63230,36,87
	परिचालन व्यय	16	29284,42,23	26068,99,21
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		16976,73,86	19866,24,97
		योग	121586,95,74	109165,61,05
III.	**योग**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ		14104,98,49	11707,28,86
	अग्रानीत लाभ		33,93	33,93
	पूर्ववर्ती एसबीआई कामर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि. के समामेलन पर अंतरित लाभ शेष		-	5,71,15
		योग	14105,32,42	11713,33,94
	विनियोजन			
	सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		4417,86,08	3516,97,72
	पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		19,16,96	14,37,69
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		6453,26,04	5536,49,60
	प्रस्तावित लाभांश		2838,74,09	2348,65,69
	लाभांश पर कर		375,95,32	296,49,31
	तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		33,93	33,93
		योग	14105,32,42	11713,33,94
	प्रति शेयर मूल आय		₹ 210.06	₹ 184.31
	प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 210.06	₹ 184.31
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
	लेखा - टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	90537,09,93	81077,69,77
II.	निवेशों पर आय	27200,63,07	23949,14,17
III.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	545,13,73	350,47,17
IV.	अन्य	1374,23,17	1144,14,23
	योग	119657,09,90	106521,45,34

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	11483,71,60	12090,90,17
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	1101,91,53	(919,74,24)
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	(3,78,17)	-
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(32,71,93)	(44,14,62)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि)	1691,61,87	1432,19,47
VI.	विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	715,51,40	767,35,15
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	55,36	9,68
VIII	विविध आय	1078,02,67	1024,78,96
	योग	16034,84,33	14351,44,57

अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	67464,54,74	55644,36,92
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक /अंतर बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	4124,10,58	3885,64,45
III.	अन्य	3737,14,33	3700,35,50
	योग	75325,79,65	63230,36,87

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	18380,90,24	16974,04,04
II.	भाड़ा, कर और बिजली खर्च	2438,83,79	2065,40,88
III.	मुद्रण और लेखन-सामग्री	297,01,73	276,48,56
IV.	विज्ञापन और प्रचार	384,35,26	206,63,27
V.	(क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	1139,60,76	1007,16,87
	(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	73,37	48,18
VII.	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	124,62,60	128,49,52
VIII.	विधि प्रभार	133,90,64	117,29,49
IX.	डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	515,64,34	433,26,05
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	393,53,33	373,30,20
XI.	बीमा	1200,71,99	963,46,17
XII.	अन्य व्यय	4274,54,18	3522,95,98
	योग	29284,42,23	26068,99,21

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं एवं वे भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी), जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंडों / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती है , के अनुरूप हैं.

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं पर्याप्त हैं. भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं.

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. आय निर्धारण

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है. बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है.

1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भवन आधार पर निर्धारण (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) ''ट्रेडिंग'' नामित रुपया डेरीवेटिव्स पर आय के अलावा किया गया है.

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया गया है तथापि ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाला लाभ प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि अपेक्षाओं को घटाने के बाद से आरक्षित पूंजी लेखा में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशि को विनियोजित किया गया है.

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है. 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है. पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित है जोकि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप पर आधारित है. मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में प्रतिवेदित किया गया है.

1.5 ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

- क. ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय शामिल किया गया है.
- ख. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है.

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है.

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन जोकि गारंटी की पूरी अवधि के लिए है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन जोकि प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है, को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय को वसूली के बाद शामिल किया गया है.

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है.

2. निवेश

सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन को ''सेटलमेंट डेट'' पर दर्ज किया गया है । सरकारी प्रतिभूतियों से इतर निवेशों को ''सौदे की तिथि" यानी ''ट्रेड - डेट'' पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण

निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् ''परिपक्वता तक धारित'', ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' और ''व्यवसाय के लिए धारित''.

2.2 वर्गीकरण का आधार :

- i. निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, को ''परिपक्वता तक धारित'' रूप में वर्गीकृत किया गया है.
- ii. निवेश जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत: पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, को ''व्यवसाय के लिए रखे गए'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
- iii. निवेश जिन्हें उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
- iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय ''परिपक्वता तक धारित'', ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' या ''व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे तत्पश्चात विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप श्रेणीबद्ध किया गया है.
- v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को ''परिपक्वता तक धारित'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

2.3 मूल्य निर्धारण :

- i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:
  - (क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है.
  - (ख) निवेशों के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है.

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है.

(घ) लागत का निर्धारण, ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' एवं ''व्यवसाय के लिए रखे गए'' श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के लिए फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है.

ii. उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि पर न्यूनतम अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उस हेतु पूर्णतया प्रावधान किया गया है.

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य-निर्धारण रखाव लागत आधार पर किया गया है.

iv. **''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी**: ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को ''निवेश पर ब्याज'' शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसका रखाव लागत (अर्थात बही मूल्य) आधार पर मूल्य-निर्धारण किया गया है, को छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश का अवधिगत लागत आधार पर मूल्य-निर्धारण किया गया है. अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग - अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है.

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखे गए श्रेणियाँ**: एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह के सिर्फ निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है. मूल्यह्रास के लिए प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है.

vi. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है. तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य, की ऐसे निवेश के मूल्य-निर्धारण का आधार बनाया गया.

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है. देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

(क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है.

(ख) ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा.

(ग) यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा.

(घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है.

(ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं.

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक था, के अनुसार किया गया है.

viii. रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण :

(क) रिपो/रिवर्स रिपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है । तथापि एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है एवं इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है । इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है । लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है । रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 उधारियाँ एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में जमा तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है.

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है. उन पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है.

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है. ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक (एनपीए) बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ''असंयत'' (''आउट ऑफ आर्डर)'' रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेषराशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;

v. दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं.

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है.

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है.

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा -निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं:

अवमानक आस्तियाँ :	i.	15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है).
	iii.	इनस्ट्रक्चर ऋण खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से सम्बंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20%
संदिग्ध आस्तियाँ :		
-प्रतिभूत भाग :	i.	एक वर्ष तक - 25%
	ii.	एक से तीन वर्ष तक - 40%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक - 100%
अप्रतिभूत भाग		100%
हानिप्रद आस्तियाँ:		100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है.

3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से कम है तो इस कमी को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है और यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त राशि को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय पर होने वाली कमी /हानि को पूरा करने के लिए रख लिया जाता है. विशिष्ट प्रावधानों तथा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावों को घटाने पर शेष राशि को निवल बही मूल्य कहा गया है.

3.6 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है.

3.7 पुनर्संरचनागत / पुन: निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिनमें यह अपेक्षित है कि गए पुनर्संरचना के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य की अंतर राशि अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा. उपरोक्त आस्तियों से उद्धत उत्सर्जित ब्याज एवं उचित मूल्य में कमी के प्रावधान को अग्रिम से घटाया गया है.

3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.

3.9 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण आय के रूप में किया गया है.

3.10 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ''अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य'' शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है.

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, निवेशों तथा सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है. सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है. इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा.

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए

प्रावधान किए गए हैं. इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है. यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1 % से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है. यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य, शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है.

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/ तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है. तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो. इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है.

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है. बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाज़ार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों.

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई हैं. बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं. डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से ''उचंत खाता कुल प्राप्य'' में प्रतिवर्तित किया गया है. ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती है और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया हो, तो भावी आगमों से संबंधित घनात्मक एम टी एम को भी लाभ और हानि खाते से ''उचंत खाता सकारात्मक एम टी एम'' में प्रतिवर्तित किया जाता है .

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है. विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है.

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है.

7. अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास:

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है.

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई व्यवसाय फीस शामिल हैं. उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते है.

7.3 इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास लेखे में दिखाने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर एवं एटीएम	सीधी कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	100% मूल्यह्रासित अधिग्रहण के वर्ष में
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती पद्धति	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	ह्रासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास 180 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्द्धवर्ष के लिए तथा 180 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यह्रास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि से निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए लेखे में दिखाया गया है.

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹ 1000/- से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है.

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि में लेखे में दिखाया पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है.

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है.

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है.

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है.

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है. धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है. यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है.

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है.

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की अंतिम तत्काल/वायदा दरों का प्रयोग करके दी गई है.

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है.

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है.

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है. ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है.

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ में दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है.

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवतनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

क. असमाकलित परिचालन :

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है.

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत अंतिम दर पर रूपांतरित किया गया है.

iii. निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है.

iv. विदेश स्थित कार्यालयों की आस्तियों और देयताओं की विदेशी मुद्रा (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को उस देश में प्रयोज्य तत्काल दरों का प्रयोग करके स्थानीय मुद्रा में रूपांतरित किया गया है.

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है.

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रेनित विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है.

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है.

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं. बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है. इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है. बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है. यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है.

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है.

i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है. यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है. यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि या ₹ 10 लाख की अधिकतम राशि होती है. यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है. बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है.

ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है. यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर विभिन्न चरणों में किया जाता है. बैंक एसबीआइ पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का वार्षिक अंशदान करता है. पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है एवं बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है.

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रेनित बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है. बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है.

ii. नियत अंशदान योजनाएँ :

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है , जो एक नियत अंशदान योजना है एवं नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है । इस योजना के तहत आने वाल कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे एवं इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा । पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा. बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बन्धित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है.

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

क. बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है. इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है.

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है. पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है.

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बन्धित देशों के स्थानीय विधियों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है ।

12. आय पर कर:

12.1 वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय है. चालू वर्ष के करों का निर्धारण लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित कार्यालयों के संबंधित देशों के कर नियमों का समायोजन करके किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजनों में समाविष्ट हैं.

12.2 आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन

अधिनियमित कर - दरों और कर - कानूनों अथवा तुलनपत्र - तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अभिज्ञान विवेकपूर्ण आधार पर आस्तियों और देयताओं के अग्रेनित मूल्य और उनके क्रमश: कर-आधार और अग्रेनित क्षतियों के बीच अवधिगत विभेद को ध्यान में रखकर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है.

12.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है. जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों के अग्रेषण पर किया गया है.

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आइसीएआइ द्वारा जारी लेखा मानक - 20 ''प्रति शेयर आय'' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है.

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी. कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है.

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियां

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ'' में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है.

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है.

14.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है.

15. विशेष आरक्षित निधि

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल हैं. बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन को अनुमोदन प्रदान किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई उद्देश्य नहीं है.

16. शेयर जारी करने का व्यय

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाये गए हैं.

अनुसूची - 18

लेखा-टिप्पणियाँ

18.1 पूंजी

1. पूँजी-पर्याप्तता अनुपात

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
(i)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - (%) (बेसल -I)	11.22%	12.05%
(ii)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - श्रेणी -Iपूंजी (%) (बेसल -I)	8.23%	8.50%
(iii)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - श्रेणी -IIपूंजी (%) (बेसल -I)	2.99%	3.55%
(iv)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - (%) (बेसल -II)	12.92%	13.86%
(v)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - श्रेणी -Iपूंजी (%) (बेसल -II)	9.49%	9.79%
(vi)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - श्रेणी -II पूंजी (%) (बेसल -II)	3.43%	4.07%
(vii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	62.31%	61.58%
(viii)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या	42,62,41,140	41,32,52,443
(ix)	गौण ऋण श्रेणी - II पूंजी की राशि	34,671.40	34,671.40
(x)	वर्ष के दौरान श्रेणी - II पूंजी के रूप में उगाही गई गौण ऋणों की राशि	निरंक	निरंक
(xi)	इनमें (उपरोक्त, ix) के उच्च श्रेणी -II पूँजी के लिए उपयुक्त राशि	20,016.40	20,016.40
(xii)	आइपीडीआइ के निर्गम द्वारा उगाही गई राशि (नीचे दर्शाए गए हाइब्रिड बॉंडों समेत) #	5,557.81	5,344.76

वित्तीय वर्ष 2009-10 में उगाही गई ₹2,000 करोड़ की राशि की गणना, जिसमें से ₹ 550 करोड़ की राशि एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि द्वारा निवेश की गई है तथा इसकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार श्रेणी - 1 पूंजी के लिए नहीं की गई है.

2. शेयर पूंजी

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को अधिमानी (प्रिफ्रेंशियल) आबंटन के अंतर्गत ₹ 10/- प्रति शेयर दर वाले 129,88,697 शेयर, ₹ 2,302.78 प्रति ईक्विटी शेयर के प्रीमियम पर आबंटित किए जिनका कुल मूल्य ₹ 3004 करोड़ था. भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹3004करोड़ की रकम में से ₹ 12.99 करोड़ की रकम शेयर पूंजी खाते में एवं बाकी बचे ₹ 2991.01 करोड़ की रकम शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई.

ख) राइट इश्यू - 2008 के अंतर्गत रोके रखे गये शेयरों में से वर्ष के दौरान बैंक ने ₹10/- प्रति नकदी मूल्य के 436 इक्विटी शेयरों को ₹ 1,580/- प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम की दर से कुल ₹ 6,93,240/- के शेयर आवंटित किए है. ₹ 6,93,240/- के कुल प्राप्त अशंदान में से ₹ 4360/- की राशि शेयर पूंजी खाते में एवं ₹ 6,88,880/- की राशि शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई थी.

ग) बैंक ने राइट्स इश्यू के अंतर्गत ₹ 10/- प्रति शेयर की दर से जारी किए गए 83,075 (पिछले वर्ष 83,511) इक्विटी शेयरों के आवंटन को रोके रखा है क्योंकि या तो वे विवादग्रस्त थे अथवा न्यायिक प्रक्रिया के अधीन थे.

घ) शेयर जारी करने की प्रक्रिया में किए गए खर्च ₹ 3.73 करोड़ की राशि को शेयर प्रीमियम खाते के नामे किया गया है.

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)

क विदेशी

विदेशी मुद्रा में जारी तथा संमिश्र श्रेणी - I पूंजी के अंतर्गत आने वाले बांडों एवं बकाया ऐसे आईपीडीआई का विवरण निम्नवत है :

₹ करोड़ में

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.13 तक ₹ समतुल्य	31.03.12 तक ₹ समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम - 12वीं श्रृंखला* के अंतर्गत जारी बांड	15.02.2007	बेमियादी नॉन कॉल 10.25 वर्ष	अमेरिकी डालर - 400 मिलियन	2,171.40	2,035.07
एमटीएन कार्यक्रम- 14वीं श्रृंखला# के अंतर्गत जारी बांड	26.06.2007	बेमियादी नॉन कॉल - 10 वर्ष 01 दिन	अमेरिकी डालर - 225 मिलियन	1,221.41	1,144.69
योग			**अमेरिकी डालर-625 मिलियन**	**3,392.81**	**3,179.76**

* यदि बैंक 15 मई 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा।

यदि बैंक 27 जून 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा।

ये बांड अरक्षित हैं एवं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं।

ख देशी :

देशी आई पी डी आई बकाये का विवरण निम्नलिखित है।

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	बांड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2009 - 10 (टियर - I) श्रृंखला – I	1,000	14.08.2009	9.10
2	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2009 - 10 (टियर - I) श्रृंखला - I I	1,000	27.01.2010	9.05
3	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2007 - 08 एस बी आई एन श्रृंखला - VI टियर - I)	165	28.09.2007	10.25
कुल		2,165		

4. गौण ऋण

बाँड समतुल्य पर अप्रत्याभूत, लम्बी अवधि, अपरिवर्तनीय एवं रिडिम योग्य होते हैं।

बकाया गौण ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	बांडों का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
1	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2005 (निम्न टियर- I I)	3,283.00	05.12.2005 05.05.2015	7.45	113
2	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (उच्च टियर- I I)	2,327.90	05.06.2006 05.06.2021	8.80	180
3	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट)बांड-2006 (I I) (उच्च टियर- I I)	500.00	06.07.2006 06.07.2021	9.00	180
4	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (III) (उच्च टियर- I I)	600.00	12.09.2006 12.09.2021	8.96	180

क्रम संख्या	बांडों का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
5	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड – 2006 (IV) (उच्च टियर- I I)	615.00	13.09.2006 13.09.2021	8.97	180
6	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड – 2006 (V) (उच्च टियर- I I)	1,500.00	15.09.2006 15.09.2021	8.98	180
7	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड – 2006 (V I)(उच्च टियर- I I)	400.00	04.10.2006 04.10.2021	8.85	180
8	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (VII) (उच्च टियर II)	1,000.00	16.10.2006 16.10.2021	8.88	180
9	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (VIII) (उच्च टियर II)	1,000.00	17.02.2007 17.02.2022	9.37	180
10	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (IX) (निम्न टियर- I I)	1,500.00	28.03.2007 27.06.2016	9.85	111
11	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2007-08 (I) (उच्च टियर II)	2,523.50	7.06.2007 7.06.2022	10.20	180
12	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2007-08 (II) (उच्च टियर II)	3,500.00	12.09.2007 12.09.2022	10.10	180
13	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2008-09 (I) (उच्च टियर II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180
14	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2008-09 (II) (निम्न टियर II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
15	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2008-09 (III) (उच्च टियर II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
16	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2008-09 (IV) (निम्न टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
17	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2008-09 (V) (उच्च टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
18	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2005-06 एस बी एस (श्रृंखला – I) (निम्न टियर II)	200.00	09.03.2006 09.06.2015	8.15	111
19	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006-07 एस बी एस (श्रृंखला- I I) (निम्न टियर II)	225.00	30.03.2007 30.06.2016	9.80	111
20	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2004-05 एस बी आई एन (श्रृंखला– I) (निम्न टियर II)	200.00	15.02.2005 15.05.2014	7.20	111
21	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2005-06 एस बी आई एन (श्रृंखला- I I) (निम्न टियर II)	140.00	29.09.2005 29.09.2015	7.45	120
22	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2005-06 एस बी आई एन (श्रृंखला – III) (निम्न टियर II)	110.00	28.03.2006 28.03.2016	8.70	120
23	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006-07 एस बी आई एन (श्रृंखला- IV) (उच्च टियर II)	100.00	29.12.2006 29.12.2021	8.95	180
24	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006-07 एस बी आई एन (श्रृंखला- V) (उच्च टियर II)	200.00	22.03.2007 22.03.2022	10.25	180
25	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2004-05 एस बी आई एन (श्रृंखला – VII) (उच्च टियर II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
26	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2010 (श्रृंखला- I)	133.08	04.11.2010 04.11.2020	9.25	120
27	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2010 (श्रृंखला- II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
28	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 खुदरा (श्रृंखला- 3)	559.40	16.03.2011 16.03.2021	9.75	120
29	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 थोक (श्रृंखला- 3)	171.68	16.03.2011 16.03.2021	9.30	120
30	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 खुदरा (श्रृंखला- 4)	3,937.60	16.03.2011 16.03.2021	9.95	180
31	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 थोक (श्रृंखला- 4)	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
कुल		**34,671.40**			

18.2. निवेश :

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
1. निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	3,41,173.97	3,02,856.15
(ख) भारत से बाहर	10,801.98	11,436.68
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	919.49	1,835.18
(ख) भारत से बाहर	129.19	260.04
iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	3,40,254.48	3,01,020.97
(ख) भारत से बाहर	10,672.79	11,176.64
2. निवेशों के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) अथशेष	2095.22	1,353.47
ii) जोड़ें: पूर्ववर्ती एसबीआई कामर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि. के अधिग्रहण के कारण पिछले वर्ष में परिवर्धन	-	5.58
iii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	294.21	793.82
iv) घटाएँ : विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन वर्ष के दौरान समायोजन / अतिरिक्त प्रावधान/ उपयोग	79.59	(52.89)
v) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन	1,261.16	110.54
vi) अंतिम शेष	1,048.68	2095.22

टिप्पणी:

क. निवेशों में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹ 42,000 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 40,000 करोड़) चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत उपयोग की गई प्रतिभूतियाँ (लेफ़) शामिल नहीं है.

ख. ₹ 6,070.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5520.21 करोड़) का निवेश क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एन एस सी सी एल / एम सी एक्स / यू एस ई आई एल के पास प्रतिभूति समाधान हेतु रखा गया है.

ग. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया.

₹ करोड़ में

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि
मध्यांचल भारत ग्रामीण बैंक	9.14
मिजोरम रूरल बैंक	1.17
उत्कल ग्रामीण बैंक	16.50
उत्तरांखंड ग्रामीण बैंक	4.95
कुल	**31.76**

घ. वर्ष के दौरान जी ई केपिटल बिजनेस प्रोसेस मेनेजमेंट ने अपने 13,59,598 शेयर ₹ 141 प्रति शेयर की दर से बैंक से वापस खरीदे। इस संयुक्त उद्यम में बैंक के पास अभी भी 40% अंश (पिछले वर्ष 40%) बचा हुआ है बैंक ने दो ग्रामीण बैंकों से अपनी हिस्सेदारी निम्नानुसार घटा ली है।

₹ करोड़ में

संस्था का नाम	बही मूल्य	विक्रय मूल्य
जी ई केपिटल सर्विसेज प्रोसेस मेंनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लि.	1.36	19.17
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	24.08	24.08
विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.19	2.19
कुल	27.63	45.44

2. रिपो लेनदेन (चलनिधि समायोजन सुविधा समेत (एल ए फ) :

वर्ष के दौरान रिपो और प्रतिवर्ती रिपो एल ए एफ समेत के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2013 को शेष
रिपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	- (-)	44,000.00 (47,354.00)	15,910.39 (19,542.23)	42,000.00 (40,000.00)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ	- (-)	135.30 (198.41)	33.36 (127.59)	- (157.67)
प्रतिवर्ती रिपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	9.02 (-)	12,057.64 (8,500.00)	499.47 (350.14)	20.65 (3,000.00)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

3. गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना :

बैंक के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है :

₹ करोड़ में

क्रम सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी निवेश की मात्रा	"निवेश श्रेणी से कम" प्रतिभूतियों की मात्रा *	'बिना रेटिंग वाली" प्रतिभूतियों* की मात्रा	"असूचीगत" प्रतिभूतियों* की मात्रा
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	12,063.43 (9,176.71)	825.29 (1,200.25)	- (-)	- (-)	19.45 (17.40)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ	10,803.72 (5,103.90)	2,868.58 (4,325.74)	- (50.37)	- (50.83)	216.20 (50.83)
(iii)	बैंक	21,522.63 (10,128.32)	10,386.50 (5,332.96)	- (40.51)	- (49.21)	205.54 (315.40)
(iv)	गैर सरकारी कारपोरेट	13,558.81 (5,016.41)	5,327.61 (1,892.12)	1,345.57 (1,087.51)	504.11 (369.68)	118.62 (184.45)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम **	7,070.77 (7,066.64)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(vi)	अन्य	17,696.21 (21,083.51)	- (-)	- (92.29)	393.23 (1,348.87)	195.14 (50.88)
(vii)	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान	1,048.52 (1,217.64)	- (-)	- (189.04)	262.15 (210.76)	- (190.91)
	योग	81,667.05 (56,357.85)	19,407.98 (12,751.07)	1,345.57 (1,081.64)	635.19 (1,607.83)	754.95 (428.05)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं) (Figures in brackets are for Previous Year)

* इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, वेंचर केपिटल, श्रेणीकृत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों और ए आर सी आई एल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हे रेटिंग/ लिस्टिंग दिशा निर्देशों से छूट मिली हुई है.

** अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं. अन्य निवेशों में आरआईडीएफ जमा योजना के तहत नाबार्ड में जमा राशि ₹ 13,330.20 करोड़ शामिल है. (पिछले वर्ष ₹ 15,942.94 करोड़)

ख)अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेश

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	860.50	328.40
वर्ष के दौरान वृद्धि	311.11	588.12
वर्ष के दौरान कमी	129.12	56.02
अंतिम शेष	1,042.49	860.50
रखे गए कुल प्रावधान	875.28	768.92

18.3. डेरीवेटिव्स :

क. वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

₹ करोड़ में

	विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
i)	विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि	1,60,156.94#	1,34,671.34#
ii)	प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियाँ	4,078.75	3,461.81
iii)	विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv)	विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	नगण्य	नगण्य
v)	विनिमय - बही का उचित मूल्य	2,318.49	2,020.59

\# बैंक अपने कार्यालय में आईआरएस/ एफआरए के कुल ₹ 10,338.05 करोड़ की (पिछले वर्ष ₹ 7,600.95 करोड़) प्रविष्टियां की है एवं चूंकि वे एफसीएनबी कॉरपस हेजिंग हेतु है एवं बाजार को अंकित नहीं है, उन्हें यहां दर्शाया नहीं गया है.

ख. बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	74,582.00
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	निरंक	निरंक
2	31 मार्च 2013 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	निरंक	निरंक
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया है और ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है.	लागू नहीं	लागू नहीं

ग. ऋण चूक अदला-बदली

₹ करोड़ में

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1.	वर्ष के दौरान हुए लेन देन की संख्या				
	क) उनमें से जो भौतिक रूप से समाधान किए/ जाएंगे	निरंक	3	निरंक	1
	ख) नकद समाधान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय की गई संरक्षण की मात्रा				
	क) उनमें से जो भौतिक रूप से समाधान किए गए/ जाएंगे	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) नकद समाधान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या जिनमें क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त/प्रदत्त किए गए				
	क) वर्तमान वर्ष से संबंधित	निरंक	3	निरंक	1
	ख) पिछले वर्ष (वर्षों)से संबंधित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	पिछले वर्ष इसी तारीख से सी डी एस लेन देन से सम्बधित निवल आय / लाभ (खर्च / हानि)				
	क) प्रीमियम अदा/ प्राप्त किया गया.	निरंक	13.19	निरंक	25.14
	ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान :				
	• अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल)	निरंक	108.57	50.63	निरंक
	• प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य को घटाकर)	निरंक	निरंक	0.25	निरंक
5.	31 मार्च तक बकाया लेनदेन				
	क) लेनदेनों की संख्या	निरंक	1	निरंक	13
	ख) संरक्षण की मात्रा	निरंक	54.29	निरंक	546.90
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन की उच्चतम बकाया				
	क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल के अनुसार)	निरंक	13	निरंक	24
	ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल के अनुसार)	निरंक	546.90	निरंक	1045.48

घ. डेरीवेटिव्स में जोखिम वाले निवेश का प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

i. बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर और मुद्रा वायदों का लेनदेन करता है. बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें मुद्रा विनिमय, रुपया डालर ऑप्शन, एक्स्चेंज ट्रेडेड ऑप्शन और परस्पर-मुद्रा ऑप्शन शामिल हैं. बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विक्रय - प्रस्ताव, उनके निवेशों की बचाव -व्यवस्था करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों हेतु बचाव-व्यवस्था करने के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएँ निष्पादित करता है. बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलनपत्र की मदों के लिए बचाव-व्यवस्था करने हेतु भी किया जाता है. बैंक इस प्रकार के सामान्य लिखतों का भी लेनदेन करता है. बैंक ने ग्राहकों से विकल्प सौदे और संरचनागत उत्पाद - विक्रय का लेनदेन किया है, किन्तु उनके लिए अंतर-बैंक बाजार में परस्पर मुद्रा आधारित वायदा - करार किए गए हैं.

ii. डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होते हैं अर्थात् ब्याज दरों/विनिमय दरों / ईक्विटी दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है , साथ ही ऋण जोखिम अर्थात् यदि प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है. बोर्ड द्वारा यथाविधि अनुमोदित बैंक की डेरीवेटिव्स नीति में बाजार जोखिम (हानि कम करने के लिए सतर्कता बिन्दु, आंरभिक राशि सीमा, अवधि ,संशोधित अवधि, पीवी 01, आदि) के मानदंड निर्धारित किए गए हैं. इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, ऋण अवधि आदि) भी निर्धारित किए गए हैं. केवल इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया गया है। बाध्यताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित ऋण -सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक ऐसे प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आइएसडीए करार भी करता है.

iii. उपरोक्त जोखिमों के कुशल प्रबंधन पर बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निगरानी रखती है.ट्रेजरी स्थित बैंक का मिड - ऑफिस एवं जोखिम नियंत्रण विभाग (एम ओ आर सी) जो कि अब बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कहलाता है, डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अभिनिर्धारण, आकलन तथा अनुवर्तन करता है एवं इन जोखिमों को नियंत्रित एवं न्यूनीकृत करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है। साथ ही बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत उपाय सुझाने के साथ-साथ नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है.

iv. डेरीवेटिव्स के लिए लेखा नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2012-13 की प्रमुख लेखा नीति (एसएपी) : अनुसूची 17 में दिया गया है.

v. विदेशी कार्यालयों में ब्याज दर विनिमय का उपयोग मुख्यत: आस्ति और देयताओं की बचाव - व्यवस्था हेतु किया जाता है.

vi. बचाव - व्यवस्था विनिमय के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों के विनिमयों में, हमारे विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले परस्पर मुद्रा - विनिमय, जो ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में मुख्यत: विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमाराशियों की बचाव - व्यवस्था हेतु निष्पादित होते हैं, शामिल हैं.

vii. हमारे अधिकांश विनिमय प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ निष्पादित होते थे.

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

₹ करोड़ में

विवरण	मुद्रा डेरीवेटिव्स		ब्याज दर डेरीवेटिव्स	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I) डेरीवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि)				
(क) बचाव व्यवस्था (हेजिंग) के लिए	8,325.96	4,954.34	64,928.34	47,532.47
(ख) क्रय-विक्रय के लिए *	3,55,442.49$	4,36,623.65 $	95,228.60#	87,138.87 #
(II) बाजार के बही- मूल्य के अनुसार स्थिति				
(क) आस्ति	1,341.90	941.86	54.67	89.95
(ख) देयता	निरंक / Nil	8.43	निरंक / Nil	निरंक / Nil
(III) ऋण जोखिम	7,592.19	14,158.22	5,218.35	4,792.43
(IV) ब्याज दर (100* पीवी 01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव				
(क) बचाव-व्यवस्था डेरीवेटिव्स पर	(52.68)	76.95	(917.87)	3.15
(ख) क्रय-विक्रय डेरीवेटिव्स पर	10.95	8.03	(196.69)	18.64
(V) वर्ष के दौरान 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
(क) बचाव व्यवस्था (हेजिंग) पर - अधिकतम	निरंक / Nil	93.68	(159.70)	1,433.18
- न्यूनतम	(77.68)	45.03	(1,126.65)	769.90
(ख) क्रय-विक्रय पर - अधिकतम	15.22	70.78	885.78	(522.47)
- न्यूनतम	(5.29)	(36.75)	(1,108.33)	(840.08)

$ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ की गई अदला-बदली की की ₹ 6,574.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,276.19 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि की हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिह्नित भी नहीं की गई है.

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ की गई आइआरएस/एफआरए की ₹ 10,338.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,600.95 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिह्नित भी नहीं की गई है.

* बैंक के विदेशी कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है. (करेंसी डेरीवेटिव्स - ₹4,349.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,260.56 करोड़) एवं ब्याज दर डेरीवेटिव्स – करोड़ ₹ 167.53 (पिछले वर्ष ₹ 159.56 करोड़)

1. 31.03.2013 तक ग्लोबल मार्केटस् डिपार्टमेंट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप डिपार्टमेंट के बीच डेरीवेटिव्स व्यापर की बकाया अनुमानित राशि ₹ 21,429.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 16,297.26 करोड़) है एवं 31 मार्च 2013 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी कार्यालयों के बीच किए गए डेरीवेटिव्स व्यापार की राशि ₹ 35,082.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30,663.90 करोड़) है.
2. ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2013 तक विचाराधीन आस्ति /देयताओं, जिनका बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹ 80,144.28 करोड़ (₹ 57,756.33 करोड़) है.
3. ऋण चूक अदला-बदली सौदा : इस सौदे में दिनांक 31 मार्च 2013 तक कुल बकाया राशि ₹ 54.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 546.90 करोड़) है .

18.4. आस्ति - गुणवत्ता

a) अनर्जक आस्तियाँ

₹ करोड़ में

विवरण		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
i)	कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	2.10%	1.82%
ii)	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
	(क) अथशेष	39,676.46	25,326.29
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियाँ)	31,993.35	24,712.22
	उप-योग (I)	71,669.81	50,038.51
	(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	10,119.35	5,458.36
	(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	4,766.30	4,159.35
	(ङ) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	5594.77	744.34
	उप - योग (II)	20,480.42	10,362.05
	(च) अंतिम शेष (I-II)	51,189.39	39,676.46
iii)	निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथ शेष	15,818.85	12,346.90
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	17,825.95	10,948.96
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	11,688.32	7,477.01
	(घ) अंतिम शेष	21,956.48	15,818.85
iv)	अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथ शेष	23,857.61	12,979.39
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	14,167.40	13,763.27
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन / प्रतिलेखन	8,792.10	2,885.05
	(घ) अंतिम शेष	29,232.91	23,857.61

अथशेष एवं इतिशेष में प्राप्त एवं स्थगित डीआईसीजीसी/ईसीजीसी दावे शामिल है एवं बकाया समायोजन राशि क्रमश: ₹ 46.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 25.38 करोड़) एवं ₹ 71.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.32 करोड़) है.

b) पुनर्संरचित खाते

₹ करोड़ में

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार		कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के अंतर्गत (2)				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	योग
	विवरण											
1	1 अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	ऋणियों की संख्या	71	8	15	1	95	1,642	146	226	1	2,015
		बकाया राशि	7,112.82	340.09	946.81	0.18	8,399.90	2,378.45	211.12	64.42	-	2,653.99
		उस पर प्रावधान	794.41	17.02	141.36	-	952.79	37.03	16.54	8.23	-	61.80
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना	ऋणियों की संख्या	66	4	14	-	84	201	33	31	1	266
		बकाया राशि	9,314.95	252.81	1,539.78	-	11,107.54	2,500.14	324.97	293.95	0.04	3,119.10
		उस पर प्रावधान	868.52	34.79	487.89	-	1,391.20	81.43	27.87	11.48	-	120.78
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	ऋणियों की संख्या	3	(1)	(2)	-	-	9	(8)	(1)	-	-
		बकाया राशि	155.69	(48.66)	(107.03)	-	-	12.29	(12.29)	-	-	-
		उस पर प्रावधान	67.39	(11.30)	(56.09)	-	-	0.01	(0.01)	-	-	-

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण / विवरण		कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था (1) मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	योग	एसएमई ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के अंतर्गत (2) मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	योग
4	ऐसे मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में पहले से अधिक प्रावधान और। या अतिरिक्त जोखिम भार की आवश्यकता नहीं रह गई इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं	ऋणियों की संख्या	(15)	-	-	-	(15)	(1,357)	-	-	-	(1,357)
		बकाया राशि	(738.64)	-	-	-	(738.64)	(221.12)	-	-	-	(221.12)
		उस पर प्रावधान	(75.71)	-	-	-	(75.71)	(1.50)	-	-	-	(1.50)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की श्रेणी घटना	ऋणियों की संख्या	(10)	2	8	-	-	(41)	9	28	4	-
		बकाया राशि	(813.81)	81.56	732.25	-	-	(315.50)	180.06	135.02	0.42	-
		उस पर प्रावधान	(47.55)	4.47	43.08	-	-	(4.02)	(2.22)	6.24	-	-
6	चालू वित्तवर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना $	ऋणियों की संख्या	10	3	5	1	19	78	111	151	1	341
		बकाया राशि	116.69	39.36	992.21	0.18	1,148.44	1,788.61	161.13	(31.97)	0.05	1,917.82
		उस पर प्रावधान	222.41	5.20	533.34	-	760.95	4.62	(24.74)	(27.36)	-	(47.48)
7	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार कुल पुनर्संरचित खाते (लेखाबंदी के समय स्थिति) *	ऋणियों की संख्या	105	10	30	-	145	376	69	133	5	583
		बकाया राशि	14,914.32	586.44	2,119.60	-	17,620.36	2,565.65	542.73	525.36	0.41	3,634.15
		उस पर प्रावधान	1,384.65	39.78	82.90	-	1,507.33	108.33	66.92	53.31	-	228.56

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण / विवरण		कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के अंतर्गत (1) मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	योग	एसएमई ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के अंतर्गत (2) मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	योग
1	1 अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	ऋणियों की संख्या	6,112	511	255	4	6,882	7,825	665	496	6	8,992
		बकाया राशि	11,909.60	1,105.01	3,998.70	65.91	17,079.21	21,400.87	1,656.22	5,009.93	66.09	28,133.10
		उस पर प्रावधान	204.30	88.36	660.32	60.05	1,013.03	1,035.74	121.92	809.91	60.05	2,027.62
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना	ऋणियों की संख्या	2,211	134	88	6	2,439	2,478	171	133	7	2,789
		बकाया राशि	9,609.83	867.38	715.12	0.18	11,192.50	21,424.92	1,445.16	2,548.85	0.22	25,419.14
		उस पर प्रावधान	280.31	41.17	55.88	0.07	377.43	1,230.26	103.83	555.25	0.07	1,889.41
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	ऋणियों की संख्या	147	(140)	(7)	-	-	159	(149)	(10)	-	-
		बकाया राशि	192.50	(177.37)	(15.13)	-	-	360.48	(238.32)	(122.16)	-	-
		उस पर प्रावधान	94.07	(92.04)	(2.03)	-	-	161.47	(103.35)	(58.12)	-	-
4	ऐसे मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में पहले से अधिक प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार की आवश्यकता नहीं रह गई इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं	ऋणियों की संख्या	(2,480)	-	-	-	(2,480)	(3,852)	-	-	-	(3,852)
		बकाया राशि	(2,661.65)	-	-	-	(2,661.65)	(3,621.41)	-	-	-	(3,621.41)
		उस पर प्रावधान	(17.08)	-	-	-	(17.08)	(94.29)	-	-	-	(94.29)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की श्रेणी घटना	ऋणियों की संख्या	(550)	322	189	39	-	(601)	333	225	43	-
		बकाया राशि	(1,622.59)	639.80	982.23	0.55	-	(2,751.90)	901.42	1,849.50	0.97	-
		उस पर प्रावधान	(64.85)	32.52	32.33	-	-	(116.42)	34.77	81.65	-	-
6	चालू वित्तवर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना $	ऋणियों की संख्या	277	169	120	2	568	365	283	276	4	928
		बकाया राशि	2,679.99	611.86	447.34	14.54	3,753.72	4,585.29	812.35	1,407.58	14.77	6,819.98
		उस पर प्रावधान	10.79	(10.47)	3.90	56.58	60.80	237.82	(30.01)	509.88	56.58	774.27
7	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार कुल पुनर्संरचित खाते (लेखाबंदी के समय स्थिति) *	ऋणियों की संख्या	5,163	658	405	47	6,273	5,644	737	568	52	7,001
		बकाया राशि	14,747.70	1,822.96	5,233.58	52.10	21,856.34	32,227.67	2,952.13	7,878.54	52.51	43,110.85
		उस पर प्रावधान	485.96	80.48	742.60	3.54	1,312.58	1,978.94	187.18	878.81	3.54	3,048.47

* ऐसे मानक पुनर्संरचित अग्रिमों को छोड़कर जिनके लिए पहले से अधिक प्रावधान करने या जोखिम भार (यदि लागू हो) देने की आवश्यकता नहीं।

$ बट्टे खाते डाले गए ऋणों में खाता बंदी के आंकड़े और ₹ 6746.71 करोड़ की शेष में घट-बढ़ शामिल है।

ग) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	2	3
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	6.42	4.08
iii) समग्र प्रतिफल	27.11	10.35
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	Nil	Nil
v) निवल बही मूल्य की तुलना में कुल लाभ / (हानि)	20.69	6.27

घ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क)वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2) (क)इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

ङ) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	6	9
2) कुल बकाया राशि	139.96	35.69
3) कुल प्राप्त मूल्य प्रतिफल	45.84	12.79

च) मानक आस्तियों पर प्रावधान :

बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों पर धारित प्रावधान निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

विवरण	31मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	5,289.58	4,525.88*

* पूर्ववर्ती एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक से अंतरित राशि ₹ 0.98 करोड़ सहित

छ) व्यवसाय अनुपात :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	7.76%	8.04%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.04%	1.08%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	2.01%	2.38%
iv. आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.91%	0.88%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ हजार में)	94,389	79,842
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	645.47	531.45

ज) आस्ति देयता प्रबन्धन : **31** मार्च **2013** की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

₹ करोड़ में

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 मास	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	44,414.22	22,481.11	22,533.15	24,714.75	49,399.81	88,325.85	1,80,116.77	3,36,798.25	2,24,094.01	2,09,861.65	12,02,739.57
	(24,952.42)	*(24,148.78)*	*(23,163.49)*	*(17,309.22)*	*(54,829.96)*	*(1,00,330.59)*	*(1,37,776.39)*	*(3,06,073.55)*	*(1,78,971.15)*	*(1,76,091.82)*	*(10,43,647.36)*
अग्रिम	97,506.39	7,028.89	12,010.67	8,620.34	47,231.34	43,115.51	41,753.47	5,02,134.63	1,15,593.50	1,70,621.81	10,45,616.55
	(39,710.85)	*(6,386.88)*	*(17,237.21)*	*(10,140.95)*	*(47,080.98)*	*(38,041.23)*	*(43,231.60)*	*(4,08,461.94)*	*(81,234.24)*	*(1,76,053.01)*	*(8,67,578.89)*
निवेश	120.09	1,557.83	5,113.23	4,313.41	23,300.54	15,973.75	11,899.25	47,102.48	65,736.09	1,75,810.60	3,50,927.27
	(134.68)	*(2,447.45)*	*(80.61)*	*(3,514.89)*	*(19,109.04)*	*(8,664.67)*	*(11,902.56)*	*(48,553.21)*	*(54,935.00)*	*(1,62,855.50)*	*(3,12,197.61)*
उधार-राशियाँ	551.20	16,955.79	4,919.76	10,590.92	37,664.35	18,006.82	7,552.70	27,666.70	8,861.34	36,413.13	1,69,182.71
	(688.64)	*(13,988.94)*	*(2,842.08)*	*(6,748.88)*	*(21,202.93)*	*(9,765.70)*	*(5,107.03)*	*(12,524.56)*	*(18,052.01)*	*(36,084.79)*	*(1,27,005.56)*
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	67,093.43	2,832.10	1,983.54	6,157.46	20,768.87	20,961.05	9,990.15	31,414.37	28,714.05	32,780.73	2,22,695.75
	(26,245.58)	*(2,684.58)*	*(3,873.88)*	*(6,002.43)*	*(24,917.46)*	*(20,344.78)*	*(13,868.74)*	*(24,187.50)*	*(28,022.95)*	*(23,057.38)*	*(1,73,205.28)*
विदेशी मुद्रा देयताएँ	19,192.37	12,784.44	6,168.25	14,976.21	35,035.92	24,080.39	24,246.59	40,932.48	16,320.81	4,719.07	1,98,456.53
	(15,576.62)	*(11,807.38)*	*(4,543.24)*	*(9,168.21)*	*(30,276.50)*	*(20,977.29)*	*(22,645.06)*	*(23,817.29)*	*(19,169.38)*	*(4,002.97)*	*(1,61,983.94)*

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2012 के हैं)

18.5. एक्सपोज़र्स

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है.

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
(क) प्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
i) आवासीय बंधक	1,50,165.96	1,25,992.41
- जिनमें से ₹ 20 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण	87,575.87	76,980.09
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	24,988.44	12,674.38
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र्स:	607.12	154.55
क) आवासीय	601.48	127.64
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	5.64	26.91
(ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र्स		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र्स	7,839.94	5,847.03
योग	**1,83,601.46**	**1,44,668.37**

ख) पूंजी बाजार

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
1) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में - ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि का सिर्फ कारपोरेट - ऋण में निवेश नहीं किया गया है,	4,193.49	1,912.18
2) शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर दिए गए ऋण अथवा शेयरों (आइपीओ/इएसओपी सहित) परिवर्तनशील बाडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए बेजमानती (क्लीन) आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	5.36	6.80
3) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों को अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	2,008.06	355.42
4) किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण - प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है.	48.83	168.56
5) शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार - निर्माताओं (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	43.35	541.21
6) संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों अथवा बेजमानती आधार पर संस्वीकृत ऋण	53.79	Nil
7) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण	Nil	0.02
8) शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार.	निरंक	निरंक
9) शेयरदलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	निरंक	निरंक
10) उद्यम - पूंजी निधियों से संबंधित एक्सपोज़र्स (पंजीकृत तथा गैर -पंजीकृत दोनों)	856.47	586.07
पूंजी बाजार में कुल ऋण -जोखिम	7,209.35	3,570.26

ग) जोखिम वर्गवार देशगत जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है. यूएसए और यूके को छोड़कर किसी भी देश के लिए बैंक का देशगत जोखिम (कुल निधिक) इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है और यूएसए और यूके हेतु देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है.

₹ करोड़ में

जोखिम वर्ग	एक्सपोज़र्स (निवल)		धारित प्रावधान	
	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	1.90	5.93	निरंक	निरंक
बहुत कम	53,957.63	60,691.68	27.11	27.89
कम	11.61	833.76	निरंक	निरंक
मध्यम कम	29,021.20	9,782.76	26.25	निरंक
मध्यम	4,110.40	3,541.64	निरंक	निरंक
अधिक	374.30	2,067.30	निरंक	निरंक
अत्यधिक	2,224.39	1,208.60	निरंक	निरंक
प्रतिबंधित	2,323.03	3,965.87	निरंक	निरंक
ऋण अयोग्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कुल	**92,024.46**	**82,097.54**	**53.36**	**27.89**

घ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्त्ता तथा समूह उधारकर्त्ता एक्सपोज़र सीमा का ब्योरा :

बैंक ने निम्नलिखित मामलों में यथोचित सीमा के अतिक्रमण में एकल उधारकर्त्ता एक्सपोज़र लिए :

₹ करोड़ में

उधारकर्त्ता का नाम	एक्सपोज़र की उच्चत्तम सीमा	संस्वीकृत सीमा (चरम स्तर)	सीमा के अतिक्रमण की अवधि	31.03.13 की स्थिति के अनुसार
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (आईओसीएल)	29,023.21	33,391.91	June 2012 to February 2013	25,607.52
	29,774.21		March 2013	
भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल)	17,413.93	18,651.04	April 2012 to February 2013	15,187.12
	17,864.53		March 2013	

नोट :
आई ओ सी एल एवं भेल में एक्सपोज़र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिए गए विवेकाधिकार के अधीन है । (प्रूडेंसियल सीमाओं के अतिरिक्त 5% पूंजीगत निधि)
सभी उधारकर्ता दल को प्रदत्त ऋण जोखिम प्रूडेंसियल नीतियों के अधीन है ।

ङ) अप्रतिभूत अग्रिम

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
क) बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	1,81,561.88	1,64,479.17
i) इनमें से अग्रिमों की राशि, जो शेयर,लाइसेंस, प्राधिकार आदि के रूप में अमूर्त प्रतिभूतियों के प्रभार पर बकाया है.	3,654.02	4,848.24
ii) इन अमूर्त प्रतिभूतियों ऊपर (i) का प्राक्कलित मूल्य	15,236.41	4,159.48

18.6. विविध :

क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए अर्थदंडों का प्रकटन

निरंक (पिछले वर्ष ₹ 0.10 करोड़)

ख) एस जी एल फार्मों के उल्लंघन पर लगाए गए अर्थदंड

बैंक पर एस जी एल फार्मों के उल्लंघन पर किसी तरह का अर्थदंड नहीं लगाया गया है

18.7. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

क) कर्मचारी - हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

1. कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी व स्थिति व निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है:-

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजना चालू वर्ष	पेंशन योजना पिछला वर्ष	ग्रेच्युटी योजना चालू वर्ष	ग्रेच्युटी योजना पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2012 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	36,525.68	33,879.30	6,462.82	5,817.19
विलय एवं अधिग्रहण पर देयताएं	-	25.03	-	133.25
वर्तमान सेवा लागत	1,071.90	950.40	155.32	178.66
ब्याज लागत	3,196.00	2,879.74	549.34	494.46
पूर्व सेवा लागत(निहित हित लाभ)	-	82.00	-	-
एक्चुरियल हानि (लाभ)	1,044.60	781.46	509.62	367.64
संदत्त हित लाभ	(41.50)	(1,140.37)	(626.53)	(528.38)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,232.47)	(931.88)	-	-
31 मार्च 2013 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	39,564.21	36,525.68	7,050.57	6,462.82

विवरण	पेंशन योजना चालू वर्ष	पेंशन योजना पिछला वर्ष	ग्रेच्युटी योजना चालू वर्ष	ग्रेच्युटी योजना पिछला वर्ष
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2012 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	27,205.57	16,800.10	5,251.79	4,102.25
विलय एवं अधिग्रहण पर अंतरित आस्तियां	-	25.03	-	-
अन्य निधि से अंतरण	-	-	-	2.16
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,339.68	1,344.01	451.65	328.18
नियोक्ता द्वारा अंशदान	5,094.24	10,046.64	1,409.94	1,315.00
संदत्त हितलाभ	(41.50)	(1,140.37)	(626.53)	(528.38)
योजना आस्तियों पर एक्चुरियल लाभ/(हानि)	419.58	130.16	62.46	32.58
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	35,017.57	27,205.57	6,549.31	5,251.79
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2013 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	39,564.21	36,525.68	7,050.57	6,462.82
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	35,017.57	27,205.57	6,549.31	5,251.79
कमी / (अधिशेष)	4,546.64	9,320.11	501.26	1,211.03
लेखे मे नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	200.00	300.00
लेखे मे नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता / (आस्ति)	4,546.64	9,320.11	301.26	911.03
तुलनपत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	39,564.21	36,525.68	7,050.57	6,462.82
आस्तियाँ	35,017.57	27,205.57	6,549.31	5,251.79
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	4,546.64	9,320.11	501.26	1,211.03
लेखे मे नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	200.00	300.00
लेखे मे नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयताएं / आस्तियां	4,546.64	9,320.11	301.26	911.03
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,071.90	950.40	155.32	178.66
ब्याज लागत	3,196.00	2,879.74	549.34	494.46
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,339.68)	(1,344.01)	(451.65)	(328.18)
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (परिशोधित)	-	-	100.00	100.00

विवरण	पेंशन योजना चालू वर्ष	पेंशन योजना पिछला वर्ष	ग्रेच्युटी योजना चालू वर्ष	ग्रेच्युटी योजना पिछला वर्ष
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	-	82.00	-	-
वर्ष के दौरान शामिल निवल एक्चुरियल हानियाँ (लाभ)	625.02	651.30	447.16	335.06
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 ''कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान'' में शामिल किया गया है.	2,553.24	3,219.43	800.17	780.00
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और एक्चुरियल प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,339.68	1,344.01	451.65	328.18
योजना आस्तियों पर एक्चुरियल लाभ/(हानि)	419.58	130.16	62.46	32.58
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	2,759.26	1,474.17	514.11	360.76
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति) के अथ और इति शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	9,320.11	17,079.20	911.03	1,314.94
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	2,553.24	3,219.43	800.17	780.00
विलय / अधिग्रहण से निवल देयता	-	-	-	131.09
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,232.47)	(931.88)	-	-
अन्य प्रावधानों के नामे	-	-	-	-
आरक्षित में शामिल	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(5,094.24)	(10,046.64)	(1,409.94)	(1,315.00)
तुलनपत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति)	4,546.64	9,320.11	301.26	911.03

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	योजना आस्तियों का पेंशन निधि %	योजना आस्तियों का ग्रेच्युटी निधि %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	32.53%	23.86%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.32%	16.67%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	41.55%	34.84%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	-	18.77%
अन्य	3.60%	5.86%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख एक्चुरियल प्राक्कलन

विवरण	पेंशन योजनाएँ चालू वर्ष	पेंशन योजनाएँ पिछला वर्ष	ग्रेच्युटी योजनाएँ चालू वर्ष	ग्रेच्युटी योजनाएँ पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.50%	8.75%	8.25%	8.50%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.60%	8.60%	8.60%	8.60%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

योजना में अधिशेष / कमी

तुलन-पत्र में ली गई राशि	ग्रेच्युटी योजना 31-03-2009 को समाप्त वर्ष	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	3,778.18	3,889.14	5,817.19	6,462.82	7,050.57
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,746.73	3,811.28	4,102.25	5,251.79	6,549.31
अंतर	31.45	77.86	1,714.94	1,211.03	501.26
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	400.00	300.00	200.00
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	31.45	77.86	1,314.94	911.03	301.26

अनुभव समायोजन

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2009 को समाप्त वर्ष	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष
योजना देयता (लाभ)/हानि	(90.81)	(0.40)	879.37	367.64	459.56
योजना आस्ति लाभ/(हानि)	(1.24)	7.89	1.94	32.58	62.46

योजना में अधिशेष / कमी

तुलन पत्र में ली गई राशि	पेंशन 31-03-2009 को समाप्त वर्ष	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	19,328.72	21,715.61	33,879.30	36,525.68	39,564.21
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	13,710.13	14,714.83	16,800.10	27,205.57	35,017.57
अंतर	5,618.59	7,000.78	17,079.20	9,320.11	4,546.64
लेखे मे नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे मे नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	5,618.59	7,000.78	17,079.20	9,320.11	4,546.64

अनुभव समायोजन

योजना देयता (लाभ) /हानि	905.07	5,252.37	1,188.70	1,677.80	345.90
योजना आस्ति (हानि) /लाभ	124.74	233.12	282.65	130.16	419.58

भावी वेतन बढ़ोतरी का पूर्वानुमान, बीमांकिक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है. इस प्रकार के अनुमान बहुत लम्बी अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि बहुत लम्बी अवधि के दौरान - सतत् उच्च वेतन बढ़ोतरी करते रहना संभव नहीं है लेखापरीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है.

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में निर्धारक दृष्टिकोण के अनुसार संचालित एक्चुरियल मूल्यांकन, कोई भी देयता प्रतिबद्धता नहीं दिखाता अत: वित्तीय वर्ष 2012 -13 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है ।

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एक्चुरि द्वारा किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि का स्थिति को निम्न टेबल के माध्यम से दिखाया गया है :-

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2012 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	19482.46	18151.73
वर्तमान सेवा लागत	529.97	531.83
ब्याज लागत	1593.27	1492.66
कर्मचारी अंशदान (वी पी एफ समेत)	654.91	654.49
एक्चुरियल हानि (लाभ)	784.39	649.98
संदत्त हित लाभ	(2302.17)	(1998.23)
31 मार्च 2013 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	20742.83	19482.46
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2012 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	19729.16	18260.73
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1593.27	1492.66
अंशदान	1184.88	1186.32
प्रदत्त हितलाभ	(2302.17)	(1998.23)
योजना आस्तियों पर एक्चुरियल लाभ / (हानि)	1018.27	787.68
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	21223.41	19729.16
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2013 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	20742.83	19482.46
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	21223.41	19729.16
कमी / (अधिशेष)	(480.58)	(246.70)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	480.58	246.70
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	529.97	531.83
ब्याज लागत	1593.27	1492.66
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1593.27)	(1492.66)
प्रतिवर्तित ब्याज कमी	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 ''कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान'' में शामिल किया गया है.	529.97	531.83
तुलन पत्र में ली गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2012 को प्रारंम्भिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	529.97	531.83
नियोक्ता का अंशदान	(529.97)	(531.83)
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता / (आस्ति)	-	-

पिछले वर्ष के आंकड़े केवल प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से दिए गए है।

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधियोजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	38.48%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	16.37%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	40.67%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	-
अन्य	4.48%
योग	100.00%

प्रमुख एक्चुरियल प्राक्कलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.50%	8.50%
निर्धारित प्रतिलाभ	8.25%	8.25%
पलायन दर	2.00%	2.00%

ii. **नियत अंशदान योजना :**

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त हुए सभी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए नई नियत अंशदान पेंशन योजना कार्यान्वित की है' इस योजना का प्रबंधन एन पी एस न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के देखरेख में किया जायेगा एन पी एस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है । बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹67.73 करोड़ का अंशदान किया है (पिछले वर्ष ₹ 52.47 करोड़ था)

iii. **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ**

₹ 502.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 531.33 करोड़) की राशि का प्रावधान दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए किया है और इसे लाभ और हानि खाते में ''कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का:

₹ करोड़ में

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश (नकदीकरण)	407.59	375.33
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण / उपयोग)	24.96	44.33
3	अस्वस्थता अवकाश	18.17	74.77
4	रजत जंयती अवार्ड	12.24	5.01
5	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	1.44	11.70
6	आकस्मिक अवकाश	17.89	14.94
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	19.96	5.25
योग		**502.25**	**531.33**

ख) **खंड सूचना :**

1. **खंड अभिनिर्धारण**

I. **प्राथमिक (व्यवसाय खंड)**

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड हैं :-

- कोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक् व्यवस्था नहीं है. तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उसमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है :

i. **कोष** - कोष खंड में समस्त निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं. कोष खंड की आय मूलत: व्यापार-परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो का ब्याज-आय पर आधारित है.

ii. **कारपोरेट / थोक बैंकिंग** - कारपोरेट / थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण - गतिविधियाँ सम्मिलित हैं. इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेन-देन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं. इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं.

iii. **खुदरा बैंकिंग** - खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं. इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित

- वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं. एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं.

iv. **अन्य बैंकिंग व्यवसाय** - जो खंड उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. **द्वितीयक (भौगोलिक खंड)**

i) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ

III. **अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है. कोषीय एवं कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं कोष खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करते हैं. बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक् इकाई सृजित की गई है. निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयों में जमाराशियों या उधारराशियों के रूप में उद्भूत होती हैं और आस्ति सृजन करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है.

IV. **व्यय , आस्तियों और देयताओं का आबंटन**

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा कोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं. सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं.

बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, अत: इन्हें अनाबंटित श्रेणी में रखा गया है.

2. खंड सूचना

भाग क्र.: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

₹ करोड़ में

व्यवसाय खंड	कोष	कारपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय #	29,467.67 (23,874.88)	46,453.57 (42,773.40)	59,427.06 (54,091.69)	- -	1,35,348.30 (1,20,739.97)
अनाबंटित आय #	-	-	-	-	343.64 (132.93)
कुल आय	-	-	-	-	1,35,691.94 (1,20,872.90)
परिणाम #	4,782.29 (217.24)	7,315.21 (6,106.12)	11,215.21 (15,619.23)	- (-)	23,312.71 (21,942.59)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #	- -	- -	- -	- -	(-)3361.82 (-) 3,459.28
परिचालन लाभ #	- -	- -	- -	- -	19,950.89 (18,483.31)
कर #	- -	- -	- -	- -	5845.91 (6776.02)
असाधारण लाभ #	- -	- -	- -	- -	- -
निवल लाभ #	- -	- -	- -	- -	14,104.98 (11,707.29)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियाँ*	3,73,583.73 (3,35,016.51)	5,82,664.07 (4,61,305.84)	5,96,698.77 (5,28,298.95)	- -	15,52,946.57 (13,24,621.30)
अनाबंटित आस्तियाँ *	- -	- -	- -	- -	13,314.47 (10,897.93)
कुल आस्तियाँ*	- -	- -	- -	- -	15,66,261.04 (13,35,519.23)
खंड देयताएँ *	1,99,998.27 (1,96,222.07)	4,91,994.55 (3,81,202.21)	7,29,632.90 (6,28,479.02)	- -	14,21,625.72 (12,05,903.30)
अनाबंटित देयताएँ*	- -	- -	- -	- -	45,751.64 (45,664.73)
कुल देयताएँ *	- -	- -	- -	- -	14,67,377.36 (12,51,568.03)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकडे पिछले वर्ष के हैं)

भाग ख: द्वितीयक (अवस्थिति खंड)

₹ करोड़ में

	देशी		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय #	1,27,139.47	1,14,080.91	8,208.83	6,659.06	1,35,348.30	1,20,739.97
परिणाम #	20,026.46	19,064.85	3,286.25	2,877.74	23,312.71	21,942.59
आस्तियाँ *	13,39,476.62	11,55,176.43	2,26,784.42	1,80,342.80	15,66,261.04	13,35,519.23
देयताएँ *	12,40,592.94	10,71,225.23	2,26,784.42	1,80,342.80	14,67,377.36	12,51,568.03

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार

वर्ष के दौरान बैंक ने खंडीय ट्रांसफर प्राइसिंग व्यवस्था को और बेहतर बनाया है ताकि और अधिक संगत खंडीय परिणाम दर्शाए जा सकें यह परिवर्तन खंडीय परिणामों को तो परस्पर प्रभावित करता है परंतु इसका बैंक के वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. खंडीय परिणामों पर इस परिवर्तन के प्रभावों को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता.

ग) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

1. संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. देशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
5. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

ii. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफार्निया)
4. कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को
5. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
6. नेपाल एसबीआई बैंक लि.

iii. देशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआई डीएफएचआइ लिमिटेड
3. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
4. एसबीआई कैप सिक्यूरिटीज लि.
5. एसबीआई कैप्स वैंचर्स लि.
6. एसबीआई कैप ट्रस्टीज कं. लि.
7. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
8. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
9. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लि.
11. एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा.लि.
12. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
13. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा लि.

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैप (यूके) लि.
2. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.
3. एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि
2. सी-एज टेकनोलॉजीज लि.
3. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.
5. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. एसबीआई मैक्वैरी हन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्र.लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्र.लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. कावेरी ग्रामीण बैंक
4. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
5. डेक्कन ग्रामीण बैंक
6. इलाकाई देहाती बैंक
7. मेघालय रुरल बैंक
8. कृष्णा ग्रामीण बैंक
9. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
10. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
11. मालवा ग्रामीण बैंक
12. मिजोरम रूरल बैंक
13. मरुधरा ग्रामीण बैंक
14. नागालैंड रूरल बैंक
15. पर्वतीय ग्रामीण बैंक (14.02.2013 तक)
16. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
17. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (14.10.2012 तक)
18. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
19. उत्कल ग्रामीण बैंक
20. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
21. वनांचल ग्रामीण बैंक
22. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (07.10.2012 तक)

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3. बैंक ऑफ भूटान लि.

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष
2. श्री हेमंत जी कांट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अं. बै.)
3. श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (रा. बै.)
4. श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी
5. श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) (09.10.2012 से)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेन-देन किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार ''सरकार - नियंत्रित उद्यम'' के रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

3. लेनदेन और शेष राशियाँ :

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
वर्ष के दौरान लेन देन			
प्राप्त ब्याज	- (0.04)	- (-)	- (0.04)
संदत्त ब्याज	1.06 (1.29)	- (-)	1.06 (1.29)
लाभांश के माध्यम से प्राप्त की गई आय	15.22 (-)	- (-)	15.22 (-)
अन्य आय	17.81 (-)	- (-)	17.81 (-)
अन्य व्यय	- (-)	- (-)	- (-)
प्रबंधन संविदाएँ	- (-)	0.95 (0.68)	0.95 (0.68)
31 मार्च को बकाया			
राशियाँ	154.21 (127.66)	- (-)	154.21 (127.66)
प्राप्त राशियाँ	- (-)	- (-)	- (-)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं

इस वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के साथ ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया जिसका प्रभाव इन वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

घ) परिचालन पट्टे हेतु देयताएं*

परिचालन लीज पर लिए गए परिसर का ब्योरा नीचे दिया गया है :

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष के पश्चात् नहीं	112.44	64.32
1 वर्ष के पश्चात् और 5 वर्षों के पश्चात् नहीं	388.60	229.21
5 वर्षों के पश्चात्	117.79	66.42
योग	618.83	359.95
वर्ष के लाभ और हानि खाते में शामिल पट्टा भुगतान की राशि	114.15	60.61

परिचालन पट्टों में पहले कार्यालय परिसर तथा स्टाफ आवास, जिनका बैंक के विकल्पानुसार नवीकरण किया जाना है, शामिल हैं.

* केवल निरस्त न होने वाले पट्टे के संबंध में

ङ) प्रति शेयर उपार्जन :

बैंक ने लेखा मानक **20**, ''प्रति शेयर उपार्जन'''' के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है. वर्ष के दौरान, कर के पश्चात् निवल लाभ को बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर ''मूल आय'''' की गणना की गई है. वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य ईक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं.

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के आरम्भ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	67,10,44,838	63,49,98,991
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	1,29,89,133	3,60,45,847
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	68,40,33,971	67,10,44,838
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	67,14,72,052	63,51,96,258
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	67,14,72,052	63,51,96,258
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	14,104.98	11,707.29
प्रति शेयर मूल आय (₹)	210.06	184.31
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	210.06	184.31
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10	10

च) आय पर करों का लेखांकन

i. आस्थगित कर:

क. वर्ष के दौरान, आस्थगित कर बाबत लाभ और हानि खाते में ₹107.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 455.93 करोड़ नामे किया गया) जमा किया गया.

ख. इसमें कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के लिए किए गए ₹ 922.15 करोड़ के प्रावधान के कारण उपस्थित आस्थगित कर आस्ति शामिल है जिसे बैंक ने वर्तमान वर्ष के अपने बही खातों मे शामिल किया है।(इसमें 31 मार्च 2012 तक की अवधि के ₹ 783.62 करोड़ भी शामिल है)

ii. बैंक की निवल आस्थगित कर देयता ₹ 628.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 180.63 करोड़) है, जिसे 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान" के अंतर्गत रखा गया है. (पिछले वर्ष अन्य आस्तियां)। प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अलग-अलग विवरण निम्नवत है :

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण नियत हितलाभ योजना के लिए प्रावधान	72.05	निरंक
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान #	2,126.16	1,873.60
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	7.55	निरंक
अन्य	निरंक	16.29
विदेशी कार्यालयों की निवल आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)	282.16	180.95
योग	**2,487.92**	**2,070.84**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	निरंक	8.16
प्रतिभूतियों पर ब्याज*	3,116.84	1,882.05
योग	**3,116.84**	**1,890.21**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	**(628.92)**	**180.63**

इसमें कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के लिए किए गए ₹ 922.15 करोड़ के प्रावधान के कारण उपचित कर जमा शामिल है

* आयकर खातों से अंतरित ₹ 917.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 536.56 करोड़) शामिल है.

छ) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के निवेशों में ₹ 38.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39.50 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
1	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	9.44 (10.80)	भारत	40%
2	सी-एज टेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
3	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
4	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57 (18.57)	भारत	45%
5	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
6	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि. #	0.64 (0.64)	बरमुडा	45%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कंपनी प्र.लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्र.लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%

एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से रखे गए शेयर के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी के लिए 100% प्रावधान किया गया.

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

लेखा मानक 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और वायदों की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	125.43	131.68
जमाराशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	12.65	6.56
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	78.76	61.50
योग	**216.84**	**199.74**
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	-	-
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	88.31	72.30
निवेश	0.48	1.95
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	41.22	21.29
अन्य आस्तियाँ	86.83	104.20
योग	216.84	199.74
पूँजी वायदे	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	3.11	0.90
आय		
अर्जित ब्याज	7.44	6.50
अन्य आय	208.89	170.76
योग	216.33	177.26
व्यय		
दिया गया ब्याज	1.37	0.43
परिचालन व्यय	170.56	144.47
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	11.63	8.72
योग	183.56	153.62
लाभ	**32.77**	**23.64**

ज) आस्तियों की अपसामान्यता

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - ''आस्तियों की अपसामान्यता'' लागू होती हो..

झ) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है. बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा.
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है. वायदा विनिमय संविदाओं में विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है. मुद्रा विनिमयों का वायदा पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज / मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए है. ब्याज दर विनिमय का वायदा अचल विनिमय एवं अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए है. आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ हैं.
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है. प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है. गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा.
4	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है.	बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है. बैंक की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेयरों का अभिदान करने का वायदा किया है. इसी क्रम में इस मद के अतर्गत बैंक की ओर से किए गए डेरिवेटिव्स संविदा को शामिल किया गया है

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यता, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्धत करने के दायित्व पर आधारित हैं.

ख) आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	256.86	275.10
वर्ष के दौरान वृद्धि (पिछले वर्ष के आंकड़ों में पूर्ववती एसबीआईसीआई से अंतरित प्रावधान भी शामिल है)	68.47	56.33
वर्ष के दौरान कमी	73.96	74.57
इति शेष	251.37	256.86

18.2. अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- चालू कर	5,951.06	6,335.37
- आस्थगित कर	(107.97)	455.93
- आय कर / फ्रिंज लाभ कर का प्रतिलेखन	0	(21.28)
- अन्य कर	2.82	6.00
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(966.95)	683.28
विदेशी कार्यालय में रखे हुए निवेशों पर भारत में की गई मूल्यह्रास के लिए का प्रावधान	5.66	(19.58)
अनार्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	10,656.97	11,494.10
पुनर्विन्यासित आस्तियों के लिए प्रावधान	710.82	51.76
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	749.61	978.81
अन्य प्रावधान	(25.28)	(98.14)
योग	**16,976.74**	**19,866.25**

2. अस्थायी प्रावधान

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	25.14	23.00
जोड़े : पूर्ववती एसबीआईसीआई से अंतरित	-	2.14
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	-
इति शेष	25.14	25.14

3. आरक्षितियों से आहरण :

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षितियों से निम्नलिखित राशि आहरित की है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
अंतर कार्यालय समाधान की मद में	0.21	0.01

4. शिकायतों की स्थिति :

क. ग्राहक शिकायतें

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	13,414	824
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	18,86,249	4,62,381
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	18,66,958	4,49,791
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	32,705	13,414

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	21	7
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	159	131
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	152	117
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	28	21

5. व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के अंतर्गत व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बद्ध प्रकटीकरणों के संदर्भ में व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विलम्बित भुगतानों या ब्याज भुगतान में हुए विलम्ब के कारण ऐसे भुगतान मामलों की कोई सूचना नहीं है.

6. अनुषंगियों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

बैंक ने अपने अनुषंगियों की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं. 31 मार्च 2013 को चुकौती आश्वासन पत्रों की कुल बकाया राशि ₹ 477.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2086.56 करोड़) थी. बैंक के आकलन के अनुसार कोई वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं.

7. प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात :

31 मार्च 2013 तक बैंक का अर्नजक आस्ति अनुपात हेतु 66.58% प्रावधानीकरण किया गया है. (पिछले वर्ष 68.10%)

8. वर्ष 2012 - 13 में बैंक - बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस / पारिश्रमिक

₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	212.03	156.82
दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	निरंक	0.34
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	29.62	8.83
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	निरंक	0.02
मनु लाइफ फाइनैशियल लि.	1.91	2.08
एनटीयूसी	1.06	0.71
योग	**244.62**	**168.80**

9. जमाराशियों, अग्रिमों एक्सपोज़रों एवं अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

क) जमाराशियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	79,985.27	60,522.62
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस वृहतम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	6.65%	5.80%

ख) अग्रिमों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम उधारकर्ताओं को किए गए अग्रिम	1,11,717.95	83,199.80
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस वृहतम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	10.36%	9.31%

ग) एक्सपोज़रों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोज़र	2,47,179.38	2,13,774.62
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण - जोखिम में बीस वृहतम उधारकर्ताओं /ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	14.08%	13.97%

घ) **अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण**

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों के कुल एक्सपोज़र	2,797.98	2,931.51

10. क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ

क्रम सं.	क्षेत्र	कथित क्षेत्र के कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	9.50 %	8.92%
2	उद्योग (व्यष्टि एवं लघु, मध्यम तथा वृहद्)	4.37 %	4.12%
3	सेवाएं	4.43 %	2.94%
4	वैयक्तिक ऋण	1.98 %	2.92%

11. विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और आय

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	2,26,784.42	1,80,342.80
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	2,811.27	2,520.46
3	कुल आय	8,208.83	6,659.06

12. तुलनपत्र में शामिल न होने वाली प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

	प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम	
	देशी	विदेशी
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. अपरिशोधित उपदान देयताएं

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 9 फरवरी 2011 के परिपत्र संख्या डीबीओडी. बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि तक ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त देयताओं को परिशोधित करने का विकल्प चुना है. तद्नुसार बैंक ने ₹ 100 करोड़ लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया है जो कि 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष की आनुपातिक राशि है. 31 मार्च 2013 को ₹2 करोड़ की लेखे में न ली गयी देयता को उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार परिशोधित किया जाएगा.

14. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन

₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी के बही खातों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक
3.	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के जो खिम से बचाव संबधी मानदंडों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा तुलनपत्र की तारीख को प्रतिधारित एक्सपोज़रों की कुल राशि क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोज़र्स i. प्रथम हानि ii. अन्य ख) तुलन पत्र एक्सपोज़र्स i. प्रथम हानि ii. अन्य	निरंक	निरंक
4.	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाव संबंधी मानदंडों के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन में एक्सपोज़रों की राशि क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोज़स i. अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोज़र्स 1. प्रथम हानि 2. अन्य ii. अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण में एक्सपोज़र्स 1. प्रथम हानि 2. अन्य ख) तुलन पत्र एक्सपज़र्स i. अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोज़र्स 1. प्रथम हानि 2. अन्य ii. अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण में एक्सपोज़र्स 1. प्रथम हानि 2. अन्य	निरंक	निरंक

15. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है.

16. अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान

वर्ष के दौरान बैंक ने कुछ देशी अनर्जक आस्तियों के लिए ₹ 706.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1350 करोड़)का विशेष प्रावधान किया है ताकि वसूली योग्य राशियों में होने वाले पूर्वआकलित वास्तविक हानि को पूरा किया जा सके।

17. बकाया वेतन करार

भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों के पक्ष से बैंक कर्मियों के अखिल भारतीय संगठनों के साथ किए गए नए द्विपक्षीय समझौता 31 अक्तूबर 2012 को समाप्त हो चुका है। 1 नवम्बर 2012 से प्रभावी वेतन संशोधन पर आगे होने वाले समझौते के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान ₹ 720 करोड़ का प्रावधान किया है।

बैंक ने अधिवर्षिता योजनाओं और अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी हितलाभों के लिए समग्र बीमांकित मूल्योंपर ₹ 225 करोड़ का तदर्थ अतिरिक्त प्रावधान किया है .

18. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप मिलाने की दृष्टि से उन्हें यथावश्यक, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है. जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/ लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किया गया है उनके पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं.

भारतीय स्टेट बैंक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		**19950,89,77**	**18483,30,60**
समायोजन :			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		1139,60,76	1007,16,87
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)		32,71,93	44,14,62
निवेशों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)		(1101,91,53)	919,74,24
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल)		3,78,17	-
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		11367,78,46	11545,85,15
मानक आस्तियों पर प्रावधान		749,60,48	978,81,32
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		(966,95,17)	683,28,15
अन्य प्रावधान		(19,61,18)	(117,71,39)
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश (निवेश कार्यकलाप)		(715,51,40)	(767,35,15)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज (वित्तपोषण कार्यकलाप)		3614,89,51	3592,20,91
		34055,29,80	**36369,45,32**
समायोजन:			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		159092,21,21	109234,76,20
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		41964,09,55	7044,27,26
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि)/कमी		(36660,44,90)	(17331,61,64)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(189405,44,77)	(122148,07,24)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		12545,72,39	(25031,39,62)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी		2097,11,12	(7897,23,60)
		23688,54,40	**(19759,83,32)**
कर भुगतान		(2027,31,13)	(8708,75,29)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**21661,23,27**	**(28468,58,61)**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में निवेश में (वृद्धि) / कमी		(4,12,70)	(705,56,95)

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष
ऐसे निवेशों पर अर्जित आय		715,51,40	767,35,15
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(2710,79,99)	(1710,34,68)
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न /(में प्रयुक्त) निवल नकदी	(ख)	**(1999,41,29)**	**(1648,56,48)**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त राशि		3000,34,14	7891,30,87
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज		(3614,89,51)	(3592,20,91)
लाभांश पर कर सहित प्रदत्त लाभांश		(2645,16,40)	(2151,43,88)
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त /(में प्रयुक्त)निवल नकदी	(ग)	**(3259,71,77)**	**2147,66,08**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवतर्नों का प्रभाव	(घ)	**1254,89,75**	**2217,09,51**
समामेलन पर पूर्ववर्ती एसबीआईसीआई बैंक लिमिटेड से अधिगृहीत निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य	(ड.)	**-**	**41,41,22**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)		**17656,99,96**	**(25710,98,28)**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**97163,16,49**	**122874,14,77**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**114820,16,45**	**97163,16,49**

हस्ताक्षरकर्ता :

श्री एस. वेंकटाचलम
श्री डी. सुंदरम्
श्री पार्थसारथी अय्यंगार
श्री थॉमस मैथ्यू
श्री ज्योति भूषण महापात्र
श्री एस. के. मुखर्जी
श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन
श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह
} निदेशक

एस. विश्वनाथन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)

ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक
(राष्ट्रीय बैंकिंग)

दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी

हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

स्थान: कोलकाता,
दिनांक : 23 मई 2013

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रेषिती

भारत के राष्ट्रपति,

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक की 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरणों की, तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित की विवरणियां शामिल हैं।

   i) केंद्रीय कार्यालय, **14** स्थानीय प्रधान कार्यालय, वैश्विक बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केंद्रीय) और **42** शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) **7480** भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की; तथा

   iii) विदेश स्थित **53** शाखाएं जिनकी लेखापरीक्षा स्थानीय लेखापरीक्षकों ने की; और

   हमारे एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

   तुलनपत्र और लाभ एवं हानि विवरणों में **8170** भारतीय शाखाओं एवं अन्य लेखां इकाइयों की विवरणियां भी शामिल हैं जिनकी लेखा परीक्षा अपेक्षित नहीं है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में **5.38%,** जमाराशियों में **19.47%,** ब्याज आय में **6.25%** तथा दिए गए ब्याज में **16.91%** है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और मान्यता प्राप्त लेखा नीतियों और प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुपालन शामिल है जो विषयवस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त हैं जो चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है। हमने अपना लेखा-परीक्षा-कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच की जाती है। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है। इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक की वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं उनकी उचित प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेता है ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति को डिजाइन किया जा सके। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-नीतियों तथा लेखा आकलनों के औचित्य तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षक साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे लेखा अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता हैं।

अभिमत

6. हमारे अभिमत के अनुसार, जैसे बैंक की बहियों में दर्शाया गया है, और जहां तक हमे जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

   (i) महत्वपूर्ण लेखानीतियों एवं तत्ससंबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही है, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 31 मार्च 2013 को भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;

   (ii) महत्वपूर्ण लेखानीतियों एवं तत्ससंबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा

   (iii) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह के नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में सही और सटीक चित्र प्रस्तुत करता हैं।

ध्यानाकर्षण

7. अपने अभिमत को परिवर्तित किए बिना, हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करते है:

   (क) टिप्पणी 18.8 - पैरा 13, अनुसूची 18: बैंक की ग्रेच्युटी और पेंशन देयताओं की आस्थगित राशि ₹ 200 करोड़ से संबंधित 'लेखा टिप्पणियाँ" जो लेखामानक (एएस) 15, कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों की प्रयोज्यता से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.01.018/2010-11 के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों दी गई छूट के कारण की गई है।

   (ख) टिप्पणी 18.8 - पैरा 16, अनुसूची 18: वर्ष के दौरान बैंक ने कुछ अनर्जक देशीय अग्रिमों के लिए ₹ 706.26 करोड़ के अलग से प्रावधान किए हैं जो वसूलीयोग्य राशियों में अनुमानित वास्तविक हानि के लिए प्रावधान स्वरूप है।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः 'क" और 'ख" फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्ससंबंधी अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि:

(क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है।

(ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं।

(ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

कृते तोदी तुलसियान एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुशील कुमार तुलसियान
भागीदार : एम.एन. 075899
फर्म पंजी. सं. 002180 C

कृते सिंघी एंड कं.
सनदी लेखाकार

राजीव सिंघी
भागीदार एम.एन. 053518
फर्म पंजी. सं. 302049 E

कृते एससीएम एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

एस के झुंझुनवाला
भागीदार एम.एन. 055639
फर्म पंजी. सं. 314173 E

कृते एस वैंकटराम एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. नारायण स्वामी
भागीदार : एम.एन. 002161
फर्म पंजी. सं. 004656 S

कृते श्रीराममूर्ति एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम पूर्ण चन्द्र राव
भागीदार : एम.एन. 027113
फर्म पंजी. सं. 003032 S

कृते टी आर चड्ढा एंड कं.
सनदी लेखाकार

विकास कुमार
भागीदार : एम.एन. 075363
फर्म पंजी. सं. 006711 N

कृते एस एन नंदा एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस एन नंदा
भागीदार : एम.एन. 005909
फर्म पंजी. सं. 000685 N

कृते वी सुन्दरराजन एंड कं.
सनदी लेखाकार

वी एस सुकुमार
भागीदार : एम.एन. 018203
फर्म पंजी. सं. 003943 S

कृते के बी शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार

मुनीष जैन
भागीदार : एम.एन. 094750
फर्म पंजी. सं. 002318 N

कृते एडीडी एण्ड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

नीमई कुमार दास
भागीदार: एम.एन. 051309
फर्म पंजी. सं.308064 E

कृते धमीजा सुखीजा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

रीना सुखीजा
भागीदार: एम.एन. 081977
फर्म पंजी. सं. 000369 N

कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकार

संतोष कुमार गुप्ता
भागीदार : एम.एन. 016304
फर्म पंजी. सं. 000454 C

कृते वी पी आदित्य एंड कं.
सनदी लेखाकार

वी पी आदित्य
भागीदार : एम.एन. 006387
फर्म पंजी. सं. 000542 C

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार

सुनिर्मल चटर्जी
भागीदार एम.एन. 017361
फर्म पंजी. सं. 309005 E

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23 मई 2013

स्टेट बैंक समूह के
31मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरण

भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (समेकित) तुलन-पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	684,03,40	671,04,48
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	124348,98,77	105558,96,85
अल्पांश हित		4253,86,10	3725,66,87
जमाराशियाँ	3	1627402,61,19	1414689,40,11
उधार	4	203723,19,69	157991,35,95
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	172745,64,53	147319,72,65
	योग	**2133158,33,68**	**1829956,16,91**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	89574,03,11	79199,20,61
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	55653,69,49	48391,62,24
निवेश	8	519393,19,04	460949,13,77
अग्रिम	9	1392608,03,33	1163670,20,54
अचल आस्तियाँ	10	9369,92,56	7407,96,51
अन्य आस्तियाँ	11	66559,46,15	70338,03,24
	योग	**2133158,33,68**	**1829956,16,91**
आकस्मिक देयताएँ	12	1056488,59,99	937155,49,74
संग्रहण के लिए बिल		80201,66,95	80410,04,83
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा -टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
Authorised Capital 500,00,00,000 (Previous Year 500,00,00,000) equity shares of ₹ 10/- each	5000,00,00	5000,00,00
Issued Capital 68,41,17,046 (Previous Year 67,11,28,349) equity shares of ₹ 10/- each	684,11,70	671,12,83
Subscribed and Paid up Capital 68,40,33,971 (Previous Year 67,10,44,838) equity shares of ₹ 10/-each	684,03,40	671,04,48
The above includes 1,65,21,526 (Previous Year 1,69,77,498) equity shares represented by 82,60,763 (Previous Year 84,88,749) Global Depository Receipts		
TOTAL	**684,03,40**	**671,04,48**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	43449,97,27		38996,30,40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	5371,47,28		4453,66,87	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	–	48821,44,55	–	43449,97,27
II. पूंजी आरक्षित निधियाँ #				
अथशेष	2125,44,35		2092,59,31	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	87,62,49		32,85,04	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	–	2213,06,84	–	2125,44,35
III. शेयर प्रीमियम				
अथशेष	28513,84,58		20658,58,29	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2991,08,00		7864,05,01	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	3,72,77	31501,19,81	8,78,72	28513,84,58
IV. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियां				
अथशेष	2845,50,56		749,92,64	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1168,82,55		2095,57,92	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	–	4014,33,11	–	2845,50,56
V. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां				
अथशेष	27731,45,92		19815,92,40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	8682,21,22		7935,25,66	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	37,26,62	36376,40,52	19,72,14	27731,45,92
VI. लाभ और हानि खाते की शेष राशि		1422,53,94		892,74,17
योग		**124348,98,77**		**105558,96,85**

इसमें समेकन पर पूंजीगत आरक्षित निधि ₹139,23,28 हजार (पिछले वर्ष ₹ 1,39,23,28 हजार) शामिल है

समेकन समायोजनों को घटाकर

अनुसूची 3 - जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**माँग जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	8201,96,41	7598,17,42
		(ii) अन्यों से	127793,49,18	111357,83,08
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**	527129,94,19	456632,72,25
	III.	**सावधि जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	29356,76,95	18580,69,73
		(ii) अन्यों से	934920,44,46	820519,97,63
		योग	**1627402,61,19**	**1414689,40,11**
ख.	(i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	1540656,01,05	1341224,25,26
	(ii)	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	86746,60,14	73465,14,85
		योग	**1627402,61,19**	**1414689,40,11**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में उधार-राशियाँ		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	16415,66,00	1522,00,00
(ii) अन्य बैंक	8434,78,11	6693,68,11
(iii) अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	17642,03,89	14357,75,23
(iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	3890,00,00	3890,00,00
(v) गौण ऋण एवं बांड	45009,61,20	45004,57,10
योग	**91392,09,20**	**71468,00,44**
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ		
(i) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित	108875,45,24	83305,85,87
(ii) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	3392,81,25	3179,76,24
(iii) गौण ऋण एवं बांड	62,84,00	37,73,40
योग	**112331,10,49**	**86523,35,51**
कुल योग (I व II)	**203723,19,69**	**157991,35,95**
ऊपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	12570,33,58	5991,39,23

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	24393,64,28	25164,68,38
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	167,13,54	229,12,23
III.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	16384,11,49	-
IV.	प्रोद्भूत ब्याज	17778,02,18	15050,35,95
V.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	719,09,59	325,36,91
VI.	बीमा व्यवसाय के पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएं	50216,61,30	44920,85,73
VII.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	63087,02,15	61629,33,45
	योग	**172745,64,53**	**147319,72,65**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	13569,34,83	13082,01,93
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
	(i) चालू खाते में	76004,68,28	66114,64,44
	(ii) अन्य खातों में	-	2,54,24
	योग	**89574,03,11**	**79199,20,61**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खाते में	700,22,10	866,16,03
(ख) अन्य जमा खातों में	6059,57,08	6765,69,55
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	7211,71,57	5805,48,81
(ख) अन्य संस्थाओं में	700,00,00	331,69,00
योग	**14671,50,75**	**13769,03,39**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खाते में	27157,14,31	24580,04,34
(ii) अन्य जमा खातों में	5345,93,68	1843,99,10
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	8479,10,75	8198,55,41
योग	**40982,18,74**	**34622,58,85**
कुल योग (I व II)	**55653,69,49**	**48391,62,24**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	391862,07,81	360054,56,37
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	2871,56,85	2089,18,54
(iii) शेयर	24444,08,86	24834,64,64
(iv) डिबेंचर और बांड	40324,26,62	23517,79,87
(v) सहयोगी	1572,37,89	1265,46,97
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिटें, वाणिज्यिक पत्र तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की जमाराशियाँ आदि)	46995,29,59	37449,90,11
योग	**508069,67,62**	**449211,56,50**
II. भारत के बाहर निवेश:		
(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	4569,61,80	3531,20,41
(ii) सहयोगी	70,69,84	62,13,60
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर आदि)	6683,19,78	8144,23,26
योग	**11323,51,42**	**11737,57,27**
कुल योग (I एवं II)	**519393,19,04**	**460949,13,77**
III. भारत में निवेश:		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	509328,18,84	451425,98,03
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यह्रास	1258,51,22	2214,41,53
(iii) निवल निवेश (ऊपर I से)	**508069,67,62**	**449211,56,50**
IV. **भारत के बाहर निवेश :**		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	11463,00,51	12012,89,05
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास	139,49,09	275,31,78
(iii) निवल निवेश (ऊपर II से)	**11323,51,42**	**11737,57,27**
कुल योग (III एवं IV)	**519393,19,04**	**460949,13,77**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	(i)	क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	102044,39,37	90893,63,64
	(ii)	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	615349,13,44	498481,20,77
	(iii)	सावधि ऋण	675214,50,52	574295,36,13
		योग	**1392608,03,33**	**1163670,20,54**
ख.	(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1071886,44,08	875465,18,10
	(ii)	बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	100582,82,89	86332,96,33
	(iii)	अप्रतिभूत	220138,76,36	201872,06,11
		योग	**1392608,03,33**	**1163670,20,54**
ग.	(I)	भारत में अग्रिम		
		(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	375962,79,00	345780,06,73
		(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	73636,90,26	72039,51,04
		(iii) बैंक	892,64,87	339,58,80
		(iv) अन्य	765498,22,60	602723,48,35
		योग	**1215990,56,73**	**1020882,64,92**
	(II)	भारत के बाहर अग्रिम		
		(i) बैंकों से प्राप्य	32972,34,89	17171,70,50
		(ii) अन्यों से प्राप्य		
		(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	21229,56,72	21623,37,73
		(ख) सिंडीकेटिड ऋण	58531,61,40	49339,16,18
		(ग) अन्य	63883,93,59	54653,31,21
		योग	**176617,46,60**	**142787,55,62**
		कुल योग [ग (I) एवं ग (II)]	**1392608,03,33**	**1163670,20,54**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**परिसर**				
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	3055,37,69		2606,31,69	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	743,84,48		454,98,31	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	3,35,64		5,92,31	
	अद्यतन मूल्यह्रास	1177,73,85	2618,12,68	1051,76,21	2003,61,48
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	15646,57,73		14029,96,46	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3064,44,93		2346,63,13	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	839,14,39		730,01,86	
	अद्यतन मूल्यह्रास	11819,45,62	6052,42,65	10639,67,34	5006,90,39
III.	**पट्टाकृत आस्तियाँ**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	917,80,50		906,97,74	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	12,30,01		11,02,75	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	20,03,83		19,99	
	प्रावधान सहित अद्यतन मूल्यह्रास	882,62,21		897,15,52	
		27,44,47		20,64,98	
	घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	4,50,18	22,94,29	4,50,18	16,14,80
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियाँ**		676,42,94		381,29,84
	योग		**9369,92,56**		**7407,96,51**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	1335,13,92	3110,81,70
(ii) प्रोद्भूत ब्याज	16750,54,58	15121,66,38
(iii) अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	7246,74,38	9931,41,36
(iv) लेखन सामग्री और स्टांप	125,23,07	128,70,95
(v) दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	29,58,53	33,81,06
(vi) आस्थगित कर अस्तियाँ (निवल)	594,29,46	534,45,70
(vii) अन्य #	40477,92,21	41477,16,09
योग	**66559,46,15**	**70338,03,24**

समेकन आधार पर साख ₹ 728,55,26 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 728,64,93 हजार)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	1571,76,13	1344,28,80
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	6,13,51	10,69,90
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	548862,16,67	460108,59,30
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	117565,83,83	105767,34,48
(ख) भारत के बाहर	81047,16,27	85203,17,43
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	149889,00,38	160401,48,34
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	157546,53,20	124319,91,49
योग	**1056488,59,99**	**937155,49,74**
संग्रहण के लिए बिल	**80201,66,95**	**80410,04,83**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची सं.	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	167978,13,78	147197,38,72
	अन्य आय	14	32581,69,88	29691,58,30
	योग		**200559,83,66**	**176888,97,02**
II.	**व्यय**			
	दिया गया ब्याज	15	106817,91,29	89319,55,28
	परिचालन व्यय	16	52819,79,73	46856,03,30
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		22599,13,28	24883,93,33
	योग		**182236,84,30**	**161059,51,91**
III.	**लाभ**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ (सहयोगियों और अल्पांश हित में हिस्सेदारी के लिए समायोजन करने के पूर्व)		18322,99,36	15829,45,11
	जोड़ें : सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी		231,67,78	143,85,41
	घटाएं : अल्पांश हित		638,44,03	630,20,56
	समूह के लिए निवल लाभ		17916,23,11	15343,09,96
	आगे लाया गया शेष		892,74,17	522,92,29
	विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		**18808,97,28**	**15866,02,25**
	विनियोजन			
	कानूनी आरक्षितियों को अंतरण		5371,44,24	4454,61,65
	अन्य आरक्षितियों को अंतरण		8695,52,63	7781,54,57
	प्रस्तावित लाभांश		2838,74,09	2348,65,69
	लाभांश पर कर		480,72,38	388,46,17
	अतिशेष जो तुलनपत्र में आगे ले जाया गया है		1422,53,94	892,74,17
	योग		**18808,97,28**	**15866,02,25**
	प्रति शेयर मूल आय		₹ 266.82	₹ 241.55
	प्रति शेयर न्यूनीकृत आय		₹ 266.82	₹ 241.55
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
	लेखा-टिप्पणियाँ	18		

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	126442,17,69	111341,45,56
II.	निवेशों पर आय	38703,23,15	33705,20,92
III.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	1338,70,42	776,25,90
IV.	अन्य	1494,02,52	1374,46,34
	योग	**167978,13,78**	**147197,38,72**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	13861,89,39	14532,36,72
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	2861,82,55	(583,26,05)
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	594,91,28	(1369,65,79)
IV.	पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(40, 53,82)	(47,01,40)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) (निवल)	2011,12,49	1688,26,70
VI.	भारत/विदेश स्थित सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	12,86,75	2,28,75
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	61,25	15,10
VIII.	क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	400,66,84	268,98,68
IX.	बीमा प्रीमियम आय (निवल)	10415,77,26	12985,11,49
X.	विविध आय	2462,55,89	2214,34,10
	योग	**32581,69,88**	**29691,58,30**

अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	96302,48,84	79345,57,40
II. भारतीय रिज़र्व बैंक /अंतर बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	4736,59,97	4427,60,44
III. अन्य	5778,82,48	5546,37,44
योग	**106817,91,29**	**89319,55,28**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	24401,09,07	22084,02,73
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	3252,70,34	2822,38,95
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	419,33,83	380,08,52
IV. विज्ञापन और प्रचार	643,67,08	342,66,27
V. (क) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	4,66,19	1,84,61
(ख) अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	1572,83,04	1369,76,13
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	7,55,97	5,86,33
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	186,76,13	197,98,41
VIII. विधि प्रभार	248,83,62	211,69,70
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि.	682,63,85	539,09,80
X. मरम्मत और अनुरक्षण	530,12,53	489,96,18
XI. बीमा	1596,69,48	1271,89,18
XII. आस्थगित आय व्यय का परिशोधन	78,86,98	12,85,34
XIII. अन्य परिचालन व्यय-क्रेडिट कार्ड प्रचालन से संबंधित	319,08,12	333,44,65
XIV. अन्य परिचालन व्यय-बीमा व्यवसाय से संबंधित	13450,63,98	12444,91,93
XV. अन्य व्यय	5424,29,52	4347,54,57
योग	**52819,79,73**	**46856,03,30**

अनुसूची 17

महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ :

क. तैयार करने का आधार :

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं । इन सिद्धांतों में प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक, और भारत में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी इकाइयों के मामले में विदेशी कंपनियों पर लागू सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार:

1. समूह **(जिसमें 28 अनुषंगियाँ, 8 संयुक्त उद्यम और 25 सहयोगी शामिल हैं)** के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

   क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा परीक्षित खाते।

   ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा ''समेकित वित्तीय विवरणों'' के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंत: समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, गैर-वसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमश: अक्षरश: समेकन किया गया है।

   ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के 'संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना से संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार 'समानुपातिक समेकन' किया गया है।

   घ. 'सहयोगियों' में किए गए निवेश का लेखाकरण 'ईक्विटी-पद्धति' के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की ईक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/ पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

   क. जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की ईक्विटी-राशि, और

   ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के संबंध स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (ईक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

घ. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. आय निर्धारण

1.1 इससे अन्यथा किए गए उल्लेख को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है, जिस देश में वे कार्यालय/ इकाइयाँ स्थित हैं ।

1.2 निम्नलिखित को छोड़कर लाभ और हानि खाते में निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक / विदेश स्थित कार्यालयों / इकाइयों के मामले में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहलाएंगे) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय ''ट्रेडिंग'' के रूप में नामित।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है, तथापि, 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के निवेशोंनों की बिक्री पर होनेवाले लाभ को प्रयोज्य करों और 'पूंजी आरक्षित खाते' में सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को घटाने के बाद समायोजित किया गया है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि के लिए पट्टे की बकाया निवल विनिधान की राशि पर पट्टे की ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिधान के समान राशि के अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्घ बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 ''परिपक्वता तक रखे गए'' श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) का अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :

   i. ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री / शोधन के समय निर्धारण किया गया है।

   ii. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्घ होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन का निर्धारण प्रोद्भवन आधार

पर किया गया है। इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है।

1.8 विशेष गृह ऋण योजना (दिसंबर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत भुगतान किया गया एक बारगी बीमा प्रीमियम ऋण की 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में परिशोधित किया गया है।

1.9 गैर-बैंकिंग इकाइयाँ

मर्चेंट बैंकिंग :

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी नियोजन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल हैं तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियाँ शामिल नहीं है।

घ. सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिया गया है।

ड. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय - वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेन देन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन :

क. संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय में शामिल किया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहाँ लागू हो अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को नहीं शामिल किया गया है) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा शर्तो के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवा और संविभाग प्रबंधन सेवा से प्राप्त आय को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है।

घ. निधिक गारंटित योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।

ड. योजना व्यय: निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को लाभ और हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है जिसमें वे वहन किए गए।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क तथा प्रथम वार्षिक शुल्क को एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है क्योंकि यह ज्यादा सटीक ढंग से उस अवधि को दर्शाती है, जिससे शुल्क संबंधित है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. ब्याज और ब्याज सहायता आय ऋण - अवधि के लिए लेखे में शामिल की गई है।

घ. सभी अन्य आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों की फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता हो।

जीवन बीमा :

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में एसोसिएटेड इकाइयों के आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुन:प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. संबद्ध निधियों से आय; जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल है; पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए हैं।

ग. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

घ. दिए गए लाभ:

- जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिक लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने का प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।

- ➢ न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकरण होने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- ➢ पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

ङ. कमीशन जैसे अभिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अभिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

च. **बीमा पालिसियों के लिए देयता :** सभी जीवन बीमा पालिसियों की बीमांकिक देयता की गणना - बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीए द्वारा जारी नियमों व विनियमों और परिपत्रों के अनुसार तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चूअरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार - नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है।

साधारण बीमा :

क. प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) को सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। प्रीमियम में होने वाले अन्य अनुवर्ती संशोधन को शेष जोखिम अवधि या संविदा अवधि के प्रीमियम के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होनेवाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम की शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्रा में हिसाब में लिया गया है।

ङ अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई हैं जिसमें वे उपस्थित हुई हैं।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर दिखाया गया है। तुलन पत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा, अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया गया है।

छ. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा जिनके लिए उपचित हो गई हैं परंतु जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है (अर्थात इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनईआर) से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/ परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं संबद्घ सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आइएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर शामिल किया गया है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

म्यूचुअल फण्ड न्यासी परिचालन :

न्यासधारिता शुल्कों/प्रबंधन शुल्कों को ग्राहकों के बीच हुई संविदा की संबंधित शर्तो के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

2. निवेश

सरकारी प्रतिभूति लेनदेन 'सेटलमेंट डेट' को दर्ज किए गए हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर निवेश 'क्रय-विक्रय तिथि' को दर्ज किए गए हैं।

2.1 वर्गीकरण

निवेशों को 3 श्रेणियों यथा - 'परिपक्वता तक रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' और 'व्यवसाय के लिए रखे गए' में वर्गीकृत किया गया है।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. उन निवेशों को 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है।

ii. उन निवेशों को 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत: पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. प्रत्येक निवेश को इसके क्रय के समय 'परिपक्वता तक रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' या 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्य-निर्धारण :

क. बैंकिंग व्यवसाय

i. किसी निवेश की अभिग्रहण लागत का निर्धारण करने में:

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली / कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. निवेशों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है ।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय मद के रूप में माना गया है और इन्हें लागत/बिक्री प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

घ. एएफएस और एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेश की लागत का निर्धारण समूह इकाइयों की भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की लागत का निर्धारण एसबीआई द्वारा (पहले आए पहले जाए) आधार पर और अन्य समूह इकाइयों द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया गया है।

ii. उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि को न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुए मूल्यह्रास, यदि हो तो, का प्रावधान किया गया है ।

iii. राजस्व बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य-निर्धारण रखाव-लागत आधार पर किया गया है ।

iv. **परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी :** परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी के अंतर्गत निवेश जब तक अंकित मूल्य से अधिक न हो, अभिग्रहण लागत आधार पर लिए गए हैं जिसमें प्रीमियम का परिशोधन स्थायी लागत आधार पर शेष परिपक्वता अवधि में किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समायोजित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए विनिधानों का मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-23 के अनुसार ईक्विटी लागत पर किया गया है। अस्थायी निवेशों को छोड़कर प्रत्येक निवेश हेतु पृथक - पृथक रूप से द्ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखी गई श्रेणियाँ:** ए एफ एस और एच एफ टी श्रेणियों में रखे गए विनिधानों का पृथक-पृथक रूप से बाजार मूल्य या **विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित** उचित मूल्य के आधार पर पुनर्मूल्यन किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी के लिए केवल निवल मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है तथा निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान होने पर, बाजार के लिए अलग करने के बाद प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्य अपरिवर्तित रहा।

vi. किसी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है । तद्नुसार, उन मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद तत्सम्बद्घ योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक ही सीमित है, वहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य के आधार पर ऐसे विनिधानों का मूल्यन किया गया है।

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेशों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और यह 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है।

ख. ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों को ₹1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा ।

ग. यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक - बही में अनर्जक आस्ति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा ।

घ. उपर्युक्त, शर्त आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगी, जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जिन्हें अग्रिम की प्रकृति के निवेश माना जाता है, उन पर अनर्जक निवेश के वही मानदंड लगेंगे जो निदेशों पर लागू होते हैं ।

च. विदेशी कार्यालयों के अनर्जक निवेश के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक हो, उसके अनुसार किया गया है ।

viii. रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखा प्रणाली (भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत आने वाले लेनदेन को छोड़कर)

(क) रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋणान्वयन और उधार देने संबंधी लेनदेन के रूप में लेखे में लिया गया है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन की तरह किया गया है और प्रतिभूतियों के मूल्य के ऐसे घट-बढ़ को रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्ठि का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है और आय को ब्याज व्यय/आय के रूप में जैसी भी स्थिति हो, लेखे में लिया गया है। रेपो खाते के शेष को अनुसूची-4 (उधारियाँ) और रिवर्स रेपो खाते के शेष को अनुसूची-7 (बैंकों में जमा और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य राशि) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय / विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है । उन पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है ।

ख. बीमा व्यवसाय

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में निवेश बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों या अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्घ बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन:-

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्घ ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई ('बीएसई') पर बाजार बंद होने के समय उद्घृत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है। गैर-सूचीबद्घ ईक्विटी प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत आधार पर आकलन किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलन पत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।

  शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्घ पॉलिसीधारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्घ ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ ''आय और अन्य आरक्षितियाँ (अनुसूची 2)'' में और ''बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएँ (अनुसूची 5)'' क्रमश: तुलन पत्र में लिए जाते हैं।

(ii) संबद्घ व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन:-

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('क्रिसिल') से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवा भारत सरकार के स्क्रिपों के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बांड वैल्युअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है।
- सूचीबद्घ ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्घृत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्घ न किए गए ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्घृत मूल्य पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है । ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋणों के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ''असंयत'' (''आउट ऑफ आर्डर'') रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई राशि तुलनपत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में, अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;

v. कृषि अग्रिमों के संबंध में, अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अव-मानक : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रही है ।

ii. संदिग्ध : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक श्रेणी में रही है ।

iii. हानिप्रद : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का पता चल गया है किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है ।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, पर इसमें निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम प्रावधान मानदंडों को ध्यान में रखा गया है:

अव-मानक आस्तियाँ :	i.	15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	उन ऋण जोखिमों के लिए, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य शुरू से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii.	इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों में अप्रतिभूत राशि जिसमें कतिपय रक्षोपाय जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं - 20%
संदिग्ध आस्तियाँ :		
- प्रतिभूत भाग :	i.	एक वर्ष तक - 25%
	ii.	एक से तीन वर्ष तक - 40%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग :		100%
हानिप्रद आस्तियाँ :		100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयें के ऋण और अग्रिम खातों का वर्गीकरण तथा अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक कठोर था, के अनुसार किए गए हैं।

3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है। यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर की जाती है, तो कम प्राप्त हुई राशि को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है और यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर की जाती है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को रोककर रखा जाता है और उससे अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर हुई कमी/नुकसान को पूरा किया जाता है। निवल बही मूल्य रखे गए विशिष्ट प्रावधान तथा ईसीजीसी के प्राप्त दावों में से घटाने पर बकाया है।

3.6 अग्रिम कतिपय ऋण हानि प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटाकर दर्शाए गए हैं।

3.7 पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, पुनर्संरचना से पूर्व और के बाद ऋण के उचित मूल्य की अंतर राशि के लिए प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के कारण, उचित मूल्य में हुई कमी और त्याग किए गए ब्याज के प्रावधान को अग्रिमों में से घटाया गया है।

3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है ।

3.9 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली गई राशि को आय के रूप में किया दिखाया है।

3.10 अनर्जक आस्तियों पर कतिपय प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची-5 के 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल अनर्जक आस्तियां निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, विनिधानों और सामान्य प्रयोजन के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान करने और उनका उपयोग करने की अनुमोदित नीति लागू है। सृजित किए जानेवाले अस्थायी प्रावधानों की राशि का प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में आकलन किया जाता है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से इस नीति में निर्दिष्ट की गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाली आकस्मिकताओं के लिए ही किया गया है।

5. बैंकिंग इकाइयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम संबंधी प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए कतिपय प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं एवं प्रावधान-अन्य'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स :

6.1 बैंक तुलनपत्र के/तुलनपत्र के बाहर की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा व्यापार प्रयोजनों हेतु विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय और परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय तथा वायदा दर करार जैसी डेरीवेटिव्स संविदाएं करता है। तुलनपत्र की आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए की गई विनिमय संविदाओं की रूपरेखा इस ढंग से तैयार की जाती है कि वे तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों के साथ प्रतिकूल एवं क्षतिपूर्ति प्रभाव को सहन कर सकें। ऐसे डेरीवेटिव्स लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव के साथ जुड़ा हुआ है और इसे प्रतिरक्षा लेखा सिद्धांतों के अनुसार लेखों में लिया गया है।

6.2 प्रतिरक्षा के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव्स संविदाएं प्रोद्भत आधार पर दर्ज की गई हैं। जब तक अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं को भी बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रतिरक्षा संविदाओं को बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं किया जाता है।

6.3 उपर्युक्त को छोड़कर, अन्य सभी डेरीवेटिव्स संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यत: स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार बाजार मूल्य पर बही में शामिल की गई हैं। बाजार मूल्य पर बही में शामिल किए गए डेरीवेटिव्स संविदाओं के संबंध में, बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि से लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है। डेरीवेटिव्स संविदाओं के अधीन प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय होती है, तो उसे लाभ और हानि खाते के जरिए ''उचंत परिणत प्राप्य राशि खाते'' में प्रतिवर्तित किया जाता है। यदि डेरीवेटिव संविदाओं में भविष्य में और अधिक निपटारे का प्रावधान है और यदि डेरीवेटिव संविदा अतिदेय प्राप्य राशि का 90 दिन तक भुगतान प्राप्त न होने पर समाप्त नहीं की जाती है तो भविष्य में प्राप्त राशियों की बाजार मूल्य पर बहियों में अंकित धनात्मक राशि को लाभ और हानि खाते से ''उचंत बाजार मूल्य धनात्मक राशि खाते'' में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 प्रदत्त या प्राप्त विकल्प प्रीमियम को विकल्प की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है। बेचे गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम और खरीदे गए विकल्पों पर प्रदत्त प्रीमियम के शेष को फॉरेक्स ओवर दि काउंटर विकल्पों के बाजार मूल्य निकालने हेतु शामिल किया गया है।

6.5 एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए डेरिवेटिव्ज तथा व्यापार के उद्देश्य से किए गए ब्याज दर वायदा सौदों को एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दरों पर मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

7. अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागत और व्यावसायिक शुल्क तथा आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल हैं। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को/इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इस देशी परिचालन के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास दर्शाने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर्शाने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर और एटीएम	सीधी कटौती प्रणाली	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		अभिग्रहण वर्ष में 100% मूल्यह्रास
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती प्रणाली	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	ह्रासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास 180 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्धवर्ष के लिए तथा 180 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यह्रास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि चाहे कुछ भी रही हो पूरे वर्ष के लिए दर्शाया गया है।

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1,000 से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्घ पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराया उसी वर्ष के खर्च के रूप में दर्शाया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेशी कार्यालयों/इकाइयों द्वारा धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित

भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो लेखे में दर्शाई जानेवाली अपसामान्यता का माप उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है ।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल दरों के प्रयोग से दी गई है ।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर के प्रयोग से दी गई है ।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर के प्रयोग से की गई है ।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वताओं के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ में दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, के आय या व्यय के रूप में दिखाया गया है।

viii. खुले विकल्प वाले मुद्रा वायदा लेनदेन में विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ / हानि को एक्सचेंज क्लिअरिंग हाउस के साथ दैनिक आधार पर निपटान किया गया है और ऐसे लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं/इकाइयों और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर विनिमय किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय का तिमाही औसत की अंतिम दर पर विनिमय किया गया है।

iii. निवल विनिधान के निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई आस्तियों एवं देयताओं का विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की स्थानीय मुद्रा के अलावा उस देश के लिए लागू हाजिर दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में विनिमय किया गया है।

ख. समाकलित परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है ।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के प्रयोग से की गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. समूह की कंपनियों में अलग अलग भविष्य निधि योजनाएँ लागू हैं, भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। समूह की कंपनियाँ निर्धारित

दर पर मासिक अंशदान करती हैं। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास में प्रेषित कर दिया गया है तथा लाभ और हानि खाते में खर्च के रूप में दिखाया गया है। समूह की कंपनियाँ, वार्षिक अंशदान और ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह ब्याज दर देय निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के बराबर होती है। कंपनियाँ इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानती हैं।

ख. समूह की कंपनियाँ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करती हैं।

ग. समूह की कंपनियाँ, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करती हैं। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है । यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि, जो सेवा नियमावली में निर्धारित उ तम सीमा है, से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

घ. समूह की कुछ कंपनियाँ सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमानुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। कंपनियाँ इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करती हैं।

ङ नियत हितलाभ प्रावधान लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. **निश्चित अंशदान योजनाएं**

बैंक 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) परिचालित करता है, जो एक निश्चित अंशदान योजना है, और बैंक की सेवा में आनेवाले ऐसे नए अधिकारी/कर्मचारी को विद्यमान एसबीआई पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं बनाया जा रहा है। इस विस्तृत योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक, इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत इस योजना में अंशदान करते हैं और साथ में उतना ही अंशदान बैंक द्वारा किया जाता है। ये अंशदान बैंक में जमा के रूप में रखे गए हैं और उसी दर से ब्याज अर्जित करते हैं जो भविष्य निधि शेष के चालू खाते के लिए लागू हैं। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों एवं ब्याज का निर्धारण उसी वर्ष में एक व्यय के रूप में करता है जिससे वे संबंधित होते हैं।

iii. **कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :**

क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा रियायत सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है । इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत का वित्तपोषण समूह इकाइयों द्वारा आंतरिक स्तर पर किया गया है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन किया गया है और उसे संबंधित स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार लेखे में लिया गया है।

12. आय पर कर

12.1 वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ-कर व्यय की कुल राशि आय कर व्यय है। चालू वर्ष के करों का निर्धारण लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित कार्यालयों/अनुषंगियों के संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजन में समाविष्ट हैं।

12.2 आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का आकलन अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों अथवा तुलनपत्र तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का समावेश विवेकपूर्ण आधार पर आस्तियों और देयताओं के अग्रानीत मूल्य और उनके क्रमशः कर आधार और अग्रानीत हानियों के बीच अवधिगत अंतर को ध्यान में रखकर किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है।

12.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है। जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित कर आस्तियों का समावेश अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों के अग्रेषण पर किया गया है।

12.4 आय कर व्यय उनकी लागू विधियों के अनुसार मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए कर व्यय की कुल राशि है।

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ'' के अनुसार जारी पिछले परिणाम से उद्भत वर्तमान दायित्व होने पर ही बैंक प्रावधानों का समावेश करता है, यह संभव है कि दायित्व की चुकौती में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी; अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भत है, किन्तु उसका समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा; अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त विरली परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, को छोड़कर प्रावधान किया गया है।

14.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. शेयर जारी करने के व्यय

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची 18

लेखा-टिप्पणियाँ :

(राशि करोड़ रुपये में)

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 समय निम्नांकित 28 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यमों और 25 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय जिसमें 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्ष के दौरान उनके विजय / बहिर्गमन की संबंधित तारीख से तक सम्मिलित है। :

क) अनुषंगियां

क्र सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	समूह का हिस्सा (%) पिछला वर्ष
1)	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07	75.07
2)	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	भारत	100.00	100.00
3)	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भारत	92.33	92.33
4)	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भारत	100.00	100.00
5)	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	भारत	75.01	75.01
6)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
7)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
8)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
9)	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	71.56	71.56
11)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
12)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.18	86.18
13)	एसबीआई पेंशन फण्ड्स प्रा. लिमिटेड	भारत	92.60	98.15
14)	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लिमिटेड@	भारत	65.00	65.00
15)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.@	भारत	74.00	74.00
16)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
17)	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	कनाडा	100.00	100.00
18)	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलेफोर्निया)	यूएसए	100.00	100.00
19)	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	93.40	93.40
20)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	76.00	76.00
21)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00	100.00
22)	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड@	भारत	60.00	60.00
23)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00	63.00
24)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.@	भारत	74.00	74.00
25)	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को@	रूस	60.00	60.00
26)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.28	55.05
27)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.@	मॉरीशस	63.00	63.00
28)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00	100.00

@ ऐसी कंपनियाँ जो शेयरधारक करार के अनुसार संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां हैं। फिर भी ये 'वित्तीय विवरणों का समेकन' से संबंधित एएस 21 के अनुसार समेकित की गई हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इन कंपनियों में 50% से अधिक हिस्सेदारी है।

ख) संयुक्त उद्यम

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	समूह का हिस्सा (%) पिछला वर्ष
1)	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2)	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40.00	40.00
3)	एसबीआई मैकक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
4)	एसबीआई मैकक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
5)	मैकक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	सिंगापुर	45.00	45.00
6)	मैकक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बेरमुदा	45.00	45.00
7)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
8)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00

ग) सहयोगी

क्र. सं.	सहयोगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	समूह का हिस्सा (%) पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	पर्वतीय ग्रामीण बैंक (14.02.2013 तक)	भारत	35.00	35.00
12)	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (14.10.2012 तक)	भारत	35.00	35.00
14)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
16)	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
17)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
18)	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (07.10.2012 तक)	भारत	35.00	35.00
19)	मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	26.27	26.27
20)	डेक्कन ग्रामीणा बैंक	भारत	35.00	35.00
21)	कावेरी ग्रामीणा बैंक	भारत	32.32	32.32
22)	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
23)	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	भारत	29.22	29.22
24)	बैंक आफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00
25)	एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड	भारत	25.05	25.05

क. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि., जो भारतीय स्टेट बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, ने एसबी आई की उप-अनुषंगी संस्थाओं एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि. और एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि. में क्रमशः ₹ 25.00 करोड़ और ₹ 7.51 करोड़ की अतिरिक्त ईक्विटी पूंजी लगाई।

ख. एसबीआई की अनुषंगियों एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा.लि. में से प्रत्येक ने एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि. में ₹ 5 करोड़ की अतिरिक्त राशि का निवेश किया और एसबीआई ने इसमें और निवेश नहीं किया। इसलिए समूह की एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि. में हिस्सेदारी 98.15% से घटकर 92.60% रह गई।

ग. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि., जो भारतीय स्टेट बैंक का एक संयुक्त उद्यम है, ने भारतीय स्टेट बैंक को एसबीआई की शेयरधारिता (40%) के अनुपात में ₹ 141/- प्रति शेयर की दर से 13,59,598 ईक्विटी शेयरों के लिए वापसी खरीद का प्रस्ताव किया है।

घ. वर्ष के दौरान, एसबीआई ने और देश में स्थित बैंकिंग अनुषंगियों ने उनके द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त पूंजी निविष्ट की

₹ करोड़ में

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि
मिज़ोरम रूरल बैंक	1.17
मध्यांचल ग्रामीण बैंक	9.14
उत्कल ग्रामीण बैंक	16.50
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	4.95
मरुधरा ग्रामीण बैंक	23.45
कावेरी ग्रामीणा बैंक	8.50
योग	**63.71**

ङ वर्ष के दौरान एन बी आई ने निम्नानुसार तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अपना हिस्सा विक्रम कर दिया

₹ करोड़ में

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बही मूल्य	विक्रय मूल्य
समस्तीपुर ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय	24.08	24.08
विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.19	2.19
पर्वतीय ग्रामीण बैंक	1.32	1.32*
योग	**27.59**	**27.59**

* राशि 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार अब तक प्राप्त नही हुई है.

च. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एसबीआई और इसकी देश में स्थित बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच निम्नलिखित समामेलन हुए:-

उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन का ब्योर निम्नानुसार है जिनमें अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एसबीआई और देश में स्थित उसकी बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा प्रायोजित हैं:-

1.2 एसबीआई होम फाइनैंस लि., जो एसबीआई की एक सहयोगी है, की समापन याचिका दिनांक 23 सितंबर 2008 को कोलकाता उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। माननीय न्यायालय ने कंपनी के समापन हेतु निर्देश देते हुए 31 मार्च 2009 को एक आदेश पारित किया है।

1.3 बैंक ऑफ भूटान लि., जो एसबीआई का सहयोगी है, पैरेंट बैंक से भिन्न लेखा वर्ष (ग्रेगेरियन कैलेंडर वर्ष) का अनुपालन करता है। तदनुसार, इस सहयोगी के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. **शेयर पूंजी :**

2.1 वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक ने प्रति शेयर ₹ 10/- मूल्य के 1,29,88,697 शेयर, ₹ 2,302.78 प्रति ईक्विटी शेयर के नकद प्रीमियम पर कुल ₹ 3,004/- करोड़ में भारत सरकार को अधिमानी आबंटन के अंतर्गत आबंटित किए। भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹ 3,004/- करोड़ में से ₹ 12.99 करोड़ की राशि शेयर कैपिटल खाते में तथा शेष ₹ 2,991.01 करोड़ की शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई।

2.2 एसबीआई ने एसबीआई राइट्स इश्यू 2008 के अंतर्गत रोककर रखे गए शेयरों में से कुल ₹ 6,93,240/- के ईक्विटी शेयर ₹ 1,580/- प्रति ईक्विटी शेयर के नकद प्रीमियम के साथ ₹ 10/- प्रति शेयर वाले 436 ईक्विटी शेयर आबंटित किए। प्राप्त हुए ₹ 6,93,240/- के कुल अंशदान में से ₹ 4,360/- शेयर पूंजी खाते में और ₹ 6,88,880/- शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किए।

2.3 एसबीआई ने राइट्स इश्यू के एक भाग के रूप में जारी प्रति ₹ 10/-के 83,075 (पिछले वर्ष 83,511) ईक्विटी शेयरों का आबंटन रोककर रखा है, क्योंकि इनके हक विवाद या न्यायिक प्रक्रियाएँ चल रही हैं।

2.4 ₹ 3.73 करोड़ के शेयर निर्गम संबंधी खर्च शेयर प्रीमियम खाते के नामे किए।

क्र. सं.	अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बाद नया नाम	अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक	समामेलन की प्रभावी तिथि
1	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	1 नवंबर 2012
	शारदा ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक			
	रेवा सिद्धी ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया			
2	उत्तराचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	1 नवंबर 2012
	नैनीताल अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा			
3	उत्कल ग्राम्य बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	1 नवंबर 2012
	ऋषिकुल्या ग्राम्य बैंक	आंध्रा बैंक			
4	कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कावेरी ग्रामीणा बैंक	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1 नवंबर 2012
	चिकमंगलूर कोडगु ग्रामीण बैंक	कॉर्पोरेशन बैंक			
	विश्वेश्वर्या ग्रामीण बैंक	विजया बैंक			
5	एमजीबी ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	मरुधरा ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	25 फरवरी 2013
	जयपुर थार ग्रामीण बैंक	यूको बैंक			

उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन का ब्योरा निम्नानुसार है जिनमे अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एसबीआई और देश में स्थित उसकी बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा प्रायोजित हैं:

क्र. सं.	अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बाद नया नाम	अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक	समामेलन की प्रभावी तिथि
1	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8 अक्तूबर 2012
	सतपुडा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया			
	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूको बैंक			
2	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	बिहार ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	15 अक्तूबर 2012
	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूको बैंक			
3	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	15 फरवरी 2013
	हिमाचल ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक			

3. कर्मचारी - हितलाभ

3.1.1 नियत हितलाभ योजनाएँ

निम्नतालिका में लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित की गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	45,956.37	41,829.01	8,514.31	7,657.28
विलय और अधिग्रहण पर देयता	निरंक	25.03	निरंक	131.09
वर्तमान सेवा लागत	1,501.20	1,372.84	322.54	323.20
ब्याज लागत	4,002.80	3,589.99	722.16	655.56
पिछली सेवा लागत (निहित हित लाभ)		82.00	निरंक	निरंक
बीमांकिक हानियां / (लाभ)	1,438.89	1,545.71	524.97	421.85
प्रदत्त हितलाभ	(556.85)	(1,556.33)	(796.75)	(674.67)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2232.47)	(931.88)	निरंक	निरंक
31 मार्च 2013 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**50,109.94**	**45,956.37**	**9,287.23**	**8,514.31**
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2012 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	35,877.71	22,890.06	7,153.07	5,427.96
विलय और अधिग्रहण आस्तियों का हस्तांतरण	निरंक	25.03	निरंक	2.16
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3,082.04	1,947.08	608.73	462.84
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	5,737.17	11,797.59	1,547.54	1,770.95
प्रदत्त हितलाभ	(556.85)	(1,556.33)	(796.75)	(674.67)
योजना आस्ति बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	575.26	774.28	82.66	163.83
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**44,715.33**	**35,877.71**	**8,595.25**	**7,153.07**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2013 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	50,109.94	45,956.37	9,287.23	8,514.31
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	44,715.33	35,877.71	8,595.25	7,153.07
कमी/ (अधिशेष)	5,394.61	10,078.66	691.98	1,361.24
लेखे मे नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	374.19	424.49	303.18	442.42
निवल देयता / (आस्ति)	**5,020.42**	**9,654.17**	**388.80**	**918.82**
तुलनपत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	50,109.94	45,956.37	9,287.23	8,514.31
आस्तियाँ	44,715.33	35,877.71	8,595.25	7,153.07
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति)	5,394.61	10,078.66	691.98	1,361.24
शामिल नहीं की गई पिछली सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	374.19	424.49	303.18	442.42
निवल देयता / (आस्ति)	**5,020.42**	**9,654.17**	**388.80**	**918.82**
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,501.20	1,372.84	322.54	323.20
ब्याज लागत	4,002.80	3,589.99	722.16	655.56
योजना - आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(3,082.04)	(1,947.08)	(608.73)	(462.84)

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	187.10	151.91	151.59	136.53
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (निहित हितलाभ)	निरंक	82.00	निरंक	निरंक
पूर्ववर्ती वर्षों के अतिरिक्त प्रावधान की प्रतिवर्तित राशि	निरंक	(32.71)	निरंक	निरंक
वर्ष के दौरान शामिल निवल बीमांकिक लाभ /(हानियां)	863.63	771.43	442.31	258.02
नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	**3,472.69**	**3,988.38**	**1,029.87**	**910.47**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3,082.04	1,947.08	608.73	462.84
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	575.26	774.28	82.66	163.83
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**3,657.30**	**2,721.36**	**691.39**	**626.67**
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	9,233.55	17,953.63	854.05	1,600.54
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	3,472.69	3,988.38	1,029.87	910.47
विलय और अधिग्रहण पर निवल देयता	निरंक	निरंक	निरंक	128.93
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(2,232.47)	(931.88)	निरंक	निरंक
नियोक्ताओं का अंशदान	(5,737.17)	(11,797.59)	(1,547.54)	(1,770.95)
पिछली सेवा लागत	283.82	21.01	52.42	(14.94)
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/ (आस्ति)	**5,020.42**	**9,233.55**	**388.80**	**854.05**

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि योजना आस्तियों का %	ग्रेच्युटी निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	31.78 %	23.93 %
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.10 %	15.50 %
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	41.49 %	35.95 %
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	0.32 %	18.35 %
अन्य	4.31 %	6.27 %
योग	**100.00 %**	**100.00 %**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएं	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.06% to 8.50%	8.25% to 9%	8.24% to 8.50%	8.25% to 8.75%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.50% to 9.00%	7.50% to 8.60%	7.50% to 8.75%	7.50% to 8.60%
वेतन वृद्धि	3.50% to 5.60%	3% to 6%	3.50% to 5.60%	3% to 6%

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन घटकों में किया गया है, मुद्रास्फीति वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान अत्यंत दीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि अत्यंत दीर्घ अवधि के दौरान - सतत् उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है जिस पर लेखा-परीक्षकों ने भरोसा किया है।

3.1.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधिन्यास में ब्याज कमी के संबंध में बीमांकित मूल्यन किया गया है। निर्धारक पद्धति के अनुसार "शून्य" देयता है, इसलिए वित्त वर्ष 2012-13 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एसबीआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीकांकक द्वारा किए गए बीमांकित मूल्यन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति नीचे तालिका में दी गई हैं:-

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	19482.46	18151.73
वर्तमान सेवा लागत	529.97	531.83
ब्याज लागत	1593.27	1492.66
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	654.91	654.49
बीमांकिक हानियां / (लाभ)	784.39	649.98
प्रदत्त हितलाभ	(2302.17)	(1998.23)
31 मार्च 2013 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	20742.83	19482.46
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2012 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	19729.16	18260.73
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1593.27	1492.66
अंशदान	1184.88	1186.32
प्रदत्त हितलाभ	(2302.17)	(1998.23)
योजना बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	1018.27	787.68
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	21223.41	19729.16
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2013 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	20742.83	19482.46
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	21223.41	19729.16
कमी/ (अधिशेष)	(480.58)	(246.70)
तुलनपत्र में नहीं ली गई निवल आस्ति	480.58	246.70
लाभ एवं हानि खाते में नहीं ली गई निवल आस्ति		
वर्तमान सेवा लागत	529.97	531.83
ब्याज लागत	1593.27	1492.66
योजना - आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1593.27)	(1492.66)
प्रतिवर्तित ब्याज कमी	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	529.97	531.83
तुलन पत्र में ली गई प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्तअनुसार व्यय	529.97	531.83
नियोक्ता का अंशदान	(529.97)	(531.83)
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता / (आस्ति)	-	-

पिछले वर्ष के आंकड़े केवल रिप्रेज़ेटेशन के लिए दिए गए हैं।

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना - अस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि
	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	38.48%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	16.37%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	40.67%
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	-
अन्य	4.48%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.50%	8.50%
निश्चित प्रतिलाभ	8.25%	8.25%
पलायन दर	2.00%	2.00%

3.1.2 नियत अंशदान योजनाएँ

3.1.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह द्वारा (एसीबीआई को छोड़कर) भविष्य निधि योजना के खर्च के रूप में ₹ 26.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹27.22 करोड़) की राशि दर्शाई गई है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

3.1.2.2 नियत अंशदायी पेंशन योजना

भारतीय स्टेट बैंक के दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए और देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (इनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शामिल हैं) के दिनांक 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नियत अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इस योजना का प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट के पास है। नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेखकार अभिकरण नियुक्त किया गया है। वर्ष के दौरान, इस योजना में ₹98.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹60.86 करोड़) का अंशदान किया गया।

3.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ

दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के संबंध में ₹ 885.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 644.60 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभों के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण ;

₹ करोड़ में

क्रम सं	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अर्जित अवकाश (नकदीकरण)-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण भी इसमें शामिल है	704.49	455.89
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	79.03	54.90
3	रुग्ण अवकाश	14.64	92.93
4	रजत जंयती अवार्ड	43.79	6.41
5	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	5.51	13.92
6	आकस्मिक अवकाश	17.89	15.19
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	20.63	5.36
योग		**885.98**	**644.60**

3.1.4 ऊपर सूची में दिए गए कर्मचारी हितलाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के हैं। विदेश स्थित कारोबार से जुड़े कर्मचारियों को उपर्युक्त योजना में शामिल नहीं किया गया है।

3.1.5 अपरिशोधित पेंशन एवं ग्रेच्युटी

3.1.5.1 ग्रेच्युटी

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 फरवरी 2011 के परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक और उसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष से शुरू करके 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि किए जाने के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है। तद्नुसार, समूह द्वारा ₹ 212.23 करोड़ की राशि 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष की समानुपातिक राशि के रूप में लाभ एवं हानि खाते में दिखायी गयी है। 31 मार्च 2013 को ₹ 422.43 करोड़ की अपरिशोधित देयता उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार समानुपात में परिशोधित की जाएगी।

3.1.5.2 पेंशन

देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष में दिए गए पेंशन विकल्प के संबंध में वित्त 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹ 360.47 करोड़ की राशि दिखाई है। यह पेंशन विकल्प उन कर्मचारियों को दिया गया है जिन्होंने पूर्ववर्ती पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं दिया था और इसकी राशि 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष से शुरू करके 5 वर्षों में परिशोधित की जा रही है। ₹ 720.40 करोड़ की शेष राशि उक्त परिपत्र में दिए गए निदेशों के अनुसार समानुपात में दिखाई जाएगी।

3.2 खंड सूचना

3.2.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया गया।

- कोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों के आंकड़ों की निम्नवत गणना की गई है:

क) **कोष:** कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलत: व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) **कारपोरेट / थोक बैंकिंग:** कारपोरेट / थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग:** खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) **बीमा व्यवसाय:** बीमा व्यवसाय खण्ड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिणाम शामिल है।

ङ) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय:** ऐसे खण्ड जो उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत प्राथमिक खण्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खण्ड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खण्ड में समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख) गौण (भौगोलिक खंड):

क) **देशी परिचालन के अंतर्गत -** भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कार्यालय आते हैं।

ख) **विदेशी परिचालन के अंतर्गत -** भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) **अंतर-खंडीय अंतरणों का कीमत-निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग खंड प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कारपोरेट/थोक बैंकिंग और कोष खंड को खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त होती हैं। बाजार से संबंधित निधि अंतरण कीमत निर्धारण (एमआरएफटीपी) अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निधीयन केंद्र नाम से एक अलग इकाई सृजित की गई है। निधीयन केंद्र इकाई उन निधियों की अनुमानिक खरीदारी करती है जो व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाराशियों या उधारों के रूप में जुटाई जाती हैं और यह आस्ति-सृजन में संलग्न व्यवसाय इकाइयों को निधियों की आनुमानिक बिक्री भी करती है।

घ) **आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन:**

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/ थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं।

समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है, उन्हें ''अनाबंटित व्यय'' के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

3.2.2 खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय) खंड

₹ करोड़ में

व्यवसाय खण्ड	कोष	कारपोरेट/थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	परित्याग	योग
आय	33,722.31 (31,780.04)	65,688.06 (56,017.05)	82,613.11 (72,593.56)	15,264.65 (13,932.27)	2,798.89 (2,350.39)		2,00,087.02 (1,76,673.31)
अनाबंटित आय							472.81 (215.66)
कुल आय							2,00,559.83 (1,76,888.97)
परिणाम	3,909.10 (-622.73)	10,440.31 (9,336.06)	14,161.86 (18,598.40)	560.15 (528.14)	900.09 (814.59)		29,971.51 (28,654.46)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (–) निवल							-4,089.70 (-4,185.51)
परिचालन लाभ (पीबीटी)							25,881.81 (24,468.95)
कर							7,558.82 (8,639.50)
असाधारण लाभ/हानि							(-)
निवल लाभ - सहयोगियों और अल्पांश हित में लाभ में हिस्सेदारी के पूर्व							18,322.99 (15,829.45)
जोड़े : सहयोगियों में लाभ में हिस्सेदारी							231.68 (143.85)
घटाएँ : अल्पांश हित							638.44 (630.20)
निवल लाभ समूह के लिए							17,916.23 (15,343.10)
अन्य सूचना :							
खंड आस्तियाँ	4,78,747.98 (4,55,509.50)	8,16,405.69 (6,45,797.28)	7,52,700.48 (6,53,360.45)	54,933.15 (48,967.47)	10,473.87 (9,058.01)		21,13,261.17 (18,12,692.71)
अनाबंटित आस्तियाँ							19,897.17 (17,263.46)
कुल आस्तियाँ							21,33,158.34 (18,29,956.17)
खंड देयताएँ	2,72,060.80 (2,56,921.38)	6,69,288.50 (5,06,927.45)	9,45,349.61 (8,49,091.39)	51,845.39 (46,312.21)	7,158.38 (6,157.75)		19,45,702.68 (16,65,410.18)
अनाबंटित देयताएँ							62,422.64 (58,315.98)
कुल देयताएँ							20,08,125.32 (17,23,726.16)

भाग ख: द्वितीयक (भौगोलिक) खण्ड

₹ करोड़ में

	देशी परिचालन	विदेशी परिचालन	योग
आय	1,91,233.82 (1,69,182.00)	9,326.01 (7,706.97)	2,00,559.83 (1,76,888.97)
परिणाम	26,485.50 (25,570.72)	3,486.01 (3,083.74)	29,971.51 (28,654.46)
आस्तियाँ	18,86,124.68 (16,31,595.81)	2,47,033.66 (1,98,360.36)	21,33,158.34 (18,29,956.17)
देयताएँ	17,63,888.25 (15,27,911.77)	2,44,237.07 (1,95,814.39)	20,08,125.32 (17,23,726.16)

i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु है। आस्तियों /देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2013 का है।

ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

3.3 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

3.3.1 समूह से संबंधित पक्ष:

क) संयुक्त उद्यम:

1. सी एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
3. एसबीआइ मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
4. एसबीआइ मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.
5. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
6. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमन्ट फंड - मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेन्ट फंड - ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.

ख) सहयोगी

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
4. डेक्कन ग्रामीणा बैंक
5. इलाकाई देहाती बैंक
6. कावेरी ग्रामीण बैंक
7. कृष्णा ग्रामीणा बैंक
8. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
9. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
10. मालवा ग्रामीण बैंक
11. मरूधरा ग्रामीण बैंक
12. मेघालय रूरल बैंक
13. मिजोरम रूरल बैंक
14. नागालैंड रूरल बैंक
15. पर्वतीय ग्रामीण बैंक (14.02.2013 तक)
16. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
17. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (14.10.2012 तक)
18. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
19. उत्कल ग्रामीण बैंक
20. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
21. वनांचल ग्रामीण बैंक
22. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (07.10.2012 तक)

ii) अन्य

23. दि क्लिअरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
24. बैंक आफ भूटान लि.
25. एस बी आई होम फाइनैंस लि.

ग) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

1. श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष
2. श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)
3. श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)
4. श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी
5. श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एव अनुषंगियाँ) (09 अक्तूबर 2012 से)

3.3.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के रूप में संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेन का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

3.3.3 लेनदेन और शेष राशियाँ

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
वर्ष 2012-13 के दौरान लेनदेन			
प्राप्त ब्याज $	- (0.04)	- (-)	- (0.04)
प्रदत्त ब्याज $	1.06 (1.29)	- (-)	1.06 (1.29)
लाभांश के रूप में अर्जित आय $	15.22 (-)	- (-)	15.22 (-)
अन्य आय $	21.24 (12.15)	- (-)	21.24 (12.15)
अन्य व्यय $	231.22 (177.87)	- (-)	231.22 (177.87)
प्रबंधन संविदा $	227.98 (156.04)	0.95 (0.68)	228.93 (156.72)
31 मार्च 2013 को बकाया			
देय राशियाँ			
जमा #	150.03 (126.54)	- (-)	150.03 (126.54)
अन्य देयताएं #	13.16 (5.58)	- (-)	13.16 (5.58)
प्राप्य राशियाँ			
निवेश #	41.55 (42.91)	- (-)	41.55 (42.91)
अग्रिम #	- (-)	- (-)	- (-)
अन्य आस्तियां #	0.18 (14.70)	- (-)	0.18 (14.70)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

\# 31 मार्च की स्थिति के अनुसार शेष

$ वर्ष के लेनदेन

ये वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए आंकड़ों की दृष्टि से प्रकटन योग्य लेनदेन नहीं हैं ।

3.4 पट्टे :

वित्तीय पट्टे

01 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	4.69	2.58
1 से 5 वर्ष तक	12.73	7.19
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**17.42**	**9.77**
देय ब्याज लागत		
1 वर्ष से कम	1.51	0.22
1 से 5 वर्ष तक	2.16	0.16
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**3.67**	**0.38**
देय न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान राशि		
1 वर्ष से कम	3.18	1.82
1 से 5 वर्ष तक	10.57	6.08
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**13.75**	**7.90**

परिचालन पट्टा*

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 वर्ष तक	192.38	137.94
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	575.01	412.14
5 वर्ष से अधिक	171.25	104.01
कुल	**938.64**	**654.09**
इस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि	211.24	139.16

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो समूह इकाइयों के विकल्प के अनुसार नवीकरण योग्य हैं।

* केवल रद्द नहीं होनेवाले पट्टों के संबंध में

3.5 प्रति शेयर उपार्जन:

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर पश्चात् निवल लाभ अल्पांश को छोड़कर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	67,10,44,838	63,49,98,991
वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों की सं.	1,29,89,133	3,60,45,847
वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की सं.	68,40,33,971	67,10,44,838

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत ईक्विटी शेयरों की सं.	67,14,72,052	63,51,96,258
कम की गई प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	67,14,72,052	63,51,96,258
निवल लाभ (अल्पांश के अलावा) (₹ करोड़ में)	17,916.23	15,343.10
मूल आय प्रति शेयर (₹)	266.82	241.55
कम की गई प्रति शेयर आय (₹)	266.82	241.55
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10.00	10.00

3.6 आय पर करों का लेखाकरण

i) वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा ₹ 701.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 691.65 करोड़ नामे किए गए थे) लाभ और हानि खाते में जमा किए गए थे।

ii) प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	128.03	-
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान #	2474.34	2187.55
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	16.31	36.35
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	362.78	128.01
अन्य	588.12	618.87
योग	**3569.58**	**2970.78**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	14.01	16.12
प्रतिभूतियों पर ब्याज	3257.14	2008.95
अन्य	423.23	736.62
योग	**3694.38**	**2761.69**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/ (देयताएँ)	**(124.80)**	**209.09**

इसमें भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान राशि में से ₹ 922.15 करोड़ की आस्थगित कर जमा शामिल है जो एसबीआई ने चालू वर्ष में बुक की है (इसमें 31 मार्च 2012 तक की अवधि से संबंधित ₹ 783.62करोड़ की राशि शामिल है।

3.7 आस्तियों की अपसामान्यता:

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू हो।

3.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

क) प्रावधानों का अलग-अलग विवरण:

₹ करोड़ में

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान के लिए प्रावधान		
	- वर्तमान कर	8,258.02	7,959.87
	- आस्थगित कर	(701.09)	691.65
	- अनुषंगी लाभ कर	(34.06)	(20.41)
	- अन्य कर	35.96	8.39
ख)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	13,443.45	14,040.08
ग)	पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	1,463.11	169.90
घ)	मानक आस्तियों पर प्रावधान	1,090.71	1,304.76
ङ)	विनिधानों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(950.12)	875.18
च)	अन्य प्रावधान	(6.85)	(145.48)
	कुल	**22,599.13**	**24,883.94**

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

ख) **आस्थिर प्रावधान :**

₹ करोड़ में

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	अथशेष	479.22	479.21
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	0.01
ग)	वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	-
घ)	**अंतिम शेष**	**479.22**	**479.22**

ग) **आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण :**

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर पड़ेगा।
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज / मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ स्थिर विनिमय एवं अस्थिर ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ है।
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
4	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है। समूह की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पुन: समूह ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेयरों का अभिदान करने के वायदे किए हैं।

घ) उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय / न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्धृत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

ङ) **आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों का उतार-चढ़ाव :**

₹ करोड़ में

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	**अथशेष**	**477.23**	**456.05**
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	92.81	99.24
ग)	वर्ष के दौरान आहरण में कमी	79.83	78.06
घ)	**अंतिम शेष**	**490.21**	**477.23**

4 से जीवन बीमा और साधारण बीमा अनुषंगियों के विनिधान बैंकों द्वारा अनुपालन की जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार फिर से शामिल न करके बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान विनियम) 2000 के अनुसार लेखों में दिखाए गए हैं। बीमा अनुषंगियों के विनिधान 31 मार्च 2013 को कुल विनिधान का लगभग 9.33% पिछले वर्ष 9.42%) रहे।

5 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के निदेशानुसार रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों (यदि कोई हों) को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।

6 आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए - समेकित वित्तीय विवरण की यथातथ्यता और उपयुक्तता पर कोई प्रभाव न होने के कारण उसमें मूल कंपनी और अनुषंगियों के अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित ऐसी सांविधिक सूचनाओं का जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

7 **वेतन करार होने तक**

भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों की ओर से अखिल भारतीय कामगार संघों के साथ किया गया नौवां द्विपक्षीय समझौता 31 अक्तूबर 2012 को समाप्त हो गया। 01 नवंबर 2012 से लागू होने वाले वेतन संशोधन करार का निष्पादन होने तक भारतीय स्टेट बैंक और उसकी देश में स्थित अनुषंगियों ने वर्ष के दौरान ₹ 960.53 करोड़ का प्रावधान किया है।

इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक ने समग्र बीमांकिक मूल्यांकनों के अलावा अधिवार्षिता योजनाओं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए ₹ 225 करोड़ का एक तदर्थ अतिरिक्त प्रावधान किया है।

8 जहां भी आवश्यक था विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुल्य बनाने के लिए पुनर्समूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किए गए हैं - पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

(एस. विश्वनाथन)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)

(ए. कृष्णा कुमार)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)

(दिवाकर गुप्ता)
प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी

(हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

(प्रतीप चौधरी)
अध्यक्ष

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते तोदी तुलसियान एंड कं.
सनदी लेखाकार
(सुशील कुमार तुलसियान)
भागीदार

सदस्यता क्रमांक 075899
फर्म पंजीकरण सं. 002180 C
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23 मई, 2013

भारतीय स्टेट बैंक (समेकित)
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2013 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		25475,05,21	23982,59,19
समायोजन			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		1577,49,23	1371,60,74
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ) /हानि (निवल)		40,53,82	47,01,40
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		(2861,82,55)	583,26,05
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि (निवल)		(594,91,28)	1369,65,79
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान		14906,55,70	14209,97,61
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		1090,70,76	1304,75,75
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		(950,11,72)	875,18,08
अन्य प्रावधान		(6,83,56)	(145,47,34)
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश / अर्जित आय (विनिधान कार्यकलाप)		(244,54,53)	(146,14,16)
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज (वित्तीय कार्यकलाप)		4706,74,29	4584,94,51
वर्ष के दौरान अपलिखित आस्थगित आय खर्च		78,86,98	12,85,34
उप योग		**43217,72,35**	**48050,22,96**
समायोजन			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		212713,21,08	159126,91,68
उधारराशियों में वृद्धि /कमी		45485,85,12	13953,09,73
विनिधानों में (वृद्धि) / कमी		(53953,40,34)	(44585,14,78)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(243844,38,49)	(171478,63,02)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)		24278,85,49	(16803,43,81)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		642,31,59	(7659,12,12)
उप योग		**28540,16,80**	**(19396,09,36)**
प्रदत्त कर		(4442,36,90)	(10718,04,52)
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रवाह)	(क)	**24097,79,90**	**(30114,13,88)**
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि) / कमी		(83,79,38)	(125,64,00)
ऐसे विनिधानों पर अर्जित आय		244,54,53	146,14,16
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(3579,99,11)	(2339,75,41)
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी	(ख)	**(3419,23,96)**	**(2319,25,25)**

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2013 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष ₹
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
ईक्विटी शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि		3000,34,14	7891,30,87
पूंजी लिखतों का निर्गमन		75,13,60	1175,15,60
पूंजी लिखत प्रतिसंदाय		(42,20,00)	-
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज		(4706,74,29)	(4584,94,51)
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित		(2645,16,40)	(2151,43,88)
अनुषंगियों द्वारा संदत्त लाभांश कर		(104,90,81)	(121,23,54)
वित्तीय कार्यकलाप से सृजित निवल नकदी	(ग)	**(4423, 53,76)**	**2208,84,54**
रूपांतरण आरक्षित पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव	(घ)	**1381,87,57**	**2487,91,96**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)		**17636,89,75**	**(27736,62,63)**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**127590,82,85**	**155327,45,48**
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**145227,72,60**	**127590,82,85**

(एस. विश्वनाथन)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)

(ए. कृष्ण कुमार)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)

(दिवाकर गुप्ता)
प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी

(हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

(प्रतीप चौधरी)
अध्यक्ष

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते तोदी तुलसियान एंड कं.
सनदी लेखाकार
(सुशील कुमार तुलसियान)
भागीदार

सदस्यता क्रमांक 075899
फर्म पंजीकरण सं. 002180 C
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23 मई, 2013

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रेषिती
निदेशक बोर्ड,
भारतीय स्टेट बैंक

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों (इस समूह) की 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा परीक्षा की है उक्त वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के लेखे शामिल है :
   i. हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित बैंक के खाते,
   ii. अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 27 (सत्ताईस) अनुषंगियों, 24 (चौबीस) सहयोगियों और 8 (आठ) संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षित खाते,
   iii. 1 (एक) अनुषंगी, और 1 (एक) सहयोगी के अलेखापरीक्षित खाते।
2. हमने 13 अन्य संयुक्त लेखा परीक्षकों के साथ बैंक के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा की है, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2013 को ₹ 15,66,261 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹ 1,35,692 करोड़ की कुल आय और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 17,657 करोड़ की राशि के निवल नकदी प्रवाह दिखाए गए हैं।
3. हमने इनकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनमें 31 मार्च 2013 को ₹ 5,81,754 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹ 67,029 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2,480 करोड़ के निवल नकदी बहिर्गमन दिखाए गए हैं। ये वित्तीय विवरण हमें प्रस्तुत किए गए हैं और जहां तक अन्य इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों का सवाल है, उनके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।
4. 1 (एक) अनुषंगी, और 1 (एक) सहयोगी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2013 को ₹ 3,427 करोड़ की कुल आस्तियाँ, ₹ 157 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के ₹ 47 करोड़ के निवल नकदी बहिर्गमन प्रदर्शित किए गए हैं, प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

5. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21-''समेकित वित्तीय विवरण'', लेखा मानक-23 ''समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा'' और लेखा मानक-27- ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्ट'' और भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुपालन शामिल है जो सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं और विषयवस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त हैं जो चाहे घोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों।
6. **लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी**

   हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है। हमने अपना लेखा-परीक्षा-कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।
7. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच की जाती है। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है। उन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं उनके उचित प्रस्तुति के संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेता है ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति को डिजाइन किया जा सके। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-नीतियों तथा लेखा आकलनों के औचित्य तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।
8. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता हैं।

अभिमत

9. अपनी लेखा परीक्षा और भिन्न-भिन्न वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट; अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उसके घटकों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारा विचार है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण - भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है:
   (क) 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन पत्र;
   (ख) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ और हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में; और
   (ग) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

ध्यानाकर्षण

10. अपने अभिमत को परिवर्तित किए बिना, हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करते हैं :

बैंक और उसकी देशीय अनुषंगियों की ग्रेच्युटी और पेंशन दयताओं की आस्थगित राशि क्रमश: 422.43 करोड़ और ₹ 720.40 करोड़ से संबंधित टिप्पणी 3.1.5.2 और 3.1.5.1 जो लेखा मानक (एएस) 15, कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों की प्रयोज्यता से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने परिपत्र सं. डीबीओडी.बी.पी.बी.सी./80/21.04.018/2010-11 के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दी गई छूट के कारण की गई है।

कृते **तोदी तुलसियान एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002180C

(सुशील कुमार तुलसियान)
भागीदार
सदस्यता सं. 075899

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23 मई 2013

स्टेट बैंक समूह

नई पूँजी पर्याप्तता संरचना
(बेसल - II)
स्तंभ - III (बाजार अनुशासन)
प्रकटीकरण

भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार
तालिका - डीएफ-1
लागू करने का कार्यक्षेत्र

1. **गुणात्मक प्रकटीकरण**

1.1 मूल कंपनी : भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है जिसे बेसल-II रूपरेखा लागू होती है।

1.2 **स्टेट बैंक समूह बनाने वाली इकाइयां**

इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) की पुष्टि करते हैं, जिसमें सांविधिक प्रावधान, नियंत्रक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/निर्देशन शामिल होते हैं। निम्नलिखित अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम और अनुषंगियां मिलकर स्टेट बैंक समूह बनता है।

1.2.1 **पूर्णत: समेकित इकाइयां :** निम्नलिखित अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम (जो अनुषंगियां भी हैं) लेखा मानक एएस-21 के अनुसार पंक्ति से पंक्ति आधार पर पूर्णत: समेकित किए गए हैं:

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	Group's Stake (%)
1)	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	75.07
2)	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	100.00
3)	स्टेट बैंक आफ मैसूर	92.33
4)	स्टेट बैंक आफ पटियाला	100.00
5)	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	75.01
6)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	100.00
7)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	100.00
8)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.	100.00
9)	एसबीआई कैप्स वैंचर्स लि.	100.00
10)	एसबीआई डीएफएचआई लि.	71.56
11)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	100.00
12)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	86.18
13)	एसबीआई पेंशन फण्ड्स प्रा. लि.	92.60
14)	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.	65.00
15)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंश कंपनी लि.	74.00
16)	एसबीआई पैमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	100.00
17)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	100.00
18)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलिफोर्निया)	100.00
19)	एसबीआई (मारीशस) लि.	93.40
20)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	76.00
21)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	100.00
22)	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पैमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	60.00
23)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	63.00
24)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंश कंपनी लि.	74.00
25)	कामर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को	60.00
26)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	55.28
27)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.	63.00
28)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	100.00

1.2.2 **यथानुपात समेकित इकाइयां :** निम्नलिखित इकाइयां जो संयुक्त उद्यम हैं और लेखा मानक-एएस-27 के अनुसार

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह का अंश (%)
1)	सी एज टेक्नोलाजी लि.	49.00
2)	जीई कैपिटल व्यवसाय प्रक्रिया मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	40.00
3)	एसबीआई मैक्वरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	45.00
4)	एसबीआई मैक्वरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	45.00
5)	मैक्वरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	45.00
6)	मैक्वरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	45.00
7)	ओमान इंडिया संयुक्त निवेश फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	50.00
8)	ओमान इंडिया संयुक्त निवेश फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	50.00

1.2.3 स्टेट बैंक की सभी अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी बैंक समेकित हैं। इसलिए ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसे समेकन से बाहर रखा गया है। उपर्युक्त उल्लिखित अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त, निम्नलिखित अनुषंगियों को एएस-23 की शर्तों में ईक्विटी लेखा के अनुसार समेकित किया गया है :

क्रम सं.	सहयोगियों (बैंकों) के नाम	समूह का अंश (%)
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	35.00
3)	छतीसगढ़ ग्रामीण बैंक	35.00
4)	एलाकाई देहाती बैंक	35.00
5)	मेघालय रूरल बैंक	35.00
6)	कृष्णा ग्रामीण बैंक	35.00
7)	लंगपी डेहंगी रूरल बैंक	35.00
8)	मध्यांचल भारत ग्रामीण बैंक	35.00
9)	मिजोरम रूरल बैंक	35.00
10)	नगालैंड रूरल बैंक	35.00
11)	परवर्तीय ग्रामीण बैंक (14 फरवरी 2013 तक)	35.00
12)	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
13)	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (14 अक्तूबर 2012 तक)	35.00
14)	उत्कल ग्रामीण बैंक	35.00
15)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	35.00
16)	वनांचल ग्रामीण बैंक	35.00
17)	मरुधर ग्रामीण बैंक	26.27
18)	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (7 अक्तूबर 2012 तक)	35.00
19)	डेक्कन ग्रामीण बैंक	35.00
20)	कावेरी ग्रामीण बैंक	32.32
21)	मालवा ग्रामीण बैंक	35.00
22)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	35.00
23)	दी क्लरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	29.22
24)	बैंक ऑफ भूटान लि.	20.00
25)	एसबीआई होम फाइनैंस लि. (परिसमापन प्रक्रियाधीन)	25.05

1.3 **लेखा एवं नियामक प्रयोजन हेतु समेकन के आधार में भिन्नताएं**

नियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार, समेकित बैंक समूह की उन कंपनियों को समेकन से बाहर निकाल सकती हैं, जो बीमा व्यवसाय और ऐसे व्यवसाय में लगी हुई हैं जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, समेकित विवेकीय रिपोर्टिंग प्रयोजन हेतु नीचे उल्लिखित इकाइयों में समूह के निवेशों को हानि, यदि कोई हो, घटाने के बाद लागत आधार पर लिया गया है।

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह का अंश (%)
1)	सी एज टेक्नोलाजी लि.	49.00
2)	जीई कैपिटल व्यवसाय प्रक्रिया मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	40.00
3)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंश कंपनी लि.	74.00
4)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंश कंपनी लि.	74.00

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण :

2.1 सभी अनुषंगियों की पूँजी-अभाव की कुल राशि को समेकन में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् इन्हें हटा दिया गया है एवं ऐसी अनुषंगियों का नाम (के नाम) : **कोई नहीं**

2.2 बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की कुल राशियां (अर्थात् वर्तमान बही-मूल्य) जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हिस्से का अनुपात, और यदि भिन्न हो, तो इन संस्थाओं में मत्ताधिकार का अनुपात और इसके अतिरिक्त इस पद्धति की तुलना में कटौती का उपयोग करने पर विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव को सूचित करता है :

1) नाम : **एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई**
निगमन देश : **भारत**
स्वामित्व हिस्सा : **₹ 740.00 करोड़ (74%)**

2) नाम : **एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई**
निगमन देश : **भारत**
स्वामित्व हिस्सा : **₹ 111 करोड़ (74%)**

विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव :

समेकन पद्धति के अधीन: लागू नहीं

कटौती पद्धति के अधीन : पूँजी पर्याप्तता की गणना के प्रयोजन से बीमा अनुषंगी में किए गए कुल निवेश को बैंक की पूँजी निधियों में से घटाया गया है।

तालिका डीएफ-2
पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) सारांश

पूंजी का प्रकार	विशेषताएं
ईक्विटी (श्रेणी – I)	वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने भारत सरकार को अधिमानी पूंजी के अंतर्गत प्रति शेयर ₹ 10 और प्रति ईक्विटी शेयर ₹ 2302.78 के प्रीमियम से ₹ 3004 करोड़ के 1,29,88,697 ईक्विटी शेयर आबंटित किए। बैंकिंग अनुषंगियों के लिए प्रमुख शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक है जबकि उनमें से कुछ बैंकों, जैसे एसबीबीजे, एसबीएम और एसबीटी में जनता की शेयरधारिता भी है। गैर-बैंकिंग अनुषंगियों ने पूंजी जुटाई है। प्रमुख शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक है और कुछ अन्य शेयरधारक एसजीएएम (एसबीआई फंड 37%), जीई कैपिटल (एसबीआई कार्ड्स 40%), सिडबी (एसबीआई जीएफएल 6.53%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (एसबीआई जीएफएल 4.39%), यूबीआई (एसबीआई जीएफएल 2.95%)। वित्त वर्ष-13 के दौरान, एसबीआई पेंशन ने ₹ 10 करोड़ की ईक्विटी पूंजी प्राप्त की है (एसबीआई कैपिटल मार्केट्स प्रा. लि. से ₹ 5 करोड़ और एसबीआई फण्ड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. से ₹ 5 करोड़)।
नवोन्मेषी लिखत (श्रेणी – I)	वित्त वर्ष-13 के दौरान, न तो देशीय और न ही विदेशी अनुषंगियों ने नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) के रूप में पूंजी जुटाई हैं। 31.03.2013 को एसबी समूह के पास ₹ 6733 करोड़ के नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत है जिन्हें श्रेणी-1 के रूप में परिकलित किया गया है।
श्रेणी-II	भारतीय स्टेट बैंक और उसकी अनुषंगियों ने उच्चतर एवं न्यूनतर टियर - II की पूंजी जुटाई। बाण्डों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए गौण ऋण दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय और सममूल्य पर मोचन योग्य है। इस ऋण को बैंक की वर्तमान एवं भावी वरिष्ठ ऋणग्रस्तता समझा गया है और यह टियर - II पूंजी के लिए पात्र है। वित्त वर्ष-13 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने श्रेणी-2 के पूंजी के रूप में कोई लिखत जारी नहीं किए हैं। वर्ष के दौरान, एसबीआई कार्ड्स ने दीर्घावधि अप्रतिभूत एनसीडी के रूप में ₹ 50 करोड़ जुटाए हैं। विदेशी अनुषंगियों की श्रेणी-2 पूंजी में मुख्य रूप से सामान्य प्रावधान शामिल हैं। वर्ष के दौरान नेपाल एसबीआई लि. ने श्रेणी-2 के बॉण्ड रूप में ₹ 25.15 करोड़ की राशि जुटाई।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

भारतीय स्टेट बैंक ने देशीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से हाइब्रीड टियर - I और उच्चतर एवं न्यूनतर टियर - II के गौण ऋण जुटाए। सभी पूंजी लिखतों, विशेष रूप से नवोन्मेषी, जटिल या हाइब्रीड पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित निबंधन एवं शर्तों से संबद्ध संक्षिप्त सूचना निम्नानुसार है :

पूंजी का प्रकार	प्रमुख विशेषताएं				
ईक्विटी	₹ 684.03 करोड़				
	ईश्यू की तिथि	राशि	अवधि(माह)	कूपन (वार्षिक आधार पर देय %)	रैटिंग
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	15.02.07	400 मिलियन अमरीकी डालर (₹ 2171.40 करोड़)	बेमीयादी 10 वर्ष और 3 माह, अर्थात 15.05.17 के बाद क्रय का विकल्प और 100 आधार बिन्दु की वृद्धि।	6.439%	**बी1** मूडी की बीबी एस एण्ड पी
	26.06.07	225 मिलियन अमरीकी डालर (₹ 1221.41 करोड़)	बेमीयादी 10 वर्ष, अर्थात 27.06.17 के बाद क्रय का विकल्प और 100 आधार बिन्दु की वृद्धि।	7.140%	**बी1** मूडी की बीबी एस एण्ड पी
	14.08.09	₹ 1000 करोड़*	बेमीयादी 10 वर्ष, अर्थात 14.08.19 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार बिन्दु की वृद्धि, यदि काल ऑप्शन को काम में नहीं लिया जाता है।	प्रथम 10 वर्षों के लिए 9.10% वार्षिक	**एएए** : क्रिसिल, **एएए**-केयर
	27.01.10	₹ 1000 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष, अर्थात 27.01.20 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार बिन्दु की वृद्धि, यदि काल ऑप्शन को काम में नहीं लिया जाता है।	प्रथम 10 वर्षों के लिए 9.05% वार्षिक	**एएए** : क्रिसिल, **एएए**-केयर
	28.09.07	₹ 165 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष 3 माह, अर्थात 28.09.17 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार बिन्दु की वृद्धि, यदि काल ऑप्शन को काम में नहीं लिया जाता है।	प्रथम 10 वर्षों के लिए 10.25% वार्षिक	**एएए** : क्रिसिल, **एएए**-केयर

* अगस्त 2009 में जुटाए गए रु.1000 करोड़ में से, बैंक ने केवल टियर - I पूंजी के रूप में रु.450 करोड़ को पकड़ा है।

भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों से कुल ₹ 1745 करोड़ की राशि जुटाई ;

एसबीबीजे ₹ 200 करोड़, एसबीएच ₹ 685 करोड़, एसबीएम ₹ 260 करोड़, एसबीपी ₹ 300 करोड़ और एसबीटी ₹ 300 करोड़। दिनांक 20 जनवरी 2011 से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के नई श्रेणी श्रेणी-I और श्रेणी-II के निर्गम के मामले में स्टेपअप ऑप्शन को समाप्त कर दिया है। तथापि, कम से कम लिखत के 10 वर्ष तक रहने के बाद काल ऑप्शन को जारी रखा जा सकता है।

पूंजी का प्रकार	विशेषताएं
उच्चतर श्रेणी -II के गौण ऋण	**लिखत का प्रकार** : अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, उच्चतर श्रेणी – II प्रतिज्ञा पत्रों की प्रकृति में गौण ऋण **प्रमुख विशेषताएं** : I. निवेशकों द्वारा कोई विक्रय विकल्प नहीं। II. 10 वर्ष बाद बैंक द्वारा क्रय विकल्प। III. **स्टेप-अप ऑप्शन** : 20 जनवरी 2011 से भारतीय रिज़र्व ने बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले नई श्रेणी – I और नई श्रेणी – II पूंजीगत तिथियों में स्टेप अप ऑप्शन का प्रयोग समाप्त कर दिया है। IV. **लॉक इन क्लॉज** : यदि सीएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक सीएआर के नीचे है, तो बैंक का मूल राशि पर या तो अवधि ब्याज या अवधि समाप्ति पर मूल राशि के भुगतान का दायित्व नहीं होगा। तथापि, जहां तक बैंक न्यूनतम विनियामक सीएआर बनाए रखता है, तो निश्चित समय पर बैंक आवधिक ब्याज नहीं लगाएगा।

जारी करने के की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि माह	कूपन (वार्षिक आधार पर देय %)	रेटिंग
05.06.06	2,328	180	8.80%	**एएए** - क्रिसिल **एएए**-केयर
06.07.06	500	180	9.00%	**एएए** - क्रिसिल
12.09.06	600	180	8.96%	**एएए** - क्रिसिल **एएए**-केयर
13.09.06	615	180	8.97%	**एएए** - क्रिसिल **एएए**-केयर
15.09.06	1,500	180	8.98%	**एएए** - क्रिसिल
04.10.06	400	180	8.85%	**एएए** - क्रिसिल **एएए**-केयर
16.10.06	1,000	180	8.88%	**एएए** - क्रिसिल
17.02.07	1,000	180	9.37%	**एएए** - क्रिसिल
07.06.07	2,523	180	10.20%	**एएए** - क्रिसिल **एएए**-केयर
12.09.07	3,500	180	10.10%	**एएए** - क्रिसिल **एएए**-केयर
19.12.08	2,500	180	8.90%	**एएए** - क्रिसिल **एएए**-केयर
02.03.09	2,000	180	9.15%	**एएए** - क्रिसिल **एएए**-केयर
06.03.09	1,000	180	9.15%	**एएए** - क्रिसिल **एएए**-केयर
29.12.06	100	180	8.95%	**एएए** - क्रिसिल **एएए**-केयर
22.03.07	200	180	10.25%	**एएए** - क्रिसिल **एएए**-केयर
24.03.09	250	180	9.17%	**एएए** - क्रिसिल **एएए**-केयर

भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, निम्नलिखित देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने उच्चतर श्रेणी-2 के रूप में ₹ 5291.60 करोड़ की पूंजी निधियां जुटाई :
एसबीबीजे ₹ 450 करोड़, एसबीएच ₹ 1750 करोड़, एसबीएम ₹ 640 करोड़,एसबीपी ₹ 1452 करोड़ और एसबीटी ₹ 1000 करोड़।
विदेश स्थित अनुषंगियों में, एसबीआई नेपाल ने उच्चतर श्रेणी-2 बाण्ड के रूप में ₹62.86 करोड़ की निधियां जुटाई, जिसमें से ₹ 50.27 करोड़ पूंजी के रूप में परिकलित किए गए हैं।

निम्नतर श्रेणी -II के गौण ऋण

लिखत का प्रकार : अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, उच्चतर श्रेणी - II, प्रतिज्ञा पत्रों की प्रकृति में गौण ऋण।

प्रमुख विशेषताएं :

I) निवेशकों द्वारा कोई विक्रय विकल्प नहीं।
II) स्टेप-अप ऑप्शन : 20 जनवरी 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले नई श्रेणी - I और नईश्रेणी - II पूंजीगत तिथियों में स्टेप अप ऑप्शन का प्रयोग समाप्त कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना मोचन नहीं किया जा सकेगा।
III) कम से कम पांच वर्ष तक लिखत (जमा) रहने के बाद कॉल ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है।

जारी करने के की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि माह	कूपन (वार्षिक आधार पर देय ₹)	रेटिंग
05.12.05	3,283	113	7.45%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
09.03.06	200	111	8.15%	एलएए-क्रिसिल, एएए-केयर
28.03.07	1,500	111	9.85%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
31.03.07	225	111	9.80%	एलएएए-क्रिसिल, एएए-केयर
29.12.08	1,500	114	8.40%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
06.03.09	1,000	111	8.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
15.02.05	200	111	7.20%	एएए-क्रिसिल
29.09.05	140	120	7.45%	एएए-क्रिसिल, एलएएए -आईसीआरए
28.03.06	110	120	8.70%	एएए-क्रिसिल, एलएएए-आईसीआरए
04.11.10	133.08*	120	9.25%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
04.11.10	866.92*	180	9.50%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	559.40*	120	9.75%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	171.68*	120	9.30%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	3,937.59*	180	9.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	828.32*	180	9.45%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर

* भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2010-11 की तीसरी तिमाही में रिटेल सहभागिता के माध्यम से जुटाए। यदि बैंक क्रमश: 5 वर्ष और 10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो दिनांक 04.11.10 को जारी किए गए बाण्डों के लिए उनकी परिपक्वता के आखिरी पांच वर्षों के दौरान 50 आधार बिन्दु का एक स्टेप अप ऑप्शन रहेगा। दिनांक 16.03.11 को जारी किए गए बॉण्डों पर आगे स्टेप अप का विकल्प नहीं रहेगा।

भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित निम्नतर श्रेणी-II के बाण्डों के रूप में उपर्युक्त ₹14,655 करोड़ में से, भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 31.03.2013 को ₹11,565.20 करोड़ को निम्नतर श्रेणी-छ्छ की पूंजी के रूप में पकड़ा है।

भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने निम्नतर श्रेणी-II के रूप मे पूंजीगत निधियां जुटाई है :

1) देशीय सहयोगी बैंकिंग अनुषंगियों ने ₹4,705 करोड़ के बॉण्डों से राशि जुटाई है।
एसबीबीज.₹1500.00 करोड़, एसबीएच ₹1210 करोड़, एसबीएम ₹425 करोड़, एसबीपी ₹750 करोड़ और एसबीटी ₹820 करोड़। (उपर्युक्त में से ₹2382 करोड़ को निम्नतर श्रेणी-II की पूंजी के रूप में पकड़ा गया है)।
2) देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियों ने कुल ₹386.68 करोड़ के बॉण्डों से राशि जुटाई है-(एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. ₹161.88 करोह और एसबीआई कार्ड्स ₹224.80 करोड़ (जिसमें से ₹174.80 करोड़ को विनियामक पूंजी के रूप में परिकलित किया गया है)।
3) विदेशी अनुषंगियों में एसबीआई कनाड़ा के पास कुल ₹106.88 करोड़ के निम्न श्रेणी II के बॉण्ड है।

मात्रात्मक प्रकटन

(₹ करोड़ में)

(ख)	श्रेणी- I पूँजी	1,25,468
	• चूकता शेयर पूँजी	684
	• आरक्षित निधियां	1,20,137
	• नवोन्मेषी लिखत	6,733
	• अन्य पूँजी लिखत	0
	• श्रेणी-1 पूँजी से घटाई गई राशि गुडविल और निवेशों सहित	2,086
(ग)	कुल राशि श्रेणी-2 पूँजी (टियर-2 पूँजी में से कटौतियां घटाकर)	44,568
(घ)	उच्च श्रेणी-2 पूँजी में शामिल करने योग्य ऋण पूँजी लिखत	
	• कुल बकाया	25,371
	• चालू वर्ष में जुटाई गई	25
	• पूँजी निधियों के रूप में शामिल करने योग्य राशि	25,358
(ड)	निम्न श्रेणी-2 पूँजी में शामिल करने योग्य गौण ऋण	
	• कुल बकाया	19,854
	• चालू वर्ष में जुटाई गई	50
	• पूँजी निधियों के रूप में शामिल करने योग्य राशि	14,391
(च)	पूँजी में अन्य कटौतियां यदि कोई हो	0
(छ)	कुल पात्र पूँजी	1,70,036

तालिका डीएफ-3
पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन	• भारतीय रिज़र्व बैंक की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती है। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए एक मूल्यांकन किया जाता है। • जोखिम • बाजार जोखिम • परिचालन जोखिम • ऋण केन्द्रीकरण जोखिम • चलनिधि जोखिम • बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम • अनुपालन जोखिम • देश जोखिम • पेंशन निधि दायित्व जोखिम • नव व्यवसाय जोखिम • प्रतिष्ठा जोखिम • कार्यनीतिक जोखिम • ऋण जोखिम अल्पीकरणों से अवशिष्ट जोखिम • समाश्रित जोखिम • निपटान जोखिम • प्रतिभूतिकरण जोखिम • अग्रिमों और भारतीय स्टेट बैंक एवं उसकी सहयोगी अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों (देशीय एवं विदेशी) द्वारा अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की पूर्वानुमानित वृद्धि तथा बेसल-II आदि के लागू होने से पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की अवधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग-अलग किया जाता है। • 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त विकल्प हैं, जैसे गौण ऋण नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत जो ईक्विटी के अलावा उपलब्ध हैं। • विदेशी अनुषंगियों से संबंधित कार्यनीतिक पूंजीगत योजना में आस्तियों की संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता और विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करते हुए अपेक्षित पूंजी का मूल्यांकन करना शामिल होता है। अलग-अलग अनुषंगियों की श्रेणी-1 और श्रेणी-2 की पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे में संतुष्टि कर लेने के बाद पूंजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन मूल बैंक द्वारा किया जाता है जिससे पूंजी का स्तर बढ़ाने और पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता मिल सके।
मात्रात्मक प्रकटीकरण (ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता • मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो • निवेश का प्रतिभूतिकरण	- ₹1,03,607.70 करोड़ - शून्य .... **कुल ₹1,03,607.70 करोड़**
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता (मानक अवधि पद्धति) • ब्याज दर जोखिम (जिसमें डेरीवेटिव्स शामिल हैं) • विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल है) • ईक्विटी जोखिम	₹4,565.12 करोड़ ₹124.78 करोड़ ₹1700.23 करोड़ .... कुल ₹6,390.13 करोड़
(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता • मूल संकेतक पद्धति	- ₹9,581.05 करोड़ .... कुल ₹9,581.05 करोड़

(ड.) कुल और श्रेणी-1 पूँजी का अनुपात:			
• शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा • बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (स्टैंड एलोन)	**दिनांक 31.03.2013 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात**		
		श्रेणी-1(%)	योग (%)
	एसबीआई समूह	9.46	12.82
	भारतीय स्टेट बैंक	9.49	12.82
	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	9.11	12.16
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	9.25	12.36
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	8.87	11.79
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.02	11.12
	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	8.46	11.70
	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	16.09	16.59
	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	32.65	38.65
	भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	15.83	16.92
	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	44.44	44.44
	पीटी बैंक इंडो मॉनिक्स, इंडोनेशिया	10.40	11.58
	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	9.53	12.62

तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

पिछले बकायों और अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

समूह की देशीय बैंकिंग इकाइयां लेखा प्रयोजनों हेतु इन श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान अनुदेशों का पालन करती है, जो निम्नानुसार है :

अनर्जक आस्तियां

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहां :

i. किसी भी मीयादी ऋण के ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए **'अतिदेय'** रहती है;

ii. किसी ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए **'अतिदेय'** रहता है ;

iii. खरीदे गए बिल और भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए **'अतिदेय'** रहता है;

iv. अन्य खातों के संबंध में प्राप्त की जाने वाली कोई राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए **'अतिदेय'** रहती है;

v. अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है तथा दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है; और

vi कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिनों के अंदर अदा नहीं कर दिया जाता।

'अनियमित श्रेणी'

कोई खाता ऐसी स्थिति में 'अतिदेय' माना जाना चाहिए जब बकाया शेष निरंतर संस्वीकृत सीमा/अधिकार से अधिक रहता है।

ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत सीमा/अधिकार से कम है किन्तु बैंक के तुलन-पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की गई है अथवा उस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा नहीं है, तो ऐसे खाते को **'अनियमित'** माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई राशि **'अतिदेय'** मानी जाती है, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को अदा नहीं की गई है।

(अन्य समूह इकाइयां - विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयां और गैर-बैंकिंग इकाइयां अपने व्यवसाय क्षेत्रों में लागू और उनसे संबंधित नियंत्रकों द्वारा नियत परिभाषाओं का उपयोग करती हैं)

ऋण जोखिम प्रबंधन

समूह इकाइयों द्वारा मुख्य रूप से अपने ऋणान्वयन और निवेश कार्यकलाप के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। समूह की सभी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अपने ऋण एवं निवेश कार्यकलाप के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। गैर-बैंकिंग इकाइयों में फैक्टरिंग और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में, ऋण जोखिम एक प्रमुख जोखिम है। समूह बैंकिंग इकाइयों ने ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और सम्पार्श्विक प्रबंधन नीति/नीतियां बनाई हैं जिनमें ऋण जोखिम के प्रबंधन के बारे में और एक ऐसी व्यापक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है जो ऋण जोखिमों का समय से पता लगाकर उनका समय से और सक्षम ढंग से प्रबंध एवं निगरानी कर सके। पिछले वर्षों में, इस संबंध में नीति एवं कार्य-विधियों को सम्बद्ध परिणामी अवधारणाओं और वास्तविक अनुभव के आधार पर परिष्कृत किया गया है। नीति एवं कार्य-विधियां बेसल-II और भारतीय रिज़र्व बैंक दिशा-निर्देशों, जहां कहीं लागू हो, में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है। ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं ;

i. ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडलों का जहां कहीं लागू हों, प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने और ऋण जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के विश्लेषण घटकों, विशेष रूप से ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के मात्रात्मक जोखिम निर्धारण भाग की सहायता करने के लिए काम में लिया जाता है। श्रेणी निर्धारण प्रक्रिया सुविधा/ऋणों से संबद्ध जोखिम को प्रतिबिम्बित करती है और यह ऋणी की अतिरिक्त क्षमता का मूल्यांकन है तथा इसकी आवधिक रूप से समीक्षा की गई है।

ii. भारतीय स्टेट बैंक समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के सामान्य परिदृश्य के संबंध में विशेष नीतिगत आदेश और परामर्श जारी करके बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों के संविभाग का प्रबंध करने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदण्डों का निर्धारण करने हेतु उद्योग अनुसंधान करता है और परिणामों का समूह की बैंकिंग इकाइयों के बीच आदान-प्रदान करता है।

iii. ऋण जोखिम का निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए गैर-बैंकिंग इकाइयां क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, आंतरिक श्रेणी-निर्धारण, जन-सांख्यिकी विश्लेषणों आदि, का यथा प्रयोज्य उपयोग करती है।

देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम के मापन में ऋण घटकों जैसे ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम की गणना करना शामिल होता है।

समूह इकाइयों में बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेन्द्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों, बैंकों, गैर-कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार, भू-संपदा आदि के संबंध में विवेकीय जोखिम मानदण्डों से संबंधित विनियात्मक आंतरिक दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। समूह इकाइयों की पृथक-पृथक रूप से और समूह की समेकित रूप से ऋण जोखिम मापन के लिए जोखिमों की निरंतर निगरानी की गई है, जिस प्रकार समूह जोखिम प्रबंधन नीति में निर्दिष्ट किया गया है। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं जिससे जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

समूह की प्रत्येक बैंकिंग इकाई में एक ऐसी ऋण नीति लागू है जिसमें ऋण एवं अग्रिमों की संस्वीकृति, प्रबंध और निगरानी करने के संबंध में इकाइयों के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। इस नीति से ऋण संबंधी बुनियादी बातें, मूल्यांकन निपुणताओं, प्रलेखन मानकीकरण और संस्थात्मक अपेक्षाओं की जागरूकता, तथा कार्यनीतियों से संबंधित दृष्टिकोणों में समानता आती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संविभाग स्तर पर आस्तियों की सम्पूर्ण गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। आस्तियों का मूल्यांकन, संस्वीकृति, प्रलेखीकरण, निरीक्षण एवं निगरानी, नवीकरण, रखरखाव, पुनर्वास और प्रबंध करने के लिए उचित प्राधिकार के अंतर्गत नवोन्मेष, विचलन और नरमी की पर्याप्त गुंजाइश के साथ विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए समूह में आंतरिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाएं लागू हैं, जो निम्नानुसार हैं ;

क) ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम अभिशासन संरचना

ख) एक श्रेणीबद्ध प्राधिकार संरचना के साथ अग्रिमों एवं संबद्ध मामलों के लिए वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

ग) ऋण लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में संस्वीकृति से पूर्व और संस्वीकृति के पश्चात की प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। प्रारंभिक सीमाओं से अधिक की जोखिमों के लिए देशीय इकाइयों में ये लेखा-परीक्षा आयोजित की गई है।

घ) ऋण की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए तनावग्रस्त आस्तियों की गहरी समीक्षा एवं निगरानी करना।

ङ) सभी परिचालन अधिकारियों और लेखा-परीक्षा अधिकारियों को नीतियां, कार्यविधियां और जोखिम सीमाओं की जानकारी परिचालित की गई है जिससे निरंतर आधार पर उनकी जानकारी को अद्यतन रखा जा सके।

च) सभी अधिकारियों के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रथाओं से संबंधित जानकारी को अद्यतन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास भी शुरू किए गए हैं।

तालिका डीएफ-4
ऋण जोखिम - 31.03.2013 को मात्रात्मक प्रकटीकरण आकड़े

सामान्य प्रकटीकरण		राशि - ₹ करोड़ में		
मात्रात्मक प्रकटीकरण		**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**कुल**
(ख)	कुल ऋण जोखिम निवेश	14,59,944.79	4,30,186.97	18,90,131.76
(ग)	निवेश का भौगोलिक संवितरण : एफबी /एनएफबी			
	विदेशी	1,78,703.84	13,552.45	1,92,256.29
	देशीय	12,81,240.95	4,16,634.52	16,97,875.47
(घ)	निवेश का औद्योगिक संवितरण-निधि आधारित/गैर-निधि आधारित अलग-अलग	कृपया तालिका 'क" देखे		
(ड.)	आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विवरण	कृपया तालिका 'ख" देखे		
(च)	अनर्जक आस्तियों की राशि (कुल) (i से v)			63,987.43
	i. मानक			26,175.89
	ii. संदिग्ध 1			17,916.40
	iii. संदिग्ध 2			12,893.77
	iv. संदिग्ध 3			3,602.92
	v. हानिकर			3,398.45
(छ)	निवल अनर्जक आस्तियां			28,782.38
(ज)	अनर्जक आस्ति अनुपात			
	i) सकल अग्रिमों का सकल अनर्जक आस्तिया			4.47%
	ii) निवल अग्रिमों का निवल अनर्जक आस्तियां			2.07%
(झ)	अनर्जक आस्तियों का उतार-चढ़ाव (सकल)			
	i) अथशेष			49,648.70
	ii) जोड			42,842.88
	iii) कटौती			28,504.15
	iv) इतिशेष			63,987.43
(ञ)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
	i) अथशेष			28,553.61
	ii) अवधि दौरान किए गए प्रावधान			17,080.58
	iii) बट्टा खाता डालना			10,399.54
	iv) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन			29.60
	v) इतिशेष			35,205.05
(ट)	गैरनिष्पादन निवेशों की राशि			1,162.38
(ठ)	गैर निष्पादन निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि			1,134.19
(ड)	निवेशों पर ह्रास हेतु प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
	i) अथशेष			2,480.09
	ii) अवधि दौरान किए गए प्रावधान			318.89
	iii) बट्टा खाता डालना			239.63
	iv) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन			1,353.20
	v) इतिशेष			1,206.15

तालिका : क दिनांक 31.03.2013 को निधि आधारित निवेश का औद्योगिक संवितरण

राशि - ₹ करोड़ में

कोड	उद्योग	निधि आधारित (शेष राशियां)			गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)
		मानक	अनर्जक आस्ति	कुल	
1	कोयला	2,070.29	195.17	2,265.46	1,217.82
2	खदान	10,639.60	150.66	10,790.26	2,390.47
3	लोह एवं इस्पात	96,711.56	3,834.73	100,546.29	26,246.87
4	धातु उत्पादन	24,152.41	1,083.38	25,235.79	4,683.76
5	सभी अभियांत्रिकी	38,024.26	1,535.35	39,559.61	53,774.44
51	जिसमें से इलेक्ट्रानिक संबंधी	6,858.39	778.74	7,637.13	6,080.55
6	बिजली	18,085.38	6.94	18,092.32	14,705.41
7	कपडा उद्योग	34,836.33	1,766.98	36,603.31	3,133.51
8	जूट उद्योग	318.94	26.44	345.38	179.03
9	अन्य उद्योग	26,819.26	2,740.93	29,560.19	2,093.51
10	चीनी	9,070.41	212.16	9,282.57	619.47
11	चाय	1,244.29	15.69	1,259.98	40.89
12	खाद्य प्रसंसाधन	23,266.97	1,425.04	24,692.01	4,279.21
13	वनस्पती तेल एवं वनस्पती	6,947.79	923.18	7,870.97	4,151.84
14	तमाखु/ तमाखु उत्पादन	1,265.93	44.28	1,310.21	43.37
15	कागज /कागज उत्पादन	6,526.25	947.70	7,473.95	1,087.34
16	रबड़/ रबड़ उत्पादन	10,163.79	237.09	10,400.88	1,404.79
17	रसायन/ डाय/ रंगकाम आदि	75,734.50	3,112.18	78,846.68	13,337.07
17.1	जिसका उर्वरक	16,834.47	117.68	16,952.15	4,569.53
17.2	जिसका पेट्रोरसायन	33,669.77	80.37	33,750.14	2,627.73
17.3	जिसकी दवाइयां एवं औषधीय	12,090.74	2,205.75	14,296.49	2,911.98
18	सिमेंट	10,974.20	506.31	11,480.51	1,542.96
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादन	2,546.46	163.24	2,709.70	317.40
20	रत्न एवं आभूषण	20,045.00	1,020.78	21,065.78	4,655.91
21	निर्माण	2,674.52	1,154.99	3,829.51	1,534.44
22	पेट्रोलियम	29,041.43	21.03	29,062.46	33,765.62
23	आटोमोबाईल एवं ट्रक	12,901.31	122.08	13,023.39	1,124.89
24	कंप्यूटर स्वाफ्टवेयर	3,988.82	801.75	4,790.57	326.95
25	मूलभूत तत्व	165,913.28	3,217.11	169,130.39	46,058.67
25.1	जिसकी शक्ति	69,719.02	693.83	70,412.85	13,791.85
25.2	जिसका संचार	32,516.21	175.40	32,691.61	3,721.20
25.3	जिसके मार्ग एवं बंदरगाह	26,552.35	833.78	27,386.13	10,038.33
26	अन्य उद्योग	58,569.40	4,069.76	62,639.16	28,086.60
27	एनबीएफसी एवं व्यापार	87,393.53	2,882.77	90,276.30	9,277.27
28	शेष अग्रिम एवं शेष सकल अग्रिम	616,031.45	31,769.71	647,801.16	170,107.44
	कुल	**1,395,957.36**	**63,987.43**	**1,459,944.79**	**430,186.97**

तालिका - ख

डीएफ-4 (च) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विवरण

[₹करोड़ में]

	Assets	1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	13,438.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,438.59
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	14,696.76	1,184.76	2,676.20	3,416.78	8,703.29	20,382.70	10,425.74	14,518.45	76,004.68
3	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	46,343.63	2,037.43	3,040.97	916.05	2,739.40	2,152.94	608.69	513.86	58,352.97
4	निवेश	13,059.37	5,539.30	31,797.76	20,773.33	15,590.33	66,431.63	91,144.17	2,35,341.07	4,79,676.96
5	अग्रिम	80,040.22	22,208.00	97,263.26	70,228.15	72,449.52	666,621.00	1,43,403.17	2,42,996.67	13,95,209.99
6	अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.51	8,955.51
7	अन्य आस्तियां	30,449.03	3,061.04	8,948.30	6,163.79	7,579.53	1,828.69	155.68	5,990.93	64,176.99
	कुल	**1,98,027.60**	**34,030.53**	**1,43,726.49**	**1,01,498.10**	**1,07,062.07**	**757,416.96**	**2,45,737.45**	**5,08,316.49**	**20,95,815.69**

* बीमा हकाहयों, गैर वित्तीय इकाइयों और विशेष प्रयोजन संस्थाओं तथा अन्त: समूह समायोजनों को शामिल नहीं किया गया है ।

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम

मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों हेतु प्रकटीकरण

(1) **गुणात्मक प्रकटीकरण**

- **प्रयुक्त रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में परिवर्तनों के कारण**

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमश: केयर, क्रिसिल, आईसीआरए और फिच इंडिया (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों) तथा फिच, मूडीज एवं एसएण्डपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया गया। विदेशी बैंकिंग इकाइयां अपने-अपने विनियामकों के अनुमोदन के अनुसार रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग का प्रयोग करती है।

- **ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गई**

  (i) एक वर्ष से कम अथवा समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  (ii) देशीय कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- **पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण**

  निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।

- उन मामलों में जहां ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।.

31.03.2013 को मात्रात्मक प्रकटीकरण **(₹ करोड़ में)**

		राशि
(ख) जोखिम कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं अश्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियां	100% आरडब्ल्यू से कम	11,73,319.11
	100% आरडब्ल्यू	4,58,737.40
	100% से अधिक	2,55,720.98
	घटाई गई	2,354.28
	कुल	18,90,131.76

तालिका डीएफ-6
ऋण जोखिम
ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- **तुलन पत्र में निवल जोखिम मदों को सम्मिलित करने / न करने की सीमा निर्धारित करने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं**

  तुलन-पत्र की निवल जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है ; जहां बैंक,

  जहाँ देश में स्थित बैंकिंग इकाइयों,

  क. के पास यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है कि वह निवल राशि की वसूली/समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;

  ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;

  ग. निवल आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमा-राशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/ अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

- **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं**

  देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक नीति निर्धारित की गई है, जिसमें पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सकें।

  इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके द्वारा ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सके। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है ;

  (i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
  (ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
  (iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
  (iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
  (v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाए
  (vi) विदेशी रेटिंग
  (vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
  (viii) बीमा
  (ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी
  (x) सामान्य दिशा-निर्देश

- **बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां ली गई हैं उनका ब्योरा**

  बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है ;

  - नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियां/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)
  - स्वर्ण
  - केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
  - ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जिन्हें बीबीबी या बेहतर रेटिंग प्राप्त है/अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए पीआर3/पी3/एफ3/ए3

- **मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण-पात्रता**

  बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं :

  - सरकार, सरकारी संस्थाएं (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुद्देशीय विकास बैंक, ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई, सरकारी क्षेत्र के उद्यम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका प्रतिपक्ष की तुलना में कम जोखिम भार हो।
  - अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (आब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है।

- **जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी**

  बैंकिंग इकाइयों का आस्ति-संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त की गई हैं, यथा :-

  - ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां
  - सरकार और अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियां
  - प्रतिपक्ष अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

मात्रात्मक प्रकटीकरण	**(राशि – ₹ करोड़ में)**
(ख) प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहां लागू है) जो कटौतियां लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	1,53,043.52
(ग) प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहां लागू है) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहां कहीं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)।	45,727.00

तालिका डीएफ-7
प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क)	*प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है, के अनुसार निम्नलिखित विवरण दिया गया है :*	
	• प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर, अर्थात अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है।	निरंक
	• प्रतिभूति आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप ।	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, नकदी प्रदाता, विनिमय प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता# और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता ; @ संबंधित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी भी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में नियामक के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर निर्धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। # कोई भी बैंक नियामक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर गारंटियों, ऋण डेरीवेटिव्ज या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण निवेशों में ऋण और बाजार जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों (अर्थात संबंधित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। इनके बारे में दिनांक 1 जुलाई 2009 के एनसीएएफ के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में उल्लेख है)।	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का नीचे वर्णन किया गया है;	लागू नहीं
(ख)	*प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखाकरण नीतियों का निम्नलिखित सहित सारांश निम्नानुसार है :*	
	• क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नहीं
	• पिछली अवधि के प्रमुख पूर्वानुमान और लागू की गई पद्धतियो में परिवर्तनों तथा उन परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नहीं
	• तुलनपत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियां जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नहीं
(ग)	*बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।*	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही	
(घ)	*बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि*	निरंक
(ङ)	*चालू अवधि के दौरान ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से हुई किन हानियों की बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।*	निरंक
(च)	*एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि*	निरंक
(छ)	*(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि*	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के स्वरूप सहित) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियां जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है।	निरंक
(झ)	*निम्नलिखित की कुल राशि :*	
	• तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	• तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विवरण अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ञ)	• यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।	निरंक
	• ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर । पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विवरण दें)।	निरंक
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : क्रय-विक्रय	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	• तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	• तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विवरण अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जिन्हें निम्नलिखित के लिए यथावत बनाए रखा गया या जिनके लिए खरीद की गई:	निरंक
	• कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण जोखिम, और	निरंक
	• कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विवरण दें।	निरंक
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	निरंक
	• प्रतिभूतिकरण की निर्धारित सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएं	निरंक
	• टियर । पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग)	निरंक

तालिका डीएफ-8
व्यापार बही में बाजार जोखिम
मानकीकृत अवधि पद्धति का उपयोग करते हुए बैंकों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण : देशीय बैंकिंग इकाइयां

1) बाजार जोखिम की गणना के अंतर्गत मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :
   - व्यापार के लिए रखी गई" और बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियां।
   - व्यापार के लिए रखी गई" और बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों की प्रतिभूतियों की प्रतिरक्षा के लिए और व्यापार के लिए डेरीवेटिव्स निष्पादित किए गए।

2) जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक और अन्य अनुषंगियों के संबंधित बॉण्डों अनुमोदन के आधार पर बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएसडी)/मध्य कार्यालय खोले गए हैं।

3) बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है :
   (क) निवेश नीति
   (ख) सरकारी प्रतिभूतियों, कारपोरेट बाण्ड्स और ईक्विटी के लिए ट्रेडिंग नीति
   (ग) डेरीवेटिव्स ट्रेडिंग नीति
   (घ) फोरेक्स ट्रेडिंग नीति
   (ङ) जोखिम मूल्य नीति
   (च) तनाव परीक्षण नीति
   (छ) ग्राहक यथातथ्यता एवं उपयुक्तता नीति (डेरीवेटिव्स)
   (ज) मॉडल वैधता नीति

5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।

6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।

7) फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमाएं (दिन/रात), हानि नियंत्रित सीमाएं, प्रति मुद्रा व्यापार के संबंध में लाभ/हानि की उचित निगरानी रखी जाती है और अपवादात्मक सूचना पर नियमित ध्यान दिया जाता है।

8) विभिन्न आस्ति संविभागों के आवधिक अंतरालों पर नियमित तनाव परीक्षण बैंक परीक्षण किए जा रहे हैं। इनके परिणामों के बारे में शीर्ष प्रबंधन और जोखिम समितियों को सूचित किया जाता है।

9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश-संविभाग की जोखिम निगरानी करने के लिए जवाबदार हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रित सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

10) देशीय बैंकिंग इकाइयां बाजार जोखिम और वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए गए आशय पत्र के संबंध में पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए आंतरिक मॉडल पद्धति को लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
ब्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	4,565.12
ईक्विटी स्थिति जोखिम	1,700.23
विदेशी विनिमय जोखिम	124.78
कुल	**6,390.13**

तालिका डीएफ-9
परिचालन जोखिम

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है।
- अन्य समूह इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में निपटान किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियां लागू हैं :

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, जिसमें परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना शामिल है, बैंक में लागू है :
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी) बैंक में लागू है।
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल) उपाय बैंक में लागू हैं।
- नुकसान हुए आंकड़ों के प्रबंधन की नीति
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है।
- आउटसोर्सिंग नीति

<u>मैनुअल्स</u>

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
  (जोखिम एवं स्व-नियंत्रण मूल्यांकन (आसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और एमआईएस रूपरेखा दस्तावेज)
- आंकड़ा नुकसान मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल

<u>देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां</u>

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित नीतियां लागू हैं और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीति लागू है। आपदा निराकरण योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि कुछ नीतियां बैंक में लागू हैं।

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग इकाइयों में परिचालन जोखिमों के नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

- बैंक द्वारा एक "अनुदेशावलीह्व जारी की गई है, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-परिपत्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- बैंक द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में सभी कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- जोखिम का प्रबंध बेहतर ढंग से करने के लिए परिचालन जोखिमों के कारण होने वाले नुकसानों का एक व्यापक आंकड़ा आधार तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- शाखाओं से हानि करीबी मामलों सहित हानि के आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक वेब आधारित टूल तैयार किया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण-परिचालन जोखिम की जानकारी बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों को छोड़कर बैंक द्वारा भावी परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखा-परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। वे आंकड़ों की वैधता के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- वेब आधारित जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) प्रक्रिया की देशीय शाखाओं और केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्रों में शुरुआत की जा रही है, ताकि बैंक में परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन, नियंत्रण और न्यूनीकरण किया जा सके। भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में आरसीएसए प्रक्रिया में आकलित उच्च जोखिम परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में व्यापक परिचालन जोखिमों का विस्तृत आकलन फोकस ग्रुप द्वारा किया जाता है। इस फोकस ग्रुप में नियंत्रक कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। ये ग्रुप सम्पूर्ण बैंक में कार्यान्वयन करने हेतु नियंत्रण एवं (जोखिम) कम करने के उपाय भी सुझाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में बेहतर प्रबंधन के लिए मंडलों में जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है।
- व्यवसाय विघटन और प्रणाली विफलताओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, बैंक (एसबीआई) और सहयोगी बैंकों ने एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली लागू की है ।
- एवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच (एएमए) के अंतर्गत यथा आवश्यक परिचालन जोखिम की मात्रा निर्धारित करने और उसकी निगरानी करने के लिए बैंक पूर्ण विकसित आंतरिक प्रणालियों के साथ बैंक पूरी तरह से तैयार है। बेसल-।। के अनुसार परिचालन जोखिम प्रबंधन रूपरेखा (ओआरएमएफ) और परिचालन जोखिम मापन प्रणाली (ओआरएमएस) के आवश्यक घटक बैंक (एसबीआई) में लागू हैं। वित्त वर्ष 2013 के दौरान बैंक ने एएमए लागू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आवेदन किया है। सहयोगी बैंक भी ओआरएमएफ और ओआरएमएस के अंतर्गत यथा आवश्यक पूर्व-व्यवस्था करने की प्रक्रिया में हैं और वित्त वर्ष 2014 के दौरान एएमए लागू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आवेदन करने वाले हैं।

<u>देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी इकाइयां</u>

प्रणालियों एवं कार्यविधियों के रूप में पर्याप्त उपाय और रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई है।

घ. जोखिम रिपोर्ट करने एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली बैंक में लागू है।
- निवारक सतर्कता की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी व्यवसाय इकाइयों में स्थापित की गई है।
- आसीएसए कार्य में पता लगायी गई महत्वपूर्ण जोखिमों और नुकसान हुए आंकड़ों के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15 % के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति अपनायी गई है।

तालिका डीएफ -10
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

1. **गुणात्मक प्रकटीकरण**

ब्याज दर जोखिम : ब्याज दर जोखिम आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक निवल ब्याज आय तथा उसकी आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से संबंधित है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। तुलन-पत्र की स्थिति के आधार पर बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरें बैंक को प्रभावित करती हैं। ब्याज दर जोखिम बैंक के तुलन-पत्र की आस्ति एवं देयता दोनों तरफ रहता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अत: आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिये ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तद्नुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से ईक्विटी के बाजार मूल्य पर पड़ने वाले ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। ईक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 1% समान अंतर के बीच परिवर्तन के अनुमान किया जाता है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है:

बाजार दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
ईक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	20%

1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. **एसबीआई समूह के परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

क. जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव (₹ करोड़ में)
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	4,926.23

ख. ईक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव (₹ करोड़ में)
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का ईक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	6,593.29

डीएफ - समूह जोखिम
समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की कंपनियों के संबंध में * **(विदेश में स्थित बैंकिंग कंपनियाँ, देश में स्थित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियाँ)**	
सामान्य विवरण	
कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने प्रकटीकरण में संबंधित श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है।
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में तात्कालिक नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन तात्कालिक आधार पर निष्पादित किए गए हैं चाहे उनके कारोबारी जोखिम प्रबंधन का मामला हो या प्रतिभूतियों के प्रावधान आदि का मामला हो।
साझा विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि समूह की कंपनियाँ साझे विपणन, ब्रांडिंग में एसबीआई के नाम का अव्यक्त ढंग से उपयोग कर रही हैं।
वित्तीय सहायता का ब्योरा#, यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है/ न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

 # समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर ''वित्तीय सहायता'' माने गए हैं:

क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;

ख) समूह की इकाइयों को जिस तात्कालिक नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;

ग) समूह के भीतर अलग अलग कंपनियों की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना;

घ) पूँजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;

ङ) 9प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों" को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

* सम्मिलित कंपनियाँ

बैंकिंग-देश में स्थित	बैंकिंग-विदेश में स्थित	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारतीय स्टेट बैंक (मॉरीशस)	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
		एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
		एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज प्रा. लि.

भारतीय स्टेट बैंक
प्रॉक्सी फार्म

फोलियो क्र.: ______________________________

डी.पी./ग्राहक आई.डी.क्र. ______________________

मैं/हम, ____

____________________________________ निवासी ___________________________________

बैंक के कारपोरेट केन्द्र में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के ______________________________

शेयर / शेयरों का धारक हूँ / शेयरों के धारक है और एतद्द्वारा ______________________________________

_______________________________________ निवासी _______________________ को (या उसकी

अनुपस्थिति में _________________________________ निवासी __________________________ को)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की ___________________________________में दिनांक ______________

को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे / हमारे लिए और मेरी / हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता /करती हूँ / करते हैं।

दिनांकित ______________________ के _____________________ दिवस को

15 पैसे
रसीदी
टिकट

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी करणवश अपना नाम न लिख सकता हो, तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसका कोई चिह्न है जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्राक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक/स्थानीय बोर्ड का सदस्य/ भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्टांपित न हो और उसे मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, कारपोरेट केन्द्र में या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टत: 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा। (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बाण्ड विभाग, कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 को प्रॉक्सी फार्म मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक
शेयरधारकों की वार्षिक महासभा
उपस्थिति पर्ची

दिनांक: ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

फोलियो क्र: ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐

डी.पी. / ग्राहक आई. डी. क्र: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

शेयरधारक का पूरा नाम: ______________________________

(शेयर प्रमाणपत्र पर लिखे / डी.पी. के रिकार्ड के अनुसार)

पंजीकृत पता: ______________________________

______________________________ पिन ☐☐☐☐☐☐

कुल धारित शेयरों की संख्या: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक, मतपत्र द्वारा

मतदान के मामले में: ☐☐☐☐☐☐☐ से ☐☐☐☐☐☐☐ तक

क्या विनियम 31* के अनुसार मत देने का अधिकार है: हाँ / नहीं

यदि हाँ, तो मतों की संख्या जिनके लिए वह अधिकृत है (मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में):

शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप से							
प्रॉक्सी के रूप में							
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में							
योग							

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

सील / मोहर:

नोट:

i) भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों/प्रभाग प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत गया है।

ii) यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारी है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की मोहर/स्टाम्प के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।

iii) वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।

iv) शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभास्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाण जैसे - पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

Shri Pratip Chaudhuri, Chairman, State Bank of India receiving National Award 2012 for the Bank's outstanding performance at National Level for Implementing Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) in the country, from Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble President of India.

Annual General Meeting of Shareholders on 22nd June 2012 at Mumbai

From Heritage...

Bank of Bengal (1806)

Bank of Bombay (1840)

Bank of Madras (1843)

...to Modernity

ATM, Changi Airport Singapore

Full Commercial Banking Unit (FCBU), Bahrain